राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] नवम् विधान सभा के प्रथम सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 11

गुरुवार,

दिनांक 29 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 मार्च, 1990)

प्रश्न संख्या-23

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर। अनुपस्थित। (कृपया आगे देखें)

श्री अनंग कुमार जैन।

झालावाड़ एवं झालरापाटन शहरों को समुचित पेयजल

103. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ शहर के पीने के पानी की समस्या हल करने के विभाग द्वारा री-आर्गेनाइजेशन स्कीम तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गयी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक उसे स्वीकृत क्यों नहीं किया गया है?

(2) क्या सरकार झालावाड़ व झालरापाटन दोनों शहरों के लिए अलग-अलग पीने के पानी की योजनाओं को लागू करने का विचार रखती है?

(3) क्या झालरापाटन शहर के लिए एस.आर. टैंक के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि झालावाड़ शहर की पेयजल योजना फिल्टर प्लांट के अभाव में अधूरी पड़ी हुई है? क्या सरकार आगामी वित्त वर्ष में फिल्टर प्लांट के लिए अपेक्षित राशि आवंटित करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन के ग्राम कनवाड़ा, मण्डावर, खानपुरिया, मोतीपुरा, जूनाखेड़ा व समराई में हैण्ड पम्प सूखने के कारण पानी नहीं आता है तथा यह स्कीम असफल हो गयी है? क्या ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उक्त गांवों को पेयजल के लिए वैकल्पिक क्षेत्रीय पेयजल योजना चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। वर्ष 1984 में ही राज्य सरकार ने री-आर्गेनाइजेशन स्कीम झालावाड़, जिसकी लागत 36.66 लाख रुपए थी, स्वीकृत कर दी थी। इस योजना की लागत बढ़ जाने के कारण एक संशोधित री-आर्गेनाइजेशन स्कीम विभाग

(श्री भंवरलाल शर्मा)

द्वारा बनायी जा रही है, जो अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, टैंक बनाने की योजना विभाग में विचाराधीन है।

(4) जी हां, आगामी वित्तीय वर्ष में अपेक्षित राशि आवंटित की जायेगी।

(5) इन गांवों में जल स्तर बहुत कम हो गया है तथा हैण्ड पम्पों में पानी बहुत कम आ रहा है। इन हैण्ड पम्पों को तुरन्त गहरा करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि खण्ड एक का माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि 1984 में रीआर्गेनाइजेशन स्कीम बना ली गयी थी, जो आपने मंजूर की है और संशोधित स्कीम भी बनायी गयी है, लेकिन वह अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले से लेकर जयपुर के बीच में अभी तक किस दफ्तर में वह पेंडिंग पड़ी हुई है इतने लम्बे समय से? 5 साल, 6 साल का पीरियड गुजर गया, मात्र अधिकारियों की लापरवाही से। उनके द्वारा समय पर सही स्तर पर नहीं पहुंचाने के कारण वह योजना लम्बित पड़ी हुई है। राज्य सरकार उसको कब तक स्वीकृत कर देगी?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस योजना की स्वीकृति में काफी विलम्ब हुआ है। मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो प्रश्न आये हैं उनमें करीब 10–12 प्रश्न मेरे विभाग से सम्बन्धित हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने तो सरकार का ध्यान प्रश्नों के माध्यम से दिलाया है, बाकी अन्य माननीय सदस्यों ने भी जो भयंकर पेयजल संकट राजस्थान में है उसकी ओर मुझ से मिलकर या लिखित में देकर ध्यान आकर्षित किया है। सरकार को भी यह जानकारी है कि इस बार जल स्तर नीचे चले जाने से अनेक स्थानों पर बड़ी कठिनाई पैदा हो गयी है। इसीलिए कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन को जानकारी दी थी और एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति की दो बार मीटिंग भी हुई है। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें विभाग की तरफ से कुछ योजनायें हाथ में ली गयी थीं, जिन पर होने वाला अनुमानित व्यय 75 करोड़ के लगभग है। समिति ने इसको उचित माना और इसकी व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही शुरू की है। यह प्रश्न भी सामने आया कि इस प्रकार का जो संकट है, जो परिस्थितियां हैं, जो कमियां हैं, वह पूरी इसमें संकलित नहीं हो पायी हैं, क्योंकि जनवरी तक का ही उसमें विवरण था। कई स्थान छूट गये थे जो उसमें आने चाहिए थे। यह भी तय हुआ कि विभाग के बड़े अधिकारी इस काम को स्वयं देखकर जो कठिनाइयां अभी सम्मिलित नहीं की गयी हैं उनको सम्मिलित करें और जन प्रतिनिधियों द्वारा उन सबका विवरण इकट्ठा करके आने वाली 20 अप्रेल तक उनका संकलन करें। इन समस्याओं के समाधान के लिए

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनके साथ मिलकर फिर एक बार बैठने वाले हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न तो बहुत सारे हैं। या तो यह हो कि एक-एक प्रश्न आयेंगे और मैं उसका उत्तर दे दूं, वर्ना मेरा यह निवेदन होगा कि अभी हमको कुछ समय के लिए काम करने दें। जो डिले हुई है उसको मुझे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगस्त या सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक यह मालूम हो जाता है कि कितनी बरसात हुई है, कितना पानी आ चुका है। उसके बाद तो बहुत बरसात होती नहीं। जल स्तर कितना है, आने वाली समस्या कितनी जटिल होगी, इसका आभास पहले हो जाता है, लेकिन उसके अनुरूप उस समस्या से निपटने के लिए जो कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो गति लायी जानी चाहिए थी, एक नहीं अनेक बातों में ऐसा मिलेगा कि हम नहीं कर पाये। उसमें डिले जरूर हुई है लेकिन आगे आने वाले समय में त्वरित गति से, जो सीमित साधन हैं उनके आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे। माननीय अनंगकुमारजी ने जो प्रश्न किया, इसमें निश्चित रूप से विलम्ब हुआ है। एडिशनल चीफ इंजीनियर, अजमेर के पास अभी यह पेंडिंग है, उससे यह अभी आयी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आ जाय और उसको तय करें।

श्री अनंग कुमार जैन : खण्ड 5 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन गांवों के बारे में जिक्र किया, निवेदन किया कि इन गांवों के अन्दर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, हैण्ड पम्प से एक बून्द भी पानी नहीं आता है उसका, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने बहुत आर्टिस्टिकली उत्तर दिया है। उन्होंने यह मंजूर तो किया है लेकिन बहुत आर्टिस्टिकली यह कहा है कि बहुत कम पानी आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मात्र इतना निवेदन है मंत्री महोदय से कि जिन गांवों में हैण्ड पम्प स्कीम असफल हो गयी, हैण्ड पम्पों में पानी समाप्त हो चुका है, उनके बारे में इस आने वाली गर्मियों में तत्काल वैकल्पिक कोई योजना बनाने जा रहे हैं कि कैसे पानी मुहैया करेंगे, इस बारे में हमें आश्वस्त कर दें।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि इस योजना में विलम्ब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस योजना में विलम्ब होने के कारण क्या हैं? इस योजना में कितनी समय सीमा और लगेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मेरे भवानी मण्डी, चौमहला में पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भी आप शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द) : पूरे राजस्थान में जल संकट है और लगभग पूरा सदन इस बारे में चिन्तित है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया था कि प्रायोरिटी के आधार पर इसका समाधान किया जायेगा। जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, लेकिन मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनके कारण विशेष तौर से बहुत नीचे जा चुका है। रेलमगरा तहसील में दरीबा माइंस के कारण कई किलोमीटर गहरी खानें हैं,

(श्री शांतिलाल)

उनके कारण आसपास के 25 किलोमीटर तक के रेडियस में पानी की बिलकुल उपलब्धता नहीं है। ऐसे स्थानों पर पानी की विशेष व्यवस्था कराना नितान्त आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि इस बारे में विशेष ध्यान दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हैण्ड पम्प काम नहीं कर रहे या पानी नीचे चला गया, कोशिश करेंगे कि उसके पास ही अगर जल उपलब्ध है तो नये हैण्ड पम्प खोद दिये जायं। देरी का कारण ? यह काम चालू हो गया था वैसे, लेकिन जो ठेकेदार था वह बीच में चला गया। जब मैंने कहा कि इसकी जांच करेंगे, तो कारण सामने आ जायेंगे। दरीबा माइंस की जो आप बात कर रहे हैं, वह इससे सम्बन्धित तो नहीं है, लेकिन इस पर विचार करके क्या व्यवस्था की जा सकती यह हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी के लिये कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष। बता दिया ना आपको।

श्री बालचन्द आर्यवीर : कहां बताया है ?

श्री अध्यक्ष : यह कहा है कि ठेकेदार चला गया था। उसकी जांच करेंगे कि वह क्यों चला गया था, कारण आ जायेंगे सामने।

श्री बालचन्द आर्यवीर : भवानी मण्डी के बारे में नहीं बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : भवानी मण्डी का सवाल यह नहीं है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : झालावाड़ जिले से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : भवानी मण्डी का सवाल नहीं है, झालावाड़ का सवाल है। नेक्स्ट।

श्री प्रेमसिंह दहिया।

ग्राम सुराणा (जालोर) में चिकित्सा केन्द्र

104. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सायला पंचायत समिति (जालोर) के ग्राम सुराणा में एड-पोस्ट अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस हेतु जिलाधीश, जालोर द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही की गयी है ?

(4) क्या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा भवन बनाकर देने का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो किसने और कब ?

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

(5) क्या राज्य सरकार निरस्त की गई स्वीकृति, उक्त ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की दृष्टि में पुन: बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राज्य आदेश दिनांक 1-12-1989 द्वारा ग्राम सुराणा पंचायत समिति सायला में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गयी थी।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां।

(4) अन्दानी चैरिटेबल ट्रस्ट, सुराणा ने वर्ष 1989 में भवन बना कर देने का प्रस्ताव भेजा है।

(5) चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के आदेश निरस्त नहीं किए गए हैं, अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निम्न सवाल करना चाहता हूं कि किस स्तर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के आदेश हुये ? फिर क्या मूल स्वीकृति में कोई बदलाव किया गया ? दूसरा, ग्राम सुराणा में जहां की वर्तमान आबादी 8 हजार के करीब है, महिलाओं के लिये प्रसव सुविधा की क्या व्यवस्था है ? ग्राम सुराणा से महिलाओं को प्रसव सुविधा के लिये भीनमाल ले जाने हेतु क्या वहां पर महिला विशेषज्ञ उपलब्ध है ? यदि नहीं है तो कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कैटेगरी एक ही है, कोई दो प्रकार की नहीं है। इसमें एक चिकित्साधिकारी रहता है, महिला नर्स ग्रेड-II दो रहती हैं, लेडी हैल्थ विजिटर एक रहती है, प्रसाविका एक रहती है, लेब टेक्निशियन एक रहता है, सैनेटरी इन्सपेक्टर एक रहता है, वार्ड ब्वाय एक रहता है, स्वीपर एक रहता है और वार्ड ब्वाय पार्ट टाइम दो रहते हैं। कोई दो कैटेगरी नहीं रहती है एक ही कैटेगरी जिसमें इस प्रकार की स्थिति है जो मैंने निवेदन की है।

माननीय सदस्य ने जैसी बात कही, 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम सुराणा की जनसंख्या 4291 है, अभी 1991 की सेन्स होनी बाकी है। जो कुछ माननीय सदस्य ने बतायी है वह रिकार्ड सामने रखने की कोशिश की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधिकारी एक रहता है। लेडी डाक्टर की जो बात उन्होंने कही है उसके बारे में अभी तो कुछ कहना सम्भव नहीं है क्योंकि चिकित्साधिकारी अगर महिला लगा दी गई तो बाकी और दृष्टि से एक चिकित्साधिकारी की न्यूनता आ जायेगी, वह परेशानी पैदा हो जायेगी। जैसी आबादी बढ़ने की बात कही है और आगे अगर बजट उपलब्ध हुआ और सचमुच में हमको लगा कि आबादी इतनी बढ़ गयी है और यहां से अस्पताल काफी दूर है, जहां

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रसव कराना है तो इस बारे में जैसे धन की उपलब्धि होगी उस पर विचार किया जायेगा, उसका करेंगे हम ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने सवाल को घुमाकर यह जवाब नहीं दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि भीनमाल रेफरल अस्पताल और महिला विशेषज्ञ की पोस्ट होते हुए भी कई समय से वहां पर महिला चिकित्सक नहीं है जिससे महिलाओं को प्रसव पीड़ा के समय बहुत तकलीफ होती है । उसके लिये क्या जवाब है आपका ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सवाल तो सुराणा का था भीनमाल के सम्बन्ध में नयी बात कही है तो भीनमाल में निश्चित रूप से लेडी डाक्टर होगी, पोस्टिंग नहीं होगी, वह कहीं छुट्टी पर हो सकती हैं । आपने मुझे जानकारी दी है, जल्दी से जल्दी वहां लेडी डाक्टर लगाने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुलाबसिंहजी ।

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पूर्व में तत्कालीन सरकार ने राज्य में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी । उसके बाद ग्रामवासियों ने और दानदाताओं ने अपने सहयोग से....

श्री अध्यक्ष : आप कहां की बात कर रहे हैं ?

श्री गुलाबसिंह : मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं । हमारे क्षेत्र में भी इसी प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी, लोगों ने भवन बनाये जो आज भी बन्द पड़े हुए हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे चिकित्सा केन्द्र खोले जायेंगे वहां पर ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय श्री शांतिलाल जी चपलोत ।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन कितने व्यक्तियों पर एक डाक्टर के लिये प्रेस क्राइज करता है और उसके अनुसार क्या हमारे राजस्थान में प्रति व्यक्ति डाक्टर है ? यदि नहीं हैं तो आप किस प्रकार का प्रस्ताव लाकर किस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं ? वह मुझे जरा बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें । दोनों सवालों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये नेक्स्ट ।

श्री शांतिलाल चपलोत : हैल्थ से है और हैल्थ का मामला चल रहा है । मैं समझता हूं कि मंत्रीजी को इस बात की जानकारी होगी इसलिये मैंने यह बात पूछी है, सप्लीमेण्टरी में यह बात पूछ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से सवाल कर लीजिये । श्री हेमराज जी ।

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के जनजाति बहुल गांवों को पेयजल

105. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमराज मीणा)

(1) क्या किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आबाद ग्रामों में पेयजल की कोई विशेष योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक पूर्ण हो सकेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला परिषद् कोटा ने पेयजल हेतु कोई योजना प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री मोहन मेघवाल) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गयी है। वित्तीय उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाना सम्भव होगा।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि किशनगंज-शाहबाद के 24 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं जो आदिवासी बहुल्य गांव हैं। उनमें से केवल मात्र 16 गांवों में ही एक-एक डीप वैल प्रस्तावित किया है जबकि विभाग ने प्रत्येक गांव में 2-2 डीप वैल के लिये प्रस्ताव भेजे हैं। 16 गांवों के अलावा 8 गांव जो छोड़े गये हैं उनमें पीने के पानी की व्यवस्था क्या हो सकेगी ?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, तहसील शाहबाद और किशनगंज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबादी के गांवों में पेयजल हेतु 3 योजनायें विचाराधीन हैं। प्रथम-आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा मांगे जाने पर 24 गांवों में 48 अतिरिक्त डीप वैल/हैण्ड पम्प लगाने हेतु 24 लाख रुपये का प्रस्ताव भिजवाया गया था जिसमें 16 गांवों में एक-एक अतिरिक्त डीप वैल/हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिन पर कार्य चालू किया जा रहा है। अन्य दो योजनायें निम्न प्रकार है – हलवानी मुहाल– यह योजना 29.23 लाख की है। इस योजना में 5 गांव सम्मिलित हैं-हलवानी, मुहाल, केदार कुई, काली माटी, सूखा सेवली। यह योजना अधीक्षण अभियन्ता, वृत कोटा के द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर को भेजी गयी थी और वहां से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। परन्तु कनिष्ठ भू जल वैज्ञानिक द्वारा सर्वे रिपोर्ट नहीं देने के कारण इस वित्तीय वर्ष में काम नहीं हो सका, नहीं किया जा सका। दूसरी जो योजना है, जिसको कहते हैं-बडारा धतूरिया-यह 43 लाख 53 हजार की है। इस योजना में 7 गांव सम्मिलित हैं-बडारा, धतूरिया, गणेशपुरा, जखोनी, सेमरा, सेमली फाटक और गोराई। यह योजना भी अधीक्षण अभियन्ता, कोटा द्वारा 1987 में भेजी गयी थी और यह अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर को प्रेषित की गयी। वहां से उसे जयपुर को पास करके भेज दिया। तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता, जयपुर ने सन् 1988 में कुछ कमियों के कारण वापस लौटा दी है। अब यह कमियां दूर कर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड बांरा द्वारा उनके पत्र 88 द्वारा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उन्हें वापस भेजी गयी है जो अभी विचाराधीन है। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद मैं समझता हूं कि आपकी यह समस्या का समाधान होगा। जहां अभी पानी उपलब्ध नहीं है या वहां नये फिर से कोई हैण्ड पम्प चालू किये जायं वह हो वरना और कोई आपके दिमाग में सुझाव हों जिसे कि हम आने वाली गर्मी तक पूरा कर सकें तो कृपया आप मुझे बतायें, उन पर कार्यवाही करने के लिये हम काम करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि 16 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, उनमें जो डीप वैल लगाने की योजना है वह योजना विभागीय स्तर पर पूरी कर पाना सम्भव नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोटा के अन्दर केवल तीन मशीनें उपलब्ध हैं और तीन मशीनों से पूरे हाड़ौती क्षेत्र का काम नहीं चलता। एक ट्यूबवैल में तीन दिन का समय लगता है। अगर 16 गांवों में एक-एक ट्यूबवैल लगेगा तो एक ट्यूबवैल में तीन दिन के हिसाब से 48 दिन में कार्य पूरा होगा। वह भी शुरू होने के बाद में 48 दिन लगेंगे और 48 दिन के अन्दर पीने के पानी का इतना घोर संकट खड़ा हो जायेगा कि जिसका मुकाबला करना सम्भव नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह बिल्कुल ठीक है। मैं इस विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके इसका कोई समाधान निकालूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नीनामा जी।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि नारू उन्मूलन योजना....

श्री अध्यक्ष : आप किशनगंज-शाहबाद के बारे में पूछ रहे हैं ? बिराजिए।

श्री नवनीतलाल नीनामा : यह सवाल आया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आगे आ जायेगा, बिराजिए।

श्री नवनीतलाल नीनामा : नारू उन्मूलन योजना और पेयजल अभियांत्रिकी विभाग में क्या फर्क है ? यह जो हैण्डपम्प दो तरह से लगाने जा रहे है इसमें क्या फर्क है ? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : एक नारू का उन्मूलन करता है और एक पानी का प्रबन्ध करता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमृतलाल जी, आप क्या पूछ रहे हैं, किशनगंज-शाहबाद के बारे में ?

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : मैं पूरे राजस्थान के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान) नेक्स्ट।

श्री बृजराज जी मीणा।

तहसील दीगोद में सैटलमेंट

106. श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले की तहसील दीगोद में गत सेटलमेंट अभियान के दौरान कितने गांवों में भूमि की पैमाइश की गई ? किन किन गांवों में पैमाइश के दौरान भूमि कम व ज्यादा पाई गई ?

(2) सेटलमेंट अभियान के दौरान उक्त तहसील में भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बिना रजिस्टर्ड विलेख के किस-किस गांव में कितनी भूमि का हस्तान्तरण किया गया ?

(3) क्या बिना रजिस्टर्ड डीड के हस्तान्तरण किया जाना नियमों के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) कोटा जिले की तहसील दीगोद में गत सैटलमेंट के दौरान कुल 170 गांवों में भूमि की पैमाइश के दौरान कम व ज्यादा पाई गई। भूमि की चाही गई ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बिना रजिस्टर्ड विलेख के भूमि के हस्तान्तरण का एक मामला ग्राम पाडलिया की 11.08 हैक्टेयर भूमि का सामने आया है जिसके बाबत तत्कालीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी कोटा के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच के यहां चल रही है।

(3) उत्तराधिकार एवं सहकाश्तकारों के आपसी रजामन्दी से किये गये बंटवारों के अलावा अन्य मामलों में भूमि के हस्तान्तरण के लिए विलेख का पंजीयन आवश्यक है तथा ऐसे मामलों की जानकारी होने पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स की कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री बृजराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड दो में जो जवाब दिया गया है, उसमें तथ्यों को बिल्कुल छिपाया गया है। इस तरह के एक नहीं 1001 मामले अवैध स्थानान्तरण के हुए हैं और मंत्री महोदय चाहें तो मैं उन सबको बता सकता हूं।

दूसरा, जो तहसील दीगोद में सेटलमेंट हुआ है यह कमाण्ड एरिया की तहसील है। इसमें कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 13 की परमिशन के बिना जितने भी ट्रांसफर किये जाते हैं वह अवैध होते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने यह कही नहीं बताया कि धारा 13 का वायलेशन हुआ है और उसके कारण जितने भी ट्रांसफर्स हुए हैं, वह अवैध हैं और उनकी क्या कार्यवाही की जा रही है।

मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की विस्तृत जानकारी के लिए समिति गठित की जायेगी तो एक हजार ऐसे मामले हैं, जिनका ट्रांसफर बिना स्टाम्प ड्यूटी के और बिना रजिस्ट्रेशन के हुआ है। नौ-नौ लाख रुपये के ट्रांजक्शन 5 रु. के स्टाम्प पर करके खातेदारी दे दी गई।

(श्री बृजराज मीणा)

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पूरी जानकारी करने के बाद सदन के सामने उत्तर दें।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, उत्तराधिकार और सह-काश्तकारों की आपसी रजामन्दी के अलावा केवल एक ऐसा मामला है जो पालिया गांव का है 11.08 हैक्टेयर भूमि का, जो बिना रजिस्ट्रेशन के किया गया है। आप कह रहे हैं 1000 हैं, आप मुझे जानकारी दे दें, अगर यह सूचना किसी ने गलत दी है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और ऐसी गलत कार्यवाही की है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री बृजराज मीणा : ग्राम पांचडा में सुरेन्द्र कुमार की जमीन नौ लाख रुपये की है। 5 रु. के सिंगल स्टाम्प पर ट्रान्सफर की गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आप सूचना दें तो पूरी 1000 की दे दें।

श्री बृजराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने बार बार यह कहा है कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। पिछली सरकार ने जितना भ्रष्टाचार बढ़ाया है, यह सरकार उसको मिटाने के लिए कटिबद्ध है तो एक हजार मामले ऐसे हैं जिनकी जांच कराई जाय। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने सही जवाब नहीं दिया है, तथ्यों को छिपाया है।

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, जो भी सूची है एक से लेकर एक हजार तक वह आप माननीय मंत्री जी को देवें, वह इसकी जांच करवायेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मेरा निवेदन है कि राजस्व मंत्री यह बतायें कि कौनसी सरकार का भ्रष्टाचार है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दीगोद और पीपल्दा क्षेत्र में सैटलमेंट का काम हुआ है, और आप फर्मा रहे हैं कि सूची दी जा रही है। लेकिन इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं जिसमें नाम बदल दिए गये, सिवाय चक कर दिया गया। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। और हम बार बार इस बारे में कहते रहे हैं कि जो सैटलमेंट हुआ है उसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। सैकड़ों मामले एस. डी. ओ. के यहां चल रहे हैं, तो क्या मंत्री महोदय वह सूची मंगाकर देखेंगे कि यह मामले क्यों हैं ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सारे प्रकरण की जांच कराकर विशेष कैम्प लगायें। सारे मामले विशेष कैम्प लगाये बिना सुने नहीं जा सकते।

दूसरा मेरा निवेदन है कि कमाण्ड एरिया है जिसमें सैटलमेंट का काम हुआ है। उसमें जमीन की किस्म बदल दी है। जो कमाण्ड एरिया नहीं है सैटलमेंट वालों ने उसी को कमाण्ड एरिया मानकर लगान फिक्स किया है, जबकि समूचे क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती। कमाण्ड एरिया के केवल 55 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई होती है।

(श्री हीरालाल आर्य)

रेवेन्यू भी केवल 55 प्रतिशत क्षेत्र में ही बनायी हुई है। 55 प्रतिशत क्षेत्र के लिए सैटलमेंट वालों ने 80 प्रतिशत कमाण्ड एरिया मानकर किसानों पर भारी बोझ लगाया है। उसकी वजह से लगान में बढ़ोतरी हुई है। क्या, मंत्री महोदय, आप इस सारे प्रकरण को देखकर कि कमाण्ड एरिया नहीं है, सिंचाई नहीं होती उसके बावजूद भी सिंचाई दर्ज करके किस्म बदली है उसकी जांच करवायेंगे और किसानों की समस्या दूर करेंगे ?

दूसरा निवेदन है कि कमाण्ड एरिया की वजह से लगान बढ़ा है। पहले 75 रु. लगने पर सरचार्ज लगता था, अब कमाण्ड दर्ज हुआ है उसकी वजह से किसानों को 75 रु. से ज्यादा लगान देना पड़ता है और हर व्यक्ति पर सरचार्ज भी लगने लगा है जिससे हाड़ौती के किसानों के ऊपर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। यह 75 रु. की जो सीमा है इसको बढ़ाकर 200 रु. पर ही सरचार्ज लगाया जायेगा, क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ? सैटलमेंट के काम से उस इलाके के लोग बहुत परेशान हैं। पिछली बार भी विधान सभा में मैंने यह प्रश्न उठाया था। उसकी जांच के लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन कोई जांच नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जांच करा कर और कैम्प लगाकर किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि अभी कुछ समय पहले तक आप भी एम. एल. ए. थे, कई वर्षों तक एम. एल. ए. रहे हैं, आपके अनुभव में भी यह केसेज जरूर आये होंगे कि सैटलमेंट की अव्यवस्था के कारण सारे प्रदेश की कृषि भूमि के पूरे नक्शे ही बदल दिये गये हैं। हाहाकार मचा हुआ है। सैटलमेंट की इस इर्रेगुलरिटी की वजह से, एक जमीन दूसरे में लगने की वजह से सैटलमेंट में भूमि की खातेदारी बदलती है, ऑब्जेक्शन और जवाब मांगते ही नहीं। उसके बिना ही एक दूसरे के नक्शों में बदल दी जाती है, एक दूसरे के खेत में बदल दी जाती है। अकेली सांगानेर तहसील में ही 5 हजार इस तरह के मामले हैं, जिसकी वजह से किसान आज भी जगह-जगह घूम रहा है। इसके बावजूद इस पर कार्यवाही होनी भी मुश्किल है, क्योंकि अधिकारी वर्ग ने रेस्पोण्ड नहीं किया और अधिकाश मामले रेवेन्यू बोर्ड से सही करवाने पड़ते हैं, जिसमें बहुत लम्बी प्रक्रिया है। कलेक्टर के स्तर पर यह सही होते नहीं हैं। सैटलमेंट में रिकार्ड बदल दिया गया है, उसकी भूमि की किस्म बदल दी गई है। लोगों को पता लगता है तब तक बहुत समय गुजर जाता है। उस रेकार्ड को स्ट्रेटन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कोई सरल प्रक्रिया या इन भूमियों का रिकार्ड सही हो सके, इस तरह का क्रेश प्रोग्राम चलाने की बात पर विचार करना क्या आप उचित नहीं समझते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले प्रशासन गांवों की ओर एक अभियान शुरू हुआ था। उस अभियान में, जैसा हमारी व्यक्तिगत जानकारी में है, चारागाह और सिवाय चक की जमीन और जिन पर चिकित्सा विभाग के क्वार्टर तक बने हुए थे उनके पट्टे हुए। इस तरह की भारी अनियमितताय़ें हुईं। क्या मंत्री जी के जेहन में इस तरह का कोई विचार है कि सदन के माननीय सदस्य और राजस्व मण्डल के माननीय दो सदस्य एक कमेठी बनाकर के उन तमाम धांधलियों की जांच कराई जाये जिससे जो शामलात की जमीन या तो जिसमें पेड़ लगते थे, पशुओं की चराई होती थी वह अनाधिकृत कब्जे में क्यों आ रही है ? उनका क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय रघुवीरसिंह जी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि आप हमारे सामने लायेंगे तो हम आपके ऐसे केसेज के ऊपर विचार करेंगे। मेरा एक निवेदन है कि एक मामला हो तो सामने लाया जाय। आप किसी एक तहसील की जांच करवा लीजिये। अध्यक्ष महोदय, सैटलमेंट विभाग को न एक इंच जमीन बढ़ाने का अधिकार है न कम करने का अधिकार है। मैं स्वयं किसानों को लेकर जिलाधीश कोटा से मिला था, तो सब की जमीन, किसी की तीन बीघा बढ़ रही थी, किसी की चार बीघा घट रही थी। यह अधिकार सैटलमेंट विभाग को नहीं है और जब उनसे बातचीत की जाती है तो कहते हैं सैटलमेंट कैन डू नो रांग। लाडपुरा तहसील में ऐसी गड़बड़े हुई। कलेक्टर नहीं चाहता कि उसका दुबारा सर्वे कराया जाये लेकिन सारे डिपार्टमेंट सैटलमेंट डिपार्टमेंट के सामने असहाय हैं। जब मैं कलेक्टर से मिला था तो कलेक्टर ने रेवेन्यू सैक्रेटरी को वायरलैस किया था और रेवेन्यू सैक्रेटरी ने सैटलमेंट डिपार्टमेंट कोटा का चक्का जाम कर दिया था। एक महीने काम बन्द रहा, जांच करनी चाही किन्तु जांच नहीं हुई। इसकी जमीन उसके और उसकी जमीन इसके, गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि आप कोटा जिले की किसी एक तहसील का करा लीजिये, उसमें कितनी जायदाद निकलती है, बिना स्टाम्प के कितनी जमीनें ट्रांसफर हुई है, कितनी जमीनें हैं जिस पर काबिज दूसरा है, खाते दूसरे के बन गई है इतना बड़ा अन्याय आज तक कभी हुआ नहीं होगा जो सैटलमेंट में हुआ है। दीगोद तहसील का करा लीजिये, लाडपुरा का करा लीजिये, अन्ता का करा लीजिये आप, तो आपको पता लगेगा कि किसान को कितना परेशान किया गया है, उनसे कितनी रिश्वतें खाई गई हैं। जो बड़े किसान हैं उनके नाम पर जमीनें हो गई। इसकी जमीन यहां से उठकर वहां चली गई। यह सब सेटलमेंट डिमार्टमेंट ने किया है तो मंत्री महोदय आपसे हम कुछ आशायें रखते हैं। यह टालू जवाब से काम नहीं चलेगा कुछ एक्शन लीजिये जिससे यह पता चले कि अन्याय करने वाले के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट के सारे राजस्थान में आज भी दस दस साल से कई मामले चल रहे हैं। कोटपूतली में भी

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

सेटलमेंट हुआ था, वहां दस साल से लोगों के पेन्डिंग मामले हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इनकी कोई सीमा है ? काश्तकार +++ इस सेटलमेंट से इतना दुखी है, सेटलमेंट का पिछली बार भी मामला आया था उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है पिछली बार भी उस सेटलमेंट को तोड़ने का या खत्म करने का मामला सरकार के पास आया था, क्या अब भी सरकार इसको खत्म करने या तोड़ने की कार्यवाही करेगी जिससे किसानों का भला हो ? सेटलमेंट तो किसानों के लिये एक तरह का अभिशाप है जहां-जहां सैटलमेंट हुए हैं वहां-वहां किसान आज भी दुखी है, भयंकर रूप से परेशान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लालचन्द डूडी।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, पहला तो मुझे एतराज है राजस्व मंत्री के इस जवाब से कि आप हमें सारी रिपोर्टस लाकर दीजिये हम जांच करवायेंगे। एक बार आपके सामने नोटिस में आ गया, अब सरकार की जिम्मेदारी है। एम. एल. ए. कहां घूमेंगे सारी बात आपके नोटिस में लाने के लिये ? पहले भी आपने इस तरह का जवाब दिया था। गवर्नमेंट को अपने आप करना चाहिये। दूसरा, यह सेटलमेंट नहीं है यह तो जहां पहुंच गया इसने लोगों को डिसैटल कर दिया। पिछली बार भी, जहां तक मुझे नोहर भादरा का मालूम है सारी जोह पायतन की जमीन, गोचर की जमीन जिसको कहीं करने का कोई अख्तैयारात नहीं, उस सारे को चेन्ज करके लोगों को अलाटमेंट कर दिया। कहीं कोई जोड़ नहीं छोड़ा, पानी की समस्या पर हम बात कर रहे हैं। बिरानी गांव के अन्दर जोड़ पायतन का पानी जोड़ में पानी जोड़ में जाकर इक्ट्ठा होता था उन सब जमीनों को लोगों को अलाट कर दिया। इस तरह से इसकी जमीन उसको और उसकी जमीन इसको यों करके यानि सेटलमेंट जहां एक बार होकर के जिस एरिया से चला गया उस एरिया के अन्दर एक लड़ाई छोड़कर चला गया, कि वह किसान उससे और वह किसान इससे लड़ाई करता रहे। मैंने आज तक इस सेटलमेंट डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के खिलाफ 40 साल तो कांग्रेस का राज रह गया 2॥ साल अपना रह लिया, इस सेटलमेंट विभाग के किसी अधिकारी। कर्मचारी के खिलाफ एक भी एक्शन कभी आज तक देखा नहीं। सारे किसानों को उजाड़ते फिर रहे हैं और उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें ज्यादा सख्ती से काम करके और इस मामले को सैट करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्रसिंह गहलोत (सरदारपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, सेटलमेंट के नाम पर, अधिकारी और राजनेता भूमि घोटाला कर रहे हैं। भूमि घोटाले के नाम पर राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है और किसानों को लूट रहे हैं। लम्बे समय से राजस्थान में पिछली सरकार के मंत्री और विधायक-

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्रसिंह गहलोत)

गए भूमि के घोटाले करते रहे हैं। 1977 में मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने बेरी आयोग बैठाया था। बेरी आयोग की रिपोर्ट....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री राजेन्द्रसिंह गहलोत : राजनेताओं पर भ्रष्टाचार, भूमि घोटालों के आरोप लगे थे। मैं मुख्य मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जो आरोप जिन नेताओं पर लगे थे उसकी सूची मेरे पास है, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाये। उनको राजनैतिक संरक्षण नहीं दिया जाये। आज भी वह विधायक बन कर सदन में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह जी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय को मैं अर्ज करूंगा कि जो सेटलमेंट है यह एक बहुत बड़ा फ्राड है और इस फ्राड में नीचे से जो अमीन गांव में जाता है, वह एक तहसील के कुछ गांवों का सैटलमेंट करने के बाद में करोड़पति बन कर के आता है। जब उससे कहा जाता है....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री रामकरण सिंह : मैं कह रहा हूं कि यह इतनी अनियमिततायें या अधिकार....

श्री अध्यक्ष : या तो सुझाव दीजिये या सवाल बताइये।

श्री रामकरण सिंह : सुझाव मेरा यह है कि एक तो जो ट्रांसफर डीड है इसमें यदि दो किसान आपस में मिलकर अपनी जमीन को बदलते हैं तो उसमें माननीय राजस्व मंत्री जी क्या यह राहत देंगे किसान को कि बिना किसी फीस के वह आपस में अपने छोटे-छोटे टुकड़ों को बदल सकते हैं ? एक तो यह अर्ज है। दूसरा यह है कि यह जो सैटलमेंट हुआ है उसका कुछ-कुछ टाइम होना चाहिये कि फलानी तहसील का सैटलमेंट हुआ है वह इतने दिन में फाइनल हो जाये। दस साल में मेरे कोटपूतली में अभी सैटलमेंट के केसेज पहली सीढ़ी पर हैं, वह फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। यह मेरे दो आग्रह हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपाल सिंह जी खण्डेला।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के खण्ड दो में कहा है कि एक मामला ऐसा सामने आया है। खण्ड तीन में कहा है कि जहां बिना रजिस्ट्री के ट्रांसफर हुए हैं वह मामले धारा 82 में रैफर किये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, रैफर करने तक की बात तो ठीक है लेकिन जिन अधिकारियों ने अनरजिस्टर्ड डाक्यूमेंट को ट्रांसफर कर दिया उनके खिलाफ कोई एक्शन भी प्रस्ताव करेंगे ? इस बारे में माननीय मंत्री महोदय को कुछ कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय अचलारामजी।

श्री अचलाराम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सैटलमेंट के जो भी घोटाले हुए हैं या गड़बड़ियां हुई क्या वह बड़े काश्तकारों के ऊपर हुई हैं ? माननीय

(श्री अचलाराम)

अध्यक्ष महोदय, अगर बड़े काश्तकारों के ऊपर नहीं हुई और छोटे काश्तकार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के ऊपर हुई तो पूरे राजस्थान में कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और छोटे काश्तकारों के ऊपर गड़बड़ियां हुई हैं ? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के अन्तर्गत देसूरी तहसील में लगभग 4500 केसेज ऐसे हैं जो छोटे काश्तकारों के ऊपर अनियमिततायें बरती गई हैं और उन्हें परेशान किया गया है। उससे आप क्या निदान करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अव्यवहारिकता की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। जहां-जहां सैटलमेन्ट डिमाण्ड किया गया और सैटलमेन्ट के लोग चले गये वहां पर कोई सन्तुष्ट नहीं है। चार-पांच घंटे नाप कर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप सुझाव दें या प्रश्न करें, भाषण मत करिये। सुझाव दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि सेटलमेन्ट करें तो सही करें और नहीं तो घर बैठें। इसको व्यावहारिक बनावें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट के मामलों में बहुत व्यापक रूप से धांधली होती है। जहां सेटलमेंट होता है, उसमें प्रभावशाली और पैसे वाले लोग अपने दबाव से, अपने तरीके से काम करा लेते हैं जब कि गरीब लोग पिस जाते हैं। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है, जैसी कि शिकायत आई, रेवेन्यू विभाग में किसी की भी जांच करा लें, पटवारी की भी, रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन उसको बचायेगा। राजस्व का मामला है, सब भाई-भाई हैं। सेटलमेंट के मामले को सरकार ने पूर्णतया कर्मचारियों और अधिकारियों पर छोड़ रखा है इसलिये उसमें व्यापक भ्रष्टाचार, व्यापक धांधली होती है। व्यापक तौर पर मुकदमे होते हैं, अपीलें होती हैं। इस प्रकार किसान दस-दस, बीस-बीस, तीस-तीस साल तक मुकदमें लड़ते रहते हैं। मेरा सुझाव है कि सेटलमेंट का जो तरीका है, उसको केवल कर्मचारियों पर ही न छोड़े, अधिकारियों पर न छोड़े, उसमें कोई जन प्रतिनिधि रखें या ऐसी नीति अपनावें जिसमें अपील न हो, धांधली न हो, भ्रष्टाचार न हो। ऐसा रास्ता निकालें। बहुत रचनात्मक कदम होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने खंड 2 में जवाब देते हुए एक इर्रेगुलेरिटी का जिक्र किया है और प्रश्नकर्त्ता ने ऐसी हजारों की संख्या बतायी है। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन सेटलमेंट के केसेज में खातेदारी दे दी गई है, राज्य सरकार का उसके बारे में क्या विचार है ? क्या जिन लोगों को इर्रेगुलर रूप से खातेदारी दे दी गई है, राज्य सरकार उनको वापस लेगी या उनको वहीं रखेगी ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि सेटलमेंट नाम भ्रष्टाचार का पर्यायवाची

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद) -

बन गया है इसलिये इसके नाम को बदल देना चाहिये। सेटलमेंट से भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरी बात, एक समयबद्ध, अवधि निर्धारित करनी चाहिये। सेटलमेंट के जो मामले पेन्डिंग हैं, उनको सुलझाने के लिये समय निर्धारित हो जाये। वर्षों तक मामले उलझे रहते हैं और अधिकारी किसानों का हरेसमेंट करके उनसे बारगेन करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कब मोटी रकम मिल जाये। इससे किसानों का शोषण होता है। तीसरी बात, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि जमीन की अदला-बदली फीस मुक्त हो। मेरी राय में यह व्यावहारिक नहीं है। इसलिये नहीं है कि अगर ऐसा किया गया तो पूंजीपति और पैसे वाले लोग अच्छी, फर्टाइल जमीन लेकर उसके बदले बंजर भूमि दे देंगे ताकि कोर्ट फीस न लगे।

एक माननीय सदस्य : यह चकबंदी में होता है, सेटलमेंट में नहीं होता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा निवेदन है कि मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यही सवाल पूरा लेना है तो मैं आगे के सवाल नहीं लूं? इसमें जितने नाम मेरे पास आये हैं, आप सुन लीजिये, आगे फिर कोई सवाल नहीं आयेगा। जिन-जिन लोगों ने हाथ उठाये हैं उन सबके नाम बोल लेता हूं। इस सवाल पर डिबेट हो जाएगी। आपकी मंजूरी है? ठीक है। आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार से जवाब दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे। आपका नाम भी बोल दूंगा। आपका भी बोल दूंगा। आपका भी बोल दूंगा। अब आप दो बात मत करिये। एक ही बात चलेगी। या तो आगे सवाल चलाना है तो फिर यह बंद करिये। जवाब मिल जायेगा। मेरी सुनेंगे। हरेक आदमी पहले बोलेंगे इसीलिये मैंने साफ साफ पूछा है कि इस प्रश्न पर समय समाप्त कर दें? जवाब दिलाएंगे। जितने हाथ खड़े कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। फिर आगे सवाल नहीं होगा। यह प्रान्तव्यापी सवाल है इसलिए पूछिये श्री लक्ष्मीनारायण दवे। जवाब मिलेगा। मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री लालचन्द डूडी : कोई नई बात नहीं पूछेंगे। जवाब दिला दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट विभाग मात्र राजस्व रिकार्ड है। उसका रिपीटिशन करता है न कि उसके अन्दर कोई खातेदारी अधिकार देता है, या करेक्टर की एन्ट्रीज है तो वह मात्र सेटलमेंट की है। सेटलमेंट विभाग ने 91 के ऊपर पांच साल, दस साल से जो काश्तकार काबिज था, उसको भी खातेदारी अधिकार दे दिया है इसलिये इसकी जांच की जाये। सेटलमेंट विभाग को खातेदारी अधिकार देने का राइट नहीं है। इसका डिक्लेरेशन सूट करना होता है। दूसरी बात, सेटलमेंट विभाग द्वारा पर्चा लगान करने की यानि चार काश्तकार हैं उसके अन्दर लिखा हुआ है बी हिस्सा बराबर, बराबर हिस्सा है केवल उसके आधार पर काश्तकार के ऊपर सरचार्ज लगाते हैं। इसको दुरुस्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भंडारी।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट के विवादों के कारण काश्तकार, विशेष तौर से अनुसूचित जाति के लोग लम्बे-लम्बे मुकदमों में फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा खर्चे के नीचे वे आ गये हैं। इन विवादों के कारण हमारे काश्तकार टूटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे मुकदमों की व्यापक जांच करा कर जिन अधिकारियों ने यह विवाद डाले हैं, उन अधिकारियों से काश्तकारों को विवादाग्रस्त खर्चा दिलाकर राहत दिलायी जावे और व्यापक रूप से जांच करायी जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से यह तो तय है कि प्राइमा फेसी यह केस इस प्रकार का है कि उसमें गड़बड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि हम और हमारी पार्टी इस बात के लिये केन्द्रीय सरकार और राजीव गांधी को बराबर यह दोष देते रहे हैं, एक तो हम यह शिकायत करें कि हमारे यहां पर चोरी हो गई है और दूसरी तरफ यह कहें कि चोर को पकड़ लाओ....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चोर को पकड़ना आपका काम है जब प्रथम दृष्ट्या यह माना है कि इसमें गलती हुई है और सारा सदन इसको मानता है। सेटलमेंट के केसेज में ज्यादातर हेराफेरी होती है। क्या यह संवेदनशील सरकार है कि उसके नोटिस में कोई बात आवे, तो तुरन्त एक्शन ले। कोई गड़बड़ी का मामला आया तो हम फौरन एक्शन लेते हैं। दूसरे जो गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हैं उनको भी यह लगे कि यह सरकार एक्शन लेगी। केवल टालम-टोल जवाब देकर कि लिखकर दे दें, मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है और यह संवेदनशील सरकार का कर्तव्य नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर एक्शन लें।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट में हुई अनियमितता के कारण किसानों के मुकदमे चल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि यह मुकदमे लम्बे न चलकर जल्दी निपटाये जायें। विशेष अदालतों के माध्यम से इनका निपटारा करना चाहिये। जिन अधिकारियों की वजह से अनियमितता हुई है उनके खिलाफ कार्यवाही हो। उनके खिलाफ अपराधिक मामले बनाये जावें। प्रदेश स्तर पर एक समिति बने, जैसे कि खर्चों को कम कैसे किया जा सकता है उस प्रकार की एक समिति पिछले दिनों बनाई गई है। उसी प्रकार एक समिति अनियमितता की जांच करने के लिये प्रदेश स्तर पर बने और वह कार्यवाही करे। यह किसानों के शोषण का एक नया तरीका है। इसको रोका जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे जालौर जिले में भी जो पिछला सेटलमेंट हुआ था, उस सेटलमेंट

(श्री रतनाराम चौधरी)

से किसानों पर 8-10 बिगोड़ी लगा दी है। पहले तो, मान्यवर, कुओं में पानी था लेकिन अब बिलकुल पानी सूख गया है। आठ आने की जगह पांच रुपया लगाया है। यह किसानों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो गया है। इसलिये कृपा करके इस बिगोड़ी को बन्द करिये। पटवारी ज्यादा रखेंगे तो खर्चा बहुत है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप पटवारी को वहां पर रखें और इस बिगोड़ी के राजस्व को समाप्त करें। आपकी वाहवाह हो जायेगी लोग आभारी होंगे, किसानों को राहत मिलेगी।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह भू-प्रबन्ध से सम्बन्धित मामला चल रहा है। सारी बातें साफ हो गयी हैं। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जानबूझ कर सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो प्रकरण तस्दीक किये जाते हैं, कोई रजिस्टर्ड डाक्यूमेन्ट नहीं होता है, जो रिकार्ड में हेराफेरी के मामले हैं और 467, 471 आई. पी. सी. में प्राइमाफेसी माना जाता है ऐसी स्थिति में क्यों नहीं ऐसे केसेज रजिस्टर्ड किये जायें ? मेरे तहसील क्षेत्र बून्दी में विभाग के कर्मचारियों ने एक जगह खसरा नम्बर को एक मील दूर देकर के इसको किया जिसका मिलान सेटलमेंट रेकार्ड से अभी तक नहीं मिलता है। गांव वाले परेशान हैं। इतने मुकदमे चल रहे हैं जिनका कोई अन्त नहीं है और काश्तकार लुट रहे हैं। इसके बावजूद कितनी दफा हम ऊपर तक मिले और मुकदमों में भी काफी समय जाया हुआ, लोगों का पैसा जाया हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव आ गये। जवाब नहीं मिलेगा फिर। माननीय दहिया जी।

श्री रामनारायण वर्मा : सारे प्रकरण को देखा जाय और लिस्ट को देख करके मामला री-ओपन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : दहिया जी।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जहां पर भी बिगोड़ी बढ़ा दी गई है और वापस जांच के लिए जहां पर प्रार्थना पत्र आते हैं तो सेटलमेंट के जो अधिकार जिले में या उप-जिले में आते हैं उस समय स्थानीय अधिकारियों को भी साथ में लिया जाना चाहिए जिससे एतराजों की बराबर सुनवाई हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के पहले एक सुझाव देना चाहूंगा आपकी अनुमति से, अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट का मामला ऐसा है कि सारा हाउस चिंतित है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस तरह से इन्टरप्ट नहीं करेंगे। आपको मौका मिला, इधर से कोई नहीं बोला। आपकी तरफ से लोग बोल रहे थे, किसी ने इन्टरप्ट नहीं किया। आप इस तरह से करेंगे, तो उचित नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम नहीं है, कि मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने क्या प्रस्ताव

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रखे थे। शायद उनको मालूम नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेटलमेंट के मामले दरअसल में ऐसे हो गये हैं कि काश्तकारों को सैटल नहीं करते अनसैटल करते हैं इसलिए हमने सुझाव दिया था और वही सुझाव देना चाहता हूं कि सेटलमेंट को आप खतम कर दीजिए। उसकी बजाय तहसीलों में कोई परमानेंट व्यवस्था ऐसी कर दीजिए कि प्रतिदिन का अप-टू-डेट होता रहे जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। किसी को नक्शा मिलाने के लिए पटवारी ना नहीं कर सकेंगे। आपके सेटलमेंट के जो आमीन हैं उस तरह की पोस्ट तहसीलों में कायम कर दीजिए जो रेगुलरली इस काम को करते रहें ताकि सेटलमेंट की स्थिति पैदा न हो और रेकार्ड आपका अप-टू-डेट रहे। सेटलमेंट का मतलब ही यही है कि रेकार्ड अप-टू-डेट हो सके, इसी हिसाब से इसे किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें गम्भीरता से सोचें और सेटलमेंट को खतम करके रेगुलर व्यवस्था ऐसी तहसीलों के साथ बैठा लें जिससे यह जो प्राब्लम है लैण्ड का अप-टू-डेट रेकार्ड रखने की, यह चेन्ज होती है, खातेदारी बदलती है या कोई जमीन नई अलाटमेंट हो गई है यह रेकार्ड हमेशा बनता रहे ताकि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट विभाग के संबंध में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार के अपने विचार प्रकट किये हैं, मेरे भी उसी प्रकार के विचार हैं। मैं स्वयं भी पिछले कई दिनों से इस बात की मांग करता आ रहा हूं कि सेटलमेंट विभाग को समाप्त किया जाय और इसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाय। अभी माननीय सदस्य देवपुरा जी ने जो बात कही है उस पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है कि सेटलमेंट की वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो, लैण्ड रेकार्ड का काम किसको दिया जाय, लैण्ड रेवेन्यू बढ़ाने का काम किस प्रकार निर्धारित किया जाय। इन सारे प्रश्नों पर विचार करते हुए हम शीघ्र ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसकी करना चाहते हैं इसलिए जितनी भी सेटलमेंट के संबंध में बातें कही गई हैं, मैं समझता हूं उन पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुचेंगे कि कोई न कोई इसमें वैकल्पिक व्यवस्था की जाय और राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

दूसरा प्रश्न यहां आया कि गोचर भूमि, पायतन, जोहड़ और सरकार की पड़त भूमि पर सेटलमेंट में किसी के नाम भूमि लिख दी गई है और उसके खातेदारी नाम पर जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। माननीय सदस्य नाराज नहीं हों तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन-जिन क्षेत्रों में इस प्रकार का सेटलमेंट हुआ हो और माननीय सदस्यों की जानकारी हो कि सरकारी भूमि, जोहड़ या पायतन की भूमि पर सेटलमेंट अधिकारियों ने किसी व्यक्ति के नाम पर जमीन लिख दी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जिसने गलती की है उसके संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

कोटा के माननीय सदस्य ने कई तहसीलों के संबंध में कहा है कि भूमि की किस्म बदल दी गई, भूमि एक के नाम थी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फिर दूसरे के नाम लिख दी गई। यदि आप लोग चाहें तो फैसला कर लें आपस में, कोटा में जिन-जिन तहसीलों में इस प्रकार के सैटलमेंट हुए हैं, हम एक तहसील के उदाहरण स्वरूप इसकी जांच करवा सकते हैं ताकि सैटलमेंट में कैसे-कैसे काम हो रहे हैं वह सामने आ जायं और भविष्य में किस प्रकार की सैटलमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं उसके अन्दर उन कामों के अनुसार हम वास्तव में सुधार ला सकें। इस प्रकार की जांच भी सरकार कराने को तैयार है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सैटलमेंट विभाग जिस प्रकार का काम कर रहा है, मैं ऐसा समझता हूं जहां-जहां भी सैटलमेंट हुआ है वहां पर केसेज का अम्बार लग गया। कोर्ट्स में केसेज चले गये और उसमें पैसे वाले व्यक्ति तो किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वास्तव में गरीब, एस.सी., एस.टी. के लोग वहां मुकदमे में फंस जाते हैं जिनके जमीन रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उनके पास में पूंजी होती है वह या तो बेच देते हैं या गिरवी रख कर मुकदमे में पैरवी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। आप सब लोग रेवेन्यू के अच्छे-अच्छे जानकार हैं पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए, आप राज्य सरकार को सुझाव देंगे तो उन सुझावों का स्वागत करूंगा और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में तुरन्त ही किसी प्रकार का निर्णय राज्य सरकार ले सकेगी इस प्रकार का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : माटुण्डा गांव, तहसील बूंदी का उदाहरण ले लिया जाय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या आप सब एक साथ बोलेंगे ? माननीय प्रश्नकर्ता पूछ सकते हैं। (व्यवधान) आप जोर से बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जिनका मूल सवाल है वही पूछेंगे। इतना ही समय है, आप बिराजिए। वर्ना सब खड़े होंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे क्षेत्र में नहरें हैं जहां 90%....

श्री अध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं आएगा। आप नहीं चाहते कि प्रश्नकर्ता पूछे। आप उनको भी पूछने देना नहीं चाहते।....आप बिराजिए, माननीय सदस्य। प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर.

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 मार्च, 1990)

चिकित्सा विभाग में स्थानान्तरण

23. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवा-रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में गत 5 वर्षों में भारी स्थानान्तरण हुए हैं ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किये गये स्थानान्तरणों की वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन स्थाना-

(श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर)

न्तरणों में भयंकर अनियमितता एवं घपला हुआ है और अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही भी करनी पड़ी है ?

(3) क्या एक से अधिक बार भी काफी स्थानान्तरण किये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में संस्थापन की कुछ टेबल्स पर लम्बे समय से लिपिक कार्यरत हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और राज्य सरकार के भी यह निर्देश है कि तीन साल से अधिक समय तक कर्मचारी को एक सीट पर नहीं रखा जावे ? यदि हां, तो उक्त विभाग में इन निर्देशों के अनुपालन न होने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, गत 5 वर्षों में किये गए स्थानान्तरण की संख्या सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, इस प्रकार की जानकारी नहीं है। अलबत्ता कुछ अधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध कोर्ट केस किए थे।

(3) कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण एक से अधिक बार हुए हैं।

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय की विभिन्न संस्थापन शाखाओं में 75 लिपिक कार्यरत हैं जिनमें से 35 तीन साल से अधिक समय से कार्यरत है।

इनके लम्बे कार्य अनुभव की संस्थापन शाखा को आवश्यकता होती है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टौंक जिले हेतु उर्वरक एवं बीज की मात्रा

79. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टौंक जिले में वर्ष 1987 से अब तक खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए उर्वरक एवं बीज की वर्षवार कितनी-कितनी मात्रा की आवश्यकता अनुभव की गई ? वितरण के क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये एवं लक्ष्यों के वितरीत कितना-कितना उर्वरक एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कब-कब कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि मांग के अनुसार उर्वरक एवं प्रमाणित बीज पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं एवं उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में वर्ष 1987-88 से 1989-90 में उर्वरकों के लक्ष्य, आवंटन और उनका उपयोग निम्न प्रकार रहा :–

(कृषि मंत्री)

मात्रा में, टन में

वर्ष	लक्ष्य						आवंटन						उपयोग					
	खरीफ			रबी			खरीफ			रबी			खरीफ			रबी		
	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के
1987-88	430	240	10	1650	810	10	404	160	10	1450	790	10	310	354	3	1814	1600	10
1988-89	400	400	10	2145	1310	25	860	490	10	2320	1210	25	857	1104	16	2159	1535	13
1989-90	890	1320	20	2400	1800	20	1082	1565	20	2253	1465	30	528	429	31	1998	1423	26
																28-2-90 तक		

(कृषि मंत्री)

टोंक जिले में वर्षवार खरीफ एवं रबी के लिए प्रमाणित बीज के निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है—

मात्रा क्विण्टल में

	खरीफ			रबी		
	लक्ष्य	उपलब्धता	वितरण	लक्ष्य	उपलब्धता	वितरण
1987–88						
अनाज	1250	1169	895	2020	542	542
दलहन	240	237	180	150	157	157
तिलहन	60	293	293	825	705	705
1988–89						
अनाज	1346	1327	1003	2800	3257	3257
दलहन	110	74	74	100	400	400
तिलहन	65	330	330	785	850	820
1989–90						
अनाज	1240	825	658–50	2045	1845	1845
दलहन	110	111	111	180	446	446
तिलहन	30	15	15	570	735	630

उर्वरक सम्बन्धी उक्त तालिका से स्पष्ट है कि मांग पूर्ति के प्रयोजनार्थ उर्वरक टोंक जिले में उपलब्ध रहा है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। वर्ष 1987-88 में खरीफ में सभी इच्छित बीजों की उपलब्धता समय पर करायी गयी, परन्तु उस वर्ष सूखे के कारण उपलब्ध बाजरा व मूंग का बीज पूरा वितरण नहीं हो सका। इसी प्रकार रबी 1987-88 में भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होने के कारण गेहूं के बीज का आवंटन होते हुए भी कृषकों द्वारा अधिक मांग नहीं किए जाने के कारण बीज ज्यादा नहीं मंगवाया गया। यही स्थिति चने के बीज के साथ रही।

(2) वर्ष 1988–89 में खरीफ में बीजों की मांग के अनुसार उपलब्धता करायी गयी। बाजरे का कम्पोजिट बीज उपलब्ध होने के कारण किसानों ने अपना ही बीज बो लिया। मूंग के बीज का स्थानीय स्तर से व्यवस्था कर वितरण कराया गया। वैसे बीजों की मात्रा मांगानुसार उपलब्ध करादी गयी।

(कृषि मंत्री)

वर्ष 1989-90 में भी खरीफ में बाजरे के बीज की मांग का लक्ष्य 1200 क्विण्टल था, परन्तु कम्पोजिट किस्म का बाजरा बोने के कारण विभाग से 'प्रमाणित बीज 790 क्विण्टल ही मंगवाया गया। मक्का का बीज एस. एफ. पी. वी. जिलों में मांग होने के कारण उपलब्ध नहीं कराया गया। रबी 89-90 में गेहूं के बीज कल्याण सोना की ही मांग कृषकों द्वारा किये जाने के कारण 2000 क्विटल के विपरीत 1800 क्विटल बीज ही मंगाया गया। इस वर्ष जौ का बीज उपलब्ध नहीं कराया गया।

पी. बी. एम. चिकित्सालय बीकानेर में चिकित्सकों के रिक्त पद

80. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय पी. बी. एम. चिकित्सालय बीकानेर में मानसिक रोग विभाग, ई. एन. टी. चर्म एवं रति रोग विभाग, दन्त विभाग में प्रोफेसर के पद पिछले कई अर्से से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) उक्त अस्पताल में प्रोफेसर रीडर, प्रवक्ता के किन-किन विभागों के कितने-कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ? इनकी रिक्तियां कब तक भर दी जावेंगी ?

(3) सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कितने पद कब से रिक्त हैं एवं इन रिक्तियों को कब तक भर दिया जावेगा ?

(4) राजकीय पी. बी. एम. अस्पताल एवं सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कितने-कितने पद रिक्त हैं तथा मेल नर्स व महिला नर्स के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेज बीकानेर के लिये पदों का सृजन किया गया है। मेडीकल कालेज, बीकानेर में प्रोफेसर, मानसिक रोग, ई.एन.टी. एवं दन्त विभाग के एक-एक पद क्रमशः 19.7.89 व 21.8.88 एवं 5.6.87 से रिक्त है तथा प्रोफेसर चर्म एवं रति रोग का कोई पद उक्त कालेज हेतु सृजित नहीं है ? इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-"क")।

(3) रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित कर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं (परिशिष्ट-"क")।

(4) सरदार पटेल मेडिकल कालेज एवं पी. बी. एम. होस्पिटल बीकानेर के रिक्त पदों की सूची (चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी) की अलग-अलग सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-"ख")।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

भिनाय क्षेत्र के ग्रामों हेतु सड़कें

81. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कितने ऐसे गांव हैं जिन्हें पंचायत मुख्यालयों से सड़क द्वारा नहीं जोड़ा गया है ?

(2) उन्हें सड़क से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

(3) क्या सभी राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 70 गांव पंचायत मुख्यालयों से सड़क द्वारा नहीं नहीं जुड़े हुए हैं।

(2) उन्हें सड़कों द्वारा जोड़ा जाने का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर, 1500 से अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की नीति है। जनजाति एवं मरुक्षेत्र में 1000 से अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की नीति है। कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराये जाते हैं।

भिनाय विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्राम

82. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कितने गांव राजस्व ग्राम घोषित है तथा कितने मजरे ढाणी हैं जो राजस्व गांव घोषित नहीं हैं ?

(2) अघोषित कितने मजरों ढाणियों को राजस्व गांव घोषित कर दिया जायेगा और कब तक ?

(3) अजमेर जिले में उपरोक्त क्षेत्र के धारा 91 के अन्तर्गत निपटारे के कितने मामले निलंबित हैं तथा उन्हें कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय के सभी गांव राजस्व गांव है तथा इन गांवों से जुडे मजरे एवं ढाणियों को इन्हीं गांवों का भाग माना जाता है।

(2) राज्य सरकार के निर्णयनुसार 250 से अधिक आबादी वाले मजरे एवं ढाणियों को ही राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भिनाय के किसी भी मजरे व ढाणी को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत, अजमेर जिले के भिनाय विधान सभा क्षेत्र के 1323 प्रकरण विचाराधीन है। इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु जिला प्रशासन प्रयत्नशील हैं।

जनरल अस्पताल अलवर में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

83. श्री जीतमल जैन (अलवर) :

(श्री जीतमल जैन)

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनरल अस्पताल अलवर में नर्सिंग स्टाफ में कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं ?

(2) इनकी नियुक्ति का मूल स्थान कहां-कहां है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामान्य चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय अलवर में नर्सिंग स्टाफ के 2 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-5 देखें।)

कृषि उपज मंडी समिति कोटा द्वारा कराये गये विकास कार्य

84. **श्री बृजराज मीणा (दीगोद)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मंडी टेक्स के रूप में कोटा कृषि उपज मंडी समिति का गत तीन वर्षों में कोटा जिलों की किस-किस पंचायत समिति से कितनी आय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समिति, कोटा की आय से किये जाने वाले अधिकांश विकास कार्य केवल तहसील लाड़पुरा में किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विगत 3 वर्षों में हुए व्यय के वर्षवार आंकड़े तहसील/पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में गुणावगुण के आधार पर सभी पंचायत समितियों में सड़कों आदि का विकास कार्य करवायेगी ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा को गत तीन वर्षों में मण्डी शुल्क से आय निम्न प्रकार हुई है। आय के आंकड़े जिले की पंचायत समितिवार संधारित नहीं किये जाते हैं। इकजाही आंकड़े संधारित किये जाते हैं।

वर्ष	मंडी शुल्क से आय (लाख रुपये में)
1986-87	109
1987-88	138
1988-89	141
1989-90 (13.3.90 तक)	151

(2) जी हां। इस मण्डी समिति की आय से अधिकांश कार्य तहसील लाडपुरा में ही किये गये हैं। चूंकि कोटा मण्डी का मार्केट एरिया पंचायत समिति, लाडपुरा एवं नगरपालिका क्षेत्र, कोटा ही है। इसलिये कोई भी समिति अपनी आय को अपने मार्केट एरिया में ही व्यय कर सकती है।

चूंकि बिन्दु एक के उत्तर में पहिले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोटा कृषि उपज मंडी समिति अपनी आय को केवल अपने मण्डी क्षेत्र में ही व्यय कर सकती है अत: व्यय के आंकड़े तहसील/पंचायतवार सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

कृषि मंत्री)

(3) जी नहीं। चूंकि कोटा मण्डी समिति की आय केवल इस मण्डी क्षेत्र में ही व्यय की जा सकती है जो लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र तक ही सीमित है। अतः अन्य पंचायत समितियों में विकास कार्यों पर व्यय किया जाना सम्भव नहीं है।

झुन्झुनूं क्षेत्र के चिकित्सीय संस्थानों में रिक्त पद

85. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में कुल कितने और किस श्रेणी के चिकित्सीय संस्थान हैं ?

(2) क्या किन्हीं अस्पतालों व डिस्पेन्सरियों आदि में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि हां, तो इन रिक्त पदों पर कब तक पद स्थापन कर दिया जायेगा ?

(3) बगड़ कस्बे के सरकारी अस्पताल में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझनूं में कुल 46 चिकित्सीय संस्थान निम्न प्रकार है:-

1. चिकित्सालय	3
2. रेफरल अस्पताल	1
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2
4. डिस्पेंसरी	5
5. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1
6. शहरी एण्ड पोस्ट	1
7. उच्चीकृत उप केन्द्र	2
8. उप केन्द्र	31
योग:-	46

(2) जी हां, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) कस्बा बगड़ के चिकित्सालय में कुल चार चिकित्सक एवं 18 कर्मचारी नियुक्त है एवं कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-6 देखें।)

नगर परिषद्, चूरू को अनुदान

86. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या चूरू शहर में गंदे पानी के निकास हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) चूरू शहर में कौन-कौन से वार्ड सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद् चूरू की वर्तमान वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ? यदि हां, तो विकास कार्य एवं मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिये क्या सरकार उक्त परिषद् को अनुदान व आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू नगर में गन्दे पानी के निकास हेतु एक योजना बनाई गई थी, परन्तु वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण क्रियान्विति नहीं हो पाई।

(2) चूरू शहर में वार्ड नं. 1 से 30 तक सभी वार्ड मुख्य सड़कों से जुड़े हुए है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए वर्ष 1987-88 में 50,000/- एवं 1989-90 में 30,000/- और नागरिक सुविधाओं के लिए वर्ष 1988-89 में 1,57,752/- एवं 1989-90 में 1,00,000/- रु. विशेष अनुदान दिया गया है। नगर पालिका का विशेष अनुदान के लिए प्रस्ताव आने पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का विचार किया जावेगा।

अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु पेयजल योजना

87. श्री अमीन खां (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के ग्रामों में अनुसूचित जाति व जनजाति की कुल कितनी बस्तियों में से कितनी बस्तियों में पेयजल की योजनाएं स्वीकृत हैं और उनमें से कितनी कमीशन की गई हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शेष में पेयजल व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति की कुल 107 बस्तियों में से 74 बस्तियां पेयजल योजना के लिए स्वीकृत हुई जो कि लाभान्वित की जा चुकी हैं। बाड़मेर जिले में कुल 433 अनुसूचित जाति व जन जाति की बस्तियों है जिनमें से 107 पेयजल योजना के लिये स्वीकृत हुई है। स्वीकृत योजनाओं में से 97 बस्तियों को पेयजल से लाभाविन्त कर दिया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) वित्तीय उपलब्धता के अनुसार शेष बस्तियों को प्राथमिकता के तौर पर लाभान्वित किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अधिशाषी अभियन्ता, अलवर के विरुद्ध शिकायतें

88. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में श्री रतन सिंह कब से कार्यरत हैं और वहां इनकी नियुक्ति के बाद कितनी बार स्थानान्तरण के आदेश हुये एवं कितनी बार निरस्त हुये?

(2) अलवर सेवाकाल में इनके खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा किस-किस प्रकृति की थी? उनमें जांच के

(श्री जगजीत सिंह)

क्या परिणाम रहे ? सूची मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री रतन सिंह, अधिशाषी अभियन्ता की खण्ड अलवर में प्रथम बार दिनांक 19.11.83 को पदस्थापना हुई तत्पश्चात् अलवर से अन्यत्र इनका दो बार स्थानान्तरण हुआ है। एक बार स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया तथा अब दिनांक 3.1.90 से पुन: खण्ड अलवर में पदस्थापित हैं।

(2) अलवर सेवाकाल में इनके खिलाफ 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है। ये शिकायतें मुख्यत: भ्रष्ट आचरण कर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना, सामान की खरीद में अनियमितताएं करने, अनाधिकृत स्टेशनरी की खरीद, आवश्यकता से अधिक नियुक्तियां एवं सरकारी वाहन का दुरुपयोग करने से संबंधित है। शिकायतों की जांच विभाग द्वारा की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

भरतिया अस्पताल, चूरू की धर्मशाला

89. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू तहसील में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत कर रेफरल अस्पताल बनाने गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चूरू के सेंडराज भरतिया अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने वालों के लिये जन सहयोग से बनी धर्मशाला में अस्पताल के डाक्टरों ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उनसे धर्मशाला कब खाली करवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू तहसील में किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पिण्डवाड़ा आबू क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

90. श्री प्रभूलाल रासियां (पिण्डवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पिण्डवाड़ा-आबू क्षेत्र का वनवासी आबादी क्षेत्र प्रदेश का सबसे पिछड़ा निर्धन व अविकसित क्षेत्र है जहां उक्त वन क्षेत्र से निवासियों विशेषकर बीमार आदि को मुख्य सड़क तक आने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों में मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्गों का विकास करने की सरकार की क्या योजना है एवं इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 1971 की जनगणना के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आधार पर 1500 से अधिक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने (जन जाति क्षेत्र में 1000 से अधिक की आबादी के गांवों) को सड़कों से जोड़ने की है। विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के 1500 से अधिक आबादी के सभी गांव डामर की सड़कों द्वारा मुख्य सड़कों से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के 1000-1500 तक की आबादी वाले गांव कुल 11 है, जिनमें से 8 गांव डामर की, एक गांव मेटल की एवं 2 गांव ग्रेवल की सड़कों द्वारा मुख्य सड़कों से जुड़े हुए है। इस प्रकार 1000-1500 तक की आबादी वाले समस्त ग्राम किसी न किसी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए है।

इसके अतिरिक्त उक्त वनवासी क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रस्ताव "माडा" (MADA) योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है।

टोडाभीम क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

91. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अब तक कुल कितनी सड़कें बनी हैं व कितनी सड़कें कब-कब से अधूरी पड़ी हैं, इन्हें कब तक पूर्ण करने का सरकार का विचार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्ण बतलाई गई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या इनकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अब तक कुल 58 सड़कों का कार्य स्वीकृतियों के अनुसार प्रारम्भ किया गया है। इनमें से 16 सड़कें बन चुकी हैं शेष 42 सड़कों का कार्य अपूर्ण है। जो सड़क कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनका विवरण संलग्न सूची "एक" में दर्शाया गया है। इन अधूरी सड़कों के कार्य को धन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) पूर्ण बताई गई सड़कें सही हालत में हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 8 देखें)

प्रताप नगर हाऊसिंग बोर्ड स्कीम अलवर हेतु अवाप्त भूमि

92. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में राजस्थान सरकार द्वारा "प्रताप नगर हाऊसिंग बोर्ड स्कीम मनुमार्ग" हेतु श्री राम मुरलीधर की भूमि अवाप्त की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में श्रीराम मुरलीधर को भू-खण्ड सं.-14 रेजिडेंट इंजीनियर-II द्वारा आदेश सं. आर ई.-जे. पी. आर. II/1448 दिनांक 18.1.80 के माध्यम से आवंटित किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि श्री राम मुरलीधर को आज दिन तक आवंटित भू-खण्ड का कब्जा नहीं मिला है ? यदि हां,

(श्री जीतमल जैन)

तो अब भू-खण्ड का कब्जा कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह भूमि नगर विकास न्यास, अलवर के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई थी तथा नगर विकास न्यास, अलवर ने यह भूमि कुछ अन्य भूमि सहित राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर हाऊसिंग स्कीम मनुमार्ग हेतु आवासन मण्डल को विक्रय द्वारा हस्तान्तरित की थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां। भू-खण्ड संख्या-14 जो श्रीराम मुरलीधर को आवंटित किया गया था उस पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कब्जा किया हुआ है। श्रीराम मुरलीधर को आवासन मण्डल द्वारा अन्य शीघ्र भूखण्ड आवंटित कर दिया जावेगा।

राजगढ़ को पेयजल

93. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार को विदित है कि राजगढ़ कस्बा जिला अलवर में पेयजल की भयंकर समस्या है और केवल एक ट्यूब वैल से ही पानी प्रदाय किया जा रहा है, जो कस्बे की आबादी के लिये अपर्याप्त है ?

(2) क्या सरकार वहां आगामी गर्मियों में समुचित पेयजल प्रदाय हेतु और नलकूप व हैण्ड पम्पों की आगामी वर्ष में व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक कितने-कितने ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजगढ़ कस्बा जिला अलवर में पेयजल की समस्या है। यहां पर दो नलकूप व एक कुए से जल वितरण किया जा रहा है जो कि पर्याप्त नहीं है।

(2) आगामी गर्मियों में दो नलकूप व छः हैण्डपम्प लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वित्तीय उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाये जा सकेंगे।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना अन्तर्गत खालों का निर्माण

94. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत 45 करोड़ रुपये की लागत से खालों का निर्माण कराने का प्रावधान रखा गया था ? यदि हां, तो इस मद में अब तक कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई ? बजट का पूरा उपयोग न होने पर क्या सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जावेगी ?

(2) उक्त वर्ष में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु अब तक कितनी राशि व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्ष में वृक्षारोपण हेतु सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कितनी राशि व्यय हुई ? सूची मय कार्यक्रम के सदन की मेज पर रखें।

(4) सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त वर्ष में कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता विकसित की गई ? वर्ष 1977 से 1980 के बीच में सिंचाई क्षमता की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) (अ) वित्तीय वर्ष 1989-90 में मद 4705 कमान क्षेत्र का विकास में खाले बनाने के कार्यों हेतु मूल बजट ग्रान्ट 40.00 करोड़ रु. की थी जिसमें 20.00 करोड़ आयोजना एवं 20.00 करोड़ केन्द्र प्रवर्तित योजना के थे इसके अतिरिक्त 2.00 करोड़ रुपये विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्रयोगात्मक खालों के निर्माण हेतु आयोजना मद में प्राप्त हुए एवं इस राशि के विरुद्ध भी 2.00 करोड़ रुपये केन्द्र प्रवर्तित योजना में प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार कुल 44.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। उक्त बजट में से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा रुपये 2.62 करोड़ के पाइप वाटर कोर्सेज का निर्माण कराया जाता है तथा शेष राशि सिंचित क्षेत्र विकास संगठन द्वारा व्यय की जाती है।

(ब) मद 4705 में सिंचित क्षेत्र विकास संगठन द्वारा खालों के कार्यों पर माह फरवरी, 1990 तक रु. 32.15 करोड़ व्यय किया गया हैं। विभिन्न उप मदों में निम्न प्रकार से व्यय किया गया है

	(रुपये लाखों में)
(1) संवेतन	533.37
(2) यात्रा व्यय	26.40
(3) चिकित्सा व्यय	8.64
(4) कार्यालय व्यय	27.82
(5) किराया रेट्स और कर/रायल्टी	5.58
(6) जल धाराओं का निर्माण	1,778.87
(7) कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संधारण	47.26
(8) भवन	6.37
(9) मशीनरी और साज सामान, औजार एवं संयंत्र	36.66
(10) निलम्बन	754.98
योग	3,225.95
घटाइये पूंजीगत प्राप्तियां एवं वसूलियां	10.76
शुद्ध योग	3,215.19

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा भी पाइप वाटर कोर्स के कार्यों पर माह फरवरी, 1990 तक रु. 2 05 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। अत: कुल 44.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 34.20 करोड़ रुपये माह फरवरी, 1990 तक व्यय किये जा चुके हैं।

(स) बजट राशि का पूरा उपयोग होने की सम्भावना है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में माह 2/90 तक सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु रुपये 434.96 लाख की राशि व्यय की गई है।

(3) वित्तीय वर्ष 1989–90 में माह 2/90 तक वृक्षारोपण हेतु सिंचित क्षेत्र

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रु. 307.73 लाख की राशि व्यय की गई है। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां सलग्न हैं। (परिशिष्ट "क")

(4) सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 तक खालों के निर्माण के माध्यम से सम्भावित रूप से स्टेज–I सम्पूर्ण क्षेत्र में 3.55 लाख है० तथा स्टेज-II में 0.91 लाख है० क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता भी सृजित की गई है। स्टेज-I एवं स्टेज–II क्षेत्र में वर्ष 1988–89 तक सिंचाई क्षमता का सृजन क्रमशः 3.54 लाख है० एवं 0.31 लाख है० था। इस प्रकार वर्ष 1989–90 में अब तक सम्भावित रूप से स्टेज–I में 0.01 लाख है० एवं स्टेज-II में 0.60 लाख है० में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

खालों के निर्माण के माध्यम से प्रथम चरण क्षेत्र में वर्ष 1976–77 से 1979–80 तक वर्षवार सिंचाई क्षमता का सृजन निम्नानुसार किया गया :–

(हैक्टेयर में)

वर्ष	नहर निर्माण के अन्तर्गत खोला गया क्षेत्र	खालों के निर्माण स्टेज–I
1976–77	3.55	0.31
1977–78	3.48	0.51
1978–79	3.62	0.91
1979–80	3.72	1.12

टोडाभीम (सवाईमाधोपुर) में सड़क निर्माण

95. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम में निर्माण काल से कृषि उपज मण्डी द्वारा कितनी सड़कें अब तक बनाई गई हैं? इनमें से कितनी पूर्ण हो गई हैं तथा कितनी अधूरी हैं?

(2) अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(3) कौन-कौन सी नई सड़कें प्रस्तावित हैं और कहां-कहां पर?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम में कृषि उपज मण्डी द्वारा सम्पर्क सड़क टोडाभीम से रंगलालपुरा का निर्माण कराया गया जो पूर्ण हो चुकी है।

(2) कोई सड़क अपूर्ण नहीं है इसलिए पूर्ण करने का प्रश्न नहीं है।

(3) वर्तमान में तहसील टोडाभीम में नवीन सड़क कोई प्रस्तावित नहीं है।

नीमकाथाना में सड़क निर्माण हेतु मास्टर प्लान

96. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में नई सड़कों के निर्माण

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

हेतु मास्टर प्लान बनाया गया था ? यदि हां, तो प्रस्तावित सड़क का नाम व दूरी का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मास्टर प्लान में कितना कार्य हुआ है तथा कितना शेष है ?

(3) उक्त क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हैं तथा कितने शेष हैं ? उन्हें कब तक जोड़ा जायेगा ?

(4) मास्टर प्लान में शेष रही सड़कों को कब तक पूरा किया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर जिले का ड्राफ्ट मास्टर प्लान वर्ष 1984-85 में बनाया गया था। इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान में नीम-का-थाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 47 सड़कों के नाम हैं। जिसका ब्यौरा संलग्न है। (सूची-1)

(2) उक्त ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अन्तर्गत 10 सड़क कार्य हुए हैं, जो सूची "1" के क्रम संख्या 1, 5, 13, 17, 18, 20, 23, 41, 43, 44 पर हैं। 37 सड़कों पर कार्य किया जाना शेष है।

(3) उक्त क्षेत्र में 22 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हैं तथा 17 शेष हैं। शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़क द्वारा जोड़ने का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा।

(4) ड्राफ्ट मास्टर प्लान में शेष रही सड़कों को पूरा किये जाने का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

भिनाय हेतु पेयजल योजना

97. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भिनाय में पेयजल योजना प्रस्तावित है ?

(2) उक्त क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड-पम्प लगाये गये हैं तथा इसमें से कितने खराब हैं ? किन-किन गांवों में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है तथा वर्तमान व आगामी वित्तीय वर्ष में कितने हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कुल 1055 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। इनमें से 148 हैण्डपम्प अवरुद्ध व सूखे हुए हैं। ग्राम दौलतपुरा में एक भी हैण्ड पम्प नहीं है। यह गांव क्षेत्रीय योजना से लाभान्वित है। वर्ष 1989-90 में 79 हैण्डपम्प लगाए गए हैं एवं वर्ष 1990-91 में वित्तीय उपलब्धता के अनुसार हैण्ड पम्प लगाए जाएंगे।

कृषि उपज मण्डी, खैरथल द्वारा सड़क निर्माण

98. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी खैरथल (अलवर) ने ग्राम गादूवास से वाया बिचला, बीजवाड़ चौहान (तहसील मण्डावर) तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम जाट बहरोड़ वाया मोलावास से ग्राम जालावास-मनेठी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है ?

(3) यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृति में ग्राम जालावास मनेठी से वाया भोजपुरी-हुलमाना कलां व खुर्द होकर बीजवाड़ चौहान तक के लगभग दो ढाई किलोमीटर के टुकड़े की स्वीकृति नहीं दी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के टुकड़े की स्वीकृति से उक्त ग्रामों तथा भोजपुरी, हुलमाना कलां व खुर्द साथ-साथ बस स्टेण्ड जाट बहरोड़ से रेल्वे स्टेशन माजरी व बावल तक के क्षेत्र को यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी ? यदि हां, तो उक्त दो ढाई किलोमीटर की सड़क को कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क सड़क जाट बहरोड़ से जालावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। मण्डी के पास धनराशि के अभाव में स्वीकृति पर विचार किया जाना फिलहाल संभव नहीं है।

चयनित अमीनों की नियुक्ति

99. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 के फार्मों के आधार पर चयनित कुछ प्रशिक्षण प्राप्त अमीनों को अभी तक विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी, नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) फार्म भरने की तिथि, प्रशिक्षण से पूर्व कराये गये इकरारनामे की प्रति, प्रशिक्षण पर हुए खर्च, अभी तक अमीन या समकक्ष पद (पटवारी इत्यादि) पर नियुक्ति न देने के कारणों सहित सम्पूर्ण विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भू-प्रबन्ध विभाग की दो उदयपुर तथा बांसवाड़ा की टी. ए. डी. पार्टियों को तोड़ दिये जाने के कारण शेष अमीनों के पदों पर नियुक्ति के आशार्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। अब नियुक्ति दिये जाने हेतु भू-प्रबन्ध आयुक्त को निर्देश दे दिये गये हैं।

(2) इन आशार्थियों द्वारा वर्ष 1980 के माह अक्टूबर एवम् नवम्बर में नियुक्ति हेतु फार्म भरे गये थे। चाही गई इकरारनामे नमूने की प्रति संलग्न है। प्रशिक्षण पर प्रति उम्मीदवार 200 रुपयों का व्यय

(राजस्व मंत्री)

हुआ है। समकक्ष पद पटवारी इत्यादि पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।

मालवीय नगर (जयपुर) स्थित उचित मूल्य की दुकान

100. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर, जयपुर स्थित उचित मूल्य की दुकान नं. 521 माह में केवल दो दिन खुलती है? जिसकी शिकायत जिलाधीश, जयपुर को भी की गई है।

(2) क्या राज्य सरकार उपर्युक्त दुकान नं. 521 को हर रोज समय पर खुलवाने तथा उचित मूल्य की वस्तुएं समय पर जनता को वितरित कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त दुकान पर क्या-क्या आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि उचित मूल्य की दुकान नं. 521 माह में दो दिन ही खुलती है। इस सम्बन्ध में शिकायत जिलाधीश महोदय को दी गई थी, सही है।

(2) जी हां। राज्य सरकार दुकान नं. 521 हर रोज खुलवाने तथा समय पर वस्तुएं जनता को वितरित कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है। उक्त दुकान पर लेवी चीनी वितरण हेतु उपलब्ध रहती है।

विभागीय आदेशानुसार उचित मूल्य की दुकानें प्रात: 9.00 से 12.00 एवं सायं 3.00 से 8.00 बजे खुलती हैं। सप्ताह में एक दिन मंगलवार को अवकाश रहता है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, राशन कार्ड पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। गेहूं, चावल, खाद्य तेल के बाजार भावों में घटत बढ़त के कारण उपभोक्ता कम ज्यादा मात्रा में उक्त वस्तुएं क्रय करते हैं। कुछ उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केरोसीन वितरण की भी व्यवस्था है।

राजस्थान वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान

101. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान वक्फ बोर्ड को विगत 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा ग्रान्ट इन एड बतौर राशि दी गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या भविष्य में सरकार का वक्फ बोर्ड को इस रूप में मदद देने का विचार है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति के कारण कोई ग्रान्ट इन एड नहीं दी गई है।

(2) मामला विचाराधीन है।

सांचोर तहसील (जालोर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

102. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर): क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालोर जिले की सांचोर तहसील में कौन कौन सी जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य चिकित्सीय संस्थान हैं ? उसमें स्वीकृत स्टाफ़ कितना-कितना है और उनके विपरीत पदस्थापन किस-किस जगह हो चुका है ? इनमें रिक्तियों की पूर्ति कब तक करा दी जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सांचोर तहसील में मिनी स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और उसमें कितना-कितना स्टाफ लगा हुआ है व विगत 3 वर्षों में उनके लिये क्या-क्या बजट रखा गया था ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालोर जिले की सांचोर तहसील में जो चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं, उनका स्थान, स्वीकृत स्टाफ एवं रिक्तियों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

-रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) जी हां । नवीन (मिनी) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण प्रश्न के भाग एक की तालिका में उपलब्ध है ।

-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का बजट एकजाई रूप से जिलों को आवंटित किया जाता है । जिला जालोर को विगत तीन वर्षों में निम्न प्रकार से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए बजट का आवंटन किया गया ।

आवंटन किया गया :-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	87-88	88-89	89-90
	14.67	8.81	15.98

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन

103. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ के अध्यक्ष का कार्य अभी कौन देख रहा है ?

(2) राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड का नये सिरे से गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

(3) क्या प्रदेश की वक्फ सम्पत्तियों का पुनः सर्वेक्षण कराने की कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो ये सर्वे कब तक करा लिया जायेगा ? सर्वेक्षण योजना का प्रस्तावित स्वरूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अभी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है ।

(वक्फ मंत्री)

(2) शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थित वक्फ सम्पदाओं का सर्वेक्षण कराया जा चुका है। वक्फ बोर्ड द्वारा वर्ष 1965-66 में ही सर्वे के अनुसार वक्फ सम्पत्तियों की सूचियां राजकीय गजट में प्रकाशित करवादी गई थी।

सलूम्बर से गिगला सड़क का निर्माण

104. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर से गिगला सड़क निर्माण में खरका ब्रिज का निर्माण गत 5 वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो आज दिन तक राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि किन-किन वर्षों में किन-किन अधिकारी द्वारा खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खरका ब्रिज का कार्य अपूर्ण होने के बावजूद कार्य बंद किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त कार्य पर अब तक हुए व्यय के निष्फल होने के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) सलूम्बर-भिण्डर-किरकी चौकी सड़क पर उक्त पुल निर्माण की स्वीकृति दिनांक 1.8.86 (रुपये 25 लाख की) व उपगमन सड़क कार्य खरका पुल (सलूम्बर-भिण्डर सड़क) की स्वीकृति दिनांक 28.8.87 (रु. 10 लाख की) के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। इस निर्माण कार्य पर किये गये खर्च की वांछित सूचना निम्न प्रकार है:–

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाखों में)	जिनके द्वारा खर्च किया गया
86–87 तक	[2.41	नगर खण्ड-उदयपुर द्वारा
	[0.16	जिला खण्ड-I, उदयपुर द्वारा

(इसके पश्चात् यह कार्य पुल निगम को सौंप दिया गया।

86–87	7.50	राशि विभाग द्वारा पुल निगम को दी गई।
87–88	20.00	राशि विभाग द्वारा पुल निगम को दी गई
88–89	7.30	राशि विभाग द्वारा पुल निगम को दी गई

(2) जी नहीं। पुल निगम से प्राप्त पुनः संशोधित तखमीना (रु. 76.79 लाख का) प्राप्त हुआ है। जो विचाराधीन है।

(3) उक्त कार्य अभी अपूर्ण है अतः इसे निष्फल नहीं कहा जा सकता।

पाली जिले के रैफरल अस्पतालों में रिक्त पद

105. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री अचला राम)

(1) पाली जिले में गत वित्तीय वर्ष में कितने रेफरल अस्पताल कहां-कहां खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पाली जिले के सभी रेफरल एवं अन्य चिकित्सालयों में स्ट्रैंथ अनुसार चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी जगह पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में गत वित्तीय वर्ष में निम्न पांच स्थानों पर रेफरल अस्पताल खोले गए हैं:-

1. बगड़ी
2. तख्तगढ़
3. रानी
4. खारची
5. रायपुर

(2) पाली जिले के रेफरल एवं अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट-10 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 106

(स्थगित)

दी अरबन को-आपरेटिव बैंक अजमेर का संचालक मण्डल

107. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उप रजिस्ट्रार, सहकारिता समितियां, अजमेर के पत्र क्रमांक 5695-702, दिनांक 13-8-88 के द्वारा दी अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक केसरगंज अजमेर के चार अतिरिक्त सदस्यों के संचालक मण्डल हेतु एक आदेश प्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो फिर पूर्व निर्वाचित संचालक मण्डल को रद्द किये बिना पुन: दूसरा वर्तमान संचालक मण्डल का गठन किन नियमों व अधिनियमों के तहत किया गया है ? क्या वर्तमान निर्वाचन संचालक मण्डल हेतु बैंक बाईलाज की धारा 31 का भी पूर्णत: उल्लंघन नहीं किया गया ? यदि हां, तो वर्तमान संचालक मण्डल को आज दिन तक भंग क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या वर्तमान संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 5-11-88 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 के तहत वर्तमान लेखापाल को राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना करके बहाल किया गया ? यदि हां, तो संचालक मण्डल को आज तक क्यों नहीं भंग किया गया ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दिनांक 12-12-89 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को एक रजिस्टर्ड प्रथम स्मरण पत्र बैंक सदस्य श्री नेमीचन्द गुप्ता द्वारा उक्त बैंक की शिकायत के संबंध में दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक

(श्री जगजीत सिंह)

सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक के संचालक मण्डल के 4 रिक्त पदों के लिए चुनाव हेतु 13.8.88 को आदेश जारी किए थे। उसको उप रजिस्ट्रार ने 19.8.88 को वापस ले लिया तथा 20.9.88 को संचालक मण्डल के सभी सदस्यों के पदों पर चुनाव कराने हेतु आदेश निकाल दिया। एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश लाने के कारण 8 सदस्यों के लिए चुनाव किया गया। उप रजिस्ट्रार का ऐसा करना गलत था। उसको इस दोष के लिए आरोपित किया गया है। चूंकि इस चुनाव विवाद के बारे में धारा 75 राजस्थान सहकारी संस्थाएं अधिनियम के अन्तर्गत किसी ने शिकायत नहीं की। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(2) बैंक को रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में लेखापाल को आदेश दिनांक 10.3.88 से बैंक द्वारा निलम्बित कर दिया गया था। बाद में बैंक द्वारा गठित जांच उपसमिति की सिफारिश के आधार पर संचालन मण्डल ने प्रस्ताव दिनांक 5.11.88 के द्वारा लेखापाल को पेंडिंग जांच बहाल करने का निर्णय लिया। क्योंकि लेखापाल को निलम्बन के दौरान निर्वाह भत्ते के रूप में लगभग 8 माह से 2500/- रुपये प्रतिमाह देने से बैंक पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ रहा है।

(3) जी हां। कार्यवाही विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

(स्थगित)

सवाई माधोपुर जिले में हाट बाजार

109. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई माधोपुर में किन-किन स्थानों पर ग्रामीण हाट बाजार कब-कब बनाये गये हैं ? इन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किन-किन स्थानों पर हाट लगती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अब तक 27 ग्रामीण हाट बाजारों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है, जिन पर 41.30 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये किसी भी हाट बाजार का उपयोग हटवाड़े के रूप में नहीं हो रहा है लेकिन इनमें से बौंली, शिवाड़, चौथ का बरवाड़ा व खण्डार में, गौण मण्डी कार्यालय है। ईसरदा हाट में कल सब्जी मण्डी के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है तथा जस्टाना व मलारना चौड़ में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं के क्रय केन्द्र के रूप में उपयोग लिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

आवासन मण्डल में अनियमित पदोन्नतियां

110. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल के आदेश संख्या 2511, दिनांक 27 जनवरी, 1990 द्वारा सात आवासीय अभियन्ताओं को उप आवासन आयुक्त के पदों पर पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन पदों की एवं नियम जिनके अन्तर्गत पदोन्नति दी गई उनकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली गई थी ? नियमों का विवरण व राज्य सरकार के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नतियां चुनाव घोषणा के बाद की गई थी अतः नियम सम्मत नहीं है ?

(4) क्या उक्त पदों का प्रावधान वर्ष 1989-90 के बजट में किया गया था ?

(5) यदि नहीं तो इन अनियमितताओं के लिये कौन दोषी हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश क्रमांक 2511 दिनांक 27-1-90 के द्वारा सात आवासीय अभियन्ताओं को तदर्थ रूप से एक वर्ष के लिये उप आवासन आयुक्त के पदों पर पदोन्नत किया गया था, जो कि पूर्व में इन रिक्त पदों पर दिनांक 16-3-89, 27-3-89 एवं 5-7-89 को अपने ही वेतनमानों पर कार्य कर रहे थे। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को दिनांक 22-8-89 को प्रेषित कर दिये गये थे। मितव्ययता की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा इन पदों के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया। निर्णय की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पदोन्नतियां नियमानुसार नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई थी।

(4) उप आवासन आयुक्त के उक्त सात पदों में से पूर्व सृजित पांच पदों पर पूर्व से ही प्रतिनियुक्ति से आये अधिकारी कार्य कर रहे थे। उनके अपने पैतृक विभागों में प्रत्यावर्तन पर उक्त पद रिक्त हुए थे। शेष दो पदों में से एक पद का प्रावधान वर्ष 87-88 के बजट में रखा गया था तथा एक अन्य पद बोर्ड ने अपनी 147 वीं बैठक दिनांक 15-4-89 में सृजित किया था।

(5) इस बारे में जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर जिले के ग्राम निर्झरना में पेयजल व्यवस्था

111. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के पंचायत समिति लालसोट के ग्राम निर्भरना में जल वितरण योजना से सम्पूर्ण गांव की आबादी को जल वितरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार पहाड़ी से नीचे की आबादी के लिये पानी की सुविधा देने के लिये अलग से ट्यूब वैल खुदवाने का विचार रखती है क्योंकि वर्तमान में जिस कुएं से पानी दिया जा रहा है उसमें पानी की मात्रा कम है जिसके कारण गांव की आधी आबादी पानी से वंचित है ? यदि हां, तो कब तक नीचे की आबादी को पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम निर्भरना की आबादी का एक हिस्सा पहाड़ी के दूसरी तरफ स्थित होने व गांव के मुख्य हिस्से से अलग होने के कारण पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है ।

(2) पहाड़ी के नीचे की आबादी के लिए अलग से नलकूप खुदवाना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र को 3 हैण्डपम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है । वर्तमान में जिस कुएं से पानी दिया जा रहा है उसमें पानी की मात्रा कम होने के कारण अन्य कुआ निर्माणाधीन है ।

लालसोट नगरपालिका क्षेत्र की ढाणियों की पेयजल व्यवस्था

112. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगरपालिका क्षेत्र लालसोट की आबादी का आधा भाग ढाणियों में बसा हुआ है तथा ढाणियों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पानी का गम्भीर संकट पैदा हो गया है ? यथा जमात की ढाणी, तिवारी की आस-पास की सभी ढाणियों सहित अन्य ढाणियों में अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) यदि हां, तो सरकार क्या उक्त ढाणियों तक पाइप लाइन डालकर, पानी वितरण की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । लालसोट में 18 ढाणियों हैं । इनमें से जमात ढाणी, तिवारा सहित 10 ढाणियों में 13 हैण्डपम्प लगे हुए हैं । शेष 8 ढाणियों में हैण्डपम्प नहीं है ।

(2) जी नहीं । वित्तीय कारणों से शेष ढाणियों में पाइप लाइनों के बजाय हैण्ड पम्प योजना विचाराधीन है ।

जिला उदयपुर के कस्बों में केरोसिन विक्रेता

113. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उप जिलाधीश, झाड़ोल एवं

(श्री बहादुर सिंह)

वल्लभनगर जिला उदयपुर ने किस-किस स्थान हेतु किस-किस फर्म/व्यक्ति को खुदरा केरोसिन विक्रेता कब से नियुक्त कर रखा है, प्रत्येक खुदरा केरोसिन विक्रेता को वर्ष 1988 89 एवं 1989-90 में कितनी कितनी मात्रा में केरोसिन वितरण हेतु कोटा कब-कब आवंटित करने के आदेश प्रसारित किये गये ? कृपया व्यक्ति/फर्म का नाम, स्थान एवं समय-समय पर केरोसिन कोटा आवंटित करने के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केरोसिन डीलर नरेन्द्र एण्ड कम्पनी, उदयपुर द्वारा उदयपुर जिले के खुदरा केरोसिन विक्रेताओं को केरोसिन वितरण किया जाता है, यदि हां, तो क्या यह भी सही हैं कि उक्त अधिकारियों द्वारा उक्त अवधि में खुदरा केरोसिन विक्रेताओं को जो कोटा आवंटित करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं उसकी अनुपालना करने हेतु उनकी प्रतियां उक्त फर्म को भेजी जाती हैं, यदि हां, तो इस फर्म को कब-कब प्रतियां भेजी गई ? कृपया भेजे गये आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) नरेन्द्र एण्ड कम्पनी, उदयपुर ने उक्त अवधि में उक्त आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक खुदरा केरोसिन विक्रेता को कब, किस-किस मात्रा में केरोसिन वितरण किया गया ? कृपया प्रत्येक खुदरा विक्रेता को उप जिलाधीश, भाड़ोल एवं वल्लभनगर द्वारा आवंटित केरोसिन कोटा एवं उसकी अनुपालना में उक्त कम्पनी द्वारा प्रत्येक खुदरा विक्रेता को वितरण किया गया केरोसिन की मात्रा का उक्त अवधि का तुलनात्मक माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नरेन्द्र एण्ड कम्पनी, उदयपुर द्वारा किसी खुदरा विक्रेता को कोटे से अधिक एवं किसी को कोटे से कम केरोसीन वितरण करने की शिकायतें, खुदरा व्यापारियों द्वारा उक्त अधिकारियों एवं जिलाधीश (रसद) उदयपुर को समय-समय पर की गई थी, यदि हां, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप जिलाधीश, भाड़ोल एवं वल्लभनगर जिला उदयपुर ने जिस-जिस स्थान हेतु जिस-जिस फर्म/व्यक्ति को खुदरा केरोसीन विक्रेता जब से नियुक्त कर रखा है और प्रत्येक खुदरा केरोसीन विक्रेता को वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में जितनी-जितनी मात्रा में केरोसीन वितरण हेतु कोटा जब-जब आवंटित किया गया के आदेश की प्रतियां मय व्यक्ति/फर्म के नाम, स्थान व मात्रा के वितरण की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। डीलर नरेन्द्र एण्ड कम्पनी द्वारा उपखण्ड वल्लभनगर की तहसील वल्लभनगर में केरोसीन खुदरा विक्रेताओं को वितरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधीश वल्लभनगर द्वारा वल्लभनगर तहसील के खुदरा केरोसीन विक्रेताओं को जो कोटा आवंटित करने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं उसकी अनुपालना हेतु उनकी प्रतियां डीलर नरेन्द्र एण्ड कम्पनी उदयपुर को भी भेजी जाती है। भेजे गये

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) नरेन्द्र एण्ड कम्पनी, उदयपुर द्वारा वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में उक्त आदेशों की अनुपालना में वल्लभनगर तहसील के प्रत्येक खुदरा केरोसीन विक्रेता को जब-जब, जितनी-जितनी मात्रा में केरोसीन वितरण किया गया और उप जिलाधीश, वल्लभनगर द्वारा आवंटित केरोसीन कोटा एवं उसकी अनुपालना में उक्त कम्पनी द्वारा प्रत्येक खुदरा विक्रेता को वितरण किये गये केरोसीन की मात्रा का तुलनात्मक माहवार विवरण प्रश्न के भाग (1) में दिये गये विवरण अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है। उपखण्ड झाड़ोल में नरेन्द्र एण्ड कम्पनी द्वारा खुदरा विक्रेताओं को तेल वितरित नहीं किया जाता है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति लालसोट के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

114. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति लालसोट के अन्तर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृति के उपरान्त अब तक ए.एन.एम. तथा अन्य स्टाफ नियुक्त ही नहीं किए गये हैं। ऐसे सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन केन्द्रों में अब तक स्टाफ नहीं लगाया गया है उन सभी में स्टाफ लगाने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट क्षेत्र के लिए 35 उप केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से संलग्न सूची के अनुसार 21 उप केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति का प्रयास किया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

खेतड़ी क्षेत्र की पेयजल समस्या

115. श्री हजारी लाल (खेतड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में निर्मित पानी की टंकियां सूखी पड़ी हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के लिए पाताल तोड़ कुएं खुदवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित 5 टंकियों से जल वितरण नहीं किया जा रहा है। इन योजनाओं के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्रोत विकसित कर टंकियों से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।

(2) जिन नल योजनाओं पर जल स्रोत की कमी है वहां पर नलकूप खुदवाने के प्रस्ताव हैं। वित्तीय उपलब्धता के अनुसार नलकूप खुदवाए जायेंगे।

बाड़मेर, जैसलमेर के जलप्रदाय विभाग में दैनिक वेतन कर्मचारी

116. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में विगत तीन वर्षों में विभाग में दैनिक वेतन पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

(2) सरकार तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को कब तक स्थाई करेगी ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) उनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने अस्थायी कर्मचारी हैं ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले में विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा क्रमश: 88 तथा 474 कर्मचारी दैनिक वेतन पर रखे गये हैं।

(2) कर्मचारियों को नियमित वेतन शृंखला देने के लिये मामला विचाराधीन है।

(3) विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

नगरपालिका क्षेत्र बिलाड़ा की कृषि भूमि

117. श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बिलाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में दर्ज कृषि भूमि को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के नियम जो राजस्व गांवों में लागू होते हैं से राजस्व अभियान के लाभों से वंचित रखा गया है ? क्या अब उक्त लाभ किसानों को प्रदान करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या कृषि पर निर्भर परिवारों को अपने निवास पशु गृहों एवं अन्य स्वरोजगार हेतु अपने खातेदारी की भूमि का अन्य कार्यों में नि:शुल्क प्रयोग करने की स्वीकृति दी जायेगी।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में आवंटन/नियमन का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में नियमों में संशोधन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 66 सपठित राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम, 1955 के नियम 25ए लगायत 25 एफ की शर्तों के अधीन आवास, पशुगृह, चारागृह एवं बीज

(राजस्व मंत्री)

गोदाम एवं कृषि औजार हेतु भण्डारगृह के लिए कृषक को अपनी जोत पर निःशुल्क उपयोग की सुविधा का प्रावधान है। राज. भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटन संपरिवर्तन व नियमितिकरण) नियम, 1971 के तहत जोत का 1/50 भाग या 500 वर्गगज जो भी अधिक हो आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण निःशुल्क हो सकता है, परन्तु नगरपालिका क्षेत्र में राज. भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का संपरिवर्तन) नियम, 1981 के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निःशुल्क उपयोग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज. भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग) 1961 के अन्तर्गत कृषक को उद्योग स्थापित करने की सुविधा है, परन्तु ये सुविधा निःशुल्क नहीं है उपरोक्त नियमों में वर्तमान में निःशुल्क स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में संशोधन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

टोंक जिले में अनुसूचित जाति/ जन जाति के लिए योजनाएं

118. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक जिले में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जन जाति के उत्थान हेतु लागू विभिन्न किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि वर्षवार खर्च की गई ?

(2) इन कार्यक्रमों से कितने परिवार और व्यक्ति लाभान्वित हुए ? तहसीलदार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति के उत्थान हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं में गत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "द"

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

मालवीय नगर (जयपुर) में उचित मूल्य की दुकान

119. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल की बहुत बड़ी योजना मालवीय नगर, जयपुर में उचित मूल्य की एक ही दुकान नम्बर 517 है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मालवीय नगर योजना में कोई उचित मूल्य की दुकान नहीं होने के कारण जनता को दुकान नम्बर 517 से उचित मूल्य की सामग्री प्राप्त करनी पड़ती है जिससे भारी असुविधा होती है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा एवं वहां की अधिक आबादी की दृष्टि में एक उचित मूल्य की दुकान इस

(श्री कालीचरण सराफ)

क्षेत्र में भी खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं हैं। आवासन मण्डल की योजना मालवीय नगर में दुकान नम्बर 517 नहीं है, दुकान नम्बर 521, 528 व 530 है।

(2) यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मालवीय नगर योजना में कोई भी उचित मूल्य की दुकान नहीं है। यह गलत है कि उक्त कालोनी की जनता को दुकान नम्बर 517 से सामग्री प्राप्त करनी पड़ती है।

(3) जी हां। विचार रखती है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 मार्च, 1990)

रेगिस्तानी जिलों में पेयजल व्यवस्था

120. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रेगिस्तानी जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कुल पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम कितने हैं ?

(2) उक्त समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए विगत 5 वर्षों में कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और उनमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था कब तक करने का सरकार का विचार है ?

(4) क्या यह सही है कि अनेक ग्राम रेकार्ड में कमीशन्ड बताये गये हैं जहां पाइप लाइनें बिछी हुई हैं, होदियां बनी हुई हैं, परन्तु गांवों की जनता को पानी आज तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो ऐसे गांव कौन-कौन से हैं और उनमें वास्तव में पानी कब तक पहुंचा दिया जायेगा ?

(5) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो प्रति व्यक्ति 40 लीटर के हिसाब से स्वीकृत हैं और कितनी योजनाएं प्रति व्यक्ति 70 लीटर के हिसाब से स्वीकृत हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में क्रमशः 835 व 462 समस्याग्रस्त श्रेणी में ग्राम हैं।

(2) तहसीलवार वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1990-91 तक पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(4) बाड़मेर जिले के 31 लाभान्वित ग्रामों में तथा जैसलमेर जिले के 9 लाभान्वित ग्रामों में स्रोत कम होने व अन्य कारणों से जल वितरण नहीं हो पा रहा है जहां जल स्रोतों की कमी है वहां की अभिवर्द्धन योजनाएं बनाई गई है। वित्तीय

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपलब्धता के अनुसार इन ग्रामों में प्राथमिकता के तौर पर पानी पहुंचाया जायेगा।

(5) वांछित सूचना परिशिष्ट "स" व "द" में सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में मेरासी (मुस्लिम जाति) को पिछड़ी जाति में नहीं माने जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इसे अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मामला आपने उठाकर टाल दिया जैसे कोई बात ही नहीं है। हम लोग बरबाद हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। आप बिराजिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बिराज जाइये। मुझे नाम लेना पड़ेगा। आप बिराज जाइये। आप इतने पुराने होकर इस बात को नहीं समझते। आप फिर खड़े हो रहे हैं। क्षमा करेंगे बीच में इस तरह से, आप इतने पुराने सदस्य हैं, यह मैं सहन नहीं करूंगा।

(2) श्री ईश्वर लाल सैनी सदस्य, विधान सभा की ओर से कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

राज्य से सम्बन्धित नहीं होने से इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(3) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के परबल की तलाई सी-स्कीम के खसरा नं. 259 पर पुलिस व गुण्डों द्वारा संरक्षण प्रदान कर नागरिकों को बेदखल करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बुलालीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर परिषद व बीकानेर नगर परिषद की समस्याओं एवं सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बिजली की समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में किसानों को जमीन के बेचान की मंजूरी लेने में कठिनाई के सम्बन्ध में।

49

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर व पाली जिलों में पेयजल व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री महीपाल यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जोनाचाखुर्द व गूंगलकोटा तहसील बहरोड़ (अलवर) की कृषि भूमि को औद्योगिक एरिया घोषित करने के संबंध में।

(5) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए राहत कार्य खोले जाने के संबंध में।

(6) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से सोजत रोड़ में सहायक विद्युत अभियन्ता कार्यालय खोलने के संबंध में।

(7) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा पिछड़ने से हो रहे असंतोष के संबध में।

(8) श्री रामकिशोर सैनी, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की पंचायत समिति बांदीकुई के ग्राम अरनिया में सड़क निर्माण के संबंध में।

(9) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के सर्वधारियों को पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत राज व जिला परिषद् से शिक्षा को मुक्त कराने के संबंध में।

(11) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट क्षेत्र में किसानों को कृषि के विद्युत कनेक्शन देने में देरी के संबंध में।

(12) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशवरायपाटन क्षेत्र के ग्रामों को सड़क से जोड़ने के संबंध में।

(13) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा डांग क्षेत्र में डाकुओं से मुक्त कराने के संबंध में।

(14) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में नयी पनविद्युत योजनाओं का सर्वे करा कर स्वीकृति देने के संबंध में।

(15) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर में सड़कों के डामरीकरण के संबंध में।

(16) श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीनमाल उपखण्ड के ग्रामों में जले हुए ट्रांसफार्मरों को नहीं बदलने के संबंध में।

(17) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से चुरू नगर परिषद् द्वारा गन्दे पानी की निकासी की समस्या व सड़कों के बनाये जाने में भ्रष्टाचार अपनाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(18) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्रियाशील होने के संबंध में।

(19) श्री सम्पत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा स्थित जहरीली गैस फैलाने वाली फैक्ट्री श्रीराम फाइवर्स के संबंध में।

(20) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से अफीम सेवन के आदि व्यक्तियों को परमिट पर अफीम उपलब्ध कराने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (व्यवधान) मैंने जिनका नाम पुकारा है वह ही बोलेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, पहले आपने एक व्यवस्था दी थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे करौली के अन्दर असामाजिक तत्वों के द्वारा, आपने यह आश्वासन दिया था कि चैम्बर में मिल लें और चैम्बर में आपने मुझे यह व्यवस्था दी थी कि आपको बोलने का मौका दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आपको 50 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : आज एक ही दिन में 3-3, 4-4 पर....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कल की व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, यह मामला दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : आप या तो एडजोर्नमेण्ट मोशन पर बोल लें। दो में से एक हो सकता है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : कल व्यवस्था दी थी लेकिन एडजोर्नमेण्ट मोशन आज आपका आया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह मामला अलग से है। यह मामला कल का था और आपने चैम्बर में यह व्यवस्था दी थी कि आप दो मिनट इस पर बोल लें।

श्री अध्यक्ष : मैंने आज अधिकतम लोगों को बोलने का अवसर दिया है। अधिकतम। इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कल आपने कहा था कि चैम्बर में व्यवस्था दूंगा और आपने चैम्बर में व्यवस्था दे दी थी।

श्री अध्यक्ष : आज आपने और दे दे दिया। कोई दो में से एक पर बोल सकते है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप दो मिनट इस पर बोलने का, मैं दो मिनट इस पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, तो इसमें ही बोलेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : दो मिनट ही।

श्री अध्यक्ष : तो एक पर ही बोलेंगे आप।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कल की आपकी....

श्री अध्यक्ष : आप एक पर ही बोलेंगे। आप फिर इस पर मत बोलिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह कल का मामला था।

श्री अध्यक्ष : हां, तो एक पर बोल लीजिये आप।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो आप मुझे बाद में इसके लिए दो मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : किस लिए ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जो कल आपने चेम्बर में व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : फिर आज इस पर नहीं बोलेंगे आप एडजोर्नमेण्ट मोशन पर।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इस पर एक दो मिनट में बोल लूंगा। दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बैठिये। (व्यवधान) माननीय श्री गोविन्दसिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, आज की जो कार्य सूची आपने जारी की है उसमें ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव है वह प्रस्ताव जो विधायी कार्य है उसके बाद में लिया गया है। जबकि यह जो कार्य संचालन सम्बन्धी किताब है उसके 131 (बी) में यह नियम दिया हुआ है कि प्रश्न के बाद में और लेजिस्लेटिव काम लेने से पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा। तो मेरा निवेदन है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले लिया जाय और विधायी कार्य बाद में लिया जाय।

"131B Procedure of calling attention :

(2) After the motion has been put on the list of business, immediately after the questions and before the list of business is entered upon the member who has given notice of the motion, may, while calling the attention of the Minister, read his motion ..." यह इसमें लिखा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि पहले उनको लिया जाय और बाद में जो आपका लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। वैसे आपने जो रूल कोट किया है वह रूल सही है। लेकिन इसमें यह अधिकार है मुझे कि "Admitted notices are normally taken up in the House after papers are laid on the table and reporting of messages from Rajya Sabha and communication regarding arrest of Members etc. but, in special cases,

(श्री अध्यक्ष)

they may be taken up later in the day."

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : ऐसी क्या स्थिति आ गई इसमें कि सरकार भाग कर जाना चाहती है विधायी कार्य सम्पन्न करके ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठे रहेंगे तो सरकार भी बैठी रहेगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या सरकार भागना चाहती है यहां से कि विधायी कार्य पूरा कर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, मैंने यह व्यवस्था दी है, मुझे अधिकार है। इस व्यवस्था को बदलने का तो आप मेरे से बाद में पूछ लीजिये कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई । परिस्थितियां बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं । मैं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, यह तो सही है लेकिन ऐसे विषय में यही माना जाय कि सरकार विधायी कार्य को सम्पन्न कराकर भागना चाहती हैं ।

श्री अध्यक्ष : सरकार का इसमें कोई लेनदेन नहीं है । This is my business. न सरकार इस सम्बन्ध में कहीं पिक्चर में आती है ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में ऐसा उदाहरण शायद पहला ही है । सैट आर्डर आफ बिजनेस को चेन्ज करके....

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, नियम भी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं बिल्कुल सही है लेकिन यह आर्डर चेन्ज मैंने अधिकारों के अन्तर्गत किया है । न मैंने सरकार से पूछा है, न ही सरकार ने कोई राय दी है । पहले भी हुआ है ऐसा कई बार ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी परम्परा का अनुसरण नहीं करूंगा । आपकी परम्परा थी सदन से भागने की, मैं सदन से नहीं भागूंगा और सदन का जो भी बिजनेस है वह बिजनेस सम्पन्न करने के बाद ही.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : सरकार पहले कभी भी भाग कर नहीं गई है । आपने सरकमस्टान्सेज ऐसे पैदा किये । सरकार भागी नहीं है, आपने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दीं कि सरकार को भागना पड़ा हाउस से । हाउस को एडजोर्न करना पड़ा चेयर को, सरकार नहीं भागी है कभी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ईश्वरलाल जी सैनी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय माथुर साहब को यह चिंता थी कि आज का बिजनेस पूर्ण होने से पहले ही हम यहां से चले जायेंगे । मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे चिन्ता हो रही है कि आप भागने की तैयारी कर रहे हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी और जो बिजनेस हमेशा से लिया जाता रहा है, अभी भी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिया जाता रहेगा, कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हम भी आपके एक्ट के पास कराने के बाद में....

श्री मोहनलाल बारुपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, मेरा भी एक पाइन्ट आफ आर्डर है आज। सुनिये, मैंने पन्द्रह दिनों में बोला नहीं था.... हम को एक मिनट बोलने के लिये आपको आखिर देना पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री मोहनलाल बारुपाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : रेकार्ड नहीं करना है। रिकार्ड नहीं किया जाये, वह जो बोल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड नहीं हो रहा है। बिराज जाइये। आप बैठ जाइये। आप बिराजें। माननीय माथुर साहब।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अभी जो पाइन्ट आफ आर्डर माननीय गोविन्द सिंह जी ने उठाया है यहां पर, उसमें यह था कि जो एक सेट आर्डर आफ बिजनेस का, दिया हुआ है, उसको यहां न केवल स्वीकार किया गया है, बल्कि पार्लियामेंट में भी स्वीकार किया गया है और हिंदुस्तान की सभी असेंबलीज में इस बात को स्वीकार किया जाता है। फिर, उस आर्डर को चेंज करने की ऐसी कौन-सी परिस्थितियां उपस्थित हो गयीं ? मैं समझता हूं कि यह इस असेंबली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बाद में लें, मेरी जानकारी की बात कह रहा हूं आपको। ऐसी कौन-सी परिस्थितियां उपस्थित हो गयीं जिससे कि उस विधायी कार्य को लेने के बाद में आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया है। यह मेरी आपत्ति है। मैं समझता हूं कि इसका सीधा मतलब यह है कि आप जो जनता से संबंध रखने वाली समस्यायें हैं इनकी और हम माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं, उस को टालना चाहते हैं और पहले अपना काम निकालने के बाद में ऐसी स्थिति अगर पैदा हो जाये, तो उसको....

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। एक बात तो समाप्त होने दीजिये। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, यह चल रहा है, डिस्कशन पूरा होने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नियमों में जिस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्दर अब तक जो सदन में परम्परायें पड़ी हैं वह भी अपने आप में एक व्यवस्था की शक्ल ले लेती हैं। यह सही है कि आपने जिस प्रकार के नियमों की व्यवस्था की व्याख्या की है, मुझे उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य और सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य, जो पिछली विधान सभाओं में सदस्य रहे हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिस समय लिये जाते हैं, रूल्स के हिसाब से, जो बाकायदा गवर्नमेंट का बिजनेस है, उस बिजनेस के स्टार्ट होने के

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहले लिये जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कई बार इस प्रकार के मामले आये हैं, जिन मामलों के अन्दर गवर्नमेंट का बिजनेस यदि थोड़ा सा हो, तो उस बिजनेस को डिसपोज आफ करने के बाद ये काल अटेंशन मोशन ले लिये जाते हैं। आप इस समय चाहें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ध्यान है कि कई बार इस प्रकार के प्रसग आये हैं, लास्ट सेशन में और हमेशा होता है। लेकिन आज आपने आपत्ति की है। जहां तक सदन से जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं सदन की हर कार्यवाही को हम गंभीरता से लेंगे। चाहे पहले बिल पास हो जाये और उस के बाद में काल अटेंशन मोशन पर चर्चा हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं न तो हम जायेंगे, आपको बोलने का पूरा अवसर होगा। हमारी तो यही कोशिश होगी कि...

श्री शिवचरण माथुर: आप ये गिल्टी कांशश क्यों फील कर रहे हैं? इसका मतलब है आप गिल्टी कांशश फील कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कोई गिल्टी कांशश फील नहीं कर रहा हूं। आपने जो कहा, उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : उसमें यह है कि आर्डर आफ बिजनेस को आल्टर करने का सवाल है। आर्डर आफ बिजनस को चेंज करने का प्रश्न इस सदन के सामने है और ऐसी कोई परिस्थितियां उपस्थित नहीं हैं, जिससे आप आर्डर आफ बिजनस को चेंज करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह सारे संदेह आपकी इस बात से पैदा हो रहा है कि शायद इन बातों पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारी चीजों पर चर्चा होगी। आपको जितना सन्तोष कराया जा सकता है, वह सन्तोष कराया जायेगा। कोई भी विषय पक्ष और विपक्ष का नहीं है सारे सदन का विषय है। इस विषय पर जितनी भी चर्चा हो सकती है, वह चर्चा भी होगी और सरकार को जो उत्तर देना है, वह उत्तर भी देंगे। इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है कि हम चर्चा को किसी भी रूप में कर्टेल करना चाहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : संदेह का विषय नहीं, एक एस्टेब्लिश्ड प्रेक्टिस है। रूल्स में उस का प्रावधान दिया हुआ है और उसमें एस्टेब्लिश्ड प्रेक्टिस है पार्लियामेंट की और सभी असेंबलीज की, उसको चेंज करने के क्या कारण....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एस्टेब्लिश्ड तो नहीं है। यह तो मानने को तैयार नहीं हूं। प्रावधान तो माथुर साहब, मेरी बात सुन लीजिये। दुर्भाग्य यह है कि आपने मुख्य मंत्री के रूप में काम किया है, साधारण सदस्य के रूप में आपने काम किया है आपने कोई आपत्ति नहीं उठायी। कभी सदन में एक दो विषयों को छोड़ कर कोई चर्चा में भाग नहीं लिया, न कोई आपने रूल्स का अध्ययन ...

श्री शिवचरण माथुर : प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात तो सुन लीजिये। न तो आपने रूल्स का

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अध्ययन किया और न सदन में बैठकर के व्यवस्थायें कायम हुई हैं, उसके बारे में ध्यान दिया। मैं कह सकता हूं कि एक बार नहीं, अनेक बार ये काल अटेंशन मोशन गवर्नमेंट के बिजनस के खत्म होने के बाद में लिये गये हैं, यह कोई आज नई बात नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसकी कोई वजह होगी, साहब। आज तो कोई वजह नहीं है, आपने व्हिप जारी किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कम से कम यह तो स्वीकार किया कि कोई वजह होगी। लेकिन माननीय माथुर साहब तो यह कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। लेकिन वजह की गुंजाइश तो है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, वह कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बस, खत्म हुआ किस्सा। अध्यक्ष महोदय जिस तरह की व्यवस्था करेंगे, हमें आपत्ति नहीं है, उस व्यवस्था को स्वीकार करने में।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक मिनट विराजे। मैं बताता हूं। हमारी यह तकलीफ हो गयी है कि आज आपने व्हिप जारी कर रखा है कि जब तक आपका बिल पास नहीं होगा, कोई जायेगा नहीं, सदन, में बैठे रहेगा, इस चीज को बाद में लेने से यह होगा कि आज गणगौर का मेला है, जो सदस्य जाना चाहेंगे, अपने आप चले जायेंगे। अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। हम चाहते हैं कि हमारे सब साथी इसमें भाग लें, यही वजह है और कोई वजह नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, गणगौर के मेले में और कोई जाये या नहीं जाये, आप जिस तरह का साफा बांध कर आये हैं, मुझे वहम् है कि आप निश्चित रूप से गणगौर के मेले के लिये भागना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : भूल गये क्या भाई साहब, यह आपने मेरे को दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको यह बता दूं कि गणगौर के मेले में कोई नहीं जायेगा। आप लोग चले जायें तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अकाल के विषय पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, आपके सुझाव भी लेंगे और उसके ऊपर सरकार को क्या करना है, उसकी जानकारी भी देंगे।

श्री अध्यक्ष : वैसे जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, चूंकि आप बहुत पुराने सदस्य हैं, इसलिये मैं बीच में बोला नहीं, लेकिन इस नियम का तो आपको ध्यान है कि इस संबंध में अनेक रूलिंग्स हैं कि व्यवस्था देने के बाद उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। मगर आप कर रहे हैं, क्यों कि आप लोग पुराने हैं, आप लोग परम्परा भी तोड़ सकते हैं, नियम भी तोड़ सकते हैं। अध्यक्षीय नियम के अन्तर्गत अपने डिस्क्रीशन का अध्यक्ष प्रयोग करे तो आपत्ति कर रहे हैं आप, व्यवस्था के बाद विचार लीजिये कौन सही है या कौन गलत। इसलिये मैं समझता हूं इसको समाप्त किया जाये। जो व्यवस्था मैंने दे दी है, उस पर कोई आपत्ति करना, प्रश्न यदि किसी को समझना हो, तो आप वहां मेरे से आकर

(श्री अध्यक्ष)

समझ लेंगे। मैं सारी बातें समझा दूंगा। वे परिस्थितियां भी आपको बता दूंगा कि जिन परिस्थितियों में यह किया गया है। लेकिन जो नियम बने हुए हैं, जिनकी बार-बार आप दुहाई दे रहे हैं, जिनके नाम पर आप पाइंट आफ आर्डर उठाते हैं, उन नियमों की हत्या आप स्वयं करें और मेरे से सवाल पूछें, यह उचित नहीं है, नियम विरुद्ध है, इसलिये जो व्यवस्था मैंने दी है, उस पर अब कोई आपत्ति नहीं सुनी जायेगी। माननीय रामकरणजी, कौन सा पाइंट आफ आर्डर है आपका ?

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी ....

श्री अध्यक्ष : हां जी।

श्री रामकरण सिंह : मैंने 23 तारीख को गंगा यमुना स्कीम में पुलिस के अधिकारी वहां के साधारण लोगों को बेघर करके उनके प्लाटों पर कब्जा कर रहे हैं, इसकी सूचना आपके यहां पेश की थी। जब चैम्बर में मैं आपसे मिला तो आपने यह दुबारा सूचना उनकी मगवायी है, यह बहुत अहम् मसला है। आपके द्वारा भी यदि साधारण जनता को राहत नहीं मिलेगी तो यह बहुत बड़ी बात होगी। पुलिस वाले अराजकता फैला देंगे ...

श्री अध्यक्ष : देखिये, पाइंट आफ आर्डर हो गया। आपने जो कुछ भी सूचना के लिये लिखा है, हमने सरकार से मांगा है। सूचना आज नहीं, जब भी हो, आपको आपके घर पहुंच जायेगी। जल्द पहुंच जायेगी। आप फरमाइये....

श्री रामकरण सिंह : दूसरा पाइंट आफ आर्डर इसी में है....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। एक-एक कर, एक साथ सब नहीं।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया जो बहुत बड़ा अहम् मसला है। गंगापुर सिटी तहसील के अन्दर रामपुरा ग्राम में हरिजन दूल्हे को घोड़ी से घसीटा और उसको....

श्री अध्यक्ष : यह आपने क्या दिया है ?

श्री परसराम मोरदिया : स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह तो अभी दिया है आपने। अब नहीं। नियम विरुद्ध है। चलिये, टाइम बहुत कम है। अब आप बिराजें। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद आप लोगों में नये लोगों की ट्रेनिंग के लिये और कोई व्यवस्था करेंगे ताकि ये सामान्य बातें मालूम हो जायें आपको। अब आप बिराजें।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, वहां पूरा गांव खाली हो गया साहब। वहां अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन औरतों के साथ....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। यहां कोई गांव खाली होने का सवाल तरीके से उठाया जायेगा। यह साढ़े नौ बजे आपके पास....

श्री नाथूराम अहारी : आपका तरीका आयेगा, तब तक खाली हो जायेगा। तो यह इसमें कुछ व्यवस्था तो देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप भी बैठिये माननीय श्री ईश्वरलाल जी सैनी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने 20 तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको पेश किया था कि राजस्थान में अभी जिला परिषदों द्वारा अध्यापकों के चयन के लिये साक्षात्कार किये जा रहे हैं और राज्य सरकार ने उस पर स्थगन लगा दिया है उसके बाद में कक्ष में आपसे मिला था, आपने कहा कि राज्य सरकार से जानकारी चाही है। दोबारा आपसे कक्ष में मिला तो आपने कहा कि इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका कि इसका क्या करना है? अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत मेजर पॉलिसी डिसीजन है, पंचायत और जिला परिषद् ऑटोनोम्स बॉडी हैं और पिछली सरकार ने पंचायतों को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थानान्तरित कर दिये। सही किये या गलत किये, यह एक अलग मसला है, चयन की प्रक्रिया बदल दी गई और उसमें हजारों अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए हैं और उस पर राज्य सरकार ने एकदम रोक लगा दी। जब कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट लोक सभा में आया तो अपोजीशन, जो इस वक्त सत्ता पक्ष में बैठा है, अपोजीशन बैठता था, यह कहकर उसको गिराया कि हम इसको बेहतर रूप देकर इस अमेण्डमेंट को लायेंगे। अब इनकी क्या योजना है, मैं समझता हूं, इतने बड़े निर्णय के बाद, माननीय मुख्य मंत्रीजी तत्काल यहां हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, सदन को विश्वास में लेना चाहिए था कि किस आधार पर हमने स्थगित किया और आगे क्या करना चाहते हैं? आज हजारों लोगों का भविष्य अटका हुआ है। अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें हों तो 27 जिला परिषदों के अन्दर बी.जे.पी. की भी जिला परिषद् है, जनता दल की भी जिला परिषद हैं, वहां कैसे रोक सकते हैं आप? कहीं एक की होगी उसको रोक सकते हैं। कौन से नियमों के अन्तर्गत जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है गवर्नमेंट बी.जे.पी. और जनता दल की है लेकिन इस तरह से ब्लेन्टकेट ऑर्डर निकाल कर रोक लें, फाइनली आप क्या करना चाहते हैं? अगर चयन की प्रक्रिया बदलना चाहते हैं तो यह बात बताइये लेकिन सदन को विश्वास में लेना जरूरी है और मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो पेश बाद में हुए हैं, आपने लिस्ट कर दिये। सरकार की सुविधा और असुविधा अध्यक्ष के लिए मायने नहीं रखती। आप मेरे मोशन को इनएडमिसेबल रूल कर दें वह एक अलग बात है लेकिन अब जब मैंने....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गई, बिराजिये। आपको जो कहना था आपने कह दिया और इसका जवाब भी आपको सरकार से भिजवाया जायेगा लेकिन जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आज के सिवाय तो समय नहीं था, अकाल के सम्बन्धित, सिंचाई के सम्बन्धित, पानी के सम्बन्धित, मैं समझता हूं वह जिला परिषद् से ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए देखिये, यह सबजेक्ट का सवाल है कि कौन सा सब्जेक्ट जनता को ज्यादा इफेक्ट करता है, सामान्य आदमी को इफेक्ट करता है, आप स्वयं गम्भीरता

(श्री अध्यक्ष)

से विचार करके तुलना करें कि जिला परिषद का अपाइन्टमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अकाल ज्यादा महत्वपूर्ण है ? आप सोच लीजियेगा... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार इसमें करोड़ों रुपये, स्वयं इनकी टोंक जिला परिषद में लाखों रुपये का हेर-फेर हुआ है और मैं समझता हूं कि यह बात स्वयं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के नोटिस में है और स्वयं ने राज्य सरकार से मांग की है कि उसकी जांच की जानी चाहिए। सवाल यह है कि जहां पर लाखों और करोड़ों रुपये का लेन-देन का सवाल हो रहा है और वहां पर भी स्थगित नहीं किया जाय तो क्या लोगों को लुटने दिया जाय ? आज हजारों लोग हैं जिनसे लाखों रुपये ले लेकर जिला प्रमुखों ने रखा हुआ है और स्वयं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं...

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस थोड़े ही हो रही है ? माननीय माथुर साहब।

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि पिछले दिनों में इस विधान सभा में यह हमेशा परम्परा रही है कि सदन के अन्तिम दिन जितने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या जो भी मोशन्स आये थे उन सबको एक साथ लिया जाता रहा है, चाहे भले ही हमको देर रात तक बैठना पड़ा हो लेकिन हमने सब पर चर्चा की है। तो आप केवल अकाल के प्रश्न को यहां लें और दूसरे प्रश्नों को नहीं लें, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। यह पुरानी परम्परा रही है, तीन-पांच-दस जितने भी हों, सबको लीजिए। यह पुरानी परम्परा रही है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह परम्परा नहीं है....

श्री शिवचरण माथुर : देख लीजिये, मैं बता दूंगा आपको।

श्री अध्यक्ष : यदि बाद के प्रमाण में है आप खड़े होकर जो परम्परा कह देंगे वही परम्परा है तो मान लेता हूं मैं। देखिये, आखिर मैं भी पांच साल यहां रहा हूं। तीन से ज्यादा कभी कोई कॉल अटेन्शन मैंने नहीं देखे हैं, तीन तक हुए हैं, मानता हूं, आखिर इसकी एक सीमा है (व्यवधान) आप एक बात सुनिये। क्या परम्परा की बात कर रहे हैं, तीन हुए हैं, सात हुए हैं, दस हुए हैं, क्या करेंगे आप इसमें, कहां रुकेंगे ? आखिर सब्जेक्ट को भी नहीं देखेंगे आप ? अकाल और पानी के मामलों में अनेक सदस्यों के 295 के आज मुझे प्राप्त हुए हैं, सबको मैंने अलाऊ किया है They all will ask question. अकाल के मामले में लगभग आधे सदस्य सवाल पूछेंगे, पानी के मामले में लगभग आधे सदस्य सवाल पूछेंगे। एक तो सवाल यह है और एक ऐसा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है कि जिसमें चार आदमी सवाल पूछें, दो आदमी सवाल पूछें, उसमें अन्तर नहीं करेंगे आप ? यदि दस ऐसे ध्यानाकर्षण लगाये जायं कि जिसमें एक या दो आदमी सवाल करेंगे,

(श्री अध्यक्ष)

समझ में आती है। लेकिन एक ही ध्यानाकर्षण ऐसा है कि जिसमें सौ माननीय सदस्य सवाल पूछने को उत्सुक हैं, उसमें अंतर नहीं करेंगे आप? इसलिए आखिर समय का प्रतिबन्ध तो है और वह समय का प्रतिबन्ध जब आप चाहेंगे कि नहीं रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहे रात भर बैठे रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं तो आपको बाध्य नहीं कर सकता। मैं अपनी व्यवस्था से आपको रात भर बैठने को बाध्य नहीं कर सकता इसलिए विषय की गम्भीरता और औचित्य को देखते हुए जो मुझे निर्णय लेना था वह मैंने लिया है और मैं समझता हूं. अब इस सम्बन्ध में अधिक चर्चा करना उचित नहीं है; कार्यवाही आगे चले.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके बाद कोई सवाल नहीं उठ सकता। व्यवस्था देने के बाद कोई माननीय सदस्य खड़े हों, मैं समझता हूं वह नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बीस तारीख को यह कॉल अटेन्शन मैंने आपको दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, आपकी बात मैंने सुन ली, मैंने अपनी बात कह दी और मैं समझता हूं इस मामले का अन्त इसी तरह से होगा। आप डिबेट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से डिबेट शुरू कर दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहता। मगर आप कृपापूर्वक यह कह देते कि मैंने आपके मोशन को इनएडमिसेबल कर दिया है तब तो चर्चा समाप्त हो जाती। लेकिन आपने आज ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का जो हवाला दिया है अध्यक्ष महोदय, बीस तारीख का लगा हुआ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसके बाद हाउस की पांच मीटिंग हो चुकी है और उसके बाद कुछ दिन तो निकले हैं जिसमें कोई कॉल अटेन्शन लगा ही नहीं है और बाकी कॉल अटेन्शन इन पाइन्ट आफ टाइम इस कॉल अटेन्शन के बाद में हुए हैं और पंचायत राज व्यवस्था.... (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आपके चेम्बर में भी हो सकती थी। इस सदन का टाइम क्यों बरबाद किया जा रहा है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिल चुका हूं चेम्बर में, यह चेम्बर में बात करने की नहीं है अध्यक्ष महोदय; मैंने परसों विनम्रतापूर्वक आपको यह प्रार्थना कर दी थी कि सदन में इसकी चर्चा करना अनिवार्य होगा....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप सदन का टाइम बेकार बरबाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं, आप यह बताइये कि किस नियम के अन्तर्गत आप अलाउ कर रहे हैं इनको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अलाउ करने की कोई चीज नहीं है, मैं सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपको दस मिनट हो गये इस बात के अन्दर और बाद में आप कहें कि हमारे कॉल अटेन्शन का क्या हुआ....(व्यवधान) आपने दस मिनट ले लिये, उसके पीछे कोई तर्क तो होगा न?

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के सवालों को डिसअलाऊ किया जाय। आपके चैम्बर में चर्चा कर लें, मैं समझता हूं सदन का टाइम बरबाद नहीं किया जाना चाहिए

श्री सुरेन्द्र व्यास : चैम्बर में मैं दो दफा मिल चुका हूं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप तीसरी बार और मिल लीजियेगा....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, तीसरी बार नहीं....(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप तीसरी बार और मिल लीजिए लेकिन सदन का टाइम मत बरबाद कीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह कहने का आपको अधिकार नहीं है। यह अधिकार अध्यक्ष महोदय को है। आपको कहने का अधिकार नहीं है....

श्री हरिकुमार औदिच्य : कह सकते हैं....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, यह आपको अधिकार नहीं हैं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप सदन में कोई गलत परम्परा, कोई गलत बात कहते हैं तो हम चेयर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह बहुत गम्भीर प्रश्न है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप....(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आज पूरे राजस्थान में स्कूलें खाली पड़ी हैं, मास्टर पढ़ाने वाला नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात पूरी नहीं होने देंगे.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :... भ्रष्टाचार की इजाजत नहीं मिलेगी....

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, क्या पूछ रहे थे आप....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसके बाद कोई इजाजत नहीं दी जा सकती....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। दो मिनट सुन लीजिए उन्हें....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पैसे ले लेकर आप उनको हजम करना चाहते हैं, ऐसा यह सरकार कभी नहीं होने देगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय महावीरजी, बैठिये आप.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिन शिक्षकों से छह-छह हजार रुपये लिये वह अब पीछे पड़ेंगे इसलिए यह पीछे पड़े हैं। वह पैसा तो वापिस कैसे होगा, वह तो आया और खर्च हो गया....

श्री अध्यक्ष : उजला जी, बिराजिये। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं जानता हूं उनकी क्या इच्छा है ? वह इस पर यहां

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पर चर्चा कराना चाहते हैं, इनकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूं (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : व्यवस्था देने के बाद काहे को खड़े हो जाते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : और मैं उससे सहमत होकर कहता हूं कि ड्राप किया जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। पीड़ा दूसरी बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप अपने स्वविवेक से अगर यह तय कर देते कि यह मोशन एडमिसेबल नहीं है, वह एक परिस्थिति होती....

श्री अध्यक्ष : क्या तय कर देते ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कि यह मोशन एडमिसेबल नहीं है। यहां पर रूल कर देते, वह एक परिस्थिति होती। समयाभाव की जो बात आप कह रहे हैं, मगर उसके बाद....

श्री अध्यक्ष : वह तय कर रहा हूं, वह करवाना चाहते हैं, वह कर दूंगा मैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने यह फरमाया, सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मैं वह तय कर देता हूं। आप जो चाहते हैं वह तय कर देता हूं, अभी तय कर दूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब क्या करेंगे ? पहले आप मेरे को सुनिये। आपने अब तक तय नहीं किया। Mr. Speaker found the motion in order, when I met him in his chamber. आपने फरमाया कि ठीक है मोशन लगा दिया। अब यह सरकार की सुविधा है....

श्री अध्यक्ष : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चेम्बर में आपके और मेरे बीच जो बात हुई, वह सारी बात आप यहां कहेंगे, यह भी परमेसीबल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी अनुमति से कह रहा हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जो चेम्बर में आप कहते हैं उसको हम तो एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, न खोलना चाहते हैं लेकिन आपने जो वायदा कर लिया उसको कम से कम पूरा तो करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन।

श्री अध्यक्ष : अब आप मेरी बात सुनिये। नियम पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपकी अनुमति के बिना नहीं बोल रहा हूं। यह बात मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दी थी। सवाल यह है कि इस सदन के अन्दर खड़े होकर कुछ सदस्य भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लगायें मुझे आपत्ति नहीं है। सरकार खड़े होकर कहे....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या सही नहीं हैं ? यह केवल आरोप ही हैं क्या ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्य से क्या यह केवल आरोप ही हैं।

श्री अध्यक्ष : महावीर जी बिराजें। प्लीज बैठें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार खड़े होकर कहे, अध्यक्ष महोदय, 27 जिला परिषद् हैं जिला परिषदों में चयन की प्रक्रिया....

श्री अध्यक्ष : यह बात आप कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय वरिष्ठ सदस्य गंगानगर से आने वाले सदस्य ने बताया कि सरकार फौरन जवाब देने को तैयार रहती है। आज सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती है। पंचायतों के विषय में उनकी क्या मंशा है और क्या करना चाहते हैं। अधरझूल में लटकाकर स्थगन कर दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब यह आये तो। अभी आया कहां है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज कोर्ट में केसेज जायेंगे। कोर्ट में कई केसेज जा भी चुके हैं सदन का अन्तिम दिन है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। मैंने जो व्यवस्था आपको पहले दी, उसको आपने माना नहीं, लेकिन मैंने इस सम्बन्ध में जो आपके प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेण्ट है उसमें साफ लिखा है—

"Urgency and public importance are the main test of admissibility of a Calling Attention notice. The admissibility of such a notice is decided by the Speaker. He is Powered to allow or disallow a notice." Uncontrolled.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप डिसअलाऊ करें।

श्री अध्यक्ष : वही कह रहा हूं। सुन लीजिए Urgency and public importance are the main test...."

श्री हीरालाल देवपुरा : बिल्कुल सही है, आप जो फर्मा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए शुरू में निवेदन किया कि आज जितने अधिकतम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगने थे, वह इस नीयत से कि कौनसा अरजेण्ट है और कौन-सा पब्लिक इम्पार्टेंस का ज्यादा है,वह लगा है। आपको यह मान लेना चाहिए कि जो रह गये हैं उनको मैंने डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप यह कह दें कि मैंने डिस अलाऊ किया।

श्री अध्यक्ष : I have disallowed. Now I say, I have disallowed your Calling Attention. It will never be put. It is my ruling. Now I have given the ruling

श्री हीरालाल देवपुरा : देट इज डिफरेण्ट।

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइंट आफ आँर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैंने रूलिंग दे दी है। श्री ईश्वरलाल सैनी। आप बोलिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था का का प्रश्न। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने यह रूलिंग तब दी है जब मैंने यह सवाल खड़ा किया....

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार वही बात कह रहे हैं। आप इतने पुराने सदस्य हैं मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हाउस की परम्पराओं, कानून की प्रक्रियाओं को बरकरार रखें, उनकी हत्या मत कीजिए, आप बहुत पुराने हैं। मैंने जब व्यवस्था दे दी है Please, don't question it. यह आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। आप पुराने सदस्य होकर इस तरह की परम्परा डाल रहे हैं। नये होते तो मैं उनको कह सकता था कि आप सीखिए आपको मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि आप सीखिए। आप मेहरबानी करके इस बारे में चर्चा मत करिये, बंद करिये। आगे कार्यवाही चलाने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात बोल रहे हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद किस बात पर बोल रहे हैं। व्यवस्था पर क्या कोई प्रश्न किया जा सकता है? आप ऐसा कोई नियम बता सकते हैं? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। चौथी बार कह रही हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, न्याय नहीं किया जा रहा है। आसन से जब इसको बीस तारीख को....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या आसन की व्यवस्था पर कोई प्रश्न खड़ा हो सकता है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा :....राज्य सरकार से उस पर जानकारी चाही, अब चूंकि समयाभाव की वजह से टाल रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने इसको डिस अलाऊ कर दिया है, आपको अधिकार है, आप कह सकते हैं, लेकिन हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आसन की ओर से सदन के सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण रखा जायेगा और आसन संरक्षण करेगा। हम यह अपेक्षा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझे निवेदन करना पड़ा कि आपने आदेश दिया कि मैं डिसअलाऊ करता हूं। माननीय सदस्य बोले तब आपने डिसअलाऊ किया। अदरवाइज आपकी मंशा तो जिस दिन कॉलिंग अटेंशन आया....

श्री अध्यक्ष : मैंने वही किया जो वह चाहते थे। जो मांग कर रहे थे। मैंने उनकी मांग मंजूर की है।

श्री हीरालाल देवपुरा : हम चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, हाउस में अनुमति देनी है....

श्री अध्यक्ष : मैंने आज उनकी मांग मंजूर कर ली।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या अपेक्षा करेंगे, आपकी तरफ से भी जवाब नहीं मिला और सरकार की तरफ से भी जवाब नहीं आया....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे सवालों का जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता है। क्या रही है परम्परा इसको आप जानते हैं। आप भी सरकार में रहे हैं....(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आप किसको परम्परा सिखा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे हजारों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं जिनका आज तक जवाब नहीं आया, मैं चाहता हूं कि जवाब आये लेकिन सदन की परम्परा है हजारों सवाल यहां के सचिवालय में चाहे ध्यानाकर्षण हों या अन्य पड़े हैं। उनका जवाब नहीं आया। यह गलत परम्परा भी है आप उनका भी जवाब दिलवायें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, साधारणत: 295 पर तो मुख्य मंत्री बोल देते हैं और....

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है, पुराने अध्यक्ष जिनने भी यह व्यवस्था दी है पिछली बार जब हम विरोध में बैठते थे तो उस वक्त जो अध्यक्ष व्यवस्था देते थे उसके बाद यदि हम कोई एतराज करते थे तो आसन की ओर से कोई एतराज नहीं करने दिया जाता था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं आपकी अनुमति से बोलना चाहूंगी....। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : इनको विरोध पक्ष में बैठने का अनुभव नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : 40 मिनिट पूरे कर दिये। यह चाहते हैं कि आज चर्चा नहीं चले।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी का व्यवस्था का प्रश्न है आप बिराजें। क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर एक विधान सभा की परम्पराओं का हवाला पुराने मुख्यमंत्री ने दिया है और वह प्रश्न अब तक खड़ा है। वह परम्परा का हवाला यह है कि वह सारे प्रश्नों को लेने के बाद विधान सभा को समाप्त कर देते थे। अन्तिम दिन आपके पिछले चार विधान सभा सत्रों में, उठाकर देख लीजिए प्रश्न पूरा नहीं आये, विधान सभा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुयी और सत्र को स्थगित करके चले गये। यह किस मुंह से बात कर रहे हैं कि यह व्यवस्था करें। यह उन्होंने किया है पिछले चार-पांच विधान सभा सत्रों से बार-बार देख रही हूं। हमने नियम बना दिये हैं उनका पालन नहीं होता है। हमने उनकी व्यवस्था का विरोध किया, हमने उनके विरूद्ध धरने दिये हैं, स्थगित क्यों की ? तो किस नियम का हवाला देकर उन्होंने उल्लेख किया है। मैं उनकी आशंका मान सकती हूं कि जैसा करते आये हैं उससे डर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आपका व्यवस्था का प्रश्न हो गया। यह व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। हां, आपका क्या सवाल है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम नयों को

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता है बार-बार यह सारा समय बरबाद कर दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : बोलिए, शुरू करिये, गो आन, बोलिए बोलिए । प्लीज आप दोनों साथ-साथ बोलिए ।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप मुझको अलाऊ कर रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी के बारे में है । उसके बारे में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सदस्य बोल रहे हैं । आप बैठिये । प्लीज

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 22 तारीख को रखा उस पर आपने व्यवस्था दे दी ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो हो गया । बार-बार क्यों उठा रहे हैं इसको ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं आपको बहुत मौका मिल गया और आप चाहते हैं कि कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए । आप कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते । फिर आप बैठिये । इसका कोई अन्त नहीं होगा प्लीज सिटडाउन । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार को सुविधाजनक हो तो उसके ऊपर सरकार अपने आप वक्तव्य देगी । आर्डिनरी 295 के स्टेटमेण्ट के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हो जायेंगे, यह इतना अहम मसला है....
(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिला परिषद्, पंचायत समितियों और यह जो जवाहर रोजगार योजना है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चाहते नहीं है ना । आप बिराजिये आप बोलते रहेंगे और फिर कहते रहेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा करना चाहते हैं, सारे वहां के प्रधान, सारे प्रमुख....
(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो दो क्यों बोल रहे हैं, कृपया इन्हें बिठाइये, व्यवस्था कीजिए ।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता का....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना का....जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायत समितियों के जो सरपंच है उन्होंने जिस प्रकार दुरुपयोग किया है वह मैं समझता हूं असहनीय है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजस्थान की जनता आपको देख रही है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ओन ए पाइंट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : There is no question of point of information. You have exhausted so much time of the House. Please, sit down. *Don't* take this House to be granted that you are the only person who will speak for whole of the day.

श्री सुरेन्द्र व्यास : The Government is taking the public for granted.

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, आप बहुत पुराने सदस्य है। ऐसे कुटुम्ब से आ रहे हैं जो बहुत लम्बे समय तक इस सदन में बैठे हैं। कृपया आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। आपका मसला बहुत डिस. कस हो चुका है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक इन्फोरमेशन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे सन्देह है सरकार के आचरण से कि इस सत्रावसान के बाद....

एक माननीय सदस्य : इनको आप खुलकर छोड़ दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिला परिषदों को आप पंचायतों का कार्य....(व्यवधान) लेकिन सरकार के आचरण से और सत्ता पक्ष के आचरण से ऐसा लगता है कि सेशन के बाद....(व्यवधान) इसीलिए इन्होंने स्टे लगाया है। आगे यह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं हाउस में ? इनको पोजिटिवली डिक्लेयर करना चाहिए। इस प्रकार की कोई इच्छा तो नहीं है इनकी, कहीं यह बाद में जिला परिषदों को भंग कर दे।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये। माननीय हेतराम जी।

एक माननीय सदस्य : सरकार की चुप्पी से यह साबित होता है कि सरकार की मंशा और आचरण सही नहीं है पब्लिक के प्रति दायित्व निभा नहीं रहे हैं, मुख्य मंत्री जवाब देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, आप क्यों नहीं दिलवाना चाहते है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था 22 तारीख को और वह स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले में जो उग्रवादियों की एक्टीविटीज है और उसकी वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्री हर बात पर कहने को तैयार है। कुछ तो कहें सदन में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हर मामले में तैयार रहते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं किया जाये, सिवाय माननीय हेतराम जी के किसी का भी। प्लीज सिट डाउन।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : XXX

श्री शांतिलाल चपलोत : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष जो रचनात्मक दृश्य उपस्थित

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

करना चाहता है वह कर लें,ताकि राजस्थान की जनता को मालूम पड़ जाये कि क्या कर रहे हैं आप। सारे काम बन्द कर दिये, आप बैठते क्यों नहीं है। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं आप बोलिये हेतराम जी।

आप मेहरबानी करके सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए। सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे क्या आप ?

माननीय हेतराम जी बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन की ओर से इस प्रकार के ओब्जरवेशन्स नहीं होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी ही बोलेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और उस स्थगन प्रस्ताव पर आपकी व्यवस्था थी कि तीन दिन में सरकार उस पर वक्तव्य देगी। तीन दिन के बाद जब दुबारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो आपने यह कहा था कि 29 तारीख को मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे। क्योंकि इतना गम्भीर मामला है गंगानगर में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वक्तव्य साथ लेकर आया हूं। जब अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे मैं उसी समय बोलूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या है पाइंट आफ आर्डर ? बोलियें।

एक माननीय सदस्य : सत्ता पक्ष के सदस्य इस सदन को चलने नहीं देना चाहते। इसमें मुख्य मंत्री है उनका कण्ट्रोल नहीं है, जो उनकी पुरानी आदत है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय से एक जानकारी करना चाहता हूं कि कोल अटेन्शन मोशन में जो व्यवस्था दे दी क्या आप उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार के नेता महोदय का वक्तव्य चाहते हैं इस विषय में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह नहीं मानेंगे। इनको आज प्रदर्शन करना है पूरा, करने दीजिए। क्षमा करिये अगर आप अध्यक्ष के आदेशों को नहीं मानेंगे तो आप करते जाइये। मैंने आपको मना नहीं किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सरकार की मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाइये।

श्री यदुनाथ सिंह : ओन ए पाइंट ऑफ आर्डर अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंह जी बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप तीन बार व्यवस्था दे चुके हैं....I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंहजी पाइन्ट ऑफ आर्डर रखना चाह रहे हैं, रखिये। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब आप तीन बार व्यवस्था दे चुके हैं और हम चाहते हैं कि अकाल जैसे मामले में जिससे राजस्थान हमेशा पीड़ित रहता है, बुरी हालत है और अब भी अकाल की स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा हो। माननीय सदस्य का प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप गवाह हैं।

श्री अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वह पाइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं। आप भी थोड़ा नियन्त्रण करिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल का बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिये आवश्यक रूप से चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह षड़यन्त्र चल रहा है। मैं चार्ज लगाता हूं विपक्ष पर, इस सदन में अकाल के मामले में भ्रष्टाचार की, बेइमानी की जो बातें उठी थीं वह कहीं रिपीट नहीं हो। अपने आपको शील्ड करने के लिये यह.... (व्यवधान) हम अकाल पर चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। माननीय सदस्य मालपुरा से आने वाले ने जो सवाल उठाया है, इस सम्बन्ध में कई बार व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मैं एक व्यवस्था फिर पढ़कर सुना देता हूं कि ऐतिहासिक और विवादास्पद विषयों से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिये सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। वह जो बार-बार आप मांग कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उन्हें बाध्य करूं कि वह जवाब दें.... (व्यवधान) आप यही कह रहे हैं ना कि मुख्यमन्त्री जी को मैं बाध्य करूं.... (व्यवधान) आप बार-बार आग्रह यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस विषय पर खड़े होकर बोलते हैं इस विषय पर उनको बोलने के लिये कहा जाये। (व्यवधान) वह अपने आप नहीं बोलते हैं तो मैं ही कहूंगा। वह अपने आप नहीं बोलेंगे तो मुझे ही कहना पड़ेगा। इसलिए जब वह नहीं बोल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता और आप भी बाध्य नहीं कर सकते। इसलिये विराजिये अब, हो गया। मैं आपकी हर व्यवस्था का उत्तर कानून से दे रहा हूं और....

एक माननीय सदस्य : उनको कानून से लेना-देना ही नहीं है, वह कानून की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप कानून के तहत दे रहे हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं आपने जो व्यवस्था दी है वह कानून में है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप आपत्ति भी करते जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं कि आपत्ति नहीं है, यह बड़ी विचित्र बात है। मेरी हर व्यवस्था पर आप आपत्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपत्ति नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी कि मुख्यमन्त्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आगे चलिये, ईश्वर लाल सैनी। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यहां सदन के अन्दर एक बात पर विवाद हो गया। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि सरकार ने रोक लगा दी है अध्यापकों के चयन पर। उस पर आपने व्यवस्था फरमाई, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन साथ ही साथ पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है इसलिए उनको प्राथमिकता दी जाये, अकाल और पेयजल। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहां सरकार के प्रशासनिक कार्य-कलापों के अनुसार प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसमें जो माननीय सदस्य मालपुरा से आये हैं उन्होंने सवाल उठाया, रोक लगा दी गई है और उधर के पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें लाखों रुपये खाये हैं चयन में इसलिए यह....
(व्यवधान बात सुनिये, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सरकार ने स्थगन आदेश लगाया है उसमें आपको आशंका है कि लाखों रुपये खाये हैं तो मैं समझता हूं यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रश्न पर चर्चा की जाये।

दूसरे 131 का है उसमें साफ प्रावधान है 'It relates to a specific matter of recent occurrence." यानि कुछ समय पहले गठन होना चाहिए। पानी की जो समस्या है, आप समझते हैं कि यह तो दीर्घकालीन समस्या है और इसका यहां स्थगन प्रस्ताव का कोई वक्तव्य आने से उसका कोई हल निकल जायेगा, आप और हम सभी जानते हैं कि कोई हल नहीं निकलेगा और न अकाल के बारे में चर्चा करने से उसका कोई हल निकलना है .. (व्यवधान)

अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में से कौन सा लिया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उचित विषय था कि इसके ऊपर चर्चा होती क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रशासन से है, कुछ अर्से पहले हुआ है और इसको, सरकार को शायद जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसी बात को लेकर इस पर रोक लगाई गई है तो यह मामला स्पष्टतया यहां चर्चा में आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने 131 की केवल एक क्लाज पढ़ी है, 131 में 9 क्लाज हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लेकिन यह ओवर राइडिंग है यह एक आवश्यक शर्त है कि रीसेंट आकरेंस का होना चाहिए। दो साल पुराना या ला-इलाज मर्ज है तो उसके लिये चर्चा इसके माध्यम से नहीं, इसके लिये और तरीके हो सकते हैं बहुत से....

श्री अध्यक्ष : इसमें एक क्लाज और है मैं माननीय सदस्य को वह क्लाज पढ़कर सुनाता हूं "It does not assail or question the decided issues of public policy but it may seek to discuss the implementation thereof." यह भी है उसमें और इसलिए आप जो बात कह रहे हैं उससे इस बात की काट हो जाती है। तो इसमें 9 बातें हैं। "It is of grave public impoıtance ıequiring the immediate inteıvention of the State Government." क्या आप समझते

(श्री अध्यक्ष)

हैं कि जिन गांवों में अकाल घोषित हो चुका है और जहां पीने के पानी की समस्या एक्यूट हो गयी है, वह रीसेण्ट अकरेंस नहीं है? (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अब जब एक्जाम हो रहे हैं तब मास्टर लगेंगे, यह इम्पार्टेण्ट सब्जेक्ट हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि जब इस प्रश्न पर व्यवस्था हो गयी है, भूतपूर्व माननीय अध्यक्ष हैं विधान सभा के, वह तो जानते हैं, उन्होंने बहुत रूलिंग दी हैं यहां पर, कि जब एक व्यवस्था हो गयी, बहुत डिस्कशन हो गये, आपत्तियां हो गयीं, फिर व्यवस्था हो गयी, फिर व्यवस्था हो गयी, फिर व्यवस्था हो गयी, फिर भी इस प्रश्न को उठाना, मैं माननीय सदस्य से ही पूछना चाहता हूं, वह भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, कि क्या उचित है कि जिस प्रश्न पर एक बार नहीं तीन बार व्यवस्था हो गयी, आपत्तियां हो गयीं, बार-बार उसको उठाया जाना उचित है? वह उचित समझते हैं तो मैं भी उसको उचित मान लेता हूं। (व्यवधान) जिन्होंने सवाल उठाया है उन्हीं से पूछ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बार-बार प्रश्न उठाया जाता है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं कोई कानूनी पक्ष का चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तो आप फरमा ही सकते हैं। सब कुछ पांच दफा ना देने के बाद में भी आप हमेशा अलाउ कर सकते हैं डिबेट को।

श्री चन्दनमल बैद : तीन ही बार किया है चौथी बार और कर दें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, इसका निर्णय भी कर दूं कि मैं इस पर अलाउ नहीं करूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : चौथी बार ही हुआ है अभी तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों ने बार-बार यह कहा कि मुख्यमंत्री हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना काल अटेंशन मोशन के रूप में तो नहीं, लेकिन जो एडमिट हो जाते हैं 295 के नोटिस और एडजार्नमेण्ट मोशन, मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि साढ़े नौ बजे ज्योंहि यह सूचना अध्यक्ष महोदय को मिलती है, उसकी कापियां लेकर उस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर उसकी जानकारियां सदन में देने के लिये तैयार रहता हूं। इसकी कोई जानकारी मुझे अभी तक नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य यदि विशेष आग्रह कर रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इस जानकारी को बताने में मुझे कोई....

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थगित आपने किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास नहीं आयी। चयन को तो मैंने रोका है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों रोका है, वही तो जानकारी हम चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे अगर पहले इत्तिला दे देते....

श्री सुरेन्द्र व्यास : 20 तारीख का दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास इत्तिला नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह अध्यक्ष महोदय के ऊपर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने मुझे इत्तिला नहीं दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमेण्ट का रिप्लाई आ गया और आप कहते हैं इत्तिला नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देखिये, जो हाउस में टेबल किये जाते हैं, हाउस की बिजनस लिस्ट में आते हैं एडजार्नमेण्ट मोशन या 295 के नोटिस, यह साढ़े नौ बजे तक अध्यक्ष महोदय के पास पहुंच जाने चाहिए। मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि साढ़े नौ बजे उनकी प्रतियां ले लेते हैं.... आप बैठ जाइये तसल्ली से....उन सारे प्रश्नों के ऊपर तैयार होकर सारे मंत्री लोग आते हैं और जिस समय वह प्रश्न उठता है उसका उत्तर दे देते हैं। मुझे अध्यक्ष महोदय की तरफ से, आसन की तरफ से इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है कि आप का एडजार्नमेण्ट मोशन या काल अटेंशन मोशन अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। अगर स्वीकार कर लिया होता तो मैं उसका उत्तर भी दे देता, कोई आपत्ति नहीं। एक बार जब व्यवस्था हो गयी, उसको बार-बार आप चुनौती दें कि इसमें परिवर्तन किया जाय, हम इसको स्वीकार नहीं करते, इसको वापस लिया जाय, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। सरकार ने इसको बैन किया है, बैन करने के कारण हैं। वह कारण अगर आप मुझे सूचना देते तो पूरी जानकारी दे देता। मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा, यह सारी जो चयन प्रक्रिया है इस सम्बन्ध में दो बातें कही गयीं कि स्कूल खाली पड़े हैं। मैं तो चार तारीख को यहां आया हूं, चार तारीख से पहले स्कूल खालीपड़े थे उसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं न ? (व्यवधान) उसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं आपने जो गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं स्कूल खाली पड़े रहें, उन खाली स्कूलों में अध्यापक जायेंगे। लेकिन सबसे मोटा जो क्वश्चन आया है उसमें मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आप निष्पक्ष होकर राय दें। अध्यापकों के चयन में दो प्रकार की प्रक्रिया है। 60 पर्सेण्ट मार्क्स दिये जाते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर और 40 पर्सेण्ट दिये जाते हैं इण्टरव्यू के कारण से। जो लिखित परीक्षा में अच्छे नम्बर....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : लिखित नहीं, मेरिट के आधार पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरिट के आधार पर 60 पर्सेण्ट और 40 पर्सेण्ट दिये जाते हैं इण्टरव्यू के कारण। इस सम्बन्ध में एक नहीं अनेकों, हर जिले से शिकायतें आयी हैं कि 40 पर्सेण्ट मार्क्स देने के अन्दर हमारे साथ, कोई तो कहता है, पक्षपात हुआ है, कोई कहते हैं हमारे साथ अन्याय किया गया है, कोई कहता है, हम अच्छे छात्र थे, मेरिट के आधार पर हमने अच्छे नम्बर प्राप्त किये, हमारा सलेक्शन नहीं हुआ। अब आप अन्दाजा लगा लीजिए। अगर आप यह कहते हो कि इण्टरव्यू में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

40 पर्सेण्ट की व्यवस्था रखी जाकर जिन लोगों ने अपने साथ अन्याय होने की शिकायत की है राज्य सरकार को, उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं की जाय ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : की जाय, इसीलिए बन्द किया है। (व्यवधान) सलेक्शन के अन्दर अच्छे मास्टर चुने जायें और चुने हुए मास्टरों में किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन नहीं रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक आते हैं, 40 पर्सेण्ट इण्टरव्यू के कारण यदि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का सलेक्शन नहीं हो सके तो यह सरकार सहन नहीं करेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि सलेक्शन ईमानदारी से हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, चयन की प्रक्रिया से मैं भी सन्तुष्ट नहीं हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप जो चाहते थे वह हो गया। (व्यवधान) माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी। माननीय सचेतक महोदय, बिराजिये। (व्यवधान) आप जो चाहते थे आपको जवाब मिल गया। बिराजिये, अब बैठिये आप। (व्यवधान) विशेष आग्रह था वह भी पूरा हो गया, इसलिए कार्यवाही चलने दीजिए। (व्यवधान) अब आप बिराजिये, आप बैठिये। मेरे से बात बाद में करना। बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप बैठिये।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में करिये।

श्री रामकरण सिंह : सुन तो लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इस समय कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : सभी अन्याय है, आप न्याय कर रहे हैं। आप बैठ जाइये, बिराजिये। आप बिराज जाइये। एक बार कार्यवाही शुरू हो जाने दीजिए, फिर सुनूंगा मैं। (व्यवधान) माननीय सैनीजी, बोलिये। आप बोलिये। (व्यवधान) आप बिराजिये सारा ही गम्भीर है। कोई बात बिना गम्भीर नहीं हो रही है। सारी बातें गम्भीर हो रही हैं, आप बैठिये। मैं आप से निवेदन करता हूं, आप बैठिये। (व्यवधान) मैं खड़ा हूं आप बैठिये। (व्यवधान) मैं खड़ा हूं आप बैठिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा मामला है। आप बिराजिये। आप सैनीजी, बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कश्मीर

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

घाटी के सम्बन्ध में दिया है। आपने केवल यह कह कर कि यह राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है इसलिए केवल आपको दो मिनट दिये जायेंगे। मेरी इसमें आपत्ति है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर रूलिंग हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैंने उनको बोलने की इजाजत दी है, आप कृपया इन्टरफियरेंस नहीं करेंगे। कश्मीर का मामला सबके लिए महत्वपूर्ण है। बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह राजस्थान की ही नहीं, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बच्चे-बच्चे की महत्वपूर्ण समस्या है। आज कश्मीर में हालत खराब हो गयी है। कश्मीर से लाखों लोगों का पलायन हो गया है। हजारों लोग राजस्थान में भी आये हैं। मैंने इसीलिए स्थगन प्रस्ताव दिया था कि सारा कामकाज बंद कर इस पर सारे सदन की पूर्ण चर्चा की जाय और उसके लिए समय दिया जाय। आप केवल दो मिनट देकर मेरा मुंह बन्द करना चाहते हैं? सदन का मुंह बन्द करना चाहते हैं? क्या यह ऐसा मसला नहीं है कि समय दिया जाय? यह सारे हिन्दुस्तान का मसला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अन्य कामों को स्थगित करके इस पर चर्चा की जाय। +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड से निकाल दिया जाय। (व्यवधान) इसे रिकार्ड से निकाल दिया गया है। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजें। माननीय सदस्य आपको पता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज नहीं लगाये जाते हैं। मैंने इसे रिकार्ड से निकालने के आदेश दे दिये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : चार्ज नहीं लगाये हैं फैक्ट्स बताये हैं।

श्री अध्यक्ष : बाहर आप इस तरह के फैक्ट्स बतायें। सदन की अपनी मर्यादा है। यहां गृह मंत्रीजी हमारा सब्जेक्ट नहीं है न मैंने उनको इसकी इजाजत दी है मैंने केवल उनको राजस्थान में जो कश्मीर से शरणार्थी आये हैं उन शरणार्थियों के बारे में कहने के लिये कहा है वह उनके बारे में बोलें। मैं समझता हूं....

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यहां सदन में आपके माध्यम से देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने की शपथ खायी है। अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह 40 साल तक याद नहीं आयी देश की एकता और अखण्डता.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ईश्वरलालजी सैनी आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो काहे को बोल रहे हैं फिर आप? (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आई एम आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि....

श्री चन्दनमल बेद : इसी पर है ?

श्री अध्यक्ष : हां, इसी पर पाइंट आफ आर्डर है।

श्री यदुनाथ सिंह : हां, इसी पर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से सदन से निवेदन करना चाहता हूं, देखिये एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर अगर सदन में बोला जाय तो गम्भीरता से बोला जाय। हम सब की जिम्मेदारी है कश्मीर में शान्ति हो, पंजाब में शान्ति हो, देश में शान्ति हो और इसमें राजनीतिक बातों से ऊपर उठकर बात करने की आवश्यकता है....

श्री चन्दनमल बेद : यह पाइंट आफ आर्डर क्या है ? यह तो भाषण है.... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : + + + ऐसी बात करते हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

श्री हरिसिंह : × × ×

श्री रतनाराम चौधरी : × × ×

श्री प्रेमसिंह दहिया : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री गुलाबसिंह : × × ×

श्री मदनलाल सैनी : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री चन्दनमल बेद : × × ×

श्री हीरासिंह चौहान : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस पर चर्चा करवायी जाय ? (व्यवधान)

अंकित नहीं किया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

श्री रतनाराम चौधरी : × × ×

श्री रामनारायण वर्मा : × × ×

श्री प्रेमसिंह दहिया : × × ×

श्री गुलाबसिंह : × × ×

श्री शांतिलाल चपलोत : × × ×

श्री डूंगरराम पंवार : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : × × ×

श्री प्रेमसिंह दहिया : × × ×

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठिये, बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही संवेदनशील है।

श्री केदारनाथ शर्मा : इसके पहले, मुख्यमंत्री जी, मैं एक मिनट कह दूं।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे : "बोये पेड़ बबूल के तो आम कहां से होय।"

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी (व्यवधान) कश्मीर वेली से....(व्यवधान) एक समुदाय के लोगों का पलायन हुआ है। उनके जीवन की सुरक्षा नहीं हो रही। धन की, दौलत की, व्यापार की, खेत की, तो मजबूर होकर उनको निकलना पड़ा। हजारों की संख्या में वे आयें, यह सबके लिये चिन्ता का विषय है। लोकसभा सैशन में और राज्यसभा सैशन में किसी भी कांग्रेस के माननीय सदस्य पर जो एलिगेशन माननीय सैनी साहब ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया। इस मसले पर इस तरह से हम टर्न देंगे तो कश्मीर की हालत तो बहुत खराब है, वह और बहुत खराब हो जायेगी और वह विदेशी ताकतों के हाथों में खेलेगी। यह मसला, अध्यक्ष जी, एक्शन प्लान बन गया। एक विशेष समिति को यह काम सौंप दिया, सारी पार्टीज के लोग वहां पर कोर्डिनेशन कमेटी में है, डेलीगेशन जाकर आ गया, कन्सेशस बन गयी।

श्री चन्दनमल बैद : सारी पार्टीज ने नहीं, गलत बात, आप सही बात कहिये, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री चन्दनमल बैद : बैठ जाइये, बैठ जाइये, क्यों कहते हैं आप....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं आप, ऐसा लगता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए, रिकार्ड मत करिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : × × ×

श्री चन्दनमल बैद : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय केदार जी बोलेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : डेलीगेशन में अपोजीशन पार्टीज के लोग गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लें।

श्री चन्दनमल बैद : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, आप सुन तो लो पहले, आप सुनना नहीं चाहते। आप सुन लीजिए फिर जवाब देना

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) आप सुन लीजिए, वह बोल रहे हैं। आप बोलना नहीं चाहते।

श्री केदारनाथ शर्मा : आपकी पार्टी कश्मीर में डेलीगेशन में गयी....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हमको भी बोलने का अधिकार होगा, वह तो बोल रहे हैं और हम नहीं बोलें। अगर सत्ता पक्ष बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। यह नहीं हो सकता कि आप अकेले बोलें और हम नहीं बोलें, यह क्या बात हुई (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अगर कोई इस तरह का आरोप लगाते हैं तो इसे कार्यवाही से निकाला जाय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, वह तो निकाल दिया। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : आज मेरे प्रस्ताव को....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, मैंने आपके प्रस्ताव को खारिज कर दिया.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन आप इस तरह से बुलवा रहे है तो डिस्कशन के लिए अलाऊ कर रहे हैं। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य किस हैसियत से बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह सदन की व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय हीरालाल जी, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, आप उनकी बात सुन लीजिए.... (व्यवधान) बिराजिए आप, यह जो सदन में कार्यवाही हो रही है वह सदन की व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं....(व्यवधान) पहले आप बिराजिए।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आन ए पोइंट आर्डर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आन ए पोइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या पोइंट आफ आर्डर है, बोलिये।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर इनडाइरेक्टली, सत्ता पक्ष (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, न तो आप स्वयं बोल रहे है और जब सदन में व्यवस्था रेस्टोर करने के लिए सीनियर माननीय सदस्य खड़े होकर अपना सुझाव दे रहे हैं उसको भी आप सुनने को तैयार नहीं। यह कोई डिस्कशन कश्मीर पर नहीं हो रहा है। आपत्ति इस बात पर हुई कि आपने यहां पर गृह मंत्री पर आरोप लगाया, मैंने उसको रिकार्ड से निकाल दिया। आप अपनी बात केवल जो शरणार्थी राजस्थान में आये हैं, उनके संबंध में कहने के लिए ही मैंने आपको अलाऊ किया है। पुराने जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि गृहमंत्री पर इस सदन में आरोप नहीं लगाये जा सकते, न लगाने की यहां परम्परा रही है। यदि किसी ने लगाया है तो वह हमेशा रिकार्ड से निकाला गया है। इसके बावजूद भी आप इस इतिहास को रिपीट करना चाहें तो मुझे कोई

(श्री अध्यक्ष)

आपत्ति नहीं, तो करते जाइये, वह रिपीट होगा, आप लगायेंगे, मैं रिकार्ड से निकाल दूंगा। इसी में आपको समय पूरा करना है तो करिये, वर्ना आप शरणार्थियों के बारे में बोलना चाहते हैं तो बोलिये, नहीं तो मैं आगे दूसरा नाम पुकारूं। (व्यवधान) शरणार्थियों के अलावा कुछ भी बोलेंगे रिकार्ड नहीं होगा, मैं बता देता हूं आपको।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने जम्मू कश्मीर का दिया है....

श्री अध्यक्ष : हां हां, शरणार्थी आये क्यों, शरणार्थियों से संबंधित ही आप बोलिये....

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : आन ए पाइंट आफ आर्डर....(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर....

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री देश से बड़ा है ?

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने नहीं देंगे ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री देश से बड़ा है ?

श्री अध्यक्ष : देश से कोई बड़ा नहीं है, कुछ परम्परायें हैं कुछ व्यवस्थायें हैं। वह माननी पड़ेगी आपको ..

श्री ईश्वर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये....

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है....

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे कई साथियों को पाइंट आफ आर्डर करने की इजाजत दी है। मेरा नम्रतापूर्वक एक दौसा का प्रश्न है, वह सुन लें उस पर व्यवस्था दे दें, मैं चुप बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : इसी पर है ?

श्री रामकरण सिंह : नहीं इस पर नहीं है, 295 के ऊपर है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न जो सदन में अभी कार्य है उसी पर ही हो सकता है।

श्री रामकरण सिंह : 295 पर ही है।

श्री अध्यक्ष : अभी 295 का नहीं है, आप बिराजे।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, या तो आप कह दीजिए कि मैं सदन में बोल ही नहीं सकता...

श्री अध्यक्ष : अभी 295 नहीं आ रहा है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बारे में अर्ज करना चाहूंगा

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंह जी का रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : आप नियम बताइये, बताइये कौन सा नियम है ?

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : आप नियम बताइये कौन सा है। आपका नहीं लिखा जायेगा। यह पाइन्ट आफ आर्डर, जिस विषय पर चर्चा चल रही हो उसी पर हो सकता है, अभी 295 पर कोई चर्चा नहीं है। आप बिराजिये। जब 295 आये तब बोलना।

श्री रामकरण सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : अच्छा एक बार आप मेरे कहने से बैठ जायें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : सम्पतसिंह जी, कृपया बैठें। आप कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं ? आप बिराजिये।

श्री सम्पत सिंह : मैं यही अर्ज कर रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष : क्या अर्ज कर रहे हैं, आप बिराजिये....

श्री सम्पत सिंह : मेरी एक बात सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान खुले आम कश्मीर में आतंकवादियों की मदद कर रहा है....(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : फिर कश्मीर की बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बोलिये मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का नाम लेने से माननीय सदस्य चिढ़ते क्यों हैं,.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, हेमराज मीणा, माननीय सदस्य कृपया बिराज जाइये, आप सदन की कार्यवाही चलाने में रुचि रखते हैं कि नहीं, सदन की कार्यवाही चलने दीजिये, उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, इस मसले को लेता हूं। डा. फारूख अब्दुल्ला और राजीव जी प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह को साथ-साथ मिले और उन्होंने उनको यह बताया, कश्मीर की गतिविधियों के बारे में बताया कि ऐसे सबूत हमारे पास हैं कि इसमें +++ उन्होंने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये, आप बैठिये तो सही। आप बिल्कुल जबान बन्द करेंगे उनकी। जो अनुचित होगा वह रिकार्ड से निकाल दिया जायेगा, आप इनको बोलने तो दीजिये....

एक माननीय सदस्य : कैसे बाद में निकालेंगे ?

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : बार-बार उसी बात को कहे जायेंगे और फिर निकलवाये जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : वह रिकार्ड पर आयेगी, निकल जायेगी, आप बैठें। अभी दो मिनट सुन लो। आप शुरू करने दीजिये, दो मिनट ही बोलेंगे....

श्री सम्पत सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह जी आप बिराजें, आप नहीं चाहते सदन की कार्यवाही चलाना तो वैसा बता दीजिये। आप दो मिनट शांति रखिये। आप इनको दो मिनट बोलने दीजिये, दो मिनट के बाद अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सम्पत सिंह : यह बोलें लेकिन + + + (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह + + + शब्द तो एक्सपंज करिये।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा, मुझे देखना पड़ेगा कि + + + शब्द असंसदीय है या नहीं यदि असंसदीय हुआ....

एक माननीय सदस्य : असंसदीय है ...

श्री अध्यक्ष : मुझे देखने का मौका तो देंगे। मुझे देखना पड़ेगा। बोलिये आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उन्होंने प्रधान मंत्री को बताया कि इस वक्त कश्मीर के मसले को गृह मंत्री जी उलझा रहे हैं और नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने के बाद वह सपने देख रहे हैं कि हम यहां के मुख्य मंत्री बन जायें ... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : राजीव गांधी ने कह दिया वह सही है क्या ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जो आप कह रहे हैं वह सही है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके पास दूसरा कोई आदमी नहीं था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हेमराज जी मीणा, आप बिराजें। आप इनको दो मिनट बोलने नहीं देंगे....

श्री यदुनाथ सिंह : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब अनुभव हो रहा है।

श्री सम्पत सिंह : राजाखेड़ा के एरिया में बंगलादेश की लड़कियां.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खादी को बदनाम कर दिया...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इन बातों से दबने वाला नहीं हूं....

श्री सम्पत सिंह : आपने कांग्रेस की कब्र खोद दी....

एक माननीय सदस्य : देश की कब्र खोदने वालों....

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह जी, बिराजिये आप। दो मिनट बोलने दीजिये आप बोलिये... (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उन्होंने एक सबूत दिया....

श्री अध्यक्ष : आप अपने समय का ध्यान रखिये, ज्यादा बोल पायेंगे नहीं तो मैं बन्द करूंगा, जल्दी बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। मेरी बात तो मैं कहूंगा ही....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात समय में जितनी कही जायेगी उतनी होगी ज्यादा नहीं....

श्री ईश्वरलाल सैनी : सैय्यद साहब के दोस्त गुलाब नबी टांक, उनके लड़के एजाज-दार.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आपको क्या हो गया है।

श्री सम्पत सिंह : आप एक पल मेरी विनती नहीं सुन सकते....

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनूंगा, इनको बात कर लेने दीजिये, इनको समाप्त करने दीजिये ...

श्री सम्पत सिंह : बहुत गम्भीरता से एक बात निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ सदस्य हैं आज देश में आतंकवाद के नाम पर एक लाबी काम कर रही है कि देश में अराजकता फैलाई जाए कानून व्यवस्था को खत्म किया जाये, आप रोज अखबारों में देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कानून व्यवस्था को कौन खत्म कर रहा है....

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार कर रही है जेलों से आतंकवादियों को भेज रहे हैं....

श्री हीरासिंह चौहान : आतंकवादियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)आप मेहरबानी करके बिराजिये। कार्यवाही नहीं चलानी है सदन की आगे.... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सम्पतसिंह जी बिराजिये। आप बोलिये।

श्री रामकरण सिंह : लाठी जिसकी भैंस हो रही है। जो अकेला होता है, उस की कोई सुनने वाला नहीं है। यह सदन की प्रक्रिया होनी चाहिये कि लाठी जिसकी भैंस नहीं होना चाहिये। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर था, व्यवस्था का प्रश्न था।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैंने आप से निवेदन किया, मैं आपकी नहीं सुनूंगा यह समय इनका है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, + + +। अगर लाठी जैसी वाली बात है तो मैं भी लाठी....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे लाठी चलाने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं। आप बिराजिये।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : श्री गुलाब नबी.... (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : ....बी. जे. पी. के साथ किसानों को मैंने जोड़ा है जिसका मुझे फल मिला है। मैं 77 में जीत कर आया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकरण जी कृपया बिराज जाइये। आप बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ....गुलाब नबी टाक के लड़के एजाज दो साल पहले आतंकवादी गतिविधियों में मारे गये हैं और जिस वक्त यहां हिन्दुस्तान में मंत्रिमण्डल में आये मुफ्ती मोहम्मद साहब.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : मुसलमानों के बारे में गार्डेड लेंग्वेज होनी चाहिये। बेनजीर भुट्टो कल वहां क्या कहेगी। (व्यवधान) इनका पता नहीं है। इनको क्या मतलब है। ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं।.... (व्यवधान) ये +++ इनको बंद करिये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इनको बोलने दीजिये। आप बोलिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केवल शरणार्थी समस्या पर बोलिये।

श्री अध्यक्ष : मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यदि आपकी मंशा हाउस नहीं चलाने की है तो मुझे बता दीजिये। मैं हाउस एडजोर्न कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। काश्मीर का मसला संवेदनशील है जितने आप चिन्तित हैं, उतने हम चिन्तित हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सके इस दृष्टि से कोई सुझाव दें तो उनके ऊपर....

श्री चन्दनमल बैद : नेता महोदय, हम भी यही कह रहे हैं कि सुझाव देने के लिये चर्चा करें। हम सुझाव देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री चन्दनमल बैद : हम सुझाव देना चाहते हैं। हम सुझाव दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....कश्मीर की समस्या का समाधान हो यह आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इस दृष्टि से इसके ऊपर चर्चा हो लेकिन आप मुझे माथुर साहब यह बता दीजिये, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, पूनमचन्दजी बिश्नोई बता दीजिये, क्या काश्मीर का मसला राजस्थान विधान सभा में चर्चा का विषय बन सकता है ?....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : क्यों नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : आप बैठिये। आप गुस्सा कर रहे हैं। मुझे भी आता है गुस्सा करना। ऐसी बात नहीं है। आप गुस्सा कर के खड़े हो जायें और मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूं वह आप सुनिये। आप चर्चा करना चाहें

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो मैं तैयार हूं। आप सुझाव देना चाहें तैयार हैं। आप यदि मुफ्ती मोहम्मद के ऊपर आरोप लगाना चाहें तो मैं इसके लिये तैयार हूं लेकिन राजीव गांधी, इन्दिरा गांधी और नेहरूजी तक के नाम आयेंगे उस समय आपको एतराज करने की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तैयार हैं, नेहरू जी के लिये क्या कहेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज इसी पर चर्चा हो जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज यह तय कर के आये हैं, गत दिनों विधान सभा चुनावों में इनकी जो गत बिगड़ी है उस गत को बचाने के लिये सदन से वाक आउट करना चाहते हैं और काश्मीर के मामले पर वाक आउट करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सुनें। अब आपका समय समाप्त हो गया है। आप बोलना नहीं चाहते हैं। आप बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं ऐसे कैसे बोलूंगा।

श्री गुलाम अली टाक ने कश्मीर में दस लाख लोगों की रैली निकाली पिछले दिनों ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराज जाइये।

श्री यदुनाथ सिंह : आप मुंह बंद नहीं कर सकते। +++ यह चर्चा है। क्या बात कर रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा नहीं चलेगी।

एक माननीय सदस्य : इस तरह के शब्द निकाल दीजिये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निकाल दीजिये। शब्द चर्चा में निकाला गया।.... (व्यवधान) बोलिये। + + +

श्री ईश्वरलाल सैनी : क्या कह रहे हैं आप + + +

श्री अध्यक्ष : आप बोलना शुरू करिये। (व्यवधान) आप छुईमुई हैं क्या। वे खड़े होते हैं और आप बैठ गये। वे नहीं बोलेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ... इन्हीं के दोस्त, वहां एक सूफी संत की मजार पर जाकर.... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : यह 295 नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह शरणार्थी के बारे में बात नहीं है। केवल शरणार्थियों के बारे में बात कह सकते हैं। ....इसके अलावा कोई बात नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : यह शरणार्थी शब्द का प्रयोग गलत किया गया है। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कश्मीर की आजादी के लिये उन्होंने मांग की है। अब यह स्वयं सिद्ध है कि यह उनके खास दोस्त हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि, यह अखबार से सबको पता है, किसको पता नहीं है, इनके मुफ्ती मोहम्मद सईद के दोस्त हैं टाक साहब; मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर गये हैं, उनमें से हजारों लोग राजस्थान में आये हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनके खाने, पीने और ठहरने आदि की व्यवस्था के लिए सरकार क्या कर रही है। यहीं नहीं, वह अपनी बीती दास्तां सुना रहे हैं। मुझे डर है उस दास्तान से दोनों समुदायों में झगड़ा नहीं हो जाय, आतंक नहीं फैल जाय। इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवस्था रखें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कश्मीर से भाग कर आने वाले लोग यहीं नहीं भाग कर आये सारे भारतवर्ष में बंगलौर, कर्नाटक, मद्रास तक गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में कश्मीर में अल्पसंख्यकों को इस बुरी तरह से डराया, सताया जा रहा है। रात को उनको लाउड स्पीकर से चेतावनी दी जा रही है कि हिन्दुस्तानी कुत्तो, भाग जाओ, वर्ना इसका अंजाम बुरा होगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

आपका दो मिनट का समय समाप्त हो गया है। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी बोलेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बोलूंगा। सदन में चर्चा की बात है यह....

श्री अध्यक्ष : कोई चर्चा की बात नहीं है। आपको मैंने दो मिनट का समय दिया था। आप 5 मिनट ले चुके हैं। अब एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : घड़ी मिलाई जा रही है वह समय पाकिस्तान के अनुसार मिलाया जा रहा है। वहां से सारे आदमी भाग रहे हैं। उनको इतना भी मौका नहीं मिल रहा है। वह बैंक जाते हैं तो उनको बैंक से पैसा नहीं दिया जा रहा है। वह खाली हाथ आ रहे हैं। यहां तक कि उनको वहां के दुकानदार सामान तक नहीं दे रहे हैं। इतने डरे हुए हैं कि यहां अपनी बात कहने में कतरा रहे हैं कि यहां भी उनका कत्ल नहीं हो जाय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज देश में यह कहते हैं कि राजस्थान का मसला नहीं है। मैं कहता हूं कि इसका संबंध है। हमारे राजस्थान से तो इसलिए ज्यादा है कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान से मिला हुआ है। पाकिस्तान में अभी पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, आप बोलिए। ....आप बिराजिए, आपका समय समाप्त हो गया। दो मिनट दिये थे, आपको 5 मिनट हो गये हैं। इससे ज्यादा मैं अलाऊ नहीं करूंगा। बार-बार बोलेंगे, तो रेकार्ड नहीं होगा। माननीय प्रद्युम्नसिंह जी आपको बोलना है तो बोलिए। सैनी जी का रेकार्ड नहीं होगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये–I can't help. Either you ask your colleauge to sit down आप सचेतक हैं, उनका टाइम समाप्त हो गया है। You can ask him to sit down and you start your speech.

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन सुनिये। मैं सचेतक होने के नाते अपने सम्माननीय सदस्यों को निवेदन कर सकता हूं–I can not check.

श्री अध्यक्ष : आप निवेदन करिये। मैं कह रहा हूं कि आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन मुझे निर्देश देवे कि वह अगर नहीं बैठे तो मैं आपको समय नहीं दूंगा अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूं, आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में जो मेरे साथी सैनी जी ने कहा....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : ×××

श्री अध्यक्ष : मि. राठौर, प्लीज सिट डाउन। अब आप बोलिये। इनका रेकार्ड नहीं हो रहा है। मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। वह नहीं करेंगे कम्पलीट। इनको एक मिनट के तीन मिनट दे चुका हूं। आप एक मिनट की बात कह रहे हैं....(व्यवधान)

सैनी जी, क्या आप एक मिनट में समाप्त कर देंगे ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : देखिये, उनका 1 मिनट फिर 10 मिनट हो जाएगा। क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर मैं उठाता हूं तो मेरा नहीं लिया जाता और माननीय सदस्य का लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : इनका पाइंट आफ आर्डर 295 में नहीं है। माननीय रामकरण जी समझने की कोशिश करिये। (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : आखिर हद होती है। मेरा अधिकार नहीं है क्या पाइंट आफ आर्डर उठाने का, मेरा पाइंट आफ आर्डर आप सुनिये। मुझे आप इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में विरोधी दल के नेता....(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : जब दूसरे किसी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी जाती है और वह बोलना शुरू कर देता है और अपनी बात को कम्पलीट कर लेता है उसके बाद....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामकरण जी का नोट नहीं करें। पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता। आप बैठिये। सैनी जी, आप बोलिए।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मीर मुस्तफा, पूर्व विधायक, उसका अपहरण कर लिया....

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वालों ने ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। बोलो, क्या कहना चाहते हैं आप बोलिए ? 25.3.90 को उनका पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। मैं कहना चाहता हूं इस भारत सरकार के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान के रेडियो और टेलीविजन ने भी एलान कर दिया कि यदि 10 आतंकवादी छोड़ दिये जाते हैं तो हम इसको छोड़ देंगे और हिन्दुस्तान की सरकार को पता ही नहीं। वहां गवर्नर के सेक्रेटरी दिन भर कन्ट्रोल रूम में इंतजार करते रहे कि कोई मेसेज हम को आएगा। इनको पता ही नहीं और वहां से एलान हो गया। शव भी लटक गया। मैं कहना चाहता हू, फिर मैं चार्ज लगाता हूं। बोलिए क्या हम....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री ईश्वरलाल सैनी : +++ मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका एक मिनट समाप्त हो चुका है माननीय सदस्य, विराज जाइये। प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रद्युम्नसिह जी, बोलिये इनका रेकार्ड नहीं करेंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा और मेरी बात को प्रारम्भ करने से पूर्व आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अन्दर मेरा या हमारे दल का कोई राजनैतिक लाभ उठाने का प्रश्न हमने नहीं रखा है। यह आप इसमें किसी रूप में समझें। यह भी हमें मालूम है कि कांग्रेस दल इस बारे में चिन्तित है लेकिन चूंकि राजस्थान के अन्दर यहां पर जो शरणार्थी आये हुए हैं हमको उस पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। आखिर ऐसे कारण क्या हुए जिससे वे लोग कश्मीर को छोड़कर आज राजस्थान के अन्दर आये। श्रीमन् आज यह निश्चित बात है कि कश्मीर के अन्दर हालत पिछले कुछ समय से खराब थी लेकिन अब तो वहां विस्फोटक स्थिति बन चुकी है। जब से डाक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। अभी सत्ता पक्ष में बैठना सीखिये पहले। बैठ जाइये आप। माननीय प्रद्युम्नसिहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में है, सम्माननीय गृह मंत्रीजी के भूतपूर्व मुख्य मंत्री फारूक अब्दुला से कुछ राजनैतिक मतभेद थे और उनकी बर्खास्तगी को लेकर के सी.पी.आई. एम., उन्होंने इसका विरोध किया है। यह हकीकत है श्रीमन्। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है लेकिन उसके बाद श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, डाक्टर रूबिया का अपहरण हुआ। बड़ी बुरी बात थी अध्यक्ष महोदय, लेकिन

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उसके बदले जो हमने आतंकवादियों को वहां से रिहा किया वहीं से कहानी शुरू हो जाती है आज कश्मीर की बदली हुई स्थिति की। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, कहां इसमें राजनैतिक बात है। आज 370 को लेकर प्रधानमंत्रीजी कहते हैं कि 370 कहां रहेगी, बी.जे.पी. के हमारे सम्माननीय नेता कहते हैं कि नहीं रहेगी वह समाप्त करेंगे। यह हमारे विचार हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे दल के नेता ने साफ कर दिये कि 370 वहां रहनी चाहिये, हम इसके समर्थक हैं। हमें कहते हैं कि कहा नहीं है। हम तो इस बात के हामी हैं कि 370 वहां कायम होनी चाहिये। हमारी दोहरी नीति नहीं है अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्रीजी कुछ कहें और बी. जे. पी. के नेता कुछ कहें और सी.पी.आई.एम. कुछ कहें। हमारी नीति स्पष्ट है श्रीमन्। आज स्थिति यहां पर, वहां से रूबिया काण्ड के बाद से सारी कहानी चली है। आतंकवादियों का जो लो मारल था वह उनका मारल एकदम आतंकवादी गतिविधियों के लिए बढ़ गया। आज उसका नतीजा है कि 25 हजार फैमिलीज वहां से निकली हैं। जिसको स्वयं गृहमंत्रीजी ने स्वीकार किया है सदन के अन्दर और हालत यह हो गयी है अध्यक्ष महोदय, बड़ा संवेदनशील मामला है, मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता हूं कि महिलाओं के साथ, वहां बच्चों के साथ, वहां की धार्मिक भावनाओं के साथ क्या हो रहा है उसको सदन के रिकार्ड और अखबारों में जाना नहीं देना चाहता क्योंकि प्रोफेसर केदारनाथजी ने कहा है कि मामला बड़ा संवेदनशील है इसलिए मैं आज चुप हूं। कहीं पाकिस्तानी करेन्सीज चल रही है। बेनजीर भुट्टो ने 10 करोड़ रुपये चौड़े में दिये, आजाद कश्मीर के प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ रुपये चौड़े के अन्दर दिये। अधिकारियों का वहां पर कत्ले आम किया जा रहा है, सरकारी सी.बी.आई. के अधिकारियों का, वहां के अधिकारियों का कत्ले-आम किया जा रहा है और अध्यक्ष महोदय, और तो और जेल से मिलीभगत से लोग भाग गये, कल भाग गये 12-13 आदमी, अध्यक्ष महोदय। मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगा, डाक्टर फारूक अब्दुल्ला के वक्त में यह हालत थी। आज वहां पर केन्द्र का शासन है। अगर आज जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी किसी की है तो वह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर इस बारे में क्या करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पांच मिनट हो गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस संवेदनशील मामले का, इस ज्वलंत समस्या का जिससे देश की अखण्डता, देश की एकता खतरे में है। देश के संविधान का हमने हलफ उठाया है यहां पर, देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्य रखने का हमने हलफ उठाया है। आप कृपया इस पर समय की सीमा में ना बांधे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमने तो सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी कहा कि इस मामले में डिबेट करा लीजिये। बहुत सारे लोग हमारे दल से बोलना चाहते हैं। बदकिस्मती से सिर्फ हम दो आदमियों ने मैंने और माननीय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सदस्य ईश्वरलालजी सैनी ने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। अभी हमारे बहुत से सदस्य इस मामले के अन्दर बोलने के इच्छुक हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस मामले को समय सीमा में ना बांधे। दोनों पक्ष की बात आ जाय और यह फैसला हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता करेगी कि किस के वक्त में कैसी हालत थी और आज क्या हालत है। इस सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि यह सरकार, केन्द्र में बैठी सरकार कहती है, एक तरफ तो 370 को समाप्त करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उस सरकार ,को समर्थन दे रहे हैं। जबकि प्रधान मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा कि हम 370 को समाप्त नहीं करेंगे। केवल सत्ता पक्ष में रहने के लिए यह कैसा विरोधाभास है श्रीमन्। हमारा व्यू, सी.पी.आई.एम. का व्यू, जनता दल का स्वयं का व्यू एक है इस मामले में कि 370 समाप्त नहीं होनी चाहिये। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हो गया है माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जो शरणार्थी यहां आये हैं उनके लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं? क्या कार्यवाही करने जा रही है? उनके भोजन की क्या व्यवस्था की है, उनके आवास की क्या व्यवस्था की है, उनके रहने की व उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था की है? लोगों का वहां सब कुछ रह गया, अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं अपने को सीमा में, आपके आदेश की पालना करते हुए लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि हमारे नेता महोदय आज बदकिस्मती से अस्वस्थ हैं इसलिए वह नहीं आ पाये, आकर चले गये थोड़ी देर के लिए और हमारे दल के वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, माननीय शिवचरणजी माथुर हैं, मदेरणा जी हैं, अन्य लोग भी बोलना चाहते हैं। कृपापूर्वक आप थोड़ा समय देने की कृपा करें, इस ज्वलंत मामले को आप समय की सीमा के अन्दर न बांधे। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जनार्दनसिंह गहलोत। सी-स्कीम के ठेके पर.... (व्यवधान) मैं अलाऊ नहीं करता। मैंने डिबेट अलाऊ नहीं की है। मैंने अपनी रूलिंग पहले ही दे दी।....

मैं इस पर डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य श्री जनार्दनसिंह गहलोत।....मैं डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान) रिकार्ड मत करिये। कोई डिबेट अलाऊ नहीं होगी।

कई माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गहलोत, आप बोलना चाहते हैं? आप बोलना नहीं चाहते? माननीय श्री बुलाकीदासजी कल्ला। आप बोलना चाहते हैं? आप बोलिये बोलना चाहते हैं तो।....(व्यवधान) माननीय श्री जनार्दनसिंह गहलोत। बोलना चाहते हैं तो बोलिये।....आप चुप रहें। (व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

295 पर। श्री रामस्वरूपजी मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गंगानगर जिले में किसानों को जमीन बेचने में मंजूरी लेने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनट आप बिराजें। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में शरणार्थियों के संबंध में जो बात कही गयी है मैं थोड़ा सा उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरी सूचना के अनुसार अब तक जयपुर में 28 परिवार आये हैं जिनमें से 23 होटल में ठहरे हुए हैं और 5 सम्बन्धियों के पास ठहरे हुए हैं। उदयपुर में 9 परिवार हैं और 30 व्यक्ति हैं, अलवर में तीन परिवार हैं, अजमेर में एक परिवार है।

अध्यक्ष महोदय, जब से यह परिवार आने लगे हैं सरकार से उनका निकट का सम्पर्क है और कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी उनके ठहरने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही हैं मैं समझता हूं कि वह बात विपक्ष ने ही नहीं हमने भी उनसे बातचीत की है और उनका सारा दुःख दर्द सुना है। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी शरणार्थी वहां से आयेंगे उनकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। मैं साथ ही इस सदन के माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की जिस प्रकार से भी सहायता कर सके उस प्रकार की सहायता करने में आगे आयें। विपक्ष के माननीय सदस्य इस समय चले गये, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता था कि इसको राजनैतिक मसला न बनाकर, राजनैतिक लाभ उठाने की वह कुचेष्टा कर रहे हैं। अच्छा हो कश्मीर के मामले में जो समस्यायें हैं, हम सब मिलकर उसका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं उस प्रकार से उस संकट का समाधान करने की दृष्टि से यदि कोई चर्चा करें तब तो ठीक है वरना वाक आउट करने के लिए वातावरण बनायें और यह समझें कि हमारा वाक आउट इस सदन में नहीं हुआ, इसलिए इसी मसले के ऊपर वाक आउट करके चले जायें, तो मुझे उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं चाहूंगा कि वे इस प्रकार के मामलों में वाक आउट ही करते रहें और बाकी और कोई गम्भीर चिन्तन इस सदन में नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय कासनियां जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में किसानों को जमीन बेचने की मंजूरी लेने में

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बहुत ही कठिनाई भुगतनी पड़ती है सरकारी अफसरों द्वारा भारी लूट है। इस लूट को बन्द किया जावे। इसके अलावा किसानों को कृषि यंत्र बनाने के लिये अपने खेत में से लकड़ी काटने की मंजूरी लेनी पड़ती है। इस मंजूरी के लिये किसानों को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। तहसीलदार व पटवारी व रेंजर के इसके लिये यह कहावत चरितार्थ है कि 1 रुपये का नारा और 100 का खा गया चारा, यानि 1 रुपये की तो लकड़ी है और सौ रुपये मंजूरी में लगते हैं। इस काले कानून को समाप्त किया जावे।

2-प्राकृतिक प्रकोप से किसान की फसल नष्ट हो जाती है, उसके लिये सरकार की तरफ से किसानों को कोई रियायत नहीं दी जाती। यहां तक भी नहीं हुआ कि माली रकम व आबियाना भी आज तक माफ नहीं हुआ. जबकि हरियाणा व पंजाब में किसानों को मुआवजा मिलता है राजस्थान में क्यों नहीं ?

3—भाखड़ा नहर परियोजना में वाटर मेट टैक्स यानि खुशहाली टैक्स के नाम पर जब से नहर आई, तब से किसानों को लूटा जा रहा है। सरकार के पास इस बात का कोई लेखा-जोखा नहीं है कि किस काश्तकार ने कितने पैसे जमा करवा दिये व किस की तरफ कितना बकाया है। इस काले कानून को समाप्त किया जावे।

4-किसानों के माली रकम तो दस गुना बढ़ा दी गयी है। हुई-चुई के नाम से इसके ऊपर भी एक लफड़ा और लगा रखा है जिसका नाम सरचार्ज यानि पुराने टाइम की जिस काश्तकार के पास तीन चार सौ बीघा जमीन है, उसके 75 रु. माली रकम लगती थी, उस पर सरचार्ज लगता था चार सौ बीघे वाले काश्तकार के। आज हालत यह है कि 15 बीघे जमीन वाले काश्तकार के 75 रुपये लगते हैं, माली रकम तो दस गुना बढ़ा दी और सरचार्ज की सीमा 75 रुपये ही रखी है....

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर नोट नहीं कर रहे हैं आपकी बात को। बहुत महत्वपूर्ण है बात, और कोई है वहां पर आपकी बात को....

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं तो मेरी गाथा गा रहा हूं। वह नोट करें या न करें, यह मंत्री महोदय की मर्जी है। अब आप मेरे बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : चिंता मत करो, नोट कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : हां, मैं आपकी पंचायत नहीं चाहता बीच में। मैं मेरी तरफ से जितना है, मैं बोल रहा हूं। मंत्री महोदय बैठे हैं, नोट करें या न करें, मैं बाद में अपने आप ही पूछ लूंगा।

(समय 2.10 म. प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा लोगों के मुस्तरका खाते हैं इससे और भी ज्यादा सरचार्ज लगता है। पीढ़ियों के खाते साझे पड़े हैं, सरकारी अफसर बिना पैसे के खाते अलग करने का नाम ही नहीं लेते हैं।

5-इरासता इन्तकाल पिता की मौत होने के बाद उसकी संतान के नाम जमीन

(श्री राम प्रताप कासनियां)

चढ़नी चाहिये थी, परन्तु लोगों के ऐसे मामले 25 साल से अधरबम में लटके हुए पड़े हैं।

6-माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिले में पूरे राजस्थान के लोगों को, भूमिहीनों को जमीन दी गई थी। परन्तु गंगानगर जिले के लाखों भूमिहीनों की दरख्वास्तें मंजूर पड़ी हैं। परन्तु बीकानेर जिले में भूमि नहीं ले सकता। सरकार की तरफ से पाबंदी है। यह पाबंदी समाप्त की जावे। पिछली सरकार ने विशेष आवंटन के नाम से पूंजीपतियों को बेच दी है, पिछली सरकार ने अब वालों ने नहीं। जबकि सन् 1969 के आन्दोलन में सुखाड़िया सरकार ने इसी सदन में किसानों के आगे घुटने टेक कर, झुक कर कहा था कि आइंदा जमीन नीलाम नहीं होगी। सरकार जमीन की नीलामी नहीं करेगी, वह वायदा इस सदन में सुखाड़िया सरकार ने किया था। आंदोलन हुआ था 69-70 में, परन्तु सरकार विशेष आवंटन के नाम से जमीन को बेचती रही। गरीब जमीन से वंचित रह गये। खाली पड़ी जमीन भूमिहीनों को दी जावे। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय दिया, उसके लिये मैं आभारी हूं, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय रामसिंह जी विश्नोई।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मेरा भी नाम था।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, जोधपुर व पाली जिले में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जवाई बांध का निर्माण किया गया था और विशेष तौर पर जोधपुर शहर को पेयजल के भारी संकट से बचाने के लिये इसका निर्माण किया गया था और इसीलिये इस बात को मद्देनजर रखते हुए जवाई कैनाल का निर्माण किया गया। उस समय यह भी तय किया गया था कि जिधर से भी यह कैनाल निकाली जायेगी, उस रास्ते में पड़ने वाले समस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा और इसी कारण से राज्य सरकार ने पाली जिले के रोहिट तहसील के समस्त गांवों एवं लूणी निर्वाचन क्षेत्र के 50-60 गांवों को पेयजल योजना से जोड़ा था। किन्तु गत 5-6 वर्षों से लगातार राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में सूखे की स्थिति बनी रही है और उसके कारण पेयजल के स्रोत निरंतर सूखते चले गये और अब अप्रैल के अन्त तक जवाई बांध में पानी की कमी और समाप्त होने की स्थिति आ गयी है। इसके कारण जवाई बांध से पेयजल उपलब्ध कराने का तो प्रश्न ही नहीं है। साथ ही इसका कोई वैकल्पिक स्रोत या योजना भी राज्य सरकार ने अभी तक नहीं बनाई है जिसके कारण लूणी निर्वाचन क्षेत्र व पाली निर्वाचन क्षेत्र की रोहिट पंचायत समिति के समस्त गांवों को पानी की भयंकर किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इससे न केवल सामान्य नागरिकों को ही परेशानी होगी, अपितु पशुधन एवं पशुपालन का व्यवसाय करने वालों के पलायन करने की स्थिति से नकारा नहीं जा सकता है।

अत: मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समय रहते ही इन गांवों में नागरिकों व पशुओं दोनों के लिए ही पेयजल की समस्या के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

समाधान की कोई प्रभावी योजना बना कर पेयजल उपलब्ध कराया जाये।

श्री सभापति : माननीय महिपाल यादव....

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा नाम है सभापति महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मंत्री महोदय हैं नहीं और यह बहुत ही मानवीय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और मैं चाहता हूं इस पर कोई जवाब भी दें क्योंकि अप्रेल के अन्दर जवाई बांध का पानी खत्म होने जा रहा है। जवाई कैनाल बंद हो जायेगी, करीब सौ डेढ़ सौ गांव ऐसे हैं, जहां पर अभी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका उत्तर आयेगा आपके पास।

माननीय महिपाल यादव....

(अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा : वह नहीं हैं सभापति महोदय, मेरा नम्बर ले लिया जाये।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पानी की समस्या के बारे में।

महोदय, जिला सवाई माधोपुर में इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। विशेषकर विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में तो भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। इसमें पीने के पानी की स्थिति बहुत ही ऐसी हो गयी है कि जानवरों एवं मनुष्यों के मरने की स्थिति पैदा हो गयी है और जनता पांच किलोमीटर की दूरी से पीने के लिये पानी लाती है। इसमें विशेषकर के हमारा माड़ इलाका, जिस को नांदोती तहसील के नाम से पुकारा जाता है, जहां केवल मात्र वर्षा के आधार पर ही निर्भर रहना पड़ता है, अगर तालाबों का पानी सूख जाता है, तो पानी की दूसरी व्यवस्था नहीं है। सात साल से लगातार अकाल पड़ने के कारण आज तालाब बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। कुओं में कहीं पानी है नहीं। ऐसी भयंकर स्थिति में हमारे वहां के गांव कैमड़ा, रौंसी और मूंजेला, रायसेना, पुराचंजी, गड़खेड़ा आदि गांव जो नांदोती तहसील के हैं, इनमें भयंकर पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी है। उसकी व्यवस्था की जाये। इसके साथ-साथ टोडाभीम तहसील के अधिकांश ग्राम जिनमें टोडाभीम कस्बा भी मौजूद है, उसके साथ-साथ अन्य जो गांव हैं, उसमें आते हैं हमारे सांकरवाला, पाड़ला, भजेड़ा, मातासूड़ा, गड़खेड़ा ऐसे गांव जिनके अन्दर पीने के पानी की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। पिछले सालों से बरसात नहीं होने के कारण जल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है। पिछली सरकार ने गांवों में हैण्ड पम्प लगाये, नल योजना भी चालू की थी पर आज बहुत सी योजनाएं अधूरी रह गई और वह काम नहीं कर रही हैं। इन नल योजनाओं को, जो अधूरी रह गई हैं, पूरा करवाया जाय। जल स्तर बना रहे, इसके लिए नदियों पर एनीकट बनाये जायें और पेयजल योजना की क्रियान्विति युद्ध स्तर पर की जावे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अन्यथा भयंकर स्थिति पैदा होगी और लोग प्यास से मरने लगेंगे। माननीय मंत्रीजी, इस विषम परिस्थिति के अन्दर आप इस बात के ऊपर तुरन्त निर्णय लें और यहां पर घोषणा करें और जो खराब हैण्ड पम्प हैं उनको तुरन्त युद्ध स्तर पर ठीक करवाया जाय और पीने के पानी के लिए लोगों को सहायता देकर जो कुएं सूख गये हैं उनको गहरा करवाया जाय। इसके साथ-साथ मेरा यह सुझाव है कि सरकार विभिन्न छोटी-छोटी योजनाओं की बजाय गांवों के अन्दर पाताल तोड़ बोरिंग करवायें, जो नल योजना है जिसको चालू नहीं किया गया है उसको तुरन्त चालू किया जाय क्योंकि गांवों के अन्दर जो एस. सी. बस्तियां हैं वहां पर गांव के लोग पानी के लिए जहां पर केवल मात्र एक हैण्ड पम्प है, लड़ाई लड़ते हैं। उन एस. सी. के लोगों को गांव वाले पानी नहीं भरने देते हैं इसलिए एस.सी के लोगों के लिए अलग से हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाय।

मै माननीय मंत्रीजी को सभापति महोदय के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर, जहां पर कि सूखा पड़ा हुआ है और अकाल घोषित नहीं किया गया है, ऐसी विषम परिस्थिति में वहां अकाल घोषित किया जाय और पानी की विशेष व्यवस्था की जाय। अगर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो वहां की जनता भूखी और प्यासी मरेगी तो आन्दोलन के लिए भी तैयार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सभापति महोदय, सरकार इसके बारे में घोषणा करे कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर पानी की क्या व्यवस्था की जा रही है? यही मेरा निवेदन है, आप ने समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो महान समस्या सारे देश के अन्दर बनी हुई है....

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस पर जल्दी से जल्दी विचार करके मुझे जवाब दिया जायेगा, मंत्री महोदय।

श्री गोविन्द सहाय : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि टोडाभीम में बीस तारीख को गोली काण्ड हुआ उसकी जांच भी करवाई जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : दो मिनट के लिए अध्यक्ष महोदय ने,

श्री सभापति : नहीं....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय ने पहले व्यवस्था दी है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। वह व्यवस्था समाप्त हो गई।

माननीय श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिले में भयंकर अकाल की छाया होने की वजह से और डग विधान सभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति होने की वजह से मजदूरों और किसानों को भयंकर विषम स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

हूं कि मजदूरों को काम नहीं मिलने से वह पलायन कर रहे हैं। वहां पर अच्छे सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायें जिससे मजदूरों और किसानों को लाभ हो सके। वहां पर पीने के पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। भवानीमंडी कस्बे, गंधार, चौमेला में भी इसी प्रकार पीने के पानी की किल्लत हो रही है। गांवों में मजदूरों को काम नहीं मिलने की वजह से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो लिखा है वही पढ़ें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : हां, वही पढ़ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायें जिससे उनका भरण-पोषण हो सके। भीलवाड़ा जिले में तथा डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं। पशुधन को बचाने के लिए सरकार द्वारा डॉक्टरों की विशेष टोली भेज कर जांच करवाई जाकर उनको बचाया जाय, उनका उपचार किया जाना चाहिये। जिले के ग्रामों में दूर-दराज में अस्पताल नहीं होने से चिकित्सा अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है और मस्तिष्क ज्वर आदि कई प्रकार के रोग फैल रहे हैं जिससे नारू रोग आदि भी फैल रहे हैं। गरीबों का ध्यान रख कर वहां डॉक्टरों की विशेष टोलियां भेजकर गरीब जनता का उपचार होना चाहिए। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि अकाल राहत कार्य तुरन्त खोले जायं जिससे कि गरीबों को, किसानों को राहत मिल सके, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, सोजत रोड में सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में। सोजत विधान सभा क्षेत्र में सोजत रोड में सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का पद मारवाड़ जंक्शन के ग्राम में, जो विधान सभा क्षेत्र सोजत में आता है तथा सोजत विधान सभा क्षेत्र के सोजत रोड़ के आस-पास के ग्रामों में उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को देखते हुए तथा इन ग्रामीणों की समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए सहायक अभियन्ता कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का सृजन करने हेतु काफी समय से विचाराधीन मामला है। गांवों की संख्या 219 है, ट्रांसफार्मरों की संख्या 609 है व उपभोक्ताओं की 20618 की संख्या को देखते हुए उक्त स्थान सोजत रोड़ में तत्काल खोला जाना जनहित में आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बिजली की मांग को देखते हुए पूर्व में सोजत सिटी में कार्यरत एक मात्र सहायक अभियंता कार्यालय है क्योंकि सोजत सिटी लगभग 30 हजार आबादी का शहर है जहां पर कई प्रकार के छोटे-मोटे कल-कारखाने हैं। इसके अलावा लगभग 34 ग्राम पंचायतें सोजत पंचायत समिति में हैं तथा मारवाड़ जंक्शन में 44 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर भी एक सहायक अभियन्ता है जिससे दोनों विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण उपभोक्ता काफी परेशान हैं। विधान सभा क्षेत्र सोजत में मारवाड़ जंक्शन की 13 ग्राम पंचायतें क्रमशः कटारिया, सेवाज, दादिया, धुधुला,

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

भूसालिया, सरवाड़, मांडा, ब्योपारी, सेखावास, चिरपटिया, टुधेड़ इत्यादि हैं तथा सोजत सिटी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें सोजत रोड़, बगड़ी, नगर, भैंसाना, गुडा रामसिंह, हरिया माली तथा रायपुर विधान सभा की ग्राम पंचायतें केलबाद, बडा गुड, खोडिया जो सोजत तहसील में आते हैं इन सब को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के विचाराधीन जो प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पड़े हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस की तत्काल स्वीकृति की जावे।

श्री सभापति : माननीय श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसे गम्भीर मामले पर अपने विचार रख रहा हूं, आपकी मार्फत शिक्षा राज्य मंत्री से शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा के पिछड़ने से हो रहे असंतोष के क्रम में निवेदन करूंगा कि वह इसको गम्भीरता से सुनें और आश्वासन दें।

महोदय, राजस्थान में ग्रामीण शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। आजादी के बाद से अब तक भी शाला भवन पर्याप्त नहीं है तथा बालकों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त नहीं हैं तथा पूर्व में केवल प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों के अधीन थी जो शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रही थी परन्तु अध्यापक शिक्षा के बजाय लोकल राजनीति में अधिक संलग्न रहते हैं और प्राथमिक शिक्षा एक तरह से चौपट हो रही है। इसके साथ-साथ पूर्व सरकार ने उच्च प्राथमिक शालाओं को भी जिला परिषद के अधीन करके वहां शिक्षा को और चौपट कर दिया है। ग्रामीण शिक्षा में सुधार के बजाय आज उक्त शालाओं के शिक्षकों को राजनैतिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा है जिससे अध्यापक अपने स्थानान्तरण की सुरक्षा में लगा रहता है। इसके अलावा ग्रामीण शालाओं में आज भी बहुत अधिक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। अनुपात के आधार पर शिक्षक नियुक्त नहीं हैं जैसे उदाहरण के लिए नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में बालिका उच्च प्राथमिक शाला डाबला हसामपुर में केवल दो-दो अध्यापिकाएं हैं। मिडिल स्कूल है और दो-दो अध्यापिकाओं से पांच-पांच सौ बच्चों की शालायें चल रही हैं। इसके साथ ही ऐसी शालायें भी हैं जहां पर चार-चार सौ, पांच-पांच सौ बच्चे हैं और एक-एक अध्यापक है। इसके अलावा वहां की जो माध्यमिक शिक्षा शाला है नीमकाथाना की, उसका स्तर भी बहुत गिर गया है, वहां काफी समय से अध्यापक बैठे हुए हैं और केवल ट्यूशन के ही काम करते रहते हैं जिससे भी शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। अतः मैं शिक्षा राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय करें -

1. उच्च प्राथमिक शालाओं को पुनः जिला परिषद से हटाकर शिक्षा विभाग के ही अधीन की जावे।

2. ग्रामीण शालाओं में छात्रों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किये जावें तथा रिक्त पदों को तुरन्त भरने के उपाय किये जावें।

3. शाला प्रधानाध्यापकों के जहां भी

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

रिक्त पद हैं उनको अतिशीघ्र भरा जावे।

4. ग्रामीण शाला भवन व अध्यापक आवास भवन भी पूरे बनाये जावें।

5. शिक्षा नीति के आधार पर लम्बे समय से नियुक्त अध्यापकों के स्थानान्तरण करके शिक्षा नीति का सुचारू रूप से उपयोग किया जावे।

6. शालाओं के अध्यापकों को पूरी सुविधा दी जावे तथा उनकी समस्याओं का निदान किया जावे और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में जो अध्यापकों के रिक्त पद हैं उनको तुरन्त भरा जावे। जब कि आज शिक्षा का सत्र पूरा होता जा रहा है। आज भी शालाओं में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और दूसरी तरफ यह बात सही है कि जिला परिषदों ने जो इण्टरव्यू लिये थे उनमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ था इस लिए उस पर रोक लगा दी गयी है। परन्तु इससे ग्रामीण लोगों को बहुत बड़ी सजा मिल रही है और शिक्षा सत्र पूरा होने पर भी आज बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए सभापति महोदय, मैं शिक्षा राज्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि गांव वालों को ही यह सजा क्यों दी जा रही है। एक तरफ अध्यापकों पर रोक लगायी है तो जब शिक्षा सत्र पूरा हो रहा है। एक-एक, दो-दो अध्यापकों से पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह मामला बहुत गम्भीर है। आप आश्वासन दें कि....

श्री सभापति : आपने जो प्रश्न उठाया वह पढ़ दिया, कृपया विराजें।

श्री फूलचन्द गुर्जर : कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा आप ग्रामीणों को दे रहे हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है। यह बतायें कि रिक्त पदों पर कब नियुक्तियां की जायेंगी। शिक्षा मंत्रीजी यह बतायें अन्यथा गांवों की शालाओं की सारी शिक्षा चौपट हो रही है। अब यह मामला इतना गम्भीर है कि शिक्षा सत्र समाप्त होने में एक महीना बाकी है....

श्री सभापति : श्री रामकिशोर सैनी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : एक अध्यापक नियुक्त है तो शालाओं में पढ़ाई थोड़े ही होगी यह मामला बहुत गम्भीर है....

श्री सभापति : 295 में जो लिखा है केवल वही पढ़ सकते हैं। कृपया आप विराज जायें। आपके पास उत्तर आ जायेगा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : एक महीना तो उत्तर भेजने में लगा देंगे। शालाएं तो बंद हो जायेंगी। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : बिराजें माननीय सदस्य आपके पास उत्तर आ जायेगा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : गम्भीर मामला है शिक्षा मंत्रीजी क्या व्यवस्था करेंगे। अगर बच्चे थर्ड डिवीजन आयेंगे तो उनको एड-मिशन नहीं मिलेगा न नौकरी मिलेगी। गांव वालों को मारना चाहते हैं, वही कांग्रेस वालों की नीति पर चलना चाहते हैं....

श्री सभापति : आप कृपया नियमों की पालना कीजिए। माननीय सदस्य, 295 में जो लिखा है वह पढ़ दिया, बस।

श्री फूलचन्द गुर्जर : जवाब देने में एक महीना लग जायेगा और एक महीने का शिक्षा सत्र बाकी है। एक-एक अध्यापक से आठवीं तक की शाला चल रही है क्या यह न्याय है ? क्या गांवों के साथ आप करना चाहते हैं ? क्या चाहते हैं कि गांव वाले डूब जायें ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विराज जायें। श्री रामकिशोर सैनी।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, जयपुर जिले की पंचायत समिति बांदीकुई के ग्राम अरनियां जो पंचायत मुख्यालय है की आबादी 6000 है। गांव में यातायात का कोई साधन नहीं है। वहां से 3-4 किलोमीटर लम्बी सड़क बन जाये तो प्रतापपुरा के पास जो सड़क आ रही है उससे मिलान हो सकता है। गांव के रोज आने-जाने वाले व्यापारियों एवं नौकरी पेशा लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई वाहन नहीं आ पाता है। गांव के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि बिना पक्की सड़क के वह अपनी फसल को बड़े शहरों में नहीं ले जा पाते, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। कीमत कम प्राप्त होने की वजह से किसानों का शोषण होता है। सरकार पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की घोषणा भी कर चुकी है। यदि गांव में सड़क पहुंच जाये तो गांव का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी प्रकार बांदीकुई क्षेत्र में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां सड़क नहीं होने के कारण गांव का विकास रुका हुआ है।

मैं इस लोक महत्व के विषय को विशेष उल्लेख के जरिए उठा रहा हूं। गांव में पक्की सड़क के अभाव में वहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैंने प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर की कच्ची बस्तियों के विकास के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहती हूं।

जयपुर नगर की 243 कच्ची बस्तियों का मामला जैसा आपको विदित है 1971 से पूर्व का है। 1971 के सर्वेधारियों को भी अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, 1981 के सर्वेधारियों को भी पट्टे नहीं मिले हैं, 1985 के सर्वेधारी भी बैठे हैं, 1989 तक के लोगों को नियमन की बात कही गयी है पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मान्यवर, पहले तीन रुपये गज जमीन व 110 गज जमीन देने की बात कही गयी थी। जनता सरकार ने भी तीन रुपया गज जमीन व 110 गज जमीन देने की बात ही तय थी, परन्तु पिछली सरकार ने पांच रु. गज जमीन और कहीं चालीस व कहीं चवालीस गज की बात कही वह भी नाम मात्र को थी। मान्यवर, इतना ही नहीं आर्थिक आधार पर जमीन देने के निर्णय की बात 44 रु. गज से 150 रु. गज तक की बातें कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहीं। यह मामला उलझा दिया। होना तो यह चाहिए था कि कैम्प लगाकर वहीं पट्टे दिये जाते पर यह नहीं हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट ने मामला उलझाया है। अब सरकार को अर्थात् आपको यह मामला तय करना है। मान्यवर, उक्त क्षेत्रों में जिनका विस्तार शहर के अन्दर व

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बाहर है। पानी, बिजली, सड़क की भी व्यवस्था नहीं हो पायी है। गरीब लोग परेशान हैं। नगर परिषद् एवं जे. डी. ए. कर्मचारी उन्हें बराबर तंग किये हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कार्य को अविलम्ब सुलझायें। जिससे कच्ची बस्तियों को व्यवस्थित बसाया जा सके तथा ऐसा ही कुछ कूंचा उपाड़ मकानों के संबंध में भी आपको निर्णय करना है। नागरिकों में एतद्दर्थ भयंकर असंतोष हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं मैं इसका लाभ उठाना चाहूंगी, कच्ची बस्तियों के बारे में हमने 1971 से लेकर आन्दोलन किया था। मैं उसी सम्बन्ध में कहना चाहूंगी जो कांग्रेस ने कार्य नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस कार्य में हस्तक्षेप करके इसको निपटायें। मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त बस्तियों में आर्थिक आधार को समाप्त कर बस्तीवार कैम्प लगाकर तत्काल कच्ची बस्तियों को बसाया जाय व उन्हें आवश्यक सुविधा जुटाई जावे पट्टे दिये जायें जिससे वह ऋण लेकर मकान बना सकें। यह मेरा आपसे निवेदन है कि जयपुर की जो कच्ची बस्तियां हैं उनका मामला शीघ्र निपटायें यह एक अत्यन्त आवश्यक मसला है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि वह इस सम्बन्ध में अपना कोई निर्णय यदि लिया हो तो बतायें।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : छोटी सी बात बताना चाहूंगी। तीन रुपया गंज से बढ़ाकर ...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, 295 में जो लिखा है वह आपने पढ़ दिया। कृपया विराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, पंचायत राज एवं जिला परिषद् से शिक्षा को मुक्त कराने सम्बन्धी उल्लेख मैं करना चाहता हूं।

राजस्थान में पिछले वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक की शिक्षा शिक्षक संगठनों के भारी विरोध के बावजूद भी पंचायती राज को सौंप दी गयी। फिर भी शिक्षकों को जिला परिषदों में स्थानान्तरण नहीं करके डेपुटेशन पर रखा गया क्योंकि शिक्षक संगठन इसके विरुद्ध थे।

राजस्थान में पंचायत राज में प्राथमिक शिक्षा सौंपने का अनुभव बहुत खराब रहा है और इसी कारण समय-समय पर विरोध होता रहा है। इसलिए सदन का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित कर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् से मुक्त कर प्राथमिक शिक्षा का अलग से निदेशालय बना उसके सुपुर्द कर दिया जाये तभी राजस्थान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्तर ठीक हो सकेगा:–

पंचायत समिति एवं जिला परिषदों से शिक्षा की मुक्ति क्यों ?

पूर्व में पंचायत राज में प्राथमिक शिक्षा का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। आज तक किसी भी तरीके से इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जब प्राथमिक शिक्षा दी गयी थी 59 में तो यह विश्वास दिलाया गया था कि इसका कभी मूल्यांकन किया जायेगा लेकिन वह मूल्यांकन नहीं हुआ और आज तक का जो अवलोकन है उसके संदर्भ में जो जानकारी है वह अच्छी नहीं रही है।

पंच, सरपंच व अन्य राज नेताओं का शिक्षा के क्षेत्र में आतंक है। यह क्षेत्र शिक्षा को न तो चलाने में सफल हुआ है और न ही चलाने के लिए शिक्षा की कोई दृष्टि ही है।

स्थानीय नेताओं का शिक्षा एवं शिक्षक पर सीधा दखल है। प्रशासन पर राजनीति का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है। इस दृष्टि से शैक्षिक निर्देशन एवं शैक्षिक परिविक्षण का हमेशा ही अभाव रहा है।

प्रशासनिक कार्यों के लिए भी राजनेताओं पर निर्भरता रहती है।

आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकार पर आधारित होने से समय पर वेतन टी. ए. एवं अन्य भुगतान समय पर नहीं हो पाते हैं।

नियुक्तियों में भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है। शिक्षा विभाग में जो नियुक्ति का आधार है उसी के आधार के ऊपर वहां पर उनको लगाया जा सकता है लेकिन यहां जो प्रणाली लागू की गयी है उसमें भ्रष्टाचार ही हो सकता है उसका नियमन नहीं हो सकता।

अध्यापकों को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है।

पंचायत समिति के पास दूसरे अनेक विकासात्मक कार्य होने से शिक्षा के प्रति उपेक्षा रहती है क्योंकि पंचायत समिति का विशेष ध्यान ग्रामीण विकास की ओर ही है।

पंचायत समिति में शि. प्र. अ. के पास शिक्षा का कार्य गौण एवं दूसरे कार्य ही वे करते हैं।

शिक्षकों के स्थानान्तरण का कार्य स्थानीय लोगों से पूर्ण रूप से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचता है।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी अनेक कारण हैं जिससे शिक्षकों का व शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरा है। इस व्यवस्था से शहरी व ग्रामीण शिक्षा में एकता के स्थान पर अन्तर का प्रादुर्भाव हुआ है।

इन सभी परिस्थितियों में एवं व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में शिक्षक संघ ने समय समय पर सरकार को अवगत कराया है लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के कारण शिक्षा को भारी नुकसान हुआ है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सदन के नेता से यह निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये और पुनः पंचायत राज्य से शिक्षा को जिला परिषदों और पंचायत समितियों से मुक्त कर इसका अलग से प्राथमिक निदेशालय अलहदा कायम किया जाय ताकि राजस्थान में जो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

एलीमेंटरी एजुकेशन जो वर्षों तक पिछड़ी हुई है उस एलीमेंटरी एजुकेशन को प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं लालसोट क्षेत्र में किसानों को कृषि के विद्युत कनेक्शन देने में विभाग द्वारा जान-बूझ कर देरी करने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि पंचायत समिति, लालसोट क्षेत्र के किसानों को कृषि कनेक्शन देने में विभाग द्वारा लापरवाही के कारण यथा भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण सारी औपचारिकतायें पूरी करने पर भी एक-दो वर्ष तक कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं जिसके कारण किसानों को कृषि कार्यों में भारी क्षति हो रही है। पिछले दो वर्ष से करीब 350 किसानों के कृषि कनेक्शन के लिए डिमाण्ड राशि जमा है तथा "एल" फार्म लगाने के बाद भी एक-एक वर्ष से किसानों को कृषि के लिये विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट के सहायक अभियन्ता द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा बिना लेन-देन के किसी भी व्यक्ति को कनेक्शन देने में अपनी मजबूरी समझते हैं जिसके कारण पिछले वर्षों से सहायक अभियंता कार्यालय लालसोट में करीब 200 किसानों के विद्युत कनेक्शन आज तक भी बकाया हैं। भ्रष्टाचार का तरीका अपनाने के कारण जान बूझकर कनेक्शन देने में देरी की जाती है जिससे किसानों में भारी जन आक्रोश है। वर्षवार निर्धारित कृषि कनेक्शनों के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जाती है जिससे किसानों को भारी क्षति हो रही है। सरकार द्वारा एक पोल स्कीम के तहत कृषि के लिये विद्युत कनेक्शन की स्कीम होने के बाद भी किसी भी आवेदक का एस्टीमेट नहीं बनाया जाता है। जो इनको लेन देन कर देता है उसी आवेदक का एस्टीमेट बनाकर कनेक्शन की कार्यवाही की जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो विचाराधीन सभी आवेदकों के एस्टीमेट बना लिये जाते तथा उनमें से जितने भी आवेदकों के एक पोल में कनेक्शन होते उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि किसानों को कृषि के लिये विद्युत कनेक्शन देने में भ्रष्टाचार को खत्म किया जावे तथा सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट में जिन किसानों ने सारी औपचारिकतायें पूर्ण करके "एल फार्म" लगा दिये उन्हें शीघ्र निर्धारित समय में विद्युत कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही करें। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी थी कि आपके स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनिट बोलने की अनुमति दी जायेगी। क्या व्यवस्था है उसकी।

श्री सभापति : दिया जायेगा, उसके बाद आप वाक आउट कर गये थे।

(श्री सभापति)

आपका समय निकल गया। आपका नाम पुकारा था।

माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से नेता महोदय का ध्यान ऐसे कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनको जनता को मजबूर होकर करना पड़ता है। सभापति महोदय, जिला बूंदी की तहसील केशोरायपाटन से जयपुर आने के लिए यातायात की स्थिति असुविधापूर्ण व काफी समय लगने वाली है, जिससे इस क्षेत्र के ग्राम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला बूंदी की तहसील केशोरायपाटन के ग्राम गेन्डोली एवं मांडपुर के बीच वाली पहाड़ी में होकर रास्ता (सड़क मार्ग) बना दिया जाता है तो गेन्डोली क्षेत्र एवं दूर-दराज के निवासियों के लिए नैनवा होकर जयपुर आने जाने की दूरी काफी कम हो जावेगी। इतना ही नहीं अपितु उक्त पहाड़ी को काटकर सड़क मार्ग बनाने से केशोरायपाटन तहसील के गेन्डोली वाली जी का वरना क्षेत्र के करीबन 30 गांवों के लोगों को नैनवा होकर जयपुर पहुंचने में करीबन 15 कि. मी. की दूरी कम तय करनी पड़ेगी।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन व आवश्यक होगा कि उक्त पहाड़ी को काटकर सड़क मार्ग बनाने के उक्त कार्य को अभी ग्राम माण्डपुर तहसील नैनवा के बाबा बजरंगदास लाल लंगोट वाले ही अभी जनसहयोग से उक्त पहाड़ी को काटकर सड़क मार्ग बनाने का कार्य करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक तीन लाख रुपये से अधिक की राशि व्यय हो चुकी है। परन्तु चूंकि यह कार्य जनसहयोग से चलाया जा रहा है, परन्तु इसमें अन्य समस्याओं के साथ विशेष रूप से आर्थिक कठिनाइयां आने से कार्य द्रुत गति से नहीं हो पाता। अतः जनसहयोग से चलाये जा रहे इस कार्य को सरकार अपने हाथ में लेकर शीघ्र पूरा कराये, जिससे एक ओर इस अकालग्रस्त क्षेत्र के आदिवासियों, हरिजनों व गरीब परिवारों को रोजगार प्राप्त हो सके, तो दूसरी ओर सड़क मार्ग के पूरा होने पर ग्राम जनता को वांछित सुविधा उपलब्ध हो सके।

कृपया उक्त प्रस्ताव को ग्राह्य कर उक्त विषय पर मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें। मैं आशा करता हूं सरकार इस बारे में और कम से कम निर्माण एवं आवास मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी इस बारे में जरूर ध्यान देंगे और इसे करवाने में मदद करेंगे।

श्री सभापति : श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सपोटरा डांग क्षेत्र में डाकुओं की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सपोटरा डांग क्षेत्र में डाकुओं का आतंक इस कदर हो रहा है कि वहां की ग्रामीण एवं भोली भाली जनता का जीना दूभर हो रहा है। अभी हाल ही में 21 मार्च, 1990 को नले की ढाणी में डाकुओं द्वारा डाका डाला गया था। वहां से 5-6 घरों की औरतों का जेवर व गृहस्थी

(श्री प्रभुलाल पटेल)

का सारा सामान लूट कर ले गये तथा औरतों के साथ में बदतमीजी एवं अभद्र व्यवहार किया गया।

इससे पूर्व भी इस क्षेत्र में कई बार डाके पड़े हैं जिनमें कई लोगों को बेमौत मार दिया गया है। इसका सही हल नहीं निकलने के कारण ये घटनायें आये दिन बढ़ती जा रही हैं। चूंकि इस समस्या के कारण यहां की जनता में भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है यदि शीघ्र ही इस समस्या का उचित समाधान नहीं निकाला गया तो डाकुओं से आतंकित यह क्षेत्र खाली हो जायेगा और लोगों का जीना और रहना दूभर हो जायेगा।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यक कार्यवाही कर सपोटरा डांग क्षेत्र को डाकुओं से मुक्त करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश फरमायें। जिससे वहां की जनता शान्ति से रह सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति इटावा की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की स्वीकृति 1978-79 में हुई थी। योजनानुसार मार्च 1983 तक सभी ग्रामों का विद्युतिकरण हो जाना चाहिए था। उक्त योजना के तहत इटावा इन्द्रगढ़, ठीपरी तथा अयाना में पावर स्टेशनों का निर्माण कराया जाना था ताकि समूचे क्षेत्र में विद्युत का विस्तार हो सके। लेकिन अफसोस है कि अभी तक ठीपरी एवं अयाना के ग्यारह के.वी. पावर स्टेशन का निर्माण नहीं हो पाया है। ठीपरी के पावर स्टेशन का सामान आया पड़ा है लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार अयाना पावर स्टेशन पर कार्य प्रारंभ होने के लिए टेन्डर हो रहे हैं। आधा सामान भी आ गया है लेकिन पूरे सामान के अभाव में तथा कार्य प्रारम्भ करने के आदेश के अभाव में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। जिससे आस-पास के गांवों में बिजली पहुंचाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। साथ ही अयाना जो करीब 4-5 हजार की आबादी का कस्बा है, का विकास अवरुद्ध हो रहा है। अतः अयाना पावर स्टेशन का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय।

साथ ही इस वर्ष जिन गांवों का विद्युतिकरण होना था, वह विभागीय उदासीनता तथा सामानों के अभाव में काम रुका हुआ है तथा समय पर स्वीकृत गांवों का विद्युतिकरण नहीं हो रहा है। इन पर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ किया जावे।

अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ में कुओं से सिंचाई होती है किसानों ने कुओं पर कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिये। सात-सात, आठ-आठ वर्ष हो गये हैं लेकिन बार-बार निवेदन करने के बाद भी किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं तथा सैकड़ों प्रार्थना पत्र पैंडिंग पड़े हुए हैं। इस कार्य में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र सभी ओर नदियों से घिरा हुआ है। पन विद्युत गृह

(श्री हीरालाल आर्य)

निर्माण का क्षेत्र में समुचित उपयुक्त आधार है। अतः नोनेरा, बीरोदा, मीठोद आदि स्थानों पर सर्वे कराया जाय तथा पन-विद्युत योजना स्वीकृत की जाये। साथ ही इटावा पन लघु विद्युत गृह योजना स्वीकृत है। लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। अतः उक्त योजना पर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ किया जाये। मांगरोल पन विद्युत गृह के प्रारम्भ किये,जाने में अनावश्यक किये जा रहे विलम्ब को भी दूर कर उक्त योजना को शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

अतः मैं पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत विद्युत कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ करने तथा नई पन विद्युत योजनाओं का सर्वे करा कर स्वीकृत करने हेतु विद्युत की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र का विकास करने हेतु विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिये गौरवान्वित हूं कि मंत्री महोदय सदन में विराजमान हैं। सभापति जी, निवेदन है कि मेरी जानकारी में राजस्थान राज्य में सड़कों के डामरीकरण में विधान सभा क्षेत्र रायपुर सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इसका मूल कारण पूर्व के कांग्रेसी विधायक ने इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं पिछले पांच वर्षों से इस क्षेत्र का विधायक रहा हूं तथा विधान सभा के प्रत्येक सत्र में मेरे क्षेत्र के डामरीकरण बाबत पूर्व सरकार से लगातार सदन में किसी न किसी माध्यम से प्रश्न उठाता रहा लेकिन पूर्व सरकार ने तीन किलोमीटर आसन जिलेलाव से कलालिया तक व 6 कि.मी. दोनरडी से पिपलिया कला से करयावास तक सड़क निर्माण पूर्व योजनागत मदों से करवाया लेकिन अति महत्वपूर्ण सड़क मार्गों की तरफ पूर्व सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

पूर्व सरकार द्वारा मेरे प्रस्तावों पर लगातार उपेक्षा करने से दुःखी होकर उक्त विधान सभा क्षेत्र के लगभग 20 सरपंच गत वर्ष विधान सभा के सामने पांच दिन तक धरने पर बैठे लेकिन विधान सभा अचानक स्थगित होने से कोई परिणाम नहीं निकले।

सड़कों का विकास नहीं होने से यातायात में भारी असुविधा हो रही है। मंडियों तक माल पहुंचाने में असुविधा हो रही है। ग्रामीण लोग अपनी साइकिलें बैलगाड़ियां इत्यादि हल्के-हल्के वाहन भी ठीक तरह से नहीं चला पाते हैं। कुछ सड़कें इतनी महत्वपूर्ण हैं जो 40 से 60 कि.मी. तक के सड़क मार्गों की दूरी कम करती हैं तथा कुछ सड़कें राजनैतिक पक्षपात से मेरे क्षेत्र में आते ही रोक दी गई हैं और उनके क्षेत्र में डामरीकरण करवा दिया गया है जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को पूर्व सरकार के निर्णय एवं नीतियों पर घोर आपत्ति हो रही है।

मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सड़क मार्गों का डामरीकरण इस वर्ष ही सब पूरा करा दिया जावे लेकिन निम्नलिखित महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के डामरीकरण की इस बजट वर्ष में सरकार से अपेक्षा करता हूं।

1. हरीपुर से जस्सा खेड़ा 24 कि मी.

(श्री हीरासिंह चौहान)

में से कालबकला पंचायत मुख्यालय तक 9 कि.मी.।

2. झाला की चौकी से ग्राम पंचायत मुख्यालय कानूजा 9 कि.मी.

3. किमा बेरी से कलालिया ग्राम पंचायत मुख्यालय 3 कि.मी.

4. बर से ग्राम पंचायत मुख्यालय गिरी 12 कि.मी.

5. निमाज सरहद जो जैतारण विधान सभा क्षेत्र में बनी हुई है उसके आगे कुशालपुरा तक 4 कि.मी. जो कुशालपुरा गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र का रायपुरा के अलावा सबसे बड़ा 12 हजार की आबादी का है। उस गांव को आज दिन तक इस सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है।

6. चण्डावल नगर में बीजागुडा 9 कि.मी.

7. जस्सा खेड़ा से ग्राम पंचायत मुख्यालय कोट किराणा 4 कि.मी.

उपरोक्त वर्णित सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से बहुतायत सड़क मैटल की बना रखी हैं लेकिन इनकी इतनी खराब हालत है कि वाहनों के चलने में भारी कठिनाई हो रही है।

इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस सड़क के दोनों किनारे पिछले अकाल वर्षों में भारी मात्रा में कंकरीट भी उपलब्ध है। इसलिए इसी बजट वर्ष में इन सड़कों को लेकर के डामरीकरण कराने की व्यवस्था की जाये।

मेरा माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि, वह सदन में मौजूद हैं और ऐसी व्यवस्था भी की गई है इस प्रकार से ज्वलंत जन समस्याओं के जहां सवाल उठते हों उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था यहां दी जाये। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है और रायपुर विधान सभा क्षेत्र अगर कम्पेरेटिव इसकी तुलना कर दी जावे तो राजस्थान में एक सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर सड़कों का विकास कम हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर मुझे सन्तुष्ट करने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रेम सिंह दहिया।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान चूरू नगर परिषद की बिगड़ी अर्थव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। चूरू जिला मुख्यालय में नगर परिषद जिसमें 30 वार्ड हैं जिनकी माली हालत इतनी खस्ता है कि हर माह कर्मचारियों को वेतन चुकाना भी असम्भव हो रहा है। शहर के विकास के कार्य और सफाई व्यवस्था पूर्णतया ठप्प हो गई है। कर्मचारियों को देय सुविधा पी.एफ. ग्रेच्युटी के लिए जमा राशि का उपयोग भी नगर परिषद वेतन भुगतान में लगातार कर रही है। पूरे शहर में गन्दे पानी के निकास की कोई योजना नहीं है। पूरे शहर में गन्दा पानी शहर के वार्ड नं. 1, 2, 6, 7, 9, 17 एवं वार्ड नं 20 व

(श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़)

24 जो कि शहर के नीचे के वार्ड हैं में लगातार जमा होता रहता है तथा अब स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि गन्दे पानी ने आवागमन के सारे रास्ते अवरुद्ध कर रिहायशी मकानों में घुसना शुरू कर दिया है। शहर में गन्दे पानी के निकासी की योजना एक बार जनता पार्टी के शासन के दौरान बनी थी परन्तु बाद में कांग्रेस सरकार ने निरस्त कर दी तथा अब नगर परिषद अपनी माली हालत के कमजोर होने की बात कह कर अपने दायित्व से मुक्त होना चाहती है।

पूरे शहर में जिला मुख्यालय होते हुए भी करीब 16 वार्डों में आज तक आवागमन हेतु सड़क नहीं जुड़े हैं। इन वार्डों में न सड़कें हैं तथा गन्दे पानी के निकास हेतु नालियां नहीं हैं। शहर के हरिजन वार्डों की हालत अत्यन्त दयनीय है। इन वार्डों में चारों ओर गन्दगी है। न तो सफाई व्यवस्था है, न सड़क हैं, न नालियां हैं।

विधान सभा चुनाव के दौरान राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शहर में कुछ सड़कें बनाने का कार्य शुरू किया था। कार्य शुरू करके चुनाव के तुरन्त बाद इसको बीच में ही रोक दिया गया तथा कागजों में इस कार्य को पूर्ण मानकर इस कार्य का भुगतान किया जा रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया चुनाव के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये कार्यों की जांच करवाकर कि वास्तव में जिन कार्यों को कागजों में पूरा होना बताया गया है वह कार्य हुये हैं या नहीं इसके बाद ही राशि का भुगतान किया जावे। मैं आपके माध्यम से स्वायत शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शहर में तुरन्त गन्दे पानी की निकासी की योजना बनाकर राज्य सरकार परिषद की खस्ता माली हालत देखते हुये विशेष अनुदान देवें व साथ ही जनहित में सार्वजनिक निर्माण विभाग भी जिला मुख्यालय होने के नाते सभी वार्डों को सड़क से जोड़ने हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत कर सड़कों का निर्माण करवाया जाये।

मैं स्वायत्त शासन मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु आकर्षित करता हूं तथा इसके निराकरण के लिये आप उचित निदान करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने चूरू नगर की समस्या रखी है। यह बात सही है कि चूरू ही नहीं राजस्थान की अधिकांश नगरपालिकाएं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जहां वेतन चुकाना भी कठिन हो रहा है। जहां तक चूरू का सवाल है या तो मुझे जानकारी दें कि वहां से कोई ऐसे प्रस्ताव नगरपालिका ने यहां भेजे हैं क्या जिससे समस्या का समाधान हो, अगर नहीं भेजे हैं तो मैं यह चाहूंगा नगरपालिका से भी कुछ ऐसे ही प्रस्ताव आ जाये। वैसे इस बार तो कोई पैसा अनुदान के लिये राज्य सरकार के पास बचा नहीं था लेकिन 31 मार्च को यह वर्ष

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पूरा हो रहा है, अगले सत्र में नये बजट में मैं कितनी मदद कर सकता हूं यह देखूंगा और इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर एक ऐसी समस्या पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हमारी राजधानी के चारों तरफ व्याप्त है, जहां सहकारी गृह निर्माण समितियों का एक माफिया गिरोह पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है। इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें राजनेता, उच्च अधिकारी और इसके साथ, मुझे सूचना मिली है कि, जो हमारे न्यायालय हैं उनके जज तक लिप्त हैं। कौड़ी के मोल प्लाट्स लेने के लालच में ये सारे लोग इसमें लिप्त हैं। ऐसी ही एक विशेष घटना का उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहूंगा।

जयपुर शहर के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से अवैध निर्माण करने के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। किसानों की भूमि लेकर प्लाटों की बिक्री में करोड़ों रुपये की लूट की गयी है। आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर ने अजमेर रोड हीरापुरा गांव, जहां टैगोर नगर बसा हुआ है, में लाधूराम नाम के गरीब किसान की भूमि का सौदा किया। वह सौदा सिर्फ 3 बीघा का किया गया और पेमेण्ट न होने की वजह से वह इकरारनामा भी अदालत से निरस्त हो गया। गृह निर्माण समिति ने एक फर्जी विक्रय पत्र बनाया और उस गरीब काश्तकार की भूमि के प्लाट काट कर बेचने शुरू कर दिये। सोसाइटी ने न केवल जिसका इकरारनामा था वे प्लाट्स, बल्कि दूसरे खसरा नं. 179, 180, 181, 185 के प्लाट्स भी बेचने शुरू कर दिये, जिनका कोई इकरारनामा कभी बना ही नहीं था। इकरारनामा था केवल 186-196 खसरा नम्बरों का। इसमें फूलसिंह यादव, निदेशक, पुलिस अकादमी, जयपुर ने खसरा नं. 179 और 180 की भूमि पर अपना कब्जा कर लिया। प्रार्थी ने अदालत में उसके खिलाफ स्टे भी ले लिया परन्तु उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की और मनमाने ढंग से 800 मीटर जगह पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 100-150 पुलिस के जवानों की मदद से, क्योंकि पुलिस अकादमी के वे डाइरेक्टर हैं, अवैध निर्माण करवाना शुरू कर दिया। डाइरेक्टर यादव व अनिल कुमार गोठवाल, एस.एच.ओ., सोडाला चौकी, ने जबर्दस्ती प्लाटों में निर्माण शुरू कर दिया। किसानों पर दबाव डाला गया कि वह सोसाइटी के अध्यक्ष हनुमान शर्मा से राजीनामा कर भूमि का बेचान कर दे। उच्च पदों पर आसीन अधिकारी गुण्डागर्दी करेंगे, फर्जी धन्धे व अवैध कब्जे में अगर लिप्त होंगे व पुलिस के पदों का दुरुपयोग करके फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, तो प्रदेश में अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा? इसमें मेरा निवेदन है कि इस निर्माण कार्य को फौरन रोका जाय और जिस पुलिस अधिकारी ने यह किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय, उसको सजा दिलवायी जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय सभापति

(श्री भंवरलाल शर्मा)

महोदय, माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है उससे मैं यह समझा हूं कि किसी व्यक्ति का मामला है, व्यक्ति और सोसाइटी के बीच का मामला है। मामला अदालत में भी गया है, उसके बावजूद शायद कोई रिलीफ मिली नहीं। मेरे विभाग से सम्बन्धित क्या चीज आप मुझ से चाहेंगे, यह आप मुझे बताइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो अदालत में मामला नहीं है 20 बीघा जमीन का, उस पर पुलिस डाइरेक्टर ने जबर्दस्ती कब्जा करके उन प्लाट्स पर कब्जा कर लिया। सोसाइटी ने उसको फर्जी बेच दिया....

श्री भंवरलाल शर्मा : इसीलिए, माननीय सदस्य, मैं निवेदन करता हूं कि सोसाइटी और व्यक्ति के बीच का मामला है। फिर भी हमारे विभाग से सम्बन्धित कोई बात हो तो आप बताइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके विभाग से नहीं, मैं समझता हूं, सारी राज्य सरकार से है कि इस तरह पुलिस डाइरेक्टर कोई सोसाइटी से मिलकर, जो वहां फर्जी प्लाट बेच रही है, उसको लेकर अपनी ताकत से कब्जा करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसकी पूरी जानकारी दें, कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सभापति महोदय, 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए जो पत्र मैंने प्रस्तुत कियेहैं वह तिजारा में श्रीराम ग्रुप ने अपनी फैक्ट्री लगायी उस सम्बन्ध में है। उसके पहले नोटिस दिये गये, जनता की तरफ से और जन प्रतिनिधियों की तरफ से, किन्तु उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो आपने लिखकर दिया है उसे पढ़िये, कृपया।

श्री सम्पत सिंह : वह तीनों ही कापी मैंने इनको दे दीं, मेरे पास है नहीं।

श्री सभापति : है नहीं तो बोलेंगे कैसे?

श्री सम्पत सिंह : मैं बोल रहा हूं, संक्षेप में ही बोल दूंगा। मौखिक रूप से ही अर्ज कर दूंगा।

सभापति महोदय, तिजारा स्थित श्रीराम फाइबर्स वर्ष 1988 में देश के नामी उद्योग घराना श्रीराम ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। राजस्थान प्रदूषण निवारण मण्डल ने 1985 में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। अचरज इस बात का है कि विशेषज्ञ राय एवं कानूनी जिम्मेवारी होते हुए भी प्रमाण पत्र जारी करने के पहले मण्डल ने जानने तक की जरूरत क्यों नहीं समझी कि इससे होने वाले प्रदूषण का सामान्य जनजीवन पर कितना बुरा असर पड़ेगा, पशुओं एवं फसल पर क्या प्रभाव होगा। मेरी जिज्ञासा है कि मण्डल से साधारण नियमों का भी पालन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया तथा इसका सीधा उत्तरदायित्व किस पर है? अभी पिछले दिनों इस फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे कई पशुओं के मरने की सूचना भी प्रशासन को मिली। यहां तक कि कुछ नागरिकों की मृत्यु का कारण भी यही थी पर

(श्री सम्पत सिंह)

प्रशासन ने इसको अंकित नहीं किया। जिला कलक्टर रतनसिंह सिंघी ने 20 सितम्बर, 1989 को पत्रांक 7083 लिख प्रदूषण निवारण मण्डल के सदस्य सचिव एस. के. सक्सेना को प्रदूषण की भयावह स्थिति से अवगत कराया। पत्र में कहा गया कि स्थिति की जांच विशेषज्ञ जांच से ही सम्भव है। जिला उद्योग ...

सभापति महोदय, यह इबारत पढ़ने में दिक्कत आती है। वैसे ही बोल दूं, साहब ? अटक-अटक कर पढ़ना पड़ता है।

....जिला उद्योग परामर्शदात्री समिति ने बैठक में आदेश दिया कि प्रदूषण निवारण मण्डल के अधिशासी अभियन्ता तथा कृषि विभाग के अधिकारी गैस की रासायनिक जांच कर पता लगायें कि फसलों इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज दिन तक अधिकारियों ने यह रिपोर्ट उन्हें नहीं दी जिसके सबब कलक्टर को अर्ध शासकीय पत्र तक लिखना पड़ा तथा स्वयं ने माना कि इस सब के चलते क्षेत्र में कानून और व्यवस्था तक की स्थिति बिगड़ सकती है।

स्मरण रहे, पहले भी क्षेत्र में इस गम्भीर समस्या को लेकर जन आन्दोलन तक हुए हैं। लगता है प्रदूषण मण्डल और तत्कालीन सरकार दोनों में बड़े उद्योगपति श्रीराम ग्रुप के प्रति विशेष मोह है, जिससे सामान्य जांच और नियमों की पालना तक की जरूरत महसूस नहीं की गयी। यह दुर्घटना भोपाल गैस काण्ड का स्मरण करा रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति पैदा करती है।

अतः वर्तमान सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र स्थिति की गम्भीरता को देख जांच करे, क्योंकि शीघ्र ही फैक्ट्री परिसर में इस से भी खतरनाक 40 करोड़ का दूसरा प्लांट लगने जा रहा है। यद्यपि करीब-करीब प्रत्येक जिले में इस तरह की समस्या है परन्तु फिर भी प्रदूषण मण्डल इस बाबत रत्ती भर भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। भरतपुर के अधिकारियों को पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक बैठक में मैंने देखा है, उससे मेरी यह निजी जानकारी है। अतः समय रहते कानून की कठोर पालना कराई जाय और वर्तमान सरकार यह आश्वासित करे कि तथ्यों की जांच तक फैक्ट्री उत्पादन बन्द रहे।

सभापति महोदय, आज ही समाचार पत्रों में दूसरी एक फैक्ट्री उदयपुर में पेस्टिसाइड के बाबत समाचार छपे हैं। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण निवारण मण्डल को लिखा है. केन्द्र के मंत्रालय ने राजस्थान के प्रदूषण निवारण मण्डल को लिखा है, कि इसके बाबत क्यों जन साधारण चिन्तित है ? इतना भी हमारा राजनीतिक, आर्थिक विजन नहीं है कि कहीं खेती के लिए जमीन रह भी जायेगी कि नहीं, या सारी जमीन पर उद्योग लगा देंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह : एक ही पंक्ति में समाप्त कर रहा हूं।

उदयपुर में भी आन्दोलन चला। तीन-तीन हजार बीघा जमीन पर यह फैक्ट्री लग रही हैं जिनको अनापत्तिपत्र न देना चाहिये वह दिये जा रहे हैं। यानी जो कानूनी संस्थायें हैं वही कानून तोड़ें। मैं सरकार से

(श्री सम्पत सिंह)

अनुरोध करता हूं कि इतनी संवेदनशील सरकार दूसरी बार राजस्थान में आयी है वह तुरन्त मौके पर जांच करवाये। राजस्थान का प्रदूषण मण्डल क्या काम कर रहा है। अगर उनको सामान्य जानकारी भी कानून, नियमों की नहीं है तो इसकी भी जांच करवायें मेहरबानी करके कि उनको नौकरी लगते वक्त कोई साक्षात्कार, कोई इम्तिहान हुआ था या नहीं। बिल्कुल ढोर-गंवार की तरह से वह सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट इश्यू किये जा रहे हैं। इसलिये इसी वक्त आश्वासन चाहता हूं, सभापति महोदय, जहां राजस्थान में जन-जीवन का खतरा हो, जहां पशुओं का खतरा हो, जहां फसल का खतरा हो, जहां एक तरफ तो हम अकाल के लिए रोते हैं केन्द्र में, और यहां हम ही अपनी फसल को उड़ायें, तो उसके लिए मन्त्रीजी मुझे जवाब देने की कृपा करें।

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में परसों ही इसी सदन ने संकल्प पारित किया है जिसमें जो केन्द्रीय कानून हैं उसको राजस्थान में लागू करने का, पर्यावरण के सम्बन्ध में, प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में, कड़ी कार्यवाही की जा सके, उस तरह के प्रावधान राजस्थान में लागू हों। यह संकल्प परसों ही सदन में पारित हो चुका है।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो बातें आपने कही हैं उन सबकी डिटेल्ड जानकारी करवा कर कड़ाई से प्रदूषण मण्डल काम करेगा पर्यावरण के सम्बन्ध में।

श्री सभापति : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान की ज्वलन्त समस्या की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मान्यवर, पश्चिमी राजस्थान में अफीम सेवन एक आम बात हुआ करती थी। होली, दीपावली, अक्षय-तृतीया इत्यादि त्यौहारों तथा विवाह शादी, मृत्यु के पश्चात् की बैठकों एवं आपसी रंजिश को समाप्त कर राजीपा (समझौता) कराने के समय भी अफीम सेवन का आम रिवाज था। इसका वर्तन बीमारी तथा युद्ध में भी किया जाता रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भी इस क्षेत्र में अनेक बूढ़े लोग इसके आदी हो गये हैं। बगैर अफीम लिये वे निर्जीव से लगते हैं। अफीम खाने के पश्चात् चुस्त दिखाई पड़ते हैं तथा अपने कार्य में सक्रिय भी रहते हैं। रियासती समय एवं स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक वर्षों तक अफीम परमिट के जरिए निर्धारित दाम पर तहसील मुख्यालयों पर मिलती रही है।

गत वर्षों में कठोर कानून बन जाने के पश्चात् एवं परमिट के अभाव में अफीम सेवियों की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक हो रही है। अफीम मुक्ति के शिविर भी लगते हैं लेकिन बहुत कम सफलता मिलती है। एक बार छोड़ चुके व्यक्तियों में से अनेकों ने इसे वापस अपना लिया है। आज खराब व घटिया अफीम चोरी छुपे धड़ल्ले से बिक रही है। महंगी और खराब अफीम खाने से लोग बेमौत मर रहे हैं, लुकते-छिपते फिरते हैं। जरा सी आपसी दुश्मनी या रंजिश के कारण अफीम डलवाकर अथवा पकड़वाकर

(श्री चम्पालाल बांठिया)

लोगों को दण्डित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम चर्चा है कि शराब के पागल नरों को तो छूट है, जिससे झगड़े-फिसाद, गाली-गलोच होना आम बात है जबकि अफीमची किसी से गाली-गलोच नहीं करता, झगड़ा-टंटा नहीं करता उसके लिये इतनी कठोर सजा क्यों दी जा रही है।

निस्संदेह अफीम का सेवन बुरा है और यह बुराई रुकनी चाहिये। लेकिन इस प्रकार से सख्ती से यह संभव नहीं है। नये अफीमची नहीं बने, युवा एवं बच्चों में सेवन की पाबन्दी लगाकर कठोरता से पालन कराने की आवश्यकता है, वहीं बूढ़े एवं अफीम के व्यसनी लोगों के परमिट बनाकर डाक्टरों द्वारा प्रमाणित होने के पश्चात् उतनी मात्रा में अफीम निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जावे।

इस प्रकार की व्यवस्था महाराष्ट्र एवं और भी प्रदेशों में आज भी है।

अत: मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस बीमारी को रोकने का प्रभावी उपाय यही हो सकता है कि बूढ़ों एवं नियमित व्यवसनियों को परमिट के द्वारा निर्धारित मात्रा में अफीम दिलाने की व्यवस्था की जावे। अफीम मुक्ति के कैम्पों को आर्थिक सहायता देकर आयोजित किया जावे। नये अफीमचियों की संख्या को सख्त कानून बनाकर रोका जावे, जिससे इस अवैध व्यापार एवं ठगी पर रोक लग सके तथा पुराने आदि अफीमचियों की हालत को भी सुधारा जा सके।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या है। रोज केसेज बनते हैं और धड़ल्ले के साथ यह चलती है। चुनाव के समय में, पंचायत चुनाव के अन्दर इसका भयंकर रूप से प्रयोग होता है, उसके तो हम विरोधी हैं। लेकिन जिन लोगों को आदत पड़ गयी है, उनको बगैर मौत आखिर मार देना चाहते हैं क्या? यह बहुत गम्भीर समस्या है, मैं चाहूंगा राज्य सरकार इसके बारे में कोई न कोई निर्णय करे और जो लोग आदि हैं उनके लिये परमिट की व्यवस्था करे। पहले भी परमिट था और आज भी महाराष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था है। पश्चिमी राजस्थान से जो लोग आये हैं उनके सामने यह ज्वलंत समस्या है। जहां कहीं भी जाते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें।

व्यवस्था का प्रश्न

सीकर में जनाना अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य लगभग पिछले एक महीने से अन्न त्याग कर चुके हैं और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक सीकर में जनाना अस्पताल का शिलान्यास नहीं होगा तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उनके स्वास्थ्य में भारी गिरावट आयी है, 7 किलो वजन उनका कम हो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गया है और सदन में लगातार बिना अन्न ग्रहण किये पिछली कई बैठकों में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में तत्काल या तो कोई व्यवस्था करें या उनसे स्वयं से बात-चीत करके सदन को आश्वस्त करें ताकि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य की जीवन-रक्षा हो सके और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर राज्य सरकार अविलम्ब निर्णय करे।

श्री चम्पालाल बांठिया : मेरी बात का भी जवाब सरकार की ओर से दिलवायें कुछ न कुछ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मानवीय दृष्टिकोण से, माननीय सभापति महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जब इस प्रकार की प्रतिज्ञा एक माननीय सदस्य ने कर ली, आज सत्र का अन्तिम दिन है, दूसरा सत्र जून के आखिरी हफ्ते में आप बुलायेंगे मेरे ख्याल से। जब कोई भी व्यक्ति भूख-हड़ताल करता है, तब भी आप बात करते हैं और इस सदन के एक माननीय सदस्य ने जब इस प्रकार की प्रतिज्ञा करली तो यह चिन्ता हम सब लोगों को होना स्वाभाविक ही है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी वार्ता कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम भी है या नहीं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : मुझे मालूम भी नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : दो बातें आयी हैं। सदन में आ रहे हैं और भूख हड़ताल पर भी हैं। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि सदन में भी आते हैं और भूख-हड़ताल पर भी हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप भी ऐसा ही करते थे।

श्री हीरासिंह चौहान : हमने कभी ऐसा नहीं किया। धरना देना और भूख-हड़ताल तो बाहर होती है। सदन में भी आ रहे हैं और भूख-हड़ताल पर भी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताता हूं कि यह भूख-हड़ताल नहीं है। माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी को सूचना मिल गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात को गम्भीरता से लें और उसका निदान करे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी को सूचना मिल गयी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्रीजी इसको गम्भीरता से लें और कुछ उनका निदान करें। (व्यवधान) खास बात नहीं है ?

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से पूछिये तो सही, कितने दिनों से माननीय सदस्य अन्न छोड़ चुके हैं उनके बारे में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री जी को सूचना नहीं थी अब यह सूचना हो गयी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सूचना हो गयी तो इसको क्लीयर करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक सूचना मुझे अभी दी है। अब मैं यह तो देखूंगा कि कब हुआ, कैसे हुआ, किसको नोटिस दिया, किससे चर्चा हुई, कौनसा सन्दर्भ था, कौनसा सन्दर्भ नहीं था। कोई जल्दी में कुछ कहना सम्भव नहीं है। आपने सूचना दी है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनसे वार्ता आप कब करेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कर लूंगा मैं अपने आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप आज ही उनसे वार्ता करें और वार्ता कर उनकी समस्या का समाधान करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप डिक्टेट करेंगे मुझे ? आपने मुझे सूचना दे दी। मैं करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य के यह विशेषाधिकारों में आता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप कर दो ना विशेषाधिकार में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिक्टेट करने वाली कोई बात नहीं है। एक पार्टी के सदस्य ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसमें इन्टरवीन करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ध्यान में आ गयी, मैं भी मानवीय दृष्टि से विचार कर सकता हूं। पर कल्ला साहब तो....

श्री सभापति : विराजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय कल्ला साहब चुनाव में इतने लगे रहे कि रूकटा के लिए 6 बसेज कैसे पहुंच जायें। चुनाव में कौन जीत जायेगा इन सब में व्यस्त रहे। आज समय दे पाये बड़ी मुश्किल से, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं....
(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप दोनों ही व्यस्त थे उस कार्यक्रम में।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय से भी समय लेने का प्रयत्न किया था, उन्होंने कहा ठीक है।

श्री सभापति : क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 295 का है।

श्री सभापति : इसमें तो आपका नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस सूची में नहीं, वह तो नीचे टेबिल पर है। इसमें राज्य सरकार ने जो सहकारी संस्थाओं का विषय है, उसमें बहुत ज्यादा चिंतित आप भी हैं, राज्य में सहकारी संस्थाओं जैसे

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, मार्केटिंग, ग्राम सहकारी समितियां, उप-भोक्ता संघ, दुग्ध उत्पादन समितियां, डेयरी फेडरेशन....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज की सूची में आपका नाम नहीं है। आपने 295 का प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : है, 295 का प्रस्ताव है, क्योंकि आज 20 से ज्यादा प्रस्ताव हो गये, इसलिए माननीय अध्यक्षजी ने कहा कि नहीं लिया है। अब मैं दो मिनिट (व्यवधान)

श्री सभापति : इस सप्ताह में आपके दो संकल्प आ गये, इसलिए आज आपका संकल्प नहीं लिया। कृपया आप बिराजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यही निवेदन करता हूं कि यह सारी संस्थाएं लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर रही हैं, भारी घपले हैं, चुनाव कराया जाना आवश्यक है, मंत्री महोदय यहां पर बिराजमान हैं। मैं यह चाहूंगा कि सहकारी समितियों का जो उद्देश्य है कि लोगों को ऋण दें, गिरे हुये लोगों को उठायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाइये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मंत्री महोदय यहां पर बिराजमान हैं, मैं यह चाहता हूं कि इनका टाइम भी समाप्त हो गया और आप यदि लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, सारी संस्थाएं बेकार पड़ी हुई हैं, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया बिराज जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मंत्री महोदय आज घोषणा करने वाले हैं, माननीय मंत्री महोदय आज यह घोषणा कर दें कि शीघ्र चुनाव कराये जायेंगे। आप इसके बहुत एक्सपर्ट हैं और इस बारे में बहुत चिंतित भी हैं मैं जानता हूं कि किस प्रकार की स्थिति सहकारी संस्थाओं की हो गई है।

श्री सभापति : कृपया बिराज जाइये। माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्व (ग्रुप-4) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प.6(23)राज/4/79/14 दिनांक 2 सितम्बर, 1989 एवं

(2) अधिसूचना संख्या एफ 5(3)रेव/ग्रुप-4/86/20 दिनांक 5 अक्टूबर, 1989

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, आप इजाजत तो दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जाइये।

113

विधायी कार्य

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्या 5) विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : डॉ. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो यहां पर संशोधन लाये हैं, यह संशोधन अधूरा है। इसलिए मैंने इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया है। यह संशोधन इस प्रकार अधूरा है कि यदि टैक्स नहीं लिया जाय तो उस पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए। धारा 5 (सी) व धारा 5 (सी-सी) में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, लाना चाहिए था। अब एक मुद्दा तो यह आता है। आप इसे देखें सभापति महोदय, 1960 से इस कानून को बदलना है। अपने नियमों के आधार पर 8 वर्ष से पूर्व का असेसमेंट नहीं हो सकता और यह नियम जो आप रिट्रोस्पेक्टिव तिथि से ला रहे हैं, 30 साल के बजाय 32 साल के बारे में, मैं समझती हूं, यह कदापि उचित नहीं रहेगा। जुर्माने के कानून में संशोधन करना चाहिए था, वह तो किया नहीं है। मैं समझती हू आप शायद जल्दी में ला रहे हैं, शायद पूरा देखा नहीं है, जुर्माना खत्म होना चाहिए, क्योंकि टैक्स ले भी नहीं रहे हैं। मान्यवर, 5 (सी) और 5 (सी-सी) को भी विलोपित किया जाना चाहिए था। जो केसेज टाइम बार्ड हो गये, इस संशोधन से वह फिर खुलेंगे और फिर खुलने से पिछली डेट से अपराध कोई पिछली डेट से माना जाता है क्या? यह मेरी समझ में नहीं आया। 1992 तक का आप समय दे रहे हैं, 31 मार्च 1992 और यह छूट दे रहे हैं, उचित नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि रिअसेसमेंट की अवधि जो आप बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको रिफण्ड देने के बारे में अवधि बढ़ानी चाहिए। जिन को देना है उनकी तो आप अवधि नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन इन सारे केसेज को रिओपन करने के लिए अवधि बढ़ा रहे हैं। वैसे ही इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। आप इसका अध्ययन करें, आप अभी नये आये हैं। देखा जाये तो जितना टैक्स वसूल होना चाहिए, उतना नहीं मिलता है और काफी सारा लीकेज हो जाता है। हमने चुनाव के पूर्व में कुछ बातें की थीं, उन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए था। इस विभाग को या तो समाप्त कर दें या इसके भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई बात करें। आप जो यह संशोधन लाये हैं वह यह नहीं बताता कि इससे भ्रष्टाचार मिटेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं, चालू ही करना चाहते हैं, तो मेरे आपसे कुछ सुझाव हैं। अगर इस पर बात करें तो मैं जनमत जानने की बात नहीं कहूंगी। निवेदन यह है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बैठायें कि व्यापारी का सम्पर्क क्लर्क से नहीं हो। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो कर्मचारी हैं वह किताबें देखकर, फैसला लिख लाता है, अधिकारी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अधिकारी किताब देखे और फैसला लिखे तो बात मानी जा सकती

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है, लेकिन वह नहीं हो रहा है। आप यह करें कि अधिकारी सारे कानून का अध्ययन करके फैसला लिखें। आप कहेंगे, आपको कैसे मालूम ? जयपुर में रहते हैं, तो बहुत से मामले देखने को मिलते हैं। हालांकि मेरा कोई व्यापार नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो व्यापारी हैं, दुःखी हैं, वे आकर के बताते हैं।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगी कि अपील अधिकारी न्यायिक अधिकारी होने चाहिए या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने चाहिए। अगर आपको यह डिपार्टमेंट रखना है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अपील अधिकारी को ट्रिब्यूनल के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए, कमिश्नर के अन्तर्गत नहीं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जहां पर कर ज्यादा वसूल किया गया है, व्यापारियों को वापस करते समय वसूली की तारीख से ब्याज देना चाहिए। आप अपना रुपया तो पिछले दिनों से ले लेते हैं। लेकिन जब उनको रिफण्ड करना होता है तो उनको रिफण्ड करना भूल जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगी कि वसूली की तारीख से ब्याज देना चाहिए।

मान्यवर, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि ट्रिब्यूनल को जो एक साल तक का स्टे देने का अधिकार है, यह फैसला होने तक का अधिकार क्यों नहीं है ? जिस बात पर स्टे मिला है उस पर फैसला होने तक का स्टे होना चाहिए। हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा कानून नहीं है, आप दिखवा लें, मैं इसमें एक शब्द भी गलत नहीं कह रही हूं। स्टे दें तो फैसला होने तक का स्टे देना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। और अपील के समय 20 फीसदी मांग राशि जो जमा कराने का प्रावधान है, वह समाप्त होना चाहिए। धारा 17 (ए) में ब्याज माफी की दरख्वास्त लेकर कमिशनर द्वारा फैसला कर देना चाहिए। बजाय इसके दो-दो तीन-तीन साल लटकते रहें, दूसरे का पैसा फंस रहा है और व्यापारी परेशान है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जुर्माना वसूल करने के टार्गेट, एन्टी इवेजन और फ्लाईंग स्क्वैड जो बनाये गये हैं, वह खत्म करने चाहिए।

आपको आश्चर्य होगा कि एक लाख, दो लाख या अधिक के यह टार्गेट फिक्स किये जाते हैं। जैसे थानों में होता है कि 109 के बीस केस तो दर्ज करने ही हैं। इस तरह आपके इस विभाग में टार्गेट फिक्स होते हैं। यह टार्गेट फिक्स करने की बात कहां से आ गई कि आपको इतने लाख तो लाकर देने ही पड़ेंगे। किसी का गला दबाना पड़ेगा, गला दबाने से कोई मरे तो मरे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि फार्म 18 का कमिश्नर के द्वारा या आप अपने विधि विभाग द्वारा अध्ययन कराइये, क्या हो रहा है। निजी उपयोग में लाने वाली वस्तु, अगर मान लो आज मैंने फर्नीचर मंगाया और मेरा तबादला कहीं दिल्ली हो गया और मैं वहां ले जाऊं तो उस पर भी टैक्स, यह कहां से बात आ गई ? निजी काम पर ले जाने पर भी केन्द्रीय और राज्य दो कर आप लगाते हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सी.टी.ओ. को अधिभार....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : समाप्त करो....

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्यों, आपको क्या परेशानी है ? आप पढ़ कर नहीं आये तो उसमें मेरी क्या गलती है ? निवेदन यह है कि सी.टी.ओ. को अधिकार नहीं जारी करना चाहिये, कमिश्नर को जारी करना चाहिये, यह मेरा निवेदन है ।

मैं दो तीन सुझाव और दूंगी, अगर मेरी बात मानते हैं, तो ठीक है, मेरी सरकार है, समझाने का प्रयास करूंगी । एन्टी इवेजन को कर की चोरी पकड़ने के अधिकार होने चाहिये, कर निर्धारण के नहीं । जो कर निर्धारण करे वह अलग और जो पकड़े वह अलग, वरना तो इसमें भ्रष्टाचार निश्चित होगा । जो पकड़ेगा वही पैसा जेब में डालेगा ।

और निवेदन है कि जो नई इण्डस्ट्री को 23-5-81 की विज्ञप्ति के द्वारा छूट दी गई उसमें कर मुक्ति का प्रमाण पत्र, एलिजिबिल्टी का सर्टीफिकेट जारी करने की अवधि होनी चाहिये थी, एक या दो माह की निश्चित अवधि । वह भी नहीं दी गई । इस कारण से मैंने आपसे आग्रह किया है । सभापति महोदय, इस संशोधन को जनमत जानने के लिये मैंने प्रस्ताव दिया है ताकि इससे प्रभावित लोग हैं वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और जो कष्ट और पैदा होने वाले हैं कम से कम वह तो नहीं हों, वह मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : माननीय बुलाकीदास कल्ला ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु मैंने आपके माध्यम से जो बात कही है उसके संबंध में मुझे कहना है कि उक्त संशोधन विधेयक इसलिए लाना पड़ा कि देश के उच्चतम न्यायालय ने जो फैसले किये, उसके कारण राज्य सरकार को काफी पैसा प्रतिदाय के रूप में देना पड़ता है । इसके लिए जो यह संशोधन बिल लाये हैं उसमे मुझे ज्यादा एतराज नहीं है लेकिन मुझे एतराज इस बात का है कि मूल अधिनियम की धारा 5 में जिससे कर का निर्माण होता है उसमें कई प्रकार के संशोधन की व्यापक आवश्यकता है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां मुख्य रूप से वस्तुओं को तीन प्रकार से आइडेन्टीफाई कर सकते हैं, कन्ज्यूमेबल आइटम, दूसरा है उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त लगभग 112 वस्तुए जिन पर अलग-अलग प्रकार की सैल्स टैक्स की दरें रखी हुई हैं । जब तक इसमें समान दरों के आधार पर अथवा इसमें व्याप्त असंगतियों को दूर नहीं किया जायेगा तब तक उपभोक्ताओं का शोषण होता रहेगा । सभापति महोदय, आज कोई भी व्यक्ति बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाता है हर वस्तु पर लिखा रहता है लोकल टैक्स एक्स्ट्रा । अब लोकल टैक्स कितना है, टैक्स की दर है 2 प्रतिशत, दुकानदार उस पर 6 प्रतिशत वसूल करेगा, किसी से 8 प्रतिशत वसूल करेगा। उपभोक्ताओं को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है और रेट में भी इतना फर्क है कहीं पर 1 प्रतिशत और कहीं पर 24 प्रतिशत तक विक्रय कर की दरें बनाई हुई हैं । मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमको इनकी दरों को ठीक करना चाहिये । आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर तीन से चार प्रतिशत तक कर और इसके अलावा जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर 10

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रतिशत कर और जो सुविधा से संबंधित या कान्ट्रेक्टर्स जिन वस्तुओं का विक्रय करते हैं उन पर दो-तीन-चार पर्सेण्ट जो भी दर निर्धारित करनी हो, अलग-अलग वस्तुओं की विक्रय कर के बारे में दरें समय-समय पर विज्ञापित की जानी चाहिये। उपभोक्ताओं को इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिये ताकि उपभोक्ताओं का शोषण रुके। अभी राजस्थान हाई कोर्ट में कई ऐसे मामले कन्जूमर्स प्रोडक्शन एक्ट 1986 के अन्तर्गत चल रहे हैं जिसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की गुहार की गई है। जहां तक गलत टैक्स लगाये जाने की बात है कई बार टैक्स की दर मान लीजिये 4 प्रतिशत है और लगा दी 6 प्रतिशत तो उसके संबंध में मामले कई वर्षों तक लटकते रहते हैं और उसका ब्याज भी व्यवहारी को बाद में नहीं दिया जाता। ऐसे सम्बन्ध में एक टाइम बाऊंड प्रोग्राम बनाकर व्यवहारियों के केसेज को निपटाया जाना चाहिये ताकि अनावश्यक रूप से मामलों को निपटाने में विलम्ब न हो। सरकार की वसूलियां समय पर आयें और जिस व्यक्ति से ज्यादा टैक्स लिया गया है उसको मय ब्याज के उसका उतना पेमेंट लौटाया जाना चाहिए। जहां तक एक्सेस टैक्स लेने की बात है, मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। रेजमाल तीन प्रकार के आते हैं, कपड़े का रेजमाल, लोहे का रेजमाल और कागज का रेजमाल और इनके ऊपर टैक्स की दर भी अलग-अलग है। कपड़े के रेजमाल के ऊपर अलग दर, लोहे के रेजमाल के ऊपर 8 प्रतिशत और कागज के रेजमाल के ऊपर 12 प्रतिशत सैल्स टैक्स की दर है। यह जो विक्रय कर की दरें हैं यह अलग-अलग तीन प्रकार के रेजमाल के ऊपर अलग-अलग प्रकार से है। इससे एक ही वस्तु पर जो एक प्रकार ही है अलग-अलग सैल्स टैक्स की दर होने से व्यवहारियों को काफी दिक्कत होती है। क्योंकि एक्ट में एमेंडमेंट लाया जा रहा है इसके ऊपर भी विचार कर जो एक जैसी वस्तुएं हैं चाहे वह कागज पर बनी हुई हों, चाहे कपड़े पर बनी हों, चाहे लोहे पर बनी हों, उनमें विक्रय कर की दरों में विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिये और जो समय-समय पर व्यवहारियों से ज्यादा मात्रा में कर की वसूली कर ली जाती है, विभाग की गलती के के कारण, उस पर ब्याज नहीं दिया जाता इससे व्यवहारियों को काफी नुकसान होता है। यदि कोई व्यक्ति कम कर दे तो उसके ऊपर विभाग ब्याज वसूल करता है लेकिन विभाग की गलती के कारण से जो विक्रय कर ज्यादा ले लिया जाता है उसके ऊपर ब्याज न देना मैं समझता हूं यह व्यवहारियों के साथ इनजस्टिस है इसको दूर किया जाना चाहिये। विक्रय कर विवाद में कई मामले वर्षों से बकाया वसूली के चल रहे हैं इसके लिये भी अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बकाया कर की वसूली को हाथ में लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल के ऊपर वर्तमान जो संशोधन आ रहे हैं उससे काफी प्रभाव पड़ेगा। जो कच्चा माल यदि उपयोग में लिया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का टैक्स लगे उसमें एतराज नहीं है यदि वह कच्चा माल मैन्यूफैक्चरिंग के रूप में काम में आ रहा है

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तो उसके ऊपर पहले की तरह अन्य वस्तुओं के ऊपर जैसे टैक्स नहीं लिया जाता है तो रॉ-मैटीरियल के रूप में यदि कोई वस्तु विक्रय की गई है और मैन्यूफैक्चरिंग के काम में आ रही है तो उसको मैन्यूफैक्चरिंग टैक्स में सम्मिलित करते हुए उस पर विक्रय कर नहीं लगाया जाना चाहिये। धारा 22ए में पैनल्टी का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि हम इसको टैक्स के रूप में क्यों नहीं परिवर्तित कर दें। यदि कोई व्यवहारी टैक्स नहीं देता है तो बाद में उसकी पैनल्टी लगाई जाये। हम सीधे ही पैनल्टी लगाते हैं तो इससे व्यवहारियों को भी मौका मिलता है आगे कोर्ट में जाने का। इसे सीधे टैक्स के रूप में लगाने से राजकोष को अधिक आमदनी होगी और टैक्स का अपवंचन करने पर हम इसको पैनल्टी के रूप में लगाने का प्रावधान कर सकते हैं।

सभापति महोदय, हमारे पड़ौसी प्रदेश गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री की जाती है और जो सैल्स टैक्स की उस पर दर है उसमें व्यापक अन्तर है। इसकी ओर भी मैं माननीय प्रभारी मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विचार करें। उदाहरण के लिये जो नहाने की साबुन है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो विक्रय कर की दर है और जो राजस्थान में हैं उसमें काफी अन्तर है। ऐसे अनेक वस्तुओं के उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां पड़ौसी राज्य की विक्रय दर में और यहां की विक्रय दर में अन्तर है जिसके कारण आम आदमी वहां से वस्तुएं ले आता है। ऐसे कर अपवंचन को रोकने के लिये हमें अपने पड़ौसी राज्य के मुकाबले में अपने विक्रय दर की जो सूची है उसको तर्कसंगत आधार पर संशोधित करना चाहिये ताकि पड़ौसी राज्य से जो वस्तु वहां से लेकर आते हैं, वहां विक्रय कर देते हैं लेकिन राज्य को विक्रय कर प्राप्त नहीं होता है। इससे कर अपवंचन रूकेगा और राज्य की विक्रय कर की आमदनी में इजाफा होगा।

जहां तक टैक्स इवेजन को रोकने का प्रश्न है, मैं माननीय प्रभारी मंत्रीजी को यह सलाह देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बिना बिल के कोई व्यक्ति माल बेचता है तो उसको रोका जाना चाहिये। हम इस बात पर रोक लगा देंगे तो राजस्थान में विक्रय कर की वसूली में विक्रय कर से प्राप्त होने वाली आय में निश्चित रूप से दुगुना, चौगुना इजाफा होगा। बिना बिल के व्यापारी माल लेकर आता है और बिना बिल के माल खरीदने वाले अनेक लोग हैं और इससे कर की चोरी होती है। इसलिये जो व्यक्ति बिना बिल के माल खरीदता है उसके पहले पाइंट पर रोक लगा सकते हैं इससे राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमिश्नर सैल्स टैक्स को इस प्रकार के अधिकार हैं, विक्रय कर के सम्बन्ध में कि ब्याज, शास्ति को जितना चाहे छोड़ सकते हैं जो जितना चाहे कम कर सकते हैं। ऐसे मामले कितने एक वर्ष में उन्होंने निपटाये हैं, कितने मामले पेंडिंग हैं और प्रतिवर्ष ऐसे मामलों में कितनी छूट दी गयी है? साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं कर वसूल करने के बारे में समय समय पर पर व्यापारियों के साथ कैम्प लगने चाहिये। इसके लिये एक जिला स्तर पर, तहसील मुख्यालय पर और एक राज्य स्तर पर व्यापारियों के साथ विक्रय कर से सम्बन्धित मामलों पर व्यापारियों को आने वाली कठिनाइयों के बारे में, व्यापारियों और अधिकारियों को समय-समय पर विचार-विनिमय करना चाहिये और विक्रय कर की दरों में जो विसंगतियां हैं, विक्रय कर को वसूल करने में व्यापारियों को जो कठिनाई होती है, उस पर बिचार हो सके। कई बार अधिकारी इसलिये बिल लाते हैं कि वे सेफ रह जाये और व्यापारी को ऐसा समझ लिया जाता है जैसे कि व्यापारी बेईमान है। ऐसा न मानकर युक्तिसंगत बिल बनाकर व्यापारी जो कर देने वाला है, उनकी भी जायज बात को ध्यान में रख-कर हमें काम करना चाहिये।

जहां तक इस अधिनियम को जनमत जानने के लिये परिचालित करने की बात है कुछ ऐसे मुद्दे मैंने उठाये हैं जिनके बारे में प्रभारी मंत्रीजी सोच, विचार करें ताकि अच्छे ढंग से अधिनियम को प्रस्तुत किया जा सके। आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ताकि करों के बारे में जो विसंगतियां है, अपवंचन को रोकने, वसूली को त्वरित गति से प्राप्त करने के लिये इसको अच्छे ढंग से ला सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर संशोधन विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को भेजे जाने के लिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इसलिये निवेदन किया है कि एक तो यह संशोधन ला रहे हैं मैं समझता हूं कि यह अव्यवहा-रिक है और जल्दबाजी में है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी की इच्छा के विरुद्ध यह बिल लाया जा रहा है। इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं मैं समझता हूं शायद माननीय मंत्री महोदय को बिलकुल ध्यान नहीं है। हम किस प्रकार से अधिकारियों को और अधिकार देने जा रहे हैं। सारा राजस्थान जानता है कि इस कर विभाग में इस प्रकार की एक एजेन्सी है जो सैल्स टैक्स वसूल करता है लेकिन यह कहा जाता है कि व्यापारी कर अपवंचन करता है, टैक्स की चोरी करता है। मैं कहता हूं कि यह कर की चोरी चाहे व्यापारी करता हो, चाहे अधिकारी करता हो, लेकिन किसान की जेब कटती है, उपभोक्ता की जेब कटती है। जिस प्रकार के यह नियम हम लाते हैं, इस अधिनियम के द्वारा पिछली सरकार ने जो गलत काम किया है, जो संविधान की मंशा थी, विक्रय कर उसको इंगित करता है जो राजस्थान में विक्रय हो उस पर क्रय कर के रूप में वसूल किया गया है। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जो निर्णय दिया गया है। इस प्रकार जो हमारा कर विभाग, विधि विभाग है वे तीस साल से क्यों सोये रहे ? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमारे कानून में इस प्रकार से गलत टैक्स की वसूली हो रही है और लोग कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में हमारे खिलाफ फैसले हो रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपये हमको वापिस देने पड़ेंगे।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(3.48 म.प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

इसलिये हम इस सदन के द्वारा यह मोहर लगाना चाहते हैं तीस साल पहले इस कानून को लागू करके यह चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये हैं उस आदेश के अन्तर्गत यह नहीं आये और करोड़ों रुपया सरकार को नहीं देना पड़े। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जिन अधिकारियों की गलती थी उनको भुगतान करना चाहिये। यदि गलत रूप से टैक्स ले लिया गया है तो निश्चित रूप से उसको वापस देना चाहिये। लेकिन इसके बाद यह बात समझ सकते हैं कि राज्य हित में करोड़ों रुपया राजकोष से जायेगा, हमारी कमजोरी यह है कि हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि इस प्रकार की व्यवस्था कैसे हुई। राजकोष को भारी नुकसान होगा उसको बचाने के लिये यह बिल लाया जा रहा है, यह समझने में आने वाली बात है लेकिन दूसरा जो है, इसमें एक सब-क्लाज और जोड़ा जा रहा है। बिल के उद्देश्यों और कारणों में यह कहा गया है : "इस राज्य में सभी वस्तुओं पर विक्रयों की आवली में प्रथम बिन्दु पर कर लगाया जाता है तथापि कुछ विवेकहीन व्यवहारी अपने ही दो समुत्थानों को अलग अलग रजिस्टर करा लेते हैं। पहला समुत्थान दूसरे समुत्थान को माल का विक्रय बहुत ही कम कीमत पर करता है और कर उसी पर संदत किया जाता है। इसके बाद उक्त माल कर-संदत माल हो जाता है और दूसरा समुत्थान उसे कर-संदत माल के रूप में बाजार मूल्य पर बेच देता है। इस तरीके से, कर का अत्यधिक अपवंचन होता है। कर के इस प्रकार के अपवंचन पर नियंत्रण करने के लिये धारा 10 में एक नयी उप-धारा 4-क शामिल की है, इससे बाजार मूल्य के आधार पर अधिक से अधिक सही निर्धारण हो सकेगा।"

और इसमें आपने जो धारा 4-क जोड़ी है :

"यदि कर निर्धारण प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि किसी व्यापारी ने, कर के संदाय से बचने या उसका अपवंचन करने की दृष्टि से अपने लेखों में किसी माल के विक्रय या क्रय को, ऐसे काल के प्रचलित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर दिखाया है तो वह ऐसे माल की कीमत प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर प्राक्कलित कर सकेगा और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से व्यवहारी का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा।"

माननीय सभापति जी, वैसे तो आपने भी जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का कहा है लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मान-दण्ड होगा "सर्वोत्तम बुद्धि कर निर्धारण अधिकारी की ?" चर्चा यह है, इससे न कोई व्यापारी परेशान है और न कोई आप और हमको परेशानी होने वाली है लेकिन जो हम कहते हैं कि यह जनता का राज जनता के द्वारा है, वहां जनता को लूटने का अवसर दे रहे हैं। सर्वोत्तम ज्ञान और बुद्धि, आज

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

असेसमेंट में जो दो-चार हजार की फीस है, लोग कहते हैं कि वह बढ़कर दुगुनी हो जाएगी। आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मैं जानता हूं, अभी आप वक्तव्य देंगे, उसमें कहेंगे कि हम इस प्रकार का प्रावधान करेंगे, इस प्रकार के नियम बनाएंगे, उप नियम बनाएंगे और सक्षम अधिकारी को पाबन्द करेंगे जिसमें इस प्रकार की गुंजाइश नहीं रहे। यह इस तरह की सैट लेंग्वेज हो गई है। हमें भ्रमित करना चाहते हैं, जनता को, हमारे माननीय सदस्यों को और पूरे हाउस को भ्रमित करते हैं और इस तरह के नियमों का हवाला देते हैं। लेकिन प्रेक्टिस क्या रही है, क्या हम नहीं जानते ? किस प्रकार से हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्या हम नहीं जानते ? उसका सर्वोत्तम ज्ञान क्या होगा, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो आपके उद्देश्य और कारण और जो क्लाज आपने दोहराया उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है संविधान की धारा 19-जो हमको स्वतंत्र व्यापार के लिए परमिट करती है कि राजस्थान या हिन्दुस्तान में कोई भी व्यापारी या व्यवहारी स्वतंत्र व्यापार करें। हम इसका उल्लंघन कर रहे हैं। यदि कोर्ट में चले जाएंगे तो एक दिन में लोग इस नियम को हटा सकते हैं लेकिन कोई भी व्यापारी जाएगा नहीं। क्योंकि इससे खुली लूट का आपने एक अवसर दिया है। आप जानते हैं यह चश्मा है। यह 15 रुपये का है और यह चश्मा डेढ़ सौ का भी आता है। आप सर्वोत्तम ज्ञान से कैसे कहेंगे कि डेढ सौ का है ? आप कहेंगे, मैंने तो 15 रुपये का लिया। तो पर्दे के पीछे एडजस्टमेंट होगा उसको किस प्रकार से रोकेंगे ? कई तरह की इस प्रकार की वस्तुएं हैं कई तरह के प्रोडक्शन हैं कि उपभोक्ता तक पहुंचने तक उसका मार्जिन बढ़ते-बढ़ते बाजार मूल्य कुछ हो जाता है। स्टेण्डर्ड और सब-स्टेण्डर्ड चीजों का। एक चप्पल 5 रुपये की भी मिलती है और 25 रुपये की भी मिलती है, जूता 5 रु. में भी आता है और 150 रु. का भी आता है। खाने पीने की चीजें भी इसी प्रकार की हैं। दाल चीनी है, शाहजीरा है, जीरा, धनिया, मिर्ची कई वस्तुए जिनका किसी प्रकार से मूल्य निर्धारण नहीं कर सकते, कोई विवेक काम में नहीं आ सकता। मैं नहीं कहता कि कोई गड़बड़ी होती होगी लेकिन हमारा आश्वासन यह था कि हम राजस्थान से सैल्स टैक्स को समाप्त करेंगे, प्रथम बिन्दु पर हम लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का मेन्युपुलेशन किया जाता है उसके आधार पर मैं नहीं समझता कि अधिकारियों का सर्वोत्तम ज्ञान क्या होगा।

फिर कहा गया कि कई व्यापारी अपनी सिस्टर कंसर्न से, अपनी दूसरी संस्थाएं खोल कर इस प्रकार का कर वंचन कर रहे हैं इसे रोकने का आपके पास क्या प्रावधान है ? इसे रोकने का क्या तरीका और मापदण्ड आप रखेंगे, मैं नहीं समझता। आप केवल शब्दजाल में जरूर फंसा सकते हैं लेकिन किसी तरह आप संतुष्ट नहीं कर सकते। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि बड़े व्यापारी तो इसमें एडजस्ट करके चलते हैं, न बड़े व्यापारी पर किसी प्रकार का कर वंचन का वो किया जाता है लेकिन उनके एडजस्टमेंट से उनकी वसूली हो जाती है। वे कोर्ट में चले जाते हैं और किसी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकार से वसूली की कार्यवाही उनकी स्थगित हो जाती है। उनकी मिलीभगत से करोड़ों रुपये आज बड़े-बड़े व्यापारियों पर बाकी हैं। उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती लेकिन छोटे-छोटे व्यापारी तो इसके अन्तर्गत ही नहीं आते। केवल इस आधार पर कि मेरा सर्वोत्तम ज्ञान है। तुमने 5 रु. की चीज भेजी थी, बाजार में उसका मूल्य 25 रु. है। बड़े अधिकारी हैं और क्या करें, किस स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है। तो मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं इन शब्दों के मायाजाल में किसी भी अधिकारी से भ्रमित होकर इस प्रकार की व्यवस्था करने से पहले मेरा निवेदन है कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, इस पर और ध्यान दिया जाय और इस कार्यवाही को रोका जाय।

श्री सभापति : श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति जी, जो बिल प्रभारी मंत्री जी लाये हैं, मेरा प्रस्ताव यह है कि इसको प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। प्रवर समिति को रैफर करने के लिए मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं और मेरा तर्क निम्न प्रकार से है :–

आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इस बात का उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ है जिसमें हरियाणा और महाराष्ट्र के सैल्स टैक्स एक्ट अमेण्ड हुए थे। सैल्स टैक्स एक्ट चैलेन्ज नहीं हुए थे लेकिन जहां तक परचेज टैक्स के बारे में जो प्रावधान था जिन धाराओं में वो चेलेंज हुआ था, मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपने हम को कोई मैटीरियल सप्लाई नहीं किया है इसलिए वह और यह सम एण्ड सबस्टेंस से वह लैंग्वेज एक ही थी या अलग-अलग है, क्योंकि यहां पर परचेज टैक्स सेक्शन 5-ए राजस्थान सैल्स टैक्स एक्ट और आप उसका सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं क्लाज 2 से। मेरा सभापति जी, सबसे पहला एतराज तो यह है कि 5-ए के सब्सटीट्यूशन के लिए जो नया क्लाज आप लाये हैं उसकी लैंग्वेज डिफेक्टिव है—

"Every dealer who in the course of his business purchases any goods other than exempted goods, in circumstances in which no tax under section 5 and 5 E is payable...."

आप इसमें खामख्वाह, अनवारण्टेड इन्सर्ट कर रहे हैं 5-ई को। मल्टी पाइन्ट है और मल्टी पाइन्ट टैक्स है नहीं राजस्थान में। आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में साफ लिखा है—

"In this State all commodities are taxed at the first point in a series of sales." जब टैक्स ही फर्स्ट पाइन्ट पर है। 5-ई डिलेट करते हैं मल्टी पाइन्ट टैक्स के सम्बन्ध में। उसका यहां पर उल्लेख क्यों किया गया है ? यह रिडन्डेंट है। इसलिए यह हैपिली वर्डेड नहीं है, आप बहुत जल्दी में लाये हैं। इसलिए मेरा आर्ग्यूमेंट है कि इसको सलेक्ट कमेटी में दिया जाय। वह इस पर गम्भीरता से विचार करे और सब प्रकार की कमियां जो रह गई हैं उनको दूर करके विधेयक सदन में लावे।

(122)

(श्री परसराम मदेरणा)

सभापति जी, जिस 5-ए का सब्स्टीट्यूशन प्रभारी मंत्री जी करने जा रहे हैं उसको वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। कब से ?

"The existing section 5A of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, hereinafter referred to as the principal Act shall be and shall be deemed to have been substituted with effect from 1.4.1960..." आप थ्री डिकेड का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं इसलिए ऐसा कोई भी कानून चेलेन्ज होने के बाद स्टेट्यूट बुक में रह सकेगा या नहीं, मुझे बहुत शंका है। मैं नहीं समझता कि 30-30 साल का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी इनेक्टमेंट को दिया गया हो, मुझे मालूम नहीं। इस सदन में मुझे 80-90 अमेण्डमेंट बिल्स और ओरिजनल बिल्स को फाइंड आउट करने का अवसर मिला लेकिन इस प्रकार 30 साल का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना और वह भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, दूसरी स्टेट हैं परचेज टैक्स के संबंध में। न तो आपने सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया कि हम उसका अच्छी तरह विवेचन करते। सेक्शन 5-ए आज स्टेट्यूट बुक पर है जिस को आप सबस्टिट्यूट करने जा रहे हैं।

अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पास होता, वह आपने मुहैया करके दिया नहीं। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया है—

"Tax on despatch of goods outside the territory of the State certainly is in the course of inter-State trade or commerce and, in other words, amounts to imposition of Consignment Tax and, hence, the later part of the Section 9 (1)(B) is ultra vires and void." Consignment Tax can only be levied by Parliament. Despatch is a consignment.

और पहले आप जो परचेज टैक्स ले रहे थे वह एक फर्म दूसरी फर्म को डिस्पेच कर रही थी। 5 (ए) में जो आउट साइड दी स्टेट डिस्पेच कर रहे थे कमीशन एजेण्ट के मार्फत अब उन्होंने यह हेल्ड किया है कि यह डिस्पेच ऑफ कन्साइनमेंट है तो वह स्टेट लेजीस्लेचर की कोम्पीटेन्स में नहीं है, 46 अमेण्डमेंट के बाद। इसलिए 46 अमेंडमेंट जो 1983 में हुआ था उसमें कन्साइनमेंट के ऊपर टैक्स लगाने का, सेल्स टैक्स का अधिकार पार्लियामेंट को है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि अल्ट्रावायरस है। मैं नहीं समझता कि, न तो मेरे पास हरियाणा का सेल्स टैक्स एक्ट है और न महाराष्ट्र का सेल्स टैक्स एक्ट है उनकी लेंग्वेज में किस तरह का कन्स्ट्रक्शन था। लेकिन आप जो लाये हैं बड़ा कन्फ्यूज्ड और इर-रिलेवेण्ट तरीके से कुछ बातों को आपने इनसर्ट कर दी है। इसलिए पहला तो मेरा यह है कि यह रिडनमेंट है।

दूसरा क्लोज 2 में जिस 5 (ए) को सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं उसका सब सेक्शन 2 इसमें आपने प्रोविजो लगाया है–

"Provided that if the dealer satisfied the assessing authority

(श्री परसराम मदेरणा)

that the said goods have been utilised for the purpose mentioned in the declaration form, the purchase price of such goods shall not be included in his taxable turnover."

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रिंसिपल 5 (ए) के अन्दर कहीं पर भी रा-मैटीरियल जो इस्तेमाल में लाया जायेगा किसी भी फिनिस्ड गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जब उसका उल्लेख ही नहीं है तो आप यह एक्सेप्शन किसका करने जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। यह जो प्रोविजो लगाया है 5 (ए) के अन्दर रा मैटीरियल को फिनिस्ड गुड्स के लिए काम में ही नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रा मैटीरियल के सम्बन्ध में जो कन्सेशनल तीन प्रतिशत टैक्स, लगता था वह लगता था सेक्शन 5 (सी) के अन्तर्गत और शायद 5 (सी) सेल्स टैक्स को आपने डीलिट कर दिया है। जब उसको डीलिट किया है तो उसका क्या रिलेवेंस है। मैं समझता हूं कि इस प्रोविजो का कोई रिलेवेंस नहीं है। अननेसेसरी डाला है। यह प्रोविजो सेक्शन 5 (ए) के सब सेक्शन 2 के बाद में डाला है यह कन्फ्यूजन करेगा और लिटीगेशन को बढ़ावा देगा, यह चेलेंज होगा मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि आपने कन्सेशनल गुड्स के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो अब हम किस पर, रा-मैटीरियल पर कन्सेशनल टैक्स नहीं लेंगे, उसको समाप्त कर दिया है और 5 (सी) को समाप्त कर दिया है तो उसके बाद इस प्रोविजो की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा एक और कन्फ्यूजन दिख रहा है, प्रभारी मंत्रीजी कि आपका ध्यान मैं 5 (ए) के सब सेक्शन 2 की ओर ले जाना चाहता हूं—"If any dealer has purchased any goods without paying any tax or after paying tax at concessional or reduced rate of tax on the strength of any declaration furnished by him under the Act, the purchase price of such goods shall be included in his taxable turnover." यह प्रावधान आलरेडी सेक्शन 2 में है। सेक्शन दो में आप पढ़िए उसको कम्पेरेटिवली पढ़िए। सेक्शन दो में 3 (आई) के नीचे वाला 4 लेंग्वेज देखिए, Language is the same.

'If any dealer has purchased any goods without paying tax at concessional or reduced rate of tax on the strength of any declaration furnished by him under the Act,...." एक सेंटेंस और है वह मीनिंगलेस है। अन्त में शब्द हैं। "....shall be included in his taxable turnover." ये के, ये वर्डस आपने यहां लिख दिये हैं। अगर अमेण्डमेंट करना था तो यह अमेण्डमेंट 5 (ए) में नहीं करके और सेक्शन 2 एस 4 में करना चाहिए था। वह गलत किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट किया जाय ताकि इस कमी को दूर किया जा सके।

फिर आपने इसके नीचे का जो प्रोविजो है, 5 (ए) का सब सेक्शन 2, का सैकण्ड प्रोविजो "Provided further that the dealer shall be entitled to claim set-off of the tax paid by him on

(श्री परसराम मदेरणा)

the purchase price of such goods,..." यह सैट ऑफ का जो प्रावधान रखा है 5 (सी) को आपने जब डीलिट कर दिया है तो इस प्रोविजो को रखने की क्या जरूरत है ? और अगर प्रोविजो की जरूरत है और आप सैट ऑफ पहले दे रहे थे । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सैल्स टैक्स में पहले सैट ऑफ दे रहे थे, वह किस प्रावधान के अन्तर्गत दे रहे थे ? अगर प्रावधान नहीं था तो उन्होंने नोटिफिकेशन कैसे निकाला और नोटिफिकेशन निकाला तो यह डेलीगेटेड पावर है और डेलीगेटेड पावर्स जब प्रिंसीपल एक्ट के किसी भी सेक्शन के अन्दर नहीं है तो नोटिफिकेशन निकालने वाले आप हैं कौन ? इसलिए आपने यह पहले जो नोटिफिकेशन निकाला है वह गलत किया है और अब जो आप करने जा रहे हैं वह भी गलत करने जा रहे हैं । यहां पर आपने रीफण्ड की बात कही है उसी क्लोज के 4 (बी) में 'from claiming refund of any amount in excess of the amount of tax due on the purchase price of such goods under the provisions of this section." आपने जब प्रावधान ही रीफण्ड का नहीं किया है तो यह भी रीडन्डेन्ट है So there is no provision of refund anywhere, you see, in the Act. एक्ट में नहीं है तो यह आप रीफण्ड कैसे कर रहे हैं ? लेजीस्लेचर ने आपको एम्पावर्ड ही नहीं किया है तो सरसरी तौर पर एक सब क्लोज को लाकर के आप कैसे प्रावधान करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह 4 (बी) भी रीडनडेन्ट है ।

अब मैं क्लोज 3 पर आ रहा हूं । सेक्शन 10 में आप अमेण्डमेंट करना चाहते हैं, क्लोज 3 के द्वारा 4 (ए) और 4 (ए) में इसलिए करना चाहते हैं कि कोई अगर इनवाइसिंग अण्डर कर दे तो टैक्स जो वसूल किया गया है । असेसिंग आथोरिटी को यह हो जाये कि उसके सुझाव व्यर्थ हो जाये और जो कुछ भी टैक्स दिया गया है, उसमें उसकी वैल्यू उसने घटाई है, आप यह जो पावर्स असेसिंग आथोरिटी को देने जा रहे हैं, यह बहुत स्वीपिंग पावर्स हैं असेसमेंट ऑफ टैक्स के और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे थे क्योंकि उन्होंने कई चीजों के नाम लिये, उन सब चीजों के बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं डील नहीं करता हूं, लेकिन प्रभारी मंत्री जी, आप मिर्ची को लीजिए । मिर्ची की भिन्न-भिन्न क्वालिटीज हैं । वह कहेगा हमने दस रुपये किलो में बेचा है, इसलिये यह दस रुपये किलो है, यह नहीं है । मिर्ची की मार्केट प्राइस जो उन्होंने लिखी है, वह 16 रुपये है । 16 रुपये नहीं है, आठ रुपये भी है, चार रुपये भी मिर्ची आती है और मिर्ची बीस रुपये किलो भी है । क्वालिटी पर डिपेंड करता है और क्वालिटी के बारे में जज करने के लिये आप पोस्टमार्टम में और पोस्ट टैक्सेशन पीरियड के अन्दर असेसिंग आथोरिटी को आथोराइज कर रहे हैं । प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस वह असेस कर सकेगा वह रीएसेस कर सकेगा ।

मेरा ऐसा मानना है सभापति महोदय, कि रीएसेस करने के लिए जो मैटर है this will be a source of corruption. इसमें बहुत गुंजाइश रहेगी । गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो होगा नहीं लेकिन असेसिंग आथोरिटी जो डिस-आनेस्ट हैं, उनके लिये आप

(श्री परसराम मदेरणा)

फ्लड गेट्स खोल रहे हैं और जो भी असेसमेंट करेगा कि नहीं करेगा, पहले वह अपनी इंटेंशन बतायेगा। असेसिंग आथोरिटी का कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तू बार्गेनिंग मुझसे कर ले। इस प्रकार के स्वीपिंग पावर्स इस एक्ट में नहीं थे। आप इस प्रकार के जो स्वीपिंग पावर्स पहली मर्तबा दे रहे हैं, तो मुझे भी इस बात का अवसर मिला है, इस बिल को तीन-चार बार इस हाउस में अमेंड करने का, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। अन्त में अब मैं क्लॉज 6 के ऊपर आ रहा हूं जिसमें सेक्शन 23 (बी)(बी) में कंप्लीटली सबस्टीट्यूट कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे रिलेवेंट 22 (बी) है। 22 (बी) को 1976 में इंसर्ट किया था और उसमें यह प्रोविजन रखा गया है, कि ट्रांजिट पास दिये जायेंगे। जो माल लेकर एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जायेगा राजस्थान में से निकलेगा, पास होगा। ट्रांजिट पास का प्रावधान 1976 में सेक्शन 22 (बी) में किया गया है, लेकिन अभी तक आपने ट्रांजिट पास का कोई प्रावधान रखा है, आपने रूल्स बनाये हैं ? आपके पास पावर्स हैं लेकिन आपने अभी तक डेलीगेटेड पावर्स को यूज नहीं किया है और न ट्रांजिट पास छपवाये हैं। यह होता है और उसमें पेनल्टी का प्रावधान 30 पर्सेन्ट है। किसी भी एक ट्रक में बारह लाख का माल है, 30 पर्सेन्ट का मतलब हुआ कि उस पर पेनल्टी लगेगी, तीन या चार लाख। 50-60 हजार। यह आम बातें हैं। परसों मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि करप्शन का कोई सोर्स हो, तो आप नहीं तो सीधे मुझे लेटर लिख देना। मैं सीधे नहीं, हाउस में ही कह रहा हूं। सीधा है। यह आपके ट्रांजिट पास नहीं बनाना, एक प्रावधान आपके रूल्स में नहीं कर, यह एक बहुत बड़ा प्लग है और इस प्लग की वजह जो बहुत बड़े होल्स हैं, ड्रेन हैं और डाउन और ड्रेन जा रही है, इस स्टेट की रेवेन्यू, इसलिये मैं सोचता था कि उस संबंध में भी आप प्रावधान करेंगे क्योंकि यह बिल लास्ट वार्डेड नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे एनेक्टमेंट के संबंध में एतराज उठाया है, उनको अच्छी तरह से जांच नहीं करके अग सलेक्ट कमेटी को भेजते या पब्लिक ओपीनियन के लिये, सभापति महोदय, जैसा कि आपने प्रस्ताव रखा था, तो निश्चित तौर पर असेसी और दूसरे लोग जिससे प्रभावित होने वाले थे, वे राज्य सरकार को कई प्रकार के सुझाव या सजेशंस देते। मैं ऐसा मानता हूं, यह बहुत लॉप साइडेड है और यह चैलेंज होगा। जो हरीली कोई भी एनेक्टमेंट लाया जाता है, आज हरियाणा में जो परजेज टैक्स का जो प्रावधान था सेक्शन 9 का, वह हाई कोर्ट ने अल्ट्रावायरस डिक्लेयर किया है। आपकी तरह जल्दी में उन्होंने रीट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रावायरस माना। मैं ऐसा मानता हूं, जो आप लोग बहुत हेस्ट में लाये हैं, हैपिली वर्डेड नहीं है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण वर्मा। प्रभारी मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : सभापति महोदय, राजस्थान सैल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल, 1990 के बारे में मेरे पहले

(श्री रामनारायण वर्मा)

भोपालगढ़ से पधारे आदरणीय मदेरणा साहब ने काफी विस्तार में बता दिया है और इन सारी बातों को देखते हुए जो अमेंडमेंट्स हैं, उसमें एक नया दरवाजा जो खोजा जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर करप्शन बढ़ेगा। कानून की पेचीदगियां बढ़ेंगी। मैं इस बिल के क्लॉज 3 अमेंडमेंट आफ सेक्शन 10, राजस्थान एक्ट 29 आफ 1954, इसमें जो नया सब सेक्शन 4-ए ऐड किया जा रहा है, उसके बारे में आपके माध्यम से प्रभारी मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि जो असेसिंग आथोरिटी है, वह कितने दिनों में असेस करता है, वह भी देखने की बात है। असेसिंग आथोरिटी नार्मली दो साल बाद तीन साल बाद असेस करती है। बहुत साल पहले गुड्स की मार्केट प्राइस, वैल्यू क्या थी, क्या वह उस दिन से असेस करेगा या उस टाइम की प्रीवेलिंग रेट्स क्या हैं, इस प्रकार से असेस करेगा ? बहुत सी गुड्स ऐसी है, जिनमें ऐसी असमानता है कि उसकी रेट्स में काफी डिफरेंसेज हैं। सिस्टर कंसर्न की पोजीशन दूसरी है। सिस्टर कंसर्न में यदि बिल के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, तो माल जिस दिन उस आदमी के पास से निकले, उस बिजनस मैन के पास से निकले, क्या उस दिन असेस नहीं किया जा सकता ? माल जब उसके पास रहेगा, तब क्या असेस नहीं किया जा सकता ? उचित यह होगा कि इसमें इस तरह का प्रोविजन किया जाये कि जब किसी बिजनेस मैन के पास माल आ गया, उस समय उस पर रेट सही लगायी गयी है या नहीं यह दूसरी बात है। इसमें जो असेसिंग आथोरिटी है, निश्चित तौर पर असेस करने के पहले किसी आदमी का आह्वान करेगा, वह पूरा चाहेगा कि उसका असेस करेगा या उसको रीएसेस करेगा। तो यही सारी पोजीशन जो है, इसमें एक नया दरवाजा और जो करप्शन का खोला गया है, वह काफी दुखदाई रहेगा और, उससे कानून की पेचीदगियां बढ़ेंगी। यह इस तरह का है कि कोई भी अधिकारी किसी भी व्यापारी को अपने चंगुल में ले सकता है और करप्शन को बढ़ावा दे सकता है। मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो क्लॉज है, अमेंडमेंट आफ सेक्शन 22 (ए), इसमें जो सीजर को जो पावर दिये गये हैं, "No order of penalty under this section shall be quashed or deemed to be void...."

मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा यह जो है "... or voidable for want of seizure or mistake, defect or omission in seizure." क्या कोई ऐसा कानून है, जिसमें किसी अधिकारी के खिलाफ यदि उसने कोई गलत कार्यवाही की है, गलत सीजर किया है, किसी बिजनसमैन या किसी आदमी को गलत अरेस्ट किया है, उसकी जो मंशा कोई दूसरी भावना रखे हुए है, अच्छा होता। अभी कल ही सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि हम जितने भी करप्शन के रास्ते हैं, उनको बंद करना चाहते हैं। आप इस बात को बतायें, हम निश्चित तौर पर उसकी इन्क्वायरी करेंगे, क्या यह चीज वह नहीं है। कोई भी अधिकारी किसी भी मामले में गलत डिसीजन करता है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, वह क्लॉज इसमें जोड़ा जाना चाहिये था। इसमें कोई कार्य-

(श्री रामनारायण वर्मा)

वाही उसके खिलाफ नहीं की जा सकती जिस तरह का क्लॉज इसमें जोड़ा गया है। यह सारी की सारी बातें सदन में कही गई बातों से बिल्कुल विपरीत है और इसका आशय दूसरा निकलता है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो इसमें क्लॉज जोड़ा जा रहा है इसको रि-कन्सीडर किया जाय और जो अधिकारी गलत कार्यवाही करने के आदि हैं या जो आदि होने जा रहे हैं उनको निश्चित तौर पर पेनेलाइज करने के लिए या उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के लिए एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन किया जाय ताकि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लिया जा सके और एक्ट उसको प्रोवाइड करे। यह बात इसमें जोड़ी जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निवेदन करूंगा कि राजस्थान विक्रय कर संशोधन विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ताकि वह अपना प्रतिवेदन पेश करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री रामकरण चौधरी : माननीय सभापतिजी, मैं आपकी अनुमति से दो शब्द कहना चाहूंगा ...

श्री सभापति : आप थर्ड स्टेज पर बोल सकते हैं। उस समय आपको अवसर दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वाणिज्य कर अधिनियम, 1954 में यह जो संशोधन इस सत्र में लाया गया है उसके पीछे का हेतु, कारण क्या हैं, यह स्पष्ट रूप से इसमें उल्लिखित हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स इस प्रकार की आमदनी का स्रोत है प्रदेश के लिए कि जिसके विषय में सारा प्रदेश, सारी जनता और सदन के सभी माननीय सदस्य निश्चित रूप से पूरा विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस सेल्स टैक्स के कारण जो आमदनी हमारे प्रदेश को हुई है उसके कारण विकास में एक बहुत बड़ा सहयोग हुआ है क्योंकि बीच में इसी सदन के दो माननीय सदस्यों ने इसको जनमत जागृत करने के लिए प्रसारित करने की बात कही, तीन माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति को सौंपने की बात कही। इसीलिए मैं आपके माध्यम से उस बात के साथ-साथ उनसे सहमत न होते हुए कहना चाहता हूं कि 1981-82 में सेल्स टैक्स के कारण हमको 186 21 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जो कि हमारी टोटल टैक्स रेवेन्यू का 64 प्रतिशत थी....

श्री परसराम मदेरणा : परचेज टैक्स की क्या रिलेवेन्सी है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी मैं बता रहा हूं। जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं क्योंकि यह विषय यहां आया है कि सेल्स टैक्स एज ए होल को समाप्त करने वाली बात आई है इसलिए इस बात को भी, आपकी बात को भी, सुझाव आया है जनमत संग्रह जानने के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

विषय में। इन दो बातों की चर्चा हुई है और इसलिए उसकी भी चर्चा करूंगा, आप जल्दबाजी न करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, 1982–83 में 222 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जो टोटल टैक्स रेवेन्यू का साठ प्रतिशत थी। 1983-84 में 249.98 करोड़ की प्राप्तियां हुई जो 57 प्रतिशत थी। 1984–85 में 280.46 करोड़ की प्राप्तियां हुई, 58 प्रतिशत थी। 1985-86 में 335 करोड़ की प्राप्तियां हुई जो 59 प्रतिशत थी। 86-87 में 376.55 करोड़ की प्राप्तियां हुई जो 57 प्रतिशत थी टोटल टैक्स रेवेन्यू की। 1987-88 में 449.50 करोड़ की प्राप्तियां हुई जो 58 प्रतिशत थी 1988-89 में 537.41 करोड़ की प्राप्तियां हुई जो 61 प्रतिशत थी और वर्तमान वर्ष में ऐसी सम्भावनायें हैं कि 585 करोड़ की प्राप्तियां सेल्स टैक्स के माध्यम से राजस्थान प्रदेश को होगी। यह बात सच है सिद्धान्त रूप से, मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज टोटल टैक्स रेवेन्यू की इतनी बड़ी प्राप्ति सेल्स टैक्स के माध्यम से राज्य सरकार को होती है। पर्याय ढूंढा जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगर उस कोशिश में से, प्रयास में से राजस्थान के विकास की दृष्टि से इसी प्रकार की स्थिति निकली तो सेल्स टैक्स को समाप्त करने का विचार किया जा सकता है और इसीलिए जनमत संग्रह जानने वाली, जयपुर से आने वाली माननीय विधायिका, टोंक से आने वाले माननीय विधायक ने जो विचार रखे थे, उस विषय में आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस विषय में राज्य सरकार का रूख स्पष्ट है। यह संशोधन जो हमको लाना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, आप इसको देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न हाई कोर्ट्स ने जो निर्णय कर दिये उसके कारण कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो गई। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे परचेज टैक्स के बारे में, यह बात सच है कि कुछ वस्तुओं पर, जिन पर सेल्स टैक्स लगाना सम्भव नहीं था राजस्थान सरकार ने परचेज टैक्स लगाया पर इस परचेज टैक्स के लगाने हैं। कुछ इण्डस्ट्रीयस लोग जैसे मैसर्स गुड इयर इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड जो मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गये और उन्होंने निर्णय कर दिया कि इस प्रकार का प्रावधान परचेज टैक्स का जो महाराष्ट्र सेल्स टैक्स एक्ट में था या हरियाणा सेल्स टैक्स एक्ट में था और उन्होंने जो क्रय कर लगाया था उसके सम्बन्धित जो प्रोविजनस थे उन्होंने उनको अल्ट्रावायर्स घोषित कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, यही विषय रहा। एक अप्रेल 1960 से हमने कुछ वस्तुओं पर परचेज टैक्स लगाया हुआ है। राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की प्राप्ति हुई इसके कारण से। अप्रेल, 1960 से लेकर आज तक हुई है। अगर उसी तरह, जिस तरह उच्चतम न्यायालय ने या उच्च न्यायालयों ने इस क्रय कर से सम्बन्धित जो प्रोविजन्स हैं उनको अल्ट्रावायर्स घोषित कर दिया है, हो गये हैं वह, ऑटोमेटिकली हमारे यहां भी हो गये। अगर कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो हमको

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

भी करोड़ों रुपये की वापसी करनी पड़ती है और इस कारण से एक अप्रेल, 1960 से........

श्री परसराम मदेरणा : हाऊ मेनी करोड़स यू बिल रिफण्ड ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह भी बताता हूं, यह जानकारी मैं आपको देता हूं........

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह वोट ऑफ पर्सेन्टेज तो आपने लगा लिया है लेकिन परचेज टैक्स की क्या राय है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह जानकारी भी मैं आपको दूंगा। इसलिए आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एक अप्रेल, 1960 से जब तक उपबन्ध धारा 5(1) में संशोधन हम नहीं करेंगे तब तक करोड़ों रुपये राज्य सरकार को उन सब व्यापारियों को वापस करने होंगे। एक चर्चा की गई कि बहुत जल्दबाजी में लाया गया। मैं, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल या अमेण्डमेंट हमारी सरकार बनने के बाद में नहीं लाया गया है, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, वे आर्डिनेन्स के द्वारा इस बिल को लाये हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जानकारी आपने पहले क्यों नहीं दी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और सब प्रकार से इस पर विचार-विमर्श हुआ है........

श्री परसराम मदेरणा : आर्डिनेन्स का यह कोई बिल थोड़े ही है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं नहीं, आर्डिनेन्स नहीं, सॉरी। उसी समय यह बिल पायलट हुआ है....

श्री परसराम मदेरणा : बिल पायलट कहां हुआ है ? बिल तो अब लाये हो। उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया होगा, तो सरकार ने कई बातें की होंगी, उससे क्या मतलब है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसको वापस किया गया आप बिराजिये तो सही। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1 अप्रेल, 1960 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यह प्रतिस्थापित किया जाना है। यह पहला कारण है जिसके कारण से हम संशोधन इस विषय में लाये। माननीय सभापति महोदय, दूसरा संशोधन जो हम इस बिल में लाये हैं और जिसकी बड़ी जोर से चर्चा टौंक से आने वाले माननीय विधायक ने की, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने की, नैनवां से आने वाले माननीय विधायक ने की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनका राजस्थान में सभी पर प्रथम बिन्दु पर बिक्री कर लगता है। प्रथम बिन्दु का तात्पर्य यह है कि कोई माल राजस्थान में या राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 में आता है, पंजीकृत व्यवसायी द्वारा बिक्री की श्रृंखलाओं में पहली बार बेचा जाता है तो विक्रय के उस बिन्दु पर उस माल की विक्रय कीमत पर बिक्री कर लगता है और उसके बाद वह माल टैक्स पैड हो जाता है। टैक्स पैड कहलाता है, कर चुकता कहलाता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। वह चाहे किसी भी कीमत पर बिके उस पर दुबारा बिक्री कर नहीं लगता है। यह प्रथम कर बिन्दु प्रणाली सरल है। सरलीकरण के कारण पर ही इस बात की पद्धति का निर्माण हुआ, इस प्रकार का बिल बना, इस प्रकार का संशोधन बिल आया। वैधानिक घोषणा पत्रों की परेशानी को दूर करता है और बिक्री कर पहली बिक्री पर ही राज्य सरकार को कर मिल जाता है। किन्तु इस प्रणाली की एक कमजोरी यह भी है कि कुछ ऐसे व्यवसायी रहते हैं, तेज रहते हैं, तरार रहते हैं, चालाक रहते हैं, दो व्यवसायी फर्म बना लेते हैं। अपने-अपने घर वालों के नाम से अलग-अलग खोल लेते हैं और पहली फर्म कम कीमत पर माल दूसरी सहफर्म को बेच देती है और उस कीमत पर बिक्री कर चुका देती है। इसके बाद वह माल कर चुकता बन जाता है और दूसरी फर्म उस माल को बाजार भाव से व बिना किसी अतिरिक्त कर दायित्व के बेचती रहती है। इसके कारण कर की बड़ी वंचना हो जाती है। इस प्रकार की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए, आज सवाल आया था कि यह बिल लाये हैं, कोर्ट में चला जायेगा समाप्त हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए केवल बिक्री कर कानून, 1963 में धारा 19(ब) का समावेश किया था जिसके कारण बाजार भाव पर सर्वोत्तम कर निर्धारण की शक्ति कर निर्धारण अधिकारियों को दी गयी थी। इस धारा की वैधानिकता को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी किन्तु केरल उच्च न्यायालय के टी.ए.सी ए. असोसिएशन के मामले में उक्त धारा को संविधान के अनुसार वैधानिक घोषित कर दिया गया और उसी धारा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बिक्री कर, 1954 में भी धारा 10 में 4(क) उप धारा के रूप में नयी धारा डाली गयी है जिससे बाजार भाव पर सर्वोत्तम कर निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। माननीय सभापति महोदय, इस विषय में और इसी कारण से यह जो शंका पैदा पैदा की गयी है, यह जो संशोधन करने जा रहे हो यह कोर्ट में चला जायेगा, समाप्त हो जायेगा इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। राजस्थान में इस प्रकार की कर चोरी हमारे ध्यान में आयी है इसलिए मैं टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को विशेष रूप से इस बात को बताना चाहता हूं कि जो इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहते थे। मुख्यतः थोक व्यापारियों द्वारा की जाती है किन्तु कभी-कभी निर्माता के साथ थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी भी इस प्रकार का धन्धा करते हैं। इस प्रकार की बिक्री कर की चोरी मुख्यतः तीन प्रकार के मामलों में होती है। राजस्थान में बिकने वाले डेजर्ट कूलर, वी. आई. पी. सूटकेस, चाय, सूखे मेवे, किराने का सामान, मकानों के काम में आने वाला पत्थर और मार्बल का सामान, फर्नीचर, घर के साज-सज्जा का सामान, सौन्दर्य प्रसाधन, बिजली का सामान, सेनेटरी का सामान, मोटर पार्टस, सिलेसिलाये वस्त्र, होजरी का सामान आदि इस प्रकार से ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसमें इस प्रकार की चोरी प्रायः थोक विक्रेता किया करते हैं। दूसरा विदेशों से बनने वाले इलेक्ट्रिकल और डुप्लीकेट सामान की बिक्री। इस प्रकार बिक्री कर की चोरी निर्माता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

फर्म एवं खुदरा फर्म खोलकर की जाती है। तीसरे प्रकार के देश में स्टेण्डर्ड कम्पनियों के बनने वाले व डुप्लीकेट माल की बिक्री। इस प्रकार की कर चोरी निर्माता फर्म एवं खुदरा फर्म खोलकर की जाती है। आय कर से बचने के लिए इस प्रकार के व्यवसायी तीन प्रकार की गतिविधियों का सहारा लेते हैं। मैं इतनी जानकारी टोंक से आने वाले माननीय सदस्य चूंकि व्यापारी हैं इसलिए जरूर बता देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी शंका प्रकट की थी कि अधिकारियों को अधिकार मिल जायेगा। किन्तु यह तो देखिये कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में आज। कितनी कर वंचना हो रही है, कितना कर चोरी हो रहा है। पहली फर्म असली होती है और कम कीमत पर माल बेचकर हानि को आयकर के विभाग के सामने प्रस्तुत कर कोई कर नहीं देती। सेल्स टैक्स बचा लिया, इन्कम टैक्स बचा लिया। दूसरे या तो छोटी सी फर्म होती है या किसी कागजों में होती है और उसके झूठे खर्चे दिखाकर दूसरी फर्म के लाभ को कम कर दिया जाता है तथा आय कर के प्रहार से बचने का सबूत तैयार कर लिया जाता है। तीसरा तरीका यह है कि पहली फर्म कम कीमत में माल बेचकर बिक्री कर की चोरी के साथ-साथ आय कर की चोरी करती रहती है। दूसरी फर्म अण्डर बिलिंग करके बिलों में दिखा कर कम कीमत को एक नम्बर में ले लेते हैं तथा उसी रूप में आय कर देते हैं और शेष कीमत ऊपर की ऊपर दो नम्बर में लेकर आय कर की जिम्मेदारी से बच जाती है। नम्बर चार, कुछ मामलों में यह तरीका भी निकाला गया है कि एक फर्म दूसरी फर्म को एक प्रकार का माल कम कीमत पर बेचती है और इसी प्रकार दूसरी फर्म पहली फर्म को दूसरा सामान कम कीमत पर बेचती है। इससे एक फर्म के सामान पर लाभ दिखाकर दूसरे सामान पर घाटा। घाटा एवं लाभ दूसरे के बराबर कर देते हैं। इसी प्रकार दोनों फर्म कम कीमत के आधार पर बिक्री कर एवं आय कर दोनों की चोरी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने विस्तार से इस बात को आपके सामने रखने की बहुत कोशिश की इस प्रकार से जो कर वंचना है आखिर कहीं न कहीं इस बात का चैक लगे। अब सवाल आखिर यह पैदा होता है कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि हमने अधिकार दे दिये हैं सब अधिकारियों को, भ्रष्टाचार का जन्म होगा। मैं समझता हूं, यह बात आपके मन में आयी है उसका खुलासा तो जरूर करूंगा किन्तु गंगा तो गंगोत्री से बहती है। यह बात सच है कि कानून में प्रावधान कर दिया। यह सरकार रही दूसरी आ जायेगी इसका पता नहीं, (व्यवधान) किन्तु आखिर इस प्रकार की बड़ी कर वंचना को रोकने के लिए कोई न कोई प्रयास निश्चित रूप से करना होगा।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : गोविन्दसिंह जी को गणगोर के मेले में जाना है, थोड़ा लिहाज तो करो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब यह कहना चाहते हैं कि वेस्ट जजमेण्ट कैसे करेंगे। वेस्ट जजमेण्ट मैथड में जो असेसी के अधिकारी हैं, व्यापारी द्वारा दिये गये दस्तावेजों के अलावा अन्य स्रोतों से व

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सहायक सबूतों के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करेंगे। ज्यादातर वस्तुओं की बाजार कीमत आसानी से आंकी जा सकती है। टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने एक उदाहरण दिया था। यह चश्मा 15 रुपये का भी है और 200 रुपये का भी है। माननीय सभापति महोदय, 15 रुपये के चश्मे का फ्रेम और ग्लास कैसे होंगे और 250 रुपये के चश्मे के ग्लासेज और फ्रेम कैसा होगा। इतनी जानकारी व्यापारी बन्धु हैं और असेसिंग अधिकारी क्या नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार की बात है। इस सारी को स्टडी करके और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात तो दूर रही अगर इस प्रकार की कर वंचना किसी भी स्टेज पर की जायेगी तो राज्य सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित रूप से इस प्रकार की बात पर अंकुश होना चाहिये। इस बात के बारे में स्पष्ट रूप से दृष्टि रखने की आवश्यकता है। व्यापारियों के सरल कानून बने, उनको सबका सहयोग हो और इसलिए हमने जो संशोधन किया है उसमें यह बात की है, माल जब्ती का अधिकार था, माल जब्त कर लिया तब जाकर पेनल्टी लगायें। हमने किया है संशोधन में, माल जब्ती करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी जानते हैं, व्यापारियों को सहयोग करना चाहिये, सहयोग करने की मन में इच्छा है। इसलिए वह चौथा संशोधन इस प्रकार का लाये हैं। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि कर वंचना से व्यापारी इस प्रकार से बचे रहें और उनकी दृष्टि से सब प्रकार की छूट उनको दी जाय। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से उचित नहीं है। वैसे तो बहुत सारी बातें यहां पर कही गई हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की जा सकती है और भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कई टेक्नीकल बातें उठाई हैं इसलिए मैंने उसी एक बात को कह दिया कि ये ड्राफ्ट हुआ था आपके राज्य में उस समय मुख्य मंत्री वित्त मंत्री भी थे। उसी समय मैंने कहा कि इतना बड़ा हमको उससे फायदा होता हैं इस नाते से लाने की कोशिश की है। वैसे सबके जवाब मेरे पास हैं। थोड़ा सा संशोधन करके, जैसे आवश्यक था उसे साथ लाये है। मैं तो कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है। बहुत बड़ा नहीं है। व्यापारियों को सुविधा देने के लिए है, कर वंचना को रोकने के लिए है और हमको क्रय दर पर बहुत बड़ा पैसा वापस देने की स्थिति बन सकती है, बनी है और जिसके कारण दो सैल्स टैक्स प्रदेशों में बात आई है उसको आधार मान कर यह करने की बात कही है। यह कहा गया है तीस साल में हम रिट्रोस्पेक्टिव, इस प्रकार का सशोधन हम पहले भी कर सकते हैं इसमें कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। अपनी खाल बचाने की दृष्टि से और जो हमने कर लिया है और वह किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है वह भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा जानते हैं। आपने तो कर ही दिया। लाइबिलिटी आयेगी इस पर उसको बचाने के लिए सहयोग आप पूरा-पूरा देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों प्रस्ताव जनमत जानने के या प्रवर समिति को सौंपने का आये हैं इसको मान्य नहीं करके आप इसको....

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने मन्त्री महोदय से आग्रह किया था कि यह रिट्रोस्पेटिव डेट से नहीं होना चाहिए। यह चैलेन्ज हो जायेगा और समय आने पर आप इसको देख भी लेंगे कि यह व्यवस्था चैलेन्ज होगा। माननीय मंत्री महोदय ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि तीस साल पुराना लिया जा सकता है तो मैं कहना चाहती हूं कि छत्तीस साल सन् 1954 से जब से यह बना पुराना लिया जाना चाहिए। इसमें कोई तर्क नहीं है उन्होंने बना लिया और हम इसको मान लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी । यह तो उसके बाद लाये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो आपने यहां पर अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति की है इसके भूतलक्षी प्रभाव से जो आपने अपनी इच्छा बताई है मेरी वहां पर आपत्ति है। यह मेरा आपसे निवेदन है। मैंने दो-तीन सुझाव आपको दिये थे। वो आपने माने नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप बात मेरी मान लें कि जो भी वाणिज्य कर अधिकारी एक जगह पर हो उसको तीन वर्ष से अधिक नहीं रखा जाय। मैं समझती हूं इसमें आपत्ति नहीं होगी। सरकार के नियमों में है। यहां पर नवल किशोर जी शर्मा के रिश्तेदार कई वर्षों से बैठे थे। देख लीजिए श्री प्रेमचन्द जी शर्मा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बता देओ कि कौनसी धारा में जोड़ा जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह व्यावहारिक धारा में जोड़ा जाय। यह मेरा आग्रह

134

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है। अगर आप इतना मान सकते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं सुझाव वापस ले लेती हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वैसे तो मैं बाउण्ड हूं। जिस प्रकार बहुत जोरों से बात कही गयी हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जहां तक राजहित, कोष का सवाल है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो नया क्लॉज जोड़ा है और बहुत जोर से कहा कि जहां कर वंचना होगी उसको हम तेजी से रोकेंगे यह हम भी चाहते हैं और माननीय मंत्री महोदय से हम सहमत होते हुए बहुत जोरों से रोकना चाहते हैं। लेकिन इतनी जोर से उन्होंने यह बात नहीं कही कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनको भी हम रोकेंगे और जहां जिस चीजों के लिए कहा गया, सौन्दर्य प्रसाधन है, मेवा है....

श्री यदुनाथ सिंह : वह आप काम में लेते हो कि नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेवे वगैरा आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस में कितना टैक्स वसूल होता है। इस हैड में कितने आते हैं 100% चोरी होती है। आप दूसरे व्यवसाय की बात करते हैं। 100 प्रतिशत आप हैड्स को उठाकर देख लीजिए जो आपने बनाये हैं उसमें एक पैसा जमा नहीं होता जिनको आपने गिनाया है मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन सारे मामलों में क्योंकि यह बड़े व्यक्तियों के, बड़े अधिकारियों के काम में आते हैं और उन मेवों को कोई नहीं खाता है केवल बड़े अधिकारी खाते हैं, जो मंत्री महोदय या एम.एल.एज खाते हैं ये काजू किशमिश तो बड़े हैड्स में है।

श्री डूंगरराम पंवार : मेवा तो उधर वाले खा गये। जो लाल टमाटर जैसे बने हुए हैं खा गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए कहना चाहता हूं कि जो आपका उद्देश्य और कारण है वह मेरी समझ में आ सकता है कि कोई एक व्यापारी अपनी दूसरी संस्था खोल कर अण्डर बिलिंग करके गड़बड़ी करता है लेकिन बिना नोटिस के बिना शब्दों के माया जाल में उन्होंने कुछ लिखकर दिया है इसलिए हमको करना है। यह बात सामने आई है मैं मानता हूं। व्यावहारिक रूप से आप इसको देखें और किस हैड्स में कितना आता है, कहां चोरी होती है। हम साथ देंगे, हम आपको विश्वास पूर्वक कहते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि कहां-कहां लीकेज है और कौन-कौन कर रहा है और किसकी शह से हो रहा है। यदि आपकी करने की नीयत है तो हम आपको करके बताने में कभी संकोच नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नियम बना कर उसकी आड़ में यदि किसी प्रकार का खेल खेला गया तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करता हूं और मैं इस विषय में राज्य सरकार द्वारा जो समय पर उठाया गया कदम है और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि पुरानी सरकार के ध्यान में यह

(श्री रामनारायण विश्नोई)

आ गया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद यह स्थिति पैदा हो गयी थी कि राजस्थान के अन्दर भी सैकड़ों मुकदमें हाई कोर्ट के अन्दर उसी निर्णय के आधार पर किये जायेंगे जिसमें राज्य सरकारों और पक्षकारों को लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उस स्थिति से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है कि उच्चतम न्यायालय के विचार से जो बिक्री कर अवैध था उसको वापस संशोधन करके और जो वसूल किया गया पैसा था उसको राज्य सरकार के कोष में से नहीं वापस दिया जाने के लिए यह कदम समय पर उठाया गया है इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जब भी ऐसे अधिनियम चैलेन्ज हुएहैं हाई कोर्ट्स या उच्चतम न्यायालय में और जिन धाराओं को अवैध ठहराया गया है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्टर्स पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को यह अधिकार है कि उस एक्ट को रिट्रस्पेक्टिव इफेक्ट से लाया जावे। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 1-4-60 से जो बिक्री कर वसूल किया गया था अगर हम इसको रिट्रस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दें तो करोड़ों रुपये की राशि राजस्व में जो जमा हो चुकी है वह वापस लौटानी पड़ेगी और उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है इसलिए ऐसा लेजिस्लेचर में प्रावधान है संविधान में कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए, लेजिस्लेशन के लोन के लिए देयर इज नो लिमिटेशन। परटीक्यूलरली जब ऐसे सक्यूंमसचान्सेज पैदा हो गये हैं और इसी आधार पर कि हमने जो एक विक्रय कर लगाया था उनकी परिस्थितियों को वापस हाई कोर्ट के अन्दर चैलेन्ज नहीं हो उनसे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह संशोधन पेश किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

माननीय सदस्यों ने धारा 3, सेक्शन 10 में 4(अ) के प्रति काफी विरोध जाहिर किया और उसके अन्दर यह आपत्ति जाहिर की है कि इसके अन्दर री-असेसमेंट की पावर क्यों दे दी गई है। मैं माननीय सभापति जी, आपसे निवेदन कर दूं कि जब तक इसमें री-असेसमेंट की या रिव्यू करने की पावर नहीं थी उस हालत में भ्रष्टाचार की और ज्यादा गुंजाइश थी। किसी भी असेसमेंट अधिकारी ने अगर एक बार कोई असेसमेंट कर दिया, गलत भी तो राज्य सरकार को भी उसके अन्दर यह पावर नहीं थी कि उस गलत असेसमेंट को हम किस प्रकार से ठीक करें इसलिए उन हालात के अन्दर सेक्शन (4) के अन्दर रिव्यू की और री-असेसमेंट की पावर दी जानी आवश्यक थी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के जो री-असेसमेंट के अधिकारी हैं हमको उन अधिकारियों के ऊपर विश्वास करके चलना पड़ेगा कि वह हमेशा अपने विवेक के अनुसार गुड फेथ के अन्दर टैक्स इवेजन की जो स्थिति है उसको बचाने के लिये राज्य सरकार के हित में काम करेंगे और अगर इस प्रकार से कोई अधिकारी राज्य सरकार के हित में काम नहीं करता है तो इस एक्ट के अन्दर ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। उन अधिकारियों के विरुद्ध कर्त्तव्य पालन हीनता के अन्दर सरकार अलग से कदम उठा सकती है। इसलिए सदस्यों द्वारा इस प्रकार का महत्वपूर्ण संशोधन 4 (ए) के द्वारा लाया गया है जिसके द्वारा राज्य सरकार को यह एक

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पावर दी गई है कि कोई भी टैक्स इवेजन किसी भी व्यापारी या किसी भी कर्मचारी से मिलकर के अगर किया है तो उसका री-असेसमेंट और रिव्यू किया जायेगा और मार्केट प्राइस के मुताबिक जिस प्रकार की स्थिति होगी उसमें यह बात जो है वापस दुरूस्त की जा सकेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि यह संशोधन बिल हाउस द्वारा पारित किया जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : री-असेसमेंट के लिये इन्होंने कहा है तो इन्कम टैक्स एक्ट के तहत भी....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा, यह मेरा सुझाव है कि इन्कम टैक्स की, री-असेसमेंट की बात करते हैं तो केस री-ओपन होगा री-असेसमेंट के अन्दर। कितने पीरियड तक का आप री-ओपन करेंगे ? आप अनलिमिटेड पावर्स आज कामर्शियल टैक्सेशन आफिसर्स को देना चाहते हैं तो किस अर्से तक का। हमारे बीस साल तक का केस खोल दो साथ ही, I am wrong, You may corect me. तो इसमें आपने जो री-असेसमेंट का दिया है वेलिडेट करने के लिए। इससे मैं यह समझ पाया हूं कि री-असेसमेंट की जो पावर है, एक्ट के जो दूसरे सेक्शन्स हैं उनसे कवर होगी तो इस सेक्शन के तहत जैसा आपने दिया है तो आप स्वीपिंग पावर मत दे दीजिए, अगर आपने स्वीपिंग पावर दे दी असेसिंग आथोरिटीज को तो लोगों को इसके अन्दर बहुत हरेसमेंट होगा अगर इस मामले में आप कुछ कहना चाहें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इससे हमारी जानकारी बढ़ जायेगी इस मामले में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, एक जानकारी जो उस समय रह गयी थी वह बता दूं कि 1960 से जो क्रय कर वसूल कर चुके हैं हम वह 425 से 450 करोड़ के बीच में है जिसको हमको वापस करना पड़ेगा अगर हम यह पहला संशोधन नहीं लाते तो। मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जब रिटर्न आयेंगे और उनको देखा जायेगा और देखने के बाद असेसिंग अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इसमें बाजार रेट से बहुत अन्तर है और ऐसी फर्म दो हैं उस समय इस बात का निर्णय करेगा इसलिए यह कोई आगे तक चलने वाला, सालों तक ऐसा कोई विषय नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आगे तक चलने की बात नहीं कर रहा हूं। री-असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी तो पीछे से आप किस समय तक, किस अर्से तक, क्या आप अनलिमिटेड पावर्स, स्वीपिंग पावर्स देना चाहते हैं जैसे इन्कम टैक्स के अन्दर है कि आज दस साल से पुराना केस नहीं खुलेगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब इस प्रकार की जानकारी असेसिंग अधिकारी को आयी तो इसमें सिस्टर कन्सर्न को खोलकर यह घपला किया गया है उसी समय वह इसका विचार करके असेसमेंट कर देगा, बाकी नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया गया।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्री राज्य में हाल ही में पकड़े गये आतंकवादियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

अनूपगढ़, जिला गंगानगर में पकड़े गये आतंकवादियों के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, दिनांक 9 मार्च, 1990 को अनूपगढ़, जिला गंगानगर में राजस्थान पुलिस एवं बी. एस. एफ. द्वारा भारी मात्रा में पाकिस्तान से आतंकवादियों के हथियार बरामद करने में सफल हुये हैं। दिनांक 8 मार्च, 1990 को आतंकवादियों ने एक खेत में काम करने वाले को बन्दूक की नोक पर हथियारों और गोला बारूदों से भरे ठेले को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को बाध्य किया था और इसकी सूचना किसी को देने की सूरत में हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस व बी. एस. एफ. ने तत्परता से कार्यवाही की एवं हथियारों का पूरा जखीरा जिसमें 16 अत्याधुनिक आटोमेटिक ए. के. 47, ए. के. 46 राइफलें करीब 6 हजार 500 कारतूस, दो 9-एम. एम. पिस्टल, दो कार्ल गुस्ताव राकेट लांचर मय राकेटों के, एक एण्टी टैंक माइन और फर्स्ट एड के सामान सहित खतरनाक ज्वलनशील विस्फोटक आदि बरामद किये। इस सफलता की सूचना मिलते ही मैं स्वयं राज्य उच्चाधिकारियों के साथ गंगानगर गया हथियारों के जखीरों को देखा और इस कामयाबी से सम्बन्धित अधिकारियों को 38 हजार, 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया। इस बरामदगी के उपरान्त पुलिस अधिक सर्तक हो गयी एवं उन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित कर दिनांक 25 मार्च, 1990 को अनूपगढ़ पुलिस थाना के क्षेत्र में 2887 जी. बी. के पास नाके लगाकर 17 कुख्यात आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। यह आतंकवादी अनूपगढ़ क्षेत्र में घग्घर क्षेत्र के उबड़-खाबड़ और दलदलीय स्थानों का फायदा उठाते हुये और अधिक हथियारों को लेने के लिये पाकिस्तान जाने वाले थे। पुलिस ने इन आतंकवादियों के कब्जे से एक 56 राइफल, 4 मैगजीन, 112 कारतूस, 500 रुपये पाकिस्तानी करेंसी व तीन घातक साइनाइड जहर की गोलियां बरामद की। उन मामलों में थाना अनूपगढ़ ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुकदमा नम्बर 7290 दिनांक 9 मार्च, 1990 अन्तर्गत धारा 3, 4, 5 टाडा एक्ट, आई. पी. सी. एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट मुकदमा नम्बर 9690 दिनांक 25 मार्च, 1990, अन्तर्गत धारा 3, 4, 5 टाडा एक्ट, 9 आई. पी. सी. एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट, 110 कस्टम्स एक्ट व फैरा एक्ट में तफतीश की जा रही है।

यह पुलिस की कार्यकुशलता का परिणाम है कि आतंकवादी अपने हथियारों व जहरीली गोलियों का प्रयोग नहीं कर पाये। प्रारम्भिक जांच से यह स्पष्ट हो गया कि इन 17 आतंकवादियों में से 4 वे आतंकवादी हैं जो दिनांक 9 मार्च, 1990 को बरामद किये गये जखीरे को पाकिस्तान से लाये थे। इस मामले में 11 व्यक्तियों के होने की सूचना है जिनमें 6 पकड़े जा चुके हैं और शेष को पकड़ने के लिये पुलिस प्रयत्नशील है। पकड़े गये आतंकवादियों की पूछ-ताछ से यह स्पष्ट हो गया कि उनके साथी और उनके समर्थक पाकिस्तान में है और वहां के अधिकारियों के सम्पर्क और संरक्षण से हथियारों को हिन्दुस्तान में आतककारी गुटों को भेज रहे हैं। आतंकवादियों के द्वारा राजस्थान सीमा को पार कर हथियार लाने ले जाने की घटनायें राजस्थान के लिए चिन्ता का विषय है। राज्य सरकार इस तरफ पूरी तौर से सजग है और गंगानगर जिले में इसी दृष्टि से काफी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, आर. ए. सी. की तैनाती अन्दरूनी क्षेत्रों में की गयी है। इसका पुनरावलोकन किया जाकर अधिक केन्द्रीय बलों को लगाये जाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया गया है। मैं सदन को यहां यह भी बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने गंगानगर जिले में एवं अन्य संवेदनशील स्थानों में आतंकवादियों से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को दो योजनायें भेजी थी। 9.33 करोड़ रुपये की एक योजना गृह मंत्रालय ने सिद्धान्त: मान ली है। परन्तु वित्तीय कारणों से अभी तक स्वीकार नहीं हो पायी है। इसके अलावा राज्य के संवेदनशील स्थानों व सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी घुसपेठ से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना राज्य सरकार ने नवें वित्त आयोग के सामने रखी थी। इस पर यद्यपि भारत सरकार, गृह मंत्रालय की पूरी सहमति थी परन्तु यह अभी तक स्वीकार नहीं की गयी है। पुलिस को आतंकवादियों का सामना करने के लिए न केवल ज्यादा संख्या की आवश्यकता है बल्कि उनके गुणात्मक सुधार की भी आवश्यकता है। इन सब पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। मैं पुन: सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर पूरी तरह सजग है, और इससे निपटने के लिए कोई भी कदम उठाने में नहीं हिचकिचायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ने यह जो वक्तव्य दिया है, निश्चित ही हमारी नयी सरकार के लिए एक सफलता की बात है। दो गिरोह पकड़े गये हैं। पिछले 5-6 साल से सीमाओं पर से हथियार हमारे यहां आते रहे थे। इसकी चर्चा पंजाब के आतंकवादियों के पकड़े जाने पर हुई। पंजाब में जो सरकार आतंकवादियों से लड़ रही थी, उसकी भी चिन्ता थी इस रूप में। मैं एक और पहलू पर माननीय

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन आतंकवादियों के पकड़े जाने से, हथियारों का यह जखीरा पकड़े जाने से, गंगानगर जिले की जनता में जो भय व्याप्त हुआ है, आतंकवादियों का जो असर जनता पर हुआ है, सबसे गम्भीर चिन्ता इस बात की है। मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथ बैठे हैं, अभी-अभी सत्ता से अलग हुए हैं, देशभक्ति की इनको बड़ी चिन्ता है। गंगानगर जिले की जनता में आतंकवादियों का प्रभाव पैदा करने के कारण इस चुनाव के पहले हुए हैं। जिस तरह की ढील पूर्व सरकार ने दी है, उग्रवादियों का दल मान ग्रुप यह एलान कर रहा था कि कोई सिख नौजवान पुलिस की भर्ती में नहीं जायेगा, और शायद वह पार्लियामेण्ट में भी तय कर रहे हैं कि इस्तीफा देंगे। ऐसे लोगों का पब्लिक जलसा वहां हुआ। पब्लिक जलसे में जो कुछ हुआ, राज्य सरकार के पास उसका रिकार्ड है। उन्होंने खालिस्तान का एक नक्शा पेश किया। खालिस्तान के उस नक्शे में नौ तहसीलों को दिखाया गया और पब्लिक मीटिंग में यह एलान हुआ कि हम डिक्लेयर करते हैं कि यह खालिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने यह डिक्लेयर किया पब्लिक मीटिंग में, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी हमारे राजस्थान में।

श्री हीरालाल इन्दौरा : दिल्ली में, किस की सरकार थी ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूं कि पुलिस आप के पास थी, कलक्टर आपका था। पुलिस और कलक्टर दोनों मौजूद थे पब्लिक मीटिंग के अन्दर। एक नेता यह एलान करता है कि हम कलक्टर को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, पुलिस की गर्दन मरोड़ देंगे। पब्लिक मीटिंग में सिमरनजीत सिंह मान के सामने मंजीतसिंह सिद्धू ने कहा कि जिस कलक्टर ने मण्ड को रोका है, हथियार रोके हैं, सिमरनजीत मान को बार्डर पर रोका है, उस कलक्टर की गर्दन मरोड़ देंगे, उस एस. पी. की खाल खींच लेंगे, उस एस. पी. की पूनी बना देंगे। यह लफ्ज यूज किया है। 3-4 हजार लोग थे पब्लिक मीटिंग के अन्दर, उसने कहा कि हम पूनी बना देंगे। लोकल लोग भी बोले, गंगानगर जिले के जो लोग हैं वे भी बोले कि हम खालिस्तान बनायेंगे, इस एरिया में खालिस्तान बनायेंगे। उसके बाद वहां गुरूद्वारे की एक कमेटी में हथियार बन्द लोग आये। उनके जाने के बाद पुलिस ने स्वीकार किया है प्रेस के सामने कि उनके पास लाइसेंस नहीं थे। स्टेनगन और मशीनगनें उन लोगों के पास थी जो बार्डर से पास होकर आये। राजस्थान में आये और यहां आकर गुरुद्वारे पर कब्जा किया। गुरुद्वारे की कमेटी को भगाया वहां से और एस पी. और कलक्टर को मजबूर किया। उन्होंने शाम तक उनको रोके रखा, सभापति महोदय। वहां जयपुर से उनको संदेश मिला कि इन सारे नाजायज हथियारों को छोड़ दिया जाय, इनको बार्डर पर वापस छोड़ दिया जाय। हमारे पुलिस के लोगों को मजबूर होकर उन आतंकवादियों को वापस बाइज्जत छोड़कर आना पड़ा। यह तो स्थिति पैदा हुई हमारे जिले में। उन परिस्थितियों का नतीजा हुआ कि उन उग्रवादियों ने 25-30 की टोली में आकर यहां चुनाव लड़ा। वास्तव में गंगानगर के लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, अगर देखा जाय तो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

वह सारी की सारी चुनाव प्रक्रिया पंजाब के उग्रवादियों ने चलायी । उसके कारण भी राजनीतिक थे कि सिख जितने भी हैं वहां, वे एण्टी कांग्रेस थे। उनके एण्टी कांग्रेस मूड को जब पार्लियामेंट चुनावों में देखा कांग्रेस ने, उसने यह महसूस किया कि अगर यहां उग्रवादी आ जायं, इनका इनफिल्ट्रेशन हो जाय तो सिख मासेस असेम्बली इलेक्शन में म्यूटिनी कर देंगे। और किया भी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं समझता हूं एक माननीय सदस्य यहां आये भी इसीलिए हैं कि एक उम्मीदवार 16–17 हजार वोट ले गया । मैं आपसे निवेदन करूं कि वोट के मामूली लालच में हमने इतने गुनाह किये हैं, जिससे देश की यह स्थिति हुई है । मेरे गंगानगर जिले में जहां सिख और हिन्दू में कोई फर्क नहीं था आज के दो साल पहले, आज स्थिति यह हो गयी कि एक-एक सिख उन उग्रवादियों के कहने में हैं, जिन्होंने गुरुग्रंथ साहिब को पब्लिक मीटिंग में जीप के ऊपर रखा । वे गुरुग्रंथ साहिब को गांवों में ले जाते और सारे सिखों को इकट्ठा करते और वहां पर उनको उपदेश देते । यह पुलिस और प्रशासन वहां तमाशे देखता रहा इन 20–25 दिन चुनाव के दौरान और उससे पहले । उसी का नतीजा है कि जनता के अन्दर भय व्याप्त हुआ है । इस तरह की कोशिश लोगों ने की है । मैं निवेदन करूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कि जो कुछ कदम पुलिस ने उठाया है, सिर्फ पुलिस से काम नहीं चलेगा, वहां की जनता में इस विश्वास को पैदा करने की जरूरत है । नयी सरकार, मैं चाहूंगा कि वह कर दे जैसा पंजाब में अभी किया है । हमारे पास यहां आर्डर हुए हैं कि वहां धारा 144 लागू कर दी जाय सारे गंगानगर जिले में । गंगानगर जिले में कोई व्यक्ति हथियार लेकर नहीं चल सकता, कोई अपना हथियार यूज नहीं कर सकता, और आज स्थिति यह है कि उग्रवादियों के पास हथियार पकड़े गये जो उग्रवादी लेकर आ रहे हैं । यह जरूरी नहीं है कि पुलिस किसी तरह काबू पा ले सारे उग्रवादियों पर । ऐसी स्थिति में पंजाब में यह किया है कि लाइसेंस में थोड़ी रियायत दी जाय । वहां बार्डर के जो क्षेत्र हैं उस इलाके में अभी लाइसेंस बन्द हैं, पिछले 3–4 महीने से किसी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिये जा रहे । मेरा निवेदन है सदन से कि गंगानगर जिले के लोगों को अपने बचाव के लिए लाइसेंस में ढील दी जाय जिससे कि वहां नागरिकों के पास भी हथियार हों और अगर ऐसा वक्त आ जाय तो वह मुकाबला करने में सक्षम हों । मैं उम्मीद करूंगा कि राज्य सरकार इस तरह के कुछ कदम उठायेगी, जिससे वहां की जनता में हौसला हो । इस तरह के एलीमेण्ट्स से लड़ने में जहां पुलिस और प्रशासन संघर्ष कर रहे हैं तो जनता भी उसके लिए तैयार हो । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : सभापति महोदय, मैं सदन के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हथियारों के जखीरे को उन्होंने पकड़ा, उसके लिए तो हम बधाई देना चाहते हैं । खासतौर से उन अधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने इसे सक्रियता से निभाया । प्रश्न

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

इस बात का है सभापति महोदय, चाहे उधर बैठने वाले हों चाहे इधर बैठने वाले हों, राजस्थान के किसी भी हिस्से में आतंकवादियों की घुसपैठ होती है, या उनको किसी प्रकार का संरक्षण या पैट्रोनाइजेशन कोई देता है, ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्ती से निपटें। इसमें सारा विपक्ष उनके साथ है। माननीय सदस्य ने अभी-अभी यह मामला उठाया कि पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार ने यह काम किया और उन्होंने कलक्टर और एस. पी. को हिदायत देकर यहां भेजा। माननीय सदस्य, यह बात बिलकुल गलत है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे पास इसका सबूत है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसे सबूत तो हम भी बहुत दे देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सबूत दे सकता हूं, रिकार्डेड हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसे सबूत तो हम भी बहुत दे देंगे कि कौन-कौन लोग उसके अन्दर शामिल हैं। छोड़िये इस बात को। यह मामला राष्ट्रीय है, इसको राजनीतिक मत बनाइये। माननीय सभापति महोदय, इसमें राजनीति मत डालिये।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह ऐसा मसला है जो राजस्थान के लिए, सबके लिए गम्भीर चिन्ता का प्रश्न है। सरकार और सरकारी अधिकारी ऐसे प्रश्न के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, उनको सख्ती से निपटते हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं, लेकिन इसको राजनीतिक इश्यू न बनायें। आज चाहे इधर बैठने वाला हो, चाहे उधर बैठने वाला, कोई भी इस प्रश्न को प्रश्रय देने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज सरकार आपके पास है, सरकारी कागज आपके पास हैं, सरकारी अधिकारी आपके पास हैं, आप इसकी जांच कर लीजिए। माननीय सदस्य इस प्रकार की बात कहकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम यह मानते हैं कि इसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाय। जहां तक हथियारों का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हथियार जरूर दिये जायं, लेकिन उनको जिनकी पूरी शिनाख्त हो जाय, जब पूरी गारण्टी प्रशासन को मिल जाय कि इनको हथियार दिये जाने से उसका दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसी जांच जब तक नहीं करें तब तक हथियार देना फायदेमन्द नहीं होगा। क्योंकि बार्डर पर कई ऐसे लोग वहां पंजाब से आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी यह सारा क्रम चल रहा है। जो हमारे साथ कश्मीर में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है वैसा स्थल हमको राजस्थान को नहीं बनने देना है। राजस्थान को हमें इस प्रकार का स्थल नहीं बनने देना है। यहां सदन में जो बैठे हुये है उनकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं इस प्रश्न पर जो भी सरकार निर्णय करेगी वह बड़ा सोच समझकर करेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो योजना भारत सरकार को दी है इस मामले में, हम चाहेंगे कि वह अपने प्रयास करें और वह जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता लायें ताकि इसका और विकास हो। आज पुलिस के पास साधनों का बड़ा अभाव है,

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आज पुलिस की कमी हैं और साधनों की कमी भी आज पुलिस के पास है। उनके पास पूरी सामग्री और पूरे हथियार नहीं होने की वजह से आतंकवादी निकल जाते हैं कई बार सूचना मिलने के बाद। इसको सख्ती से आप निपटें, सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय हीरालाल जी इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): सभापति महोदय, सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह बात कही कि यह सब कांग्रेस सरकार ने करवाया, यह सरासर असत्य है, गलत है और यह राजनीति से प्रेरित है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से विधान सभा के चुनावों में उस समय की कांग्रेस सरकार ने यदि व्यवस्था नहीं की होती तो हम चुनकर नहीं आ सकते थे। इसलिये माकूल व्यवस्था थी विधान सभा के चुनावों में और माकूल व्यवस्था का रिजल्ट यह हुआ कि हम चुनाव लड़कर आये। मैं इस बात से सहमत हूं कि सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी हिफाजत के लिये लोगों को हथियार दिये जायं और लाइसेन्स खोले जायं जिस प्रकार से पाक सीमा के इलाके में पहले लोगों को अपनी सुरक्षा के लिये सरकार की तरफ से लाइसेन्स दिये गये थे ताकि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। इस बात पर मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार के चार्जेज लगाये कि गंगानगर में श्री मान और दूसरे लोगों ने आकर आपत्तिजनक भाषण दिये, यह ठीक है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार की भी है क्योंकि वह दोनों उस समय एम. पी. थे, श्री मान और श्री मण्ड दोनों एम. पी थे और उनको सीमावर्ती इलाके में रोका गया। 4 घण्टे तक उनको वहां पर रोका एस. एस. पी. ने। वहां के कलक्टर ने फिरोजपुर बात की थी एस.एस. पी. से और डी. सी. से और जब उनसे कन्फर्म हुआ कि उनकी सिक्योरिटी के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं, तब जाकर के हमारे राजस्थान के प्रशासन ने उनको छोड़ा। जब यह कन्फर्म हो गया। इस तरह पंजाब सरकार आतंकवादियों की हिफाजत के लिये ए.के.-47 दे तो राजस्थान सरकार एम. पीज. को किस प्रकार से रोक सकती है।

सभापति महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है। गंगानगर संवेदनशील इलाका है, हम भी वहां से चुनाव लड़कर आये हैं, जिन परिस्तितियों में हम वहां से चुनाव लड़कर आये हैं वह सबक सामने हैं। अखबारों से भी आपको मालूम हुआ होगा। सभापति महोदय, इस एक बात में तो मैं सहमत हूं माननीय श्री हेतरामजी से, कि सीमावर्ती इलाके में अपनी सुरक्षा के लिये जिस प्रकार से पहले सरकार की तरफ से हथियार दिये जाते थे, वह हथियार दिये जायं, और आगे गंगानगर जिले को देखते हुए, क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक तरफ पंजाब से लगता है और एक तरफ पाकिस्तान से लगता है और वहां की गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, विधान सभा चुनावों के दौरान इस तरह के वहां के अड्डे बने हैं, उनकी तरफ देखना होगा।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा जखीरा पकड़ा। इससे लोगों की हिम्मत बढ़ी है कि इस तरह के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गंगानगर की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थानों में साधन नहीं है, पुरानी जीपें हैं। तो सीमावर्ती थानों में, खास तौर से गंगानगर जिले के सभी थानों में, अच्छे हथियार दिये जायं, जिप्सियां दी जायं, दूसरे साधन दिये जायं, कमाण्डोज रखे जायें। इस जिले को सुरक्षित रखने के लिये जो भी योजनायें बन सकें, उन सब में हम राज्य सरकार के साथ हैं।

मैं माननीय सदन के नेता महोदय से आग्रह करूंगा कि गंगानगर की सुरक्षा के लिये, गंगानगर में रहने वालों को हिम्मत देने के लिये, उनको प्रोत्साहित करने के लिये, उनका मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिये सुरक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दें और जिस प्रकार से सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने जो राजनीतिक चार्ज लगाये हैं, मैं उनका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री चम्पालाल जी बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के नेता को, यह जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात है। बार्डर के ऊपर तस्करी का मामला चल रहा है, अभी समाचार-पत्रों के अनुसार बाड़मेर बोर्डर के ऊपर 60 लाख का सोना पकड़ा गया और एक करोड़ का सोना अभी ...

श्री सभापति : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। जो वक्तव्य दिया गया है उसी से सम्बन्धित कोई बात आपको पूछनी है तो पूछ लीजिये।

श्री चम्पालाल बांठिया : कनेक्शन है साहब। तस्करी के जरिये ही आतंकवाद बढ़ रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यह दोनों सम्बन्धित हैं। पिछले चुनाव के अन्दर तस्करी को बढ़ावा मिला है और समाचार-पत्रों के अन्दर माननीय सदस्य, जो सदन के सदस्य हैं, उनका भी नाम छपा है। मैं सदन के माननीय नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय को भी थोड़ा आप देख लें तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री अमीन खां (शिव) : यह जो अखबार में नाम आया है....

एक माननीय सदस्य : आपका है क्या ?

श्री अमीन खां : मैं समझता हूं, जो उन्होंने कहा है। उसका कल ही मैंने अखबार में खण्डन किया है। जो तस्कर पकड़ा गया है वह मेरा 50 पीढ़ी से भी रिश्तेदार नहीं है और मेरे चुनाव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह राजनीतिक चार्ज लगाया है, उस अखबार वाले को मैंने चिट्ठी लिखी है, संवाददाता से भी मिला हूं, कल

(श्री ग्रमीन खां)

उसका खण्डन छपा है। यह बिलकुल असत्य और निराधार है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, जखीरा पकड़ना और गिरफ्तारी करना निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। लेकिन जिस प्रकार से इस गम्भीर विषय को डाइल्यूट और डाइवर्ट करने की सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कोशिश की है उससे तमाम डिबेट का रूख बदल गया। सीधा प्रश्न यह है कि लॉ एण्ड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। और गवर्नमेंट की पालिसी विज-ए-विज टेरेरिस्ट क्या है? साफ्ट पैडलिंग का एलिगेशन अगर हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ लगाते हैं, तो आज तो हमारी गवर्नमेंट है नहीं। आज जो सेण्ट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो पालिसी विज-ए-विज टेरेरिस्ट है उसको भारतीय जनता पार्टी की सेन्ट्रल लीडरशिप साफ्ट पैडलिंग बताती है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि हमारी राजस्थान की जो सरकार है वह केन्द्रीय सरकार के कोई मातहत सरकार नहीं हैं। इण्डिपेण्डेण्ट सरकार है, इण्डिपेण्डेण्ट पालिसी रखती है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि वह इस मानसिकता से अपने आपको मुक्ति दें कि केन्द्रीय सरकार यह बात करती है, इसलिए इसको समर्थन देना आवश्यक है। मेहम के चुनाव की चर्चा होगी तो वहां डिपेण्ड करेंगे। सेण्ट्रल लीडरशिप डिपेण्ड नहीं करेगी। टेररिस्ट के प्रति साफ्टपेडलिंग सेण्ट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एलिगेशन लगता नहीं। स्टेट लेबल के ऊपर आपका अगर फर्म रख रहता है तो आप निश्चित रूप से मानकर चलिये कि हमारे दल की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसमें असहयोग की कोई भावना पैदा नहीं होगी।

अन्य माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेररिस्ट से कभी वाकई कांग्रेस का एलाइनमेण्ट रहा है या नहीं रहा है, बहुत सीरियस एलिगेशन है। कांग्रेस का नहीं, कांग्रेसमैन का भी एलाइनमेण्ट टेररिस्ट से अगर रहा है तो हम इसको बहुत गम्भीरता से लेते हैं। आप इस विषय को अलग से चर्चा में रख लें। आपके पास क्या सबूत है, आप पेश कर दीजिए। आप टेररिस्ट को कैसे एनकरेज करते हैं यह हम पेश कर देंगे। कृपया एक गम्भीर विषय को डाइल्यूट करने की कोशिश न करें और इसको पलटकर फर्म रख बनायें।

श्री डूंगरराम पंवार : महम का क्या वहम है आपको?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहूंगा। कृपया इस बात का आप प्रिकाशन लें, जैसा मेरी जानकारी में आया है कि जो वहां के संसद सदस्य हैं सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने पंजाब पुलिस का प्रोटेक्शन लेने से इन्कार कर दिया है और उनके साथ उनके जो गनमैन आते हैं उनको पंजाब ने स्पेशल आफिसर का दर्जा दे दिया है, क्या यह बात सही है? वह अपने साथ हथियार लाते हैं। गंगानगर पुलिस ने उसको रोका और जांच की, काफी समय तक रोके रखा। जब वहां से कन्फर्म हुआ तब उनको छोड़ा। हकीकत यह है जो आप छोड़ने की बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कह रहे हैं कि छोड़ दिया गया। आप कृपया इसकी जांच कर लें। आपने चलते-चलते तरीके से एक एलिगेशन लगा दिया। यह मेरी जानकारी है। अगर गलत है तो मुख्य मंत्री जी कह दें, गलत है यह बात, ऐसा नहीं हुआ। मेरा कहने का जो अभिप्राय है मैं चाहता हूं कि बराबर चैक हो, क्योंकि स्पेशल पुलिस आफिसर का दर्जा सिविलियन को दिया गया है, कहीं इसकी आड़ में कोई दुर्घटना नहीं हो जाय। आप कृपया इसका बराबर ध्यान रखें, हिदायत दें क्योंकि इसमें कम्प्लेसंस से काफी तकलीफ होगी। इसके लिए मुस्तैदी से पालन किया जाये। यही मेरा आपसे निवेदन है। जखीरा पकड़ने का निश्चित रूप से अच्छा कार्य हुआ है। पहले भी जखीरे पकड़े गये लेकिन इतना बड़ा जखीरा कभी नहीं पकड़ा गया। इसके लिए बी एस.एफ. और गंगानगर की पुलिस दोनों ही बधाई की पात्र हैं।

सन् 67 से, जब से मै इस सदन का सदस्य हूं, बोर्डर की सिक्यूरिटी के मामले में और स्मगलिंग के बारे में आपने खूब दौरे किये हैं और इस सदन के अन्दर आप इस मुद्दे को किसी न किसी रूप में बहुत तेजी से उठाते रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए आपको इन विषयों की बहुत अधिक जानकारी है। मेरे कहने का अभिप्राय है आप जानते हैं वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जितनी लम्बी चौड़ी सीमा है, आप हमेशा कहते थे कि इसको बैन करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बोर्डर है लेकिन जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान, हिन्दुस्तानके अंदरूनी मामलों में कर रहा है, कश्मीर के मसले को लेकर या पंजाब के मसले को लेकर के, यह सर्वविदित बात है, सारी पोलिटिकल पार्टीज इस बात को कह रही है। तो मेरा तो आपसे अनुरोध यह है कि आप इस मामले को भारत सरकार पर ले रहे हैं लेकिन इस मामले को प्रायोरिटीज पर लेकर, चूंकि आगे आने वाला समय ऐसा है कि कश्मीर के मामले को लेकर के किसी भी वक्त पाकिस्तान से कन्फ्रन्टेशन होने की सम्भावना से कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह बात हम लोगों को आज समझनी चाहिए जो आज विस्फोटक स्थिति कश्मीर की बनी हुई है वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स को कश्मीर के अन्दर भेजा जा रहा है, वहां की पीस को डिस्टर्ब करने के लिए तो कन्फ्रन्ट्रेशन कब हो जाये, इसका अपने को कोई पता नहीं है। मेरा, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन यह है कि यहां भी पाकिस्तान का बोर्डर कभी अछूता नहीं बचा और इस सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अब भी राजस्थान का बोर्डर अछूता नहीं बचेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा जाये और जो आपने सफलता प्राप्त करी, क्योंकि अभी से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हम गफलत में रह गये प्रिकॉशन नहीं ले पायें तो हमको, राजस्थान को, और देश को सबको नुकसान हो सकता है। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है, श्रीमन्।

श्री सभापति : माननीय मुख्यमंत्रीजी।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं एक मिनट निवेदन कर दूं। माननीय सभापति जी, बड़ी मुस्तैदी से हमारी बी.एस.एफ. ने और पुलिस ने अनूपगढ़ के बोर्डर पर पाकिस्तान के लोगों को पकड़ा, उनका जखीरा पकड़ा। अनूपगढ़ में विशेष परिस्थितियां होने से

(श्री केदारनाथ शर्मा)

घग्घर बैंड है, दोनों तरफ फसल खड़ी है पाकिस्तान बोर्डर के इस पार भी और उस पार भी। हिन्दुस्तान के आखरी पाइन्ट पर भी फसल खड़ी है। काफी लोग ढाणियों में बसे हुये हैं। हमारी सरकार ने जो कांइ-नेंशल पोजिशन है, काफी एनकोर्समेंट किया, वायरलैस सैट दिया, आर्म्स एण्ड एम्युनीशन्स दिये और मुख्य मंत्रीजी खुद 12 तारीख को जाकर के जो वहां पर काम किया, इस बात का बड़ा असर पड़ा। यहां पर यह भी कहा गया कि वहां पर जो बस्तियां हैं, 30-35 साल से वह लोग वैल सैटल्ड हैं उनके सेन्टि-मेंट्स नेशनल हैं, कोई उन पर शंका नहीं कर सकता। आम तौर पर वहां के लोग टेरेरिस्ट की एक्टीविटीज को पसन्द नहीं करते था तो हाइडिंग अलाऊन्स देते हैं कि जबर्दस्ती ले लें, लोभ से, वह अलग बात है, अपने आप नहीं दिया उन्होंने और ना कभी इस तरह की बात की। इलेक्शन की बात कुछ और हुआ करती है, मंड वहां पर आये, मूवमेंट को कण्ट्रोल किया, गुरुद्वारे में लाकर के उनको कण्ट्रोल में रखा गया और जब तक पंजाब से एंटिसिडेंट्स के बारे में वेरी-फाई नहीं किया, उनके लाइसेंस आदि के बारे में, तब तक उनको कहीं भी मूवमेंट नहीं करने दिया, जाने नहीं दिया। सेण्टर से बात की, उस समय कांग्रेस सरकार थी उन्होंने यही कहा कि इनके मूवमेंट पर पाबन्दी की जाये और यह कोई हरकत न कर पायें इसका इंतजाम किया जाय। मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि वहां ढाणियां हैं, सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, यह जो 35-40 कि.मी का बोर्डर है यह काफी वल्नरेबल है। चौकियां काफी दूर-दूर हैं, मुझे मालूम है, मुख्यमंत्री जी इस बात को खूब जानते हैं। सैण्ट्रल से आपकी मांग थी 9 करोड़ रुपये की, बाकी स्कीम के लिये आप प्रेस करोगे ताकि पाक बोर्डर पर हमारा पूरा इंतजाम हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था पर जो लोग वहां ढाणियों में बसे हुये हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। पहले एक समय स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ओर से गन्स अलाट किये थे। आम तौर से वहां पर कुछ अलाटीज हैं जो पुराने वाशिन्दे हैं। नये किस्म के लोग भी आ गये हैं हो सकता है कुछ एलीमेंट ऐसा हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आइडेन्टिफाई कुछ किये गये हैं, कुछ किये जा रहे हैं। आम तौर पर जो पुराने वाशिन्दे हैं उनके बारे में कोई शक नहीं, जो नये अलाटीज हैं आम तौर पर गरीब जाति के लोग हैं, हरिजन हैं, राज सिक्ख हैं, ज्यादातर बैकवर्ड कम्यूनिटीज के लोग हैं जिनको आपने अलाटमेंट किया। आप खुद भी जानते हैं, सभापति जी, ऐसी हालत में बोर्डर पर हमने वायर का तो काम कर दिया परन्तु पाकिस्तान ने अपने बोर्डर पर दीवार बहुत ऊंची खड़ी करने का इंतजाम कर दिया है। सैण्ट्रल को यह लिखा जाये वैसे आपने लिखा होगा जरूर, सैण्ट्रल की ओर से हमारा पूरा इंतजाम हो जिससे जो यह सारा डिस्टेन्स है वह कवर हो जाय। इन्टेलीजेन्स नेटवर्क हमारा कमजोर है, इसी के बहाने लोग काम कर रहे हैं। जनता में मोरल कम नहीं है। जनता ने खूब साथ दिया, खूब साथ दे रहे हैं और जनता में इस बात का कॉनफिडेन्स है कि हम लोग ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सिक्ख कौम की यहां पर तारीफ करता हूं। इसलिए इन्टेलीजेन्स नेटवर्क काफी तेज हो जाये, अच्छे लोग हों, जो

(श्री केदारनाथ शर्मा)

वहां पर काम कर सकें और सारी एक्टीविटीज को नेब कर सके।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि सारे बोर्डर पर आज फसल खड़ी है, कुछ दिन और रहेगी, घग्घर का बैड है, ढाणियों में लोग बसे हुये है, पाकिस्तान के आखिरी बोर्डर पर लोग काश्त करते हैं और आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं। हमें विश्वास है कि केन्द्र सरकार सजग है। हमारी सरकार ने काफी कदम उठाये हैं और उठाने जा रही है। मैं इस बात के लिए कहता हूं कि हम निश्चित हैं कि बोर्डर पर इंतजाम होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने पुलिस और बी.एस.एफ. की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जो हथियारों का जखीरा पकड़ा गया और आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई वह वास्तव में पुलिस का एक सराहनीय कार्य है और आपने उनकी सराहना कर उनकी होंसला अफजाई की है, इसके लिए मैं आप के प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा काफी लम्बी है और इस लम्बी सीमा का प्रबन्ध करने में कई प्रकार की असुविधाएं हैं। इन्हीं असुविधाओं का लाभ उठा कर कई बार लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान से आ जाते हैं। कोई माल लेकर आते हैं, कोई हथियार लेकर आते हैं, लेकिन प्रयत्न इस बात का निश्चित रूप से होगा कि जो पाकिस्तान गये या पाकिस्तान से वापस अपने साथ सामान लाये, उन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हों और माल जब्त किया जाये।

गंगानगर जिले में लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार की बात भी कही गयी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर में आतंकवादियों का भय होता तो मान गुट ने जितने भी उम्मीदवार खड़े किये थे, वह पराजित नहीं होते, उनकी निश्चित रूप से जीत होती। लेकिन गंगानगर की जनता ने एक साहस का परिचय दिया। मैं समझता हूं उस साहस में किसी प्रकार की कमी नहीं है। चुनाव के दिनों में किस प्रकार के भाषण हुये, किस प्रकार से लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, वैसी सारी स्थिति में गंगानगर जिले के सिक्खों ने मान गुट के उम्मीदवारों को पराजित किया है। वह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय बात है।

वहां पर खालिस्तान बनाने की बात कोई नई नहीं है। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव में भी गंगानगर जिले की 9 तहसीलों को खालिस्तान में शामिल करने की बात की गई। यह मांग तो बहुत वर्षों से चली आ रही है लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि गंगानगर जिले की एक भी तहसील राजस्थान से बाहर नहीं जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक भी गांव।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक भी गांव, एक भी तहसील या एक भी ढाणी। यों कहूं कोई भी ढाणी राजस्थान के बाहर नहीं जायेगी। इसके साथ यह भी कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में खालिस्तान नाम का कोई अलग से राज्य बन जाये,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसकी कल्पना भी साकार नहीं की जा सकती ।

सभापति महोदय, यहां यह भी कहा गया कि इन इलाकों में नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिये हथियार दिये जायें। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर चर्चा तो की नहीं जा सकती और न उस पर विस्तार से कुछ कहा जा सकता है। किस प्रकार के लोगों को हथियार दिये जायें, उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध कैसे किया जाये, हथियार नहीं दियेजायें उस प्रकार की बात को किस प्रकार से कहा जाये, यह कुछ ऐसे सैन्सेटिव मैटर्स हैं जिन पर चुप रहना ही, मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दृष्टि से मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कब हथियार दिये जायेंगे, कितने हथियार दिये जायेंगे, किन को दिये जायेंगे और किन को नहीं दिये जायेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि गंगानगर के निवासियों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाये। मैं ऐसा समझता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने सारे सिक्योरिटी के मैजर्ज को काफी टाइटन किया है उसके परिणाम भी निकल रहे हैं उसे और टाइटन किया जायेगा।

जहां तक भारत सरकार द्वारा सहायता देने का प्रश्न है, मैं समझता हूं, अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन राशि और ज्यादा से ज्यादा बी. एस. एफ. की यूनिट्स राजस्थान सरकार को उपलब्ध करायें ताकि इस लम्बी सीमा के ऊपर हम पूरी चौकसी कर सकें। मैं यह तो नहीं कहता कि भारत सरकार, हमारा सहयोग नहीं कर रही, आखिर भारत सरकार की जिम्मेदारी है, बोर्डर की सुरक्षा का पूरा दायित्व भारत सरकार पर है। भारत सरकार भी यथा शक्ति उस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। जो कमियां हैं, वह भारत सरकार के ध्यान में लाई जा रही हैं और मेरा विश्वास है कि उन कमियों को शीघ्र ही दूर कर लिया जायेगा।

गंगानगर जिले की जनता से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई आतंकवादी किसी प्रकार का प्रचार करे, किसी प्रकार की दहशत उत्पन्न करे तो वैसे तो सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध है लेकिन उस प्रकार की दहशत में आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के लोगों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। सरकार को भी मुकाबला करना पड़ेगा, और जनता को भी मुकाबला करने के लिये आगे आना पड़ेगा। जैसे अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पाकिस्तान हथियार देता है। पाकिस्तान हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्मगलिंग करवाता है, हथियारों का जखीरा भेजता है, यह बातें कोई नई नहीं हैं। पाकिस्तान की नीयत हम अच्छी तरह से जानते हैं। 1971 की लड़ाई में जब बंगलादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उस समय से ही पाकिस्तान की इस प्रकार की तैयारी रही है कि बंगलादेश का बदला लिया जाये और इसी बदले की दृष्टि से उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों के माध्यम से स्थिति खराब कर रखी है। उसी आधार पर पंजाब के आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनको हथियार देते हैं और सब प्रकार का उनको प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन मैं आप को विश्वास से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान की सेना जिसने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पाकिस्तान को 1965 में और 1971 में जिस तरह से धूल चटाई थी पाकिस्तान अपनी बदनीयती से अब भी बाज आ जाये नहीं तो हिन्दुस्तान की जनता और हिन्दुस्तान की सेना पाकिस्तान को वही जवाब देगी जिस प्रकार का जवाब उन्होंने पूर्व में दिया है। हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यदि पाकिस्तान जानबूझ कर कोई खतरा मोल लेना चाहता है तो हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान की जनता उस का पूरा प्रभावी जवाब देने की स्थिति में है। हमें, मैं समझता हूं, इस दृष्टि से किसी प्रकार का खतरा नहीं है और न खतरे से किसी प्रकार की चिन्ता है। पाकिस्तान खुद आज जिस प्रकार की स्थिति में चल रहा है, वहां लोकतंत्र रहे या नहीं रहे बेनजीर का शासन रहे या नहीं रहे, आज पाकिस्तान में आंतरिक लड़ाई है वह उस आंतरिक लड़ाई को समाप्त करने के लिए वह हिन्दुस्तान में इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं कि वहां पाकिस्तान में शांति हो लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी की तो उसका तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा ही लेकिन में जो राजनैतिक उथल-पुथल हो रही है वह किसी प्रकार से रुकने वाली नहीं है।

मैं ऐसी स्थिति में ज्यादा नहीं कह कर, एक सेन्सेटिव मामला है, जो आप सब लोगों ने सहयोग देने का वायदा किया है, मैं उस का स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मसले पर राजस्थान सरकार कोई ऐसी कमी नहीं रखेगी जिस कमी का लाभ उठाकर पाकिस्तानी तत्व या आतंकवादी लाभ उठा सकें और जनता को डरा धमका कर उनका किसी प्रकार से शोषण कर सकें।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को एक सूचना और देना चाहता हूं। जालौर जिला और पश्चिमी राजस्थान बोर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग हो रहा है, जो मादक पदार्थ और हथियार वगैरह जा रहे हैं, उसके तहत केन्द्र सरकार ने दस करोड़ की एक स्कीम बनाई थी गृह मंत्रालय की मार्फत। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उसको अमल के लिये केन्द्र सरकार से सहयोग मांगें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो स्कीम बूटासिंह जी ने बनाई उसी का जिक्र कर रहे हैं न आप ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : वह गृह मंत्रालय ने बनाई थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गजनेई बांध के टूटने के सम्बन्ध में

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा, गजनेई बांध के निर्माण हेतु आवंटित राशि को अन्यत्र खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं पाली जिले की सोजत

(श्री हीरासिंह चौहान)

तहसील में गजनेई बांध निर्माण और उसके टूटने के बाद में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इस बांध के बनाते समय की गई ग्रास नेगलीजेंस और उसके बाद लगातार इस बांध को नहीं बनाने के कारण जो उस एरिया में भारी आक्रोश है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापतिजी, सन् 1981-82 में राजस्थान के सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 20 लाख रुपये की लागत से इस बांध का निर्माण किया गया था। इस बांध के निर्माणाधीन रहते हुए 82-83 की अतिवृष्टि में यह बांध टूट गया था और टूटने के बाद उस समय की वर्तमान सरकार ने इस बांध को पुनः बनाने लिये 9 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। उसके लिये स्पेशल केन्द्रीय दल आया था और केन्द्रीय दल ने इसकी जांच की थी और जांच करने के बाद 9 लाख रुपये पाली जिला कलक्टर को भेजे गये। सभापति महोदय, मुझे यह बात कहते हुए दुःख है कि उन 9 लाख रुपये में से जिला कलक्टर, पाली द्वारा इस बांध के ऊपर एक पाई खर्च नहीं की गई। वह 9 लाख रुपये कहां गये, किस उपयोग में आये हैं? मुझे जहां तक जानकारी है, 86 के सितम्बर या अक्टूबर के महीने में जिला कलक्टर पाली के यहां जिला परिषद् की बैठक हो रही थी, उस बैठक में इस गजनेई बांध के बारे में और एक बांध और आया है सोजत में, चिरपटिया बांध, दोनों के बारे में जो राशि आवंटित की गई, जो शेष राशि पड़ी थी, उस राशि से तत्काल सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि इन बांधों के ऊपर कार्य शुरू किया जाये। लेकिन मुझे यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस समय भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने यह कहते हुए इस बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया कि इस बांध की आऊटलेट डिजाइन नहीं बनी है। इस बांध की आऊटलेट डिजाइन नहीं बनने के कारण वह बांध शुरु नहीं किया गया। इसके साथ ही इस विषय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यह बांध किसकी गलती से टूटा। बांध बना, वह किस की गलती से टूटा, उसकी जांच 82 से लेकर 87 तक होती रही और यह सिंचाई विभाग के अधिकारी, कौन एक्स. ई. एन. उस बांध के बनाते समय टूटने के जिम्मेदार थे, हो सकता है वह रिटायर हो गया हो लेकिन उसको दोषी नहीं ठहराया।

मैंने इस विषय में 1988 में विधान सभा में सवाल किया था, उसके ऊपर सिंचाई मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, यह बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है. माननीय सभापति महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री के ध्यान में लाने के लिये मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। रिपोर्ट यह थी। पाली जिले के सोजत तहसील के गजनेई बांध की जांच रिपोर्ट से सम्बद्ध मुख्य बिन्दुओं पर विवरण।

निदेशक, रूपांकन एवं अनुसंधान ने दिनांक 26 जुलाई, 1983 के गजनेई बांध के टूटने की घटना का विश्लेषण करते हुए बताया है कि प्रोजेक्ट तखमीने में जो फ्लड डिस्चार्ज 16630 क्यूसेक्स लिया हुआ है, वास्तव में उससे बहुत अधिक डिस्चार्ज आया। यह बताया है कि तुफान के कारण आवक को देखते हुए यह डिस्चार्ज 65700 क्यूसेक्स आंका जा सकता है और गजनेई

(श्री हीरासिंह चौहान)

जैसे प्रोजेक्ट के लिये डिजाइन के वास्ते उन्होंने उच्चतम बाढ़ की मात्रा 46000 क्यूसेक्स आंकने की सिफारिश की है।

दिनांक 27.7.83 की घटना को प्रदर्शित करते हुए 2 हाइड्रोग्राफ बनाये गये जिनसे बाढ़ की उच्चतम मात्रा 46000 क्यूसेक्स तथा 52,000 क्यूसेक्स आती है। बांध स्थल पर निर्मित गेज के आधार पर आवक बाढ़ हाइड्रोग्राफ भी बनाये गये जिनके अनुसार उच्चतम बाढ़ की मात्रा 82,000 क्यूसेक्स आती है। 82,000 क्यूसेक्स के आंकड़े के बारे में निदेशक डिजाइन एवं रिसर्च ने कहा है कि प्रातः 9.15 तथा 9.30 बजे के बीच में गेज पढ़ने में गलती हो सकती है इसलिए एक छोटे केचमेन्ट क्षेत्र में ऐसी स्थिति की संभावना नहीं है। इसलिये गजनेई जैसे प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन के मतलब के लिये 46,000 क्यूसेक्स उच्चतम बाढ़ की मात्रा की सिफारिश की है।

सभापति महोदय, मुख्य रूप से इस जांच रिपोर्ट में जो मुद्दे लिये गये हैं उस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। बांध टूटने के पहले उसका बाइपास पूरा नहीं पाया था। बाइपास के कटने से जो सामग्री प्राप्त होती उसी के गेप को पूरा बन्द किया जाना था। अतः काम को वर्षा से पूर्व पूर्ण रूप से सुरक्षित स्तर पर नहीं लाने के कारण अधिशाषी अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

वैसे हाइड्रोग्राफ के आधार पर बनाई गई तालिका से यह निष्कर्ष निकाला है कि डिजाइन के अनुसार बाइपास पूर्ण कर लेने की स्थिति में पानी की आवक की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण बांध का टूट जाना स्वाभाविक था।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 1982-83 के जुलाई महीने में 26 तथा 27 जुलाई की मध्य रात्रि में यह बांध टूटा था। इसके टूटने के तुरन्त पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 8/162 सं./बाढ़/83/3176-3206 दिनांक 21.3.84 को 9 लाख रुपये की राशि मन्जूर कर के पाली कलक्टर को इस बांध का निर्माण हेतु भेजी गई।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से तीन सवाल करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इस बांध के टूटने के बाद में जो 9 लाख रुपये राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये उस समय अकाल एवं बाढ़ राहत मंत्री माननीय श्री परसराम जी मदेरणा थे, उनके द्वारा यह राशि भेजी गई थी, वह 9 लाख रुपया इस बांध पर क्यों नहीं काम में लिया गया। दूसरा प्रश्न यह है कि उस समय जो एक्स. ई. एन. बांध का निर्माण करा रहा था उसके खिलाफ आज तक क्यों कार्यवाही नहीं की गई। तीसरा प्रश्न यह है कि जांच दल द्वारा जो रिपोर्ट मुझे दी गई है, वह दो भागों में दी गई है। एक रिपोर्ट में यह है कि 1985 में इसकी जांच होकर रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दे दी गई। दूसरा, मैंने इस सदन में सवाल पूछा था, इसमें प्रश्न संख्या 145 में मुझे जो रिपोर्ट बताई गई है, निदेशक, रूपांकन एवं अनुसन्धान द्वारा गजनेई बांध के टूटने की जांच रिपोर्ट जून, 1987 में

(श्री हीरासिंह चौहान)

तैयार की गई। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं। मैं माननीय सिचाई मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं। अब इसकी लागत कीमत 141.85 लाख रुपये आंकी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हू, हम नहीं चाहते हैं कि बांध को बहुत बड़ा बनाया जाये। बड़ा बांध बनने से कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इस बांध को बड़ा कम किया जाये और डिजाइन वही की वही रखी जाये और धीरे-धीरे दो-चार साल बाद में इसको और बढ़ाया जाये। इस प्रकार से इस बांध को बनाया जाता है तो गजनेई बांध की जो नदी है वह जमीन में बहुत गहरी है। इसके दोनों तरफ 60-60, 70-70 फीट खेत ऊपर रहते हैं। इस पानी के बहने से खेतों को, किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। या तो सोजत तहसील के तीन, चार गांव हैं या मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चार, पांच गांव हैं। इस गजनेई बांध के बनने से किसी को कोई एतराज नहीं है। इसलिये मेरा निवेदव है कि इस गजनेई बांध को अविलम्ब बनाने की व्यवस्था सिचाई विभाग द्वारा की जाये।

यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सिचाई मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इसका हमें स्पष्टीकरण दें और कब तक यह बांध बना दिया जायेगा, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दें।

श्री सभापति : आपका नाम इसमें नहीं है। आप प्रश्न कर लें।

एक माननीय सदस्य : चार के नाम हैं।....

श्री सभापति : नहीं है। बाद में आप प्रश्न कर लें। माननीय मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री विजयसिंह झाला (सिचाई मंत्री) : सभापति महोदय, गजनेई बांध तहसील सोजत जिला पाली का निर्माण वर्ष 1981-82 में प्रारंभ किया गया था। कार्य प्रगति पर ही था कि 26, 27 जुलाई, 1983 की अतिवृष्टि के कारण बांध के ऊपर से पानी बहने के कारण बांध टूट गया। राज्य सरकार के द्वारा जांच के लिये नियुक्त कमेटी ने बांध के टूटने की जांच की एवं जांच रिपोर्ट 13.12.1985 को आगामी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजी गई। इस बांध में आने वाली बाढ़ का पुनरलोकन सिंचाई विभाग के निदेशक, रूपांकन एवं अन्वेषण जयपुर द्वारा 1986-87 में करवाया गया। कमेटी के सुझाव के अनुसार इस कार्य का पुनः आंकलन किया गया। संशोधित तखमीना 141.85 लाख रुपये का अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर द्वारा सितम्बर, 1988 में राज्य सरकार को वास्ते प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत किया गया। संशोधित आंकलन को जांच पड़ताल कर के अन्तिम रूप दिया जा रहा है। स्वीकृति अभी जारी होनी है। स्वीकृति एव बजट आवंटन होने पर बांध को पुनः बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

इस कार्य हेतु वर्ष 1983 के बाढ़ग्रस्त कार्यों के अन्तर्गत 9.00 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई थी। इस राशि का आवंटन सर्वप्रथम राज्य सरकार के सहायता

(श्री विजय सिंह झाला)

विभाग के पत्र क्रमांक एफ/8/16/स./बाढ़/83/3176–3206 दि. 21.3.84 द्वारा किया था एवं निर्देश दिया था कि इस राशि का उपयोग 31.3.84 तक किया जावे जो कि सम्भव नहीं था। तत्पश्चात इस राशि की उपयोग की अवधि 30.6.84 व अन्तिम रूप से 30.9.84 तक बढ़ाई गई। यह बांध मूलत: डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत बनाया जा रहा था। सिर्फ बांध के पुन: निर्माण की लागत उस समय 29.29 लाख होती थी। अत: 9.00 लाख रुपये के अलावा शेष राशि 20.29 लाख रुपये डी. डी. पी. के मद से प्राप्त करनी थी। यह राशि डी. डी. पी. के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही डी आर.डी.ए. इस कार्य को कराने में सहमत था। अत: बांध के पुन: निर्माण के लागत की सम्पूर्ण राशि उपलब्ध न होने के कारण बाढ़ मद में आवंटित मात्र 9.00 लाख रुपये का उपयोग नहीं किया जा सका। इस बांध के बनने से सोजत तहसील के निम्नलिखित गांवों की 3136·57 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। गांव का नाम – दादी, हीराबास, कैलबाद, हजारमाला। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस कार्य के तखमीने को स्वीकृत कराने, बजट की व्यवस्था व कार्य प्रारम्भ कराने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जैसे आपने जानकारी दी है यह बांध दीवार के ऊपर पानी बहने के कारण टूटा। क्या बांध के निर्माण होने के पहले पानी के बहने के लिये कोई आउटलेट नहीं बना था ?

(5.50 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अगर तकनीशियनों ने उसके आउट लेट नहीं बनाये तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? और इस बांध के टूटने से, अधिकारियों की लापरवाही से, हजारों बीघा कृषि भूमि जिन काश्तकारों की नष्ट हो गई, खराब हो गई कटाव पड़ गये और बिल्कुल रेतीला स्थान हो गया, उन काश्तकारों को सरकार ने क्या आर्थिक सुविधा प्रदान की ? इसकी जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो काफी भाषण दे चुके हैं, कुछ पूछना है ?

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल पूछे, उनका उत्तर चाहूंगा। मेरा प्रमुख सवाल तो यह है कि जो 9 लाख रुपये राजस्थान सरकार ने आवंटित किये, वह आज की तारीख में कहां है ? दूसरा, जांच रिपोर्ट में यह माना गया कि उस समय का एक्स. ई.एन. जो इस बांध का निर्माण करवा रहा था, उसकी गलती से, उन्होंने वेस्ट-वेयर के लिए या पानी निकालने के लिए कोई डिजाइन तैयार नहीं की और बांध धीरे-धीरे पानी से कटता गया जिसके कारण पूरे का पूरा बांध बह गया। इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आज दिन तक क्या जांच की इस मामले की ? गत वर्ष मैं सिंचाई विभाग के कार्यालय में गया था....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल ही पूछें। टाइम बहुत शार्ट है, दो और पड़े हैं।

श्री रमजान खां : मेरा सवाल है कि

(श्री रमजान खां)

कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसके अनुसार भी उस समय का एक्स. ई-एन. दोषी पाया गया। उसके ऊपर अब तक क्या कार्यवाही राज्य सरकार ने की जिसकी गलती के कारण 20 लाख रुपये बह गये? इसलिए बहुत गहन और गम्भीर प्रश्न है और यही लोग जांच करने वाले हैं और जांच के कागजों को इधर-उधर कर रहे हैं। इसलिए मैं सिंचाई मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं। आज भी उस बांध की जांच रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है। दोषी अधिकारी कौन है? अब भी लिये बैठे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, खास करके तीन प्रश्न हैं–इसका बाई-पास पहले नहीं काटा गया, क्या इसकी वजह से तालाब टूटा था। तो कारण यह नहीं है, जांच रिपोर्ट के अनुसार अति-वृष्टि का कारण है। मान लो वह बाई-पास बन भी जाता तो उसमें इतना पानी नहीं बह सकता था क्योंकि उसकी क्षमता केवल 16,330 क्यूसेक्स आंकी गई थी, वह 65 हजार क्यूसेक्स हुई। तो ऐसी स्थिति में बाई-पास कट भी जाता तो भी तालाब बचने वाला नहीं था। अतिवृष्टि ही कारण थी और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो सकता।

जहां तक 9 लाख नहीं लगाये जाने का प्रश्न है, तो पहले ही स्थिति ऐसी थी कि 9 लाख लगाने से भी उस तालाब पर काम नही हो सकता था क्योंकि उस वक्त 29.29 लाख की आवश्यकता थी। तो यह 9 लाख रुपये लगाना उस समय लोगों ने उचित नहीं समझा क्योंकि और बारिश होने पर 9 लाख भी बह जाते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रक्रिया के नियम संख्या 131 के अन्तर्गत ...

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम सिंचाई मंत्री जी से यह तो आश्वासन चाहूंगा कि अब इस बांध की वित्तीय स्वीकृति कब तक हो जायेगी और क्या इस बांध की योजना कम्पलीट हो गई या नहीं। मैं आश्वासन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आ गया है। मंत्री महोदय, आप इनको आश्वासन दीजिए।

श्री विजयसिंह झाला : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब कभी धन आवंटन होगा....

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अजमेर जिले के काश्तकारों को उनके खातेदारी हक दिये जाने के संबंध में राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की स्वीकृति से समय बढ़ाया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर जिले के काश्तकारों के खातेदारी हक

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर जिले की भू-

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

संशोधन कार्य से उत्पन्न हुई स्थिति के ऊपर जो 1970–71 में प्रारम्भ हुई थी जिसे 1978 में रद्द करके दुबारा 1983 में प्रारम्भ किया गया उस स्थिति से उत्पन्न, जो करीब 1 लाख काश्तकारों को प्रभावित करती थी, समस्या की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी करीब 70 हजार काश्तकार अजमेर जिले के इस समस्या से ग्रसित हैं और उनके ऊपर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 99 के मुकदमे चल रहे हैं जिससे पूरा जिला इस समस्या से त्रस्त है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नत्थीसिंह (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के निर्माण से पूर्व भूतपूर्व अजमेर प्रान्त में भूमियों के संबंध में जागीरदारी, इस्तमरारदारी, भौमिया प्रथा, माफीदारी प्रथा एवं खेवटदारी प्रथा थी। भू-स्वामित्व एवं जागीरदारी प्रथाओं के समाप्त होने के साथ साथ उपरोक्त उल्लेखित भू-प्रणालियां भी समाप्त हो गई तथा भूमि के भू-अभिलेखित कृषकों को खातेदारी हकूक प्रदान कर दिये गये लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को ऐसे अधिकार नहीं मिले जो वास्तव में तो भूमि पर काश्तकार थे लेकिन रेकार्ड में इन्द्राजात न होने के कारण उन्हें खातेदार दर्ज नहीं किया जा सका। अजमेर राज्य के खालसा व इस्तमरारदारी गांवों का भू-प्रबन्ध क्रमशः 1941-42 व 1951-52 में करवाया गया था। किशनगढ़ रियासत का बन्दोबस्त राजस्थान बनने के बाद वर्ष 1953-54 में हुआ था लेकिन उक्त बन्दोबस्त में ऐसे काश्तकारों के नाम खातेदारों की श्रेणी में दर्ज नहीं किये गये जो केवल कब्जेधारी थे उपरोक्त स्थिति के फलस्वरूप कब्जेधारी काश्तकारों को अतिक्रमी माना जाकर उनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई गई जिसके फलस्वरूप ऐसे कृषकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। कब्जेधारी काश्तकारों में असंतोष का कारण यह रहा है कि रेकार्ड में भूमि के हकूक दर्ज नहीं होने से, स्वामित्व के अभाव में इन लोगों को बैंकों व अन्य संस्थाओं से कर्ज इत्यादि की सुविधा नहीं मिल सकती थी।

काश्तकारों की उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1970 में जिलाधीश, अजमेर के माध्यम से भू-संशोधन का कार्य प्रारम्भ कराया। उक्त कार्य में कई प्रकार की कानूनी अनियमिततायें पाये जाने के कारण जिलाधीश द्वारा कराये गये भू-संशोधन कार्य को नहीं माना गया। राज्य सरकार ने इस कार्य को नये सिरे से भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से कराये जाने की आज्ञा दी। उक्त निर्णय की अनुपालना में जिला स्तर पर की गई गलतियों को सुधारने का काम नवम्बर, 1980 में भू-प्रबन्ध विभाग को सौंपा गया। जिलाधीश, अजमेर द्वारा कराये गये भू संशोधन कार्य में जो त्रुटियां हुई उनमें मुख्यतः सिवाय चक भूमि पर गलत खातेदारी दिया जाना जिसमें आवंटन दिये जाने के समय चरागाह, रास्ते इत्यादि को भी निजी खातेदारी में दर्ज किये जाने जैसी त्रुटियां सम्मिलित थी। कतिपय मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(श्री नत्थी सिंह)

की धारा 53 के उल्लंघन के साथ-साथ सीलिंग से प्रभावित व्यक्तियों ने अपनी भूमि का बेचान व विभाजन भी कर लिया था।

सभी समस्याओं पर विचार कर राजस्व व भू-प्रबंध अधिकारियों को नीति-निर्देश फरवरी, 83 में जारी किये गये। जिनके अनुसरण में राजस्व व भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा मौके पर जांच कर वर्किंग जमाबंदियां तैयार की गई। तत्पश्चात् जिला स्तर पर कराये गये भू-संशोधन के कार्य में हुई त्रुटियों के बाबत राजस्व मण्डल के सदस्य से फरवरी, 1984 में जांच कराई गई तथा इस जांच रिपोर्ट में दर्शायी गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व अभियान आयोजित किया। फरवरी, 1984 से जून, 1985 तक चले राजस्व अभियान में भू-संशोधन में हुई अनियमितताओं के 89789 प्रकरणों में से 75988 प्रकरणों अर्थात् 75% से अधिक का निस्तारण किया। उक्त कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 7.11.84 को अजमेर जिले की समस्त तहसीलों के 727 गांवों में भू-संशोधन की कार्यवाहियां बन्द की जाकर तैयार किये गये भू-अभिलेख को मान्यता दी गई। इसी प्रकार दि. 19.2.86 को अजमेर तहसील के 153 एवं केकड़ी के 95 गांवों का भी भू-प्रबन्ध कार्य औपचारिक रूप से बंद किया गया। लेकिन उक्त कार्यवाही का लाभ ऐसे निम्न काश्तकारों को नहीं मिल सका :–

(1) जिन काश्तकारों की भूमि पेराफेरी क्षेत्र में आती है और वहां पर आवंटन व नियमन पर कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 में पाबन्दी है।

(2) जिन काश्तकारों का राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं है तथा उनके कब्जे की भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक/सरकारी दर्ज है।

उपरोक्त स्थिति को मद्देनजर रखकर राज्य सरकार ने सम्पूर्ण मामले पर पुन: विचार कर निम्न प्रकार से निर्णय लेकर जिला कलक्टर, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दि. 20.9.89 को निर्देश प्रेषित कर दिये हैं।

अजमेर जिले में वर्ष 1970–72 में हुए भू-संशोधन से उत्पन्न समस्याओं पर राज्य सरकार सरकार द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिया गया है:–

1. चरागाह भूमि एवं पात्रता से अधिक भूमि के मामले :–इन मामलों में जिनका कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत नियमन नहीं हो सका है, को अजमेर टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रेकार्ड एक्ट, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत पुन: परीक्षण किया जाये और देखा जाये कि क्या उक्त अजमेर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे जो राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 के प्रभावशील होने पर भी यथावत रहे।

गैर मुमकिन भूमि के मामले- द्वितीय श्रेणी में गैर मुमकिन तथा नाला, रास्ते और आबादी आदि के मामले हैं। चूंकि भूमि का वर्गीकरण गैर मुमकिन है, अत: मौजूदा आवंटन नियमों के अन्तर्गत यह आवटन योग्य नहीं है। यह भी सम्भव है कि इस प्रकार की भूमि को नियमन करने की स्थिति में गांवों में रास्तों की समस्या

(श्री नत्थी सिंह)

उत्पन्न हो जाये और जल अधिग्रहण क्षेत्र के नालों के नियमन से जल प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाये। फिर भी कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें मौके पर रास्ता अनेक वर्षों से उपयोग में नहीं आ रहा हो और अब नाला पिछले कई वर्षों से नहीं आ रहा हो तथा आने की सम्भावना भी न हो तो ऐसे प्रत्येक मामले में मौके की स्थिति देखने के पश्चात् निर्णय करना उचित होगा।

अतः मौके पर ऐसे प्रत्येक मामले की स्थिति का काफी ध्यान से वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर भूमि का वर्गीकरण नियमानुसार परिवर्तन कर कार्यवाही की जाये। किन्तु ऐसा करते समय रास्ते. नाले व आबादी के मामलों में भूमि वर्गीकरण परिवर्तन से पूर्व संबंधित ग्रामों पंचायत से भी सहमति लेना आवश्यक होगा।

2. पेटे काश्त की भूमि के सम्बन्ध में: तालाब पेटे के रूप में वर्गीकृत काश्त योग्य भूमि के मामलों का परीक्षण अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैण्ड रेकार्डस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत यह देखा जाये कि क्या इस भूमि पर काबिज व्यक्तियों का तालाब पेटे भूमि पर काश्तकारों का अधिकार बनता है?

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विक्रय के मामले :-ऐसे व्यक्ति जो समय पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकें, उनको अब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाये जिनका तत्पश्चात् नियमानुसार निस्तारण किया जाये। विक्रय की हुई भूमि के मामलों में विक्रेता के पास विक्रय करते समय जितनी भूमि थी उसको दृष्टिगत रखते हुए विक्रेता के हाथों में नियमन हो सकता था तो उसी मापदण्ड के अनुसार मामले पर विचार कर निर्णय लिया जाये।

नगरीय क्षेत्र के मामले – अजमेर शहर के म्युनिसिपल सीमा के 2 मील की दूरी में आवंटन व नियमन कर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत रोक तथा अजमेर के बढ़ते शहरीकरण के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया जाकर यह निर्णय किया गया है कि जहां नगरपालिका क्षेत्र को कम कर दिया गया है वहां इस प्रकार के मामलों का परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया जावे। जिला कलक्टर, अजमेर उनके जिले में स्थित नगरपालिकाओं के क्षेत्र को क्या और कम किया जा सकता है, के बिन्दु का परीक्षण करें एवं इस प्रकार के मामलों में भी देखे कि अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैण्ड रेकार्ड एक्ट, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के प्रभावी होने पर भी यथावत रहे।

उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में जिला कलक्टर, अजमेर ने आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा इस हेतु मौके की जांच से इस समस्या से प्रभावित निम्न प्रकार के लगभग 17000 मामले सामने आये हैं:–

1. पेटाकाश्त भूमि से संबंधित	5942
2. चारागाह भूमि से संबंधित	1490
3. गैर मुमकिन भूमि से संबंधित	2195
4. पेराफेरी क्षेत्र में सम्मिलित भूमि से संबंधित मामले।	7281

(श्री नत्थी सिंह)

अतः माननीय सदस्य का यह कहना सही प्रतीत नहीं होता है कि अजमेर जिले में 1972 में हुए भू-संशोधन को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण अजमेर जिले के 70 हजार काश्तकारों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

धारा 99 के अन्तर्गत जो मामले चल रहे है वे सिर्फ 2405 हैं, 70 हजार नहीं। माननीय सदस्य की सूचना के लिए अर्ज करना चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो 1970-71 में भू-संशोधन का काम शुरू हुआ था जिसे 78 में कैंसिल कर दिया गया और 78 के बाद जो आधार बनाया गया है वह 59 की जमाबंदी है, यह जमाबंदी अधिकृत नहीं है। कच्ची जमाबंदी के आधार पर यह 84–85 में जो काम हुए उसके आधार पर यह सारी कार्यवाही की है पहली तो यह है कि 72 में जो जमाबंदी बनायी थी उस पर भी राज्य सरकार का 70–80 लाख रुपया खर्च हुआ और 72 की जमाबंदी को आप मान्यता देते हैं तो मैं समझता हूं कि आज आपके हिसाब से 17 हजार और मेरे हिसाब से 70 हजार जो केसेज हैं वह इसलिए कि आपने रेग्युलराइज कर दिया या अलाट करके नक्शे दे दिये हैं उनको भी अब तक इन्द्राज नहीं किया है, वहां पर रिकार्ड में ऊपर ही वैसे के वैसे पड़े हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि 72 की जमाबंदी है उसके आधार पर अगर आप इन केसेज का फैसला करें तो बहुत सारे मामले सुलझ जायेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि एक जो सबसे ज्यादा केसेज हैं वह पेराफेरी वाले शहरों में, एक-दो किलोमीटर के एरिया के हैं। इनके सम्बन्ध में अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि 1975 में करीब 30 गांव अजमेर शहर की सीमा में जोड़े गये थे। यह केस है 1970 का। 1970 में हमारा कब्जा था। चालीस साल की जमाबंदी है, उसमें हमारा कब्जा इन्द्राज है। उनको छोड़कर 75 में शहरों में जब यह चले गये उसके आधार पर आप यह कहते हैं कि 70-71 का हमारा कब्जा माना, हमें खातेदारी का अधिकार दिया 75 में। अगर वह गांव शहरों में चले गये तो हमारी खातेदारी तो नहीं चली गयी। इसलिए यह कह करके कि शहरों में चले गये हैं इसलिए खातेदारी नहीं दे सकते हैं। इस पर विचार करें क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह है। कुछ गांवों को बाहर निकालने की कार्यवाही कर रहे हैं वह भी इतना धीमा है, आपने देखा होगा कि यह अक्टूबर, नवम्बर में डिसाइड हुआ था उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। यह फैसला जो केबिनेट का हुआ था जिसका हवाला आपने दिया है उसके ऊपर भी कोई अमल अभी तक नहीं हुआ।

तीसरी बात यह है कि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे जिले में हैं वह आपने दूसरे जिलों में जिस तरह के हक-हकूक थे, उससे भिन्न थे, हमारे यहां शामनाथ नाम का एक कोन्सेप्ट था, जिसमें मिलकर खेती करते थे और उनमें जो हलसरा लगता था जितना हल चलाकर बोया उसका बांटा लगान

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

लगता था। बाकी चारे के लिए पड़ती रह जाती थी वह ऐसे ही रह जाती थी। जब यह टिनेन्सी एक्ट और जागीरदारी और जमींदारी का उन्मूलन हुआ तब उस सारी जमीन को जागीरदार की मानकर या खालसा की मानकर सरकारी खाते में सिवाय चक में कर दी। यह सबसे मोटी समस्या है। इस समस्या को 72-71 में जो भू संशोधन हुआ था, गांव-गांव में जाकर मौके पर सारी चीज का निपटारा किया गया। इसके अलावा यहां की यह सारी समस्या दो बड़े अफसरों की लड़ाई के कारण है। उस समय अनिल बोर्दिया कलक्टर थे, जब यह भू संरक्षण का काम हुआ। उन्होंने सारा कण्ट्रोल करके 17 सर्कुलर निकालकर विभाग के अधिकारियों से मिलकर उस समय किया। करीब 72 में वह चले गये। उसके बाद नये कलक्टर आये। उन्होंने उसी चीज को रेफर कर दिया। इसलिए नहीं कि वह गलत हुआ था केवल इसलिए कि रेण्ट बढ़ाया जाय। गवर्नमेण्ट के पास रेफर किया उस समय एग्जामिन हुआ तो यह कहकर कि गलत हुआ, कहीं नाले में अलाट कर दी, कहीं दूसरे के सिवाय चक में अलाट कर दी, कहीं चारागाह में अलाट कर दी, ऐसे एक प्रतिशत भी नहीं होंगे। उस पूरे हुए काम को, उस काम को जिस पर 25 लाख रुपया खर्च हुआ था को पानी में कर दिया। यह सारा काम खराब हो गया अतः नये सिरे से कराया जाय, जिसमें आज तक लोग फंसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उस समय जो बोर्दिया साहब ने काम किया बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छा काम किया। इस लिहाज से काम किया कि काश्तकारों को लाभ मिले। कब्जा हमारा था, चालीस साल के बाद जमाबन्दी है, आज भी कब्जा हमारा है। लेकिन उस समय दुर्भाग्यवश, जैसा आपने बताया वह रिकार्ड पर नहीं आ सका और हमारी जमीन को सिवाय चक कर दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1972 का जो संशोधन फाइनल हुआ उसको अगर मंजूरी दे दी जाय तो 17 हजार केस हैं वह भी निपट जायेंगे, आपके पेराफेरी के हैं वह भी निपट जायेंगे, पेटा काश्त है वह भी निपट जायेंगे, चारागाह के भी निपट जायेंगे और गैर मुमकिन हैं वह भी निपट जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर आप अपनी सरकार को काश्तकारों की सरकार कहते हो तो यह समस्या आप हल कर दें तो मैं समझता हूं अजमेर जिला आपका बहुत-बहुत आभारी होगा। यह महत्वपूर्ण समस्या है। आप केवल जो आंकड़े अफसरों ने दिये है उसमें रहेंगे तो हम भी 10 साल तक उसमें घूमते रहे हैं। मैं भी मंत्री के नाते सब जगह कोशिश की है लेकिन वह हल होने वाली नहीं है। 17 हजार केस तब तक हल नहीं होंगे अगर वह पैमाने रखें। अनिल बोर्दिया और आनन्द मोहन लाल साहब के झगड़े में अजमेर जिला पिछड़ा है, आप उसको निकालने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री नत्थी सिंह (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा है कि 84-85 के अभियान में अनिर्णित मामले है, उनका रेकार्ड नहीं हुआ है। रेकार्ड में इसका इन्द्राज किया जा चुका है। एक पैरा-

(श्री नत्थी सिंह)

फेरी के मामले में आपने बात कही कि सात हजार से ज्यादा केस उसके हैं। यह जो मंत्रि मण्डल के निर्णय या निर्देश हैं, उसी मंत्रि मण्डल के हैं जिसके आप सदस्य थे और उस मंत्रि मण्डल में शामिल थे। आपने ही ये निर्णय लिये हैं। 10 वर्ष तक यह नहीं हुआ, यह सही है, अब जो निर्देश अब दिये गये हैं वह इस बात के हैं कि पैराफेरी के मामले में अगर अजमेर एक्ट के अन्तर्गत किसानों को अधिकार प्राप्त हो गए थे, तो जांच की जाकर कि उन्हें अधिकार प्राप्त हो गये थे तो क्या पिछले रीट्रोस्पेक्टिव डेट से उनको बेदखल किया जा सकता है इसलिये भी जांच तलब है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा है। 70 हजार मामले, 2405 मामले हैं। जो निर्देश कलक्टर को दिये गये हैं, मैं चाहूंगा कि दो महीने में वह सारे मामलों को निर्णीत करे। 70-72 का जो आप कहते हैं कि अनिल बोर्डिया साहब का, बहुत अच्छा काम किया है। वह आपकी सरकार ने भी नहीं माना और उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। उसमें कह दिया....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह तो आपकी सरकार ने निरस्त कर दिये 78 में।

श्री नत्थी सिंह : उस सरकार के जाने के बाद लगातार 10 वर्ष तक तो आप ही रहे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरी गलती हो गयी, उस समय आप हमारे साथ थे।

श्री नत्थी सिंह : उस सरकार के जाने के बाद लगातार दस वर्ष तक आप रहे और इस सारे मामले को दबाये बैठे रहे। मेरी चिन्ता आपके साथ है इस बात में कि वास्तव में किसानों को नुकसान नहीं पहुंचे। उनके जो हकूक बनते हैं, वह हकूक जरूर दिये जायें। कानून के अन्तर्गत इन सीमाओं में रहते हुए जो आपने तय किये हैं, उसके अन्तर्गत भी और अगर कानून में कोई संशोधन की जरूरत पड़ती है तब भी हम चाहेंगे कि दो महीने के अन्दर-अन्दर इस सारे मामले का निपटारा किया जाये और 2405 केस, जो दफा 91 में चल रहे हैं, आप कह रहे हैं, उनको समाप्त किया जाये दो महीने में जब तक इसका फैसला हो, तब तक किसी को दफा 91 के तहत बेदखल नहीं किया जायेगा, इसके निर्देश भी हम देंगे। आपके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है।

राज्य में अकाल से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री रामस्वरूप मीणा, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल से उत्पन्न स्थिति की ओर अकाल एवं सहायता मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकाल पर यह जो तीन नाम मैंने पढ़े हैं, उसके अलावा श्री बालचन्द आर्यवीर, श्री अनंग कुमार जैन, श्री जगन्नाथ वर्मा, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री हेमराज मीणा, श्री रामसिंह विश्नोई, श्री दयाराम परमार, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री रामस्वरूप (टोडाभीम), श्री हबीबुर्रहमान, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री घासीलाल, श्री अमीन खां, श्री रमा-

(श्री अध्यक्ष)

कान्त शर्मा ये भी हैं। कुल बीस के करीब लोग हैं। इसलिये आप सवाल....

श्री सुरेन्द्र व्यास : जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं, दो मिनट में.... स्टेटमेंट दिला दें. कोई क्लेरिफिकेशन होगा तो पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष : यही मैं कह रहा हूं। यही मेरा निवेदन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटेंशन मोशन का एक कायदा यह है कि....

श्री अध्यक्ष : आप मूव करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, सीकर, जालोर और सवाई माधोपुर के इलाकों में मानसून की वर्षा पर्याप्त न होने से अथवा दो-तीन बरसात समय पर होने और अन्तिम वर्षा समय पर न होने से भारी अकाल और अभाव की स्थितियां विद्यमान हैं। खास तौर से माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के गांव दासूड़ी, पीड़ाव, मोटावतान, नोखड़ा, खारीचारनान बीकानेर तहसील के कानासर, करणीसर, ऊदासर, नौरंगदेसर, बच्चसर, मेघासर, कोलासर आदि गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। वहां से मवेशियों ने पलायन करना शुरू कर दिया है और चारे की भी भयंकर कमी है। इसके साथ-साथ मार्च का महीना पूरा होने जा रहा है, वहां पर अभी कोई टेस्ट वर्क शुरू नहीं हुआ है। पिछले दिनों में केन्द्र सरकार की अध्ययन टोली राजस्थान के विभिन्न गांवों का दौरा करके गयी और उन्होंने भी इस संबंध में कुछ सहायता देने की घोषणा की। मैं इस संबंध में माननीय अकाल राहत मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कर यह जानना चाहता हूं कि कितने गांवों में उन्होंने अभी तक टेस्ट वर्क शुरू किये, कितने मजदूरों को मजदूरी दी, चारे की व्यवस्था की गयी, पशु सेवा शिविर कहां शुरू किये गये और इसके साथ-साथ अकाल का स्थायी समाधान करने के लिये इस सदन में कई बार चर्चा हुई। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में जब तक हम पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, विशेष तौर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों को, जलोत्थान योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक इस अकाल और अभाव की स्थिति का हम कड़ाई से मुकाबला नहीं कर पायेंगे। इसके लिये जरूरी है कि कोलायत-गजनेर लिफ्ट, साहवा-चूरू लिफ्ट, पोकरण और फलौदी लिफ्ट – इन लिफ्टों के कामों को द्रुत गति से हाथ में हमें लेना चाहिये और अभी यह जो तीन महीने – अप्रैल, मई और जून के आने वाले हैं, इन दिनों में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाना चाहिये और इसके साथ-साथ पीने के पानी का समुचित प्रबंध करना चाहिये क्योंकि गांवों में जहां तीन-चार किलोमीटर पानी नहीं मिल रहा है, वहां पर टैंकरों से पीने के पानी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था जहां पर नहीं है, वहां पर विशेष चारे की व्यवस्था की जानी चाहिये और जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर में पशु

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सेवा शिविरों का भी आयोजन किया जाना चाहिये। इस अवसर पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी माननीय मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के मामलों में कई पशु सेवा शिविरों के भुगतान अभी तक नहीं हुए हैं। जो जायज भुगतान जिन संस्थाओं ने काम किये हैं, उनके भुगतानों को भी यथासमय करना चाहिये। इसके साथ-साथ टेस्ट वर्क यदि उन्होंने कोई प्रारम्भ किये हैं, तो उनकी सूची प्रस्तुत की जानी चाहिये और साथ-साथ अब जब तक वो अकाल कार्यों को जहां पर किये जाने की गुंजाइश है, और जो अभावग्रस्त गांव घोषित कर दिये हैं वहां पर जल्दी से जल्दी कब तक वे काम प्रारम्भ कर देंगे, इसके बारे में माननीय मंत्री महोदया जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया। ....(व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं ? आप का नाम है, आप सवाल पूछेंगे आगे, आपका नाम है इसमें।

सुश्री पुष्पा जैन (बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा सर्वश्री बुलाकीदास कल्ला, रामस्वरूप मीणा, जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, राजस्थान विधान सभा व कई अन्य माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से जो अपने प्रस्ताव दिये, राज्य में माह जून, 89 से सितम्बर, 89 की मानसून की वर्षा समय पर एवं पर्याप्त न होने के कारण पकी फसलें खराब हो गई। जिला कलक्टरों से प्राप्त गिरदावरी की सूचना के अनुसार राज्य के 25 जिलों के 14,015 ग्रामों को माह जनवरी, 90 में अभावग्रस्त घोषित किया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सदस्य महोदयों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं बाबत तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है —

1. राज्य के अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करने हेतु 247.90 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु 309.30 की राशि सहायता मद से अलग से आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में 5 कि.मी. की परिधि क्षेत्र में कोई पेयजल स्रोत नहीं है, ऐसे स्थानों पर विभागीय टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टरों को आदेश दे दिये गये हैं।

2. इस वर्ष सामान्यत: चारे की कमी नहीं है। अतः पशु शिविर इस समय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो पशु शिविर स्थापित करने पर विचार निश्चित रूप से किया जायेगा।

3. अभावग्रस्त स्थिति की घोषणा जनवरी, 1990 में की गई थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अध्ययन दल ने 19 जनवरी, 90 से 21 जनवरी, 90 की अवधि में राज्य की अभाव स्थिति का जायजा लिया। फरवरी के अन्त तक सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई राशि स्वीकृत नहीं की। मार्च के महीने में पांच करोड़ रुपये की राशि इन

(सुश्री पुष्पा जैन)

क्षेत्रों में अधूरे कार्यों पर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये आवंटित की गई है।

4. जिला कलक्टरों से प्राप्त फसल खराबे की सूचनानुसार गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिला सवाई माधोपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तहसील टोडाभीम के 27 गांव, नादोती के 94 गांव एवं करौली के 164 गांव अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। तहसील नादोती के गांव केमड़ा, कुलेजा, रोसी, सोप, अटखेरा, गढ़मोरा, गुढाचंदजी एवं माचड़ी अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं। शेष गांवों के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये हैं। जहां तक अजमेर जिले का सम्बन्ध है, ब्यावर कस्बे में पेयजल की समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु अन्तरिम तौर पर ब्यावर के पास ग्राम सेंदड़ा, बर एवं निमाज आदि गांवों के कुओं से पानी खरीद कर पाइप लाइन एवं टैंकरों से पेयजल की व्यवस्था की जाती है। बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत ब्यावर कस्बे को प्रतिदिन 35 लाख गैलन पानी देने का लक्ष्य है। नसीराबाद से ब्यावर की पाइप लाइन लगाई जा चुकी है तथा उसका टेस्टिंग कार्य चालू है। पानी की उपलब्धता होने तक इस लाइन से अजमेर को दिये जाने वाले पानी में से 5 लाख गैलन प्रति दिन पानी की अतिरिक्त मात्रा इन ग्रामों में किये जाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार ब्यावर को दिये गये पानी की उपलब्धता में सुधार किया जाना सम्भव होगा।

जहां तक जोधपुर का सम्बन्ध है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट कैनाल से पानी दिये जाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस योजना पर अब तक 31.50 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। अब तक कुल 204 किलोमीटर में से 80 किलोमीटर में अर्थ वर्क पूरा किया जा चुका है, 40 किलोमीटर लाईनिंग का काम पूरा हो चुका है। यह प्रयास किया जा रहा है कि मदासर से अस्थाई पम्प लगा कर पानी निकाला जावे जिससे 25 ग्रामों को पानी की सप्लाई बढ़ाई जा सके। पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कन्टीन्जेन्सी प्लान के अन्तर्गत कार्य शुरू किया है। अब तक तैयार किये गये ट्यूब वैलों में से लगभग 200 को अप्रैल जून माह में कमीशन किये जाने की योजना है।

राज्य को केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 1989-90 सम्वत् 2045 में निम्न प्रकार विभिन्न मदों में व्यय सीमा माह जुलाई, 1989 में प्राप्त हुई—

पेयजल व्यवस्था	1057.50 लाख
रोजगार कार्यक्रम	219.50 लाख
अनुग्रह सहायता	91.00 लाख
लोक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं कृषि आदान	137.00 लाख
कुल	1505.00 लाख

उपरोक्तांकित व्यय सीमा के अलावा माह जनवरी, 1990 में केन्द्रीय अध्ययन

(सुश्री पुष्पा जैन)

दल ने राज्य का दौरा किया और अभाव स्थिति का जायजा लिया। केन्द्रीय अध्ययन दल के इस दौरे के उपरान्त भारत सरकार से जो व्यय सीमा माह फरवरी, 1990 के अंत में प्राप्त हुई थी उसका विवरण निम्न प्रकार है:–

रोजगार कार्यक्रम	1120.00 लाख
पेयजल व्यवस्था	557.20 लाख
कुल	1677.20 लाख

उपरोक्त राशि से अभावग्रस्त क्षेत्रों में व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

राज्य सरकार प्रदेश में उत्पन्न अभाव की स्थिति के प्रति जागरूक है और अकाल से प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत के लिए समुचित कदम तत्परता से उठाये जायेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मार्च में लगभग पांच करोड़ रुपये की राशि अकाल राहत कार्यों के लिए....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे और बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन को स्वीकार है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

राज्य में अकाल से उत्पन्न स्थिति

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मार्च में पांच करोड़ की राशि अकाल राहत कार्यों के लिए स्वीकृत की गई लेकिन इसके मुकाबले में, इसके बदले में कितने लोगों को रोजगार राज्य में प्रदान किया गया? साथ ही अप्रैल, मई और जून में कितने श्रमिकों की संख्या जिलेवार आपने निर्धारित की है और जहां पीने के पानी का समुचित प्रबन्ध नहीं है वहां टैंकरों से कहां-कहां पीने के पानी का प्रबन्ध किया जायेगा, इसके बारे में आपके माध्यम से जानना हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसपल टाउन्स के अन्दर भी बहुत ज्यादा काश्तकार रहते हैं। एक तो म्यूनिसपल टाउन्स में काम नहीं चलाया जाता और वहां के लोगों को परिचय-पत्र भी नहीं दिये जाते। इस बारे में जरा राज्य सरकार की नीति स्पष्ट हो जाय। मेरा सुझाव यह है कि म्यूनिसपल टाउन्स को इन्क्लूड करना चाहिए बहुत भारी तादाद में काश्तकार रहते हैं और काश्तकारों की जमीन भी वहां पर, एग्रीकल्चर लैण्ड भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सवाई माधोपुर में लगातार पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ता चला आ रहा है और उसमें विशेष तौर से विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के एक बहुत बड़े माड़ इलाके, वहां पर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर पानी की कोई व्यवस्था हो। वर्षा होती है तो तालाबों में कुछ पानी आता है, इसके अलावा वहां और कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले सात सालों से लगातार वर्षा का अभाव चला आ रहा है लेकिन वहां पर कुछ ही गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया है। इस प्रकार का पक्षपात क्यों किया गया ? क्या कुछ गांवों में बरसात हो गई थी, क्या कुछ गांवों में नहीं हुई थी, ऐसी बात वहां पर नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जब पूरा माड़ इलाका, जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कुओं में कतई पानी नहीं है किसी प्रकार का, सूखा पड़ा हुआ है, बरसात के अलावा कोई किसी प्रकार की पैदावार नहीं होती है, हमेशा से ऐसा ही होता चला आ रहा है तो क्यों न वहां पूरे माड़ इलाके को, नादौती तहसील को अकालग्रस्त घोषित किया गया ?

इसके साथ-साथ दूसरा मेरा निवेदन है कि टोडाभीम तहसील के बहुत से गांवों में ज्यादातर अकाल पड़ा हुआ है। केवल मात्र कुछ गांवों में सरसों की थोड़ी फसल पैदा हुई है। खाने के लिए अन्न पैदा नहीं हुआ है, कुओं में पानी नीचे चला गया है। जिन कुओं के अन्दर 32-32, 40-40 नावें चलती थी, 20-20 हॉर्स पावर की मोटरें चलती थी आज वह कुएं बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। ऐसी हालत उन कुओं की हो गई तो उसके बाद वहां पर पैदावार का कोई दूसरा साधन नहीं रहा। क्या वहां पर जब पानी नहीं रहा, वर्षा हुई नहीं तो क्यों नहीं उन गांवों में अकाल घोषित किया गया ? तीन-चार गांवों का नाम लेकर यह कह दिया गया कि वहां अकाल घोषित हो गया है। क्या नई सरकार जो आई है, वह हमारे साथ न्याय करेगी ? हमारे जिन गांवों में अकाल घोषित नहीं किया गया है और वास्तव में जहां प्रकृति ने अकाल पटक दिया है, क्या उनके बारे में दोबारा विचार किया जायेगा ? अगर इस प्रकार का विचार नहीं किया गया तो वहां की जनता पानी और वहां का पशुधन, जो चारे की वजह से मर रहा है, आज भी मर रहा है पशुधन, कहीं किसी प्रकार के चारे के डिपो आज तक नहीं खोले गये हैं। जब वहां पर अकाल है और चारा भी नहीं दिया जा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि ऐसे गांवों को तुरन्त अकालग्रस्त घोषित किया जाय या उनके बारे में विशेष व्यवस्था की जाय। क्या इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, इस प्रकार की जानकारी भी दी जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय जनार्दन सिंहजी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि अभी-अभी उन्होंने सदन को जानकारी दी कि जो हमारे यहां दिनों भारत सरकार की टीम आयी थी, उनकी अध्ययन टोली ने राजस्थान के अन्दर दौरा किया था और उस अध्ययन टोली ने कितनी राशि का प्रावधान करने के लिए राजस्थान सरकार को आश्वासन दिया है, क्या ग्रांट देने के लिए, सहयोग देने के लिए कहा गया है, यह जरा माननीय मंत्री महोदया बतायेंगी।

दूसरे, मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि मार्च के अन्दर कुछ कामों को खोलने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है और कुछ पैसा निर्धारित किया है। उस पैसे के तहत किन-किन जिलों को, किन-किन गांवों को लिया गया है और कितने मजदूर लगाये जाने का फैसला किया गया और क्या अभी निर्णय ही लिया है या लगे हैं? अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे ख्याल से काम पर लोग लगे नहीं हैं और यह बड़ी चिन्ता का विषय है। क्योंकि यह बहुत गम्भीर प्रश्न अब बनता जा रहा है और मैं सोचता हूं कि महीने भर अगर और डिले हो गई तो चिन्ता का विषय बन जायेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि इतना कम समय, वर्तमान सरकार को भी इतना कम समय मिला है कि उन्हें अभी सारी व्यवस्था करने में निश्चित तौर से डिले हो सकती है। लेकिन अब हम सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि हमें राहत कार्य खोलने की बहुत जल्दी आवश्यकता है और वह जल्दी से निर्धारित करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से मुख्य मंत्रीजी और राहत मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे इन कामों के अन्दर यह जो राशि लगती है उसके अन्दर काफी दुरुपयोग होता है। इसलिए उन्हें डवलपमेंट वर्क के कामों के अन्दर, जो कि पहले राहत के नाम पर सड़कों के काम खोले गये थे, तालाबों के काम खोले गये थे, उसी परम्परा से या उसमें भी कोई अमेण्डमेंट करके अगर ऐसी योजना के तहत हमारे मजदूरों को लगायेंगे तो कम से कम डवलपमेंट वर्क भी साथ होगा और यह भी खास तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी ध्यान रखेंगे कि अकाल ग्रस्त क्षेत्र, सही मायने में अकाल हमारे जयपुर डिवीजन में तो हमेशा पड़ता ही है। और अकाल पड़ भी जाता है तो अकाल डिक्लेयर ही नहीं किया जाता। हम जयपुर डिवीजन वाले इस बारे में बहुत परेशान हैं। अकाल के नाम पर अगर कोई पैसा मिलता है उससे डवलपमेण्ट वर्क होते नहीं। पिछले दिनों के अन्दर जो भी अकाल के अन्दर काम चले उससे स्कूलें खुली हैं, तालाब बने और सड़कों के कुछ काम हुए हैं, मिट्टी डाली है, कुछ कंकरीट डाली है तो मैं सोचता हूं अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार डवलपमेण्ट वर्क के अन्दर इन कामों को जोड़ेगी तो एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा और एक तरफ कुछ निर्माण कार्य भी हो सकेंगे।

खास तौर पर मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं पानी के मामले में सदन में कई बार चर्चा हुई है और मुख्य मंत्रीजी ने इसमें काफी चिन्ता भी व्यक्त की है और उन्होंने यह घोषणा भी की है, मैं सोचता हूं यदि उसकी निश्चित तौर पर क्रियान्विति होगी तो राजस्थान को फायदा होगा। मैं अपने जिले के खास तौर पर मेरे करौली क्षेत्र की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे एरिया में पानी का बहुत अभाव है। डांग का एरिया है और लोगों को बड़ी कठिनाई है और आज भी हैण्ड पम्प लगने के बाद भी शायद वहां पर सफल होने वाले नहीं हैं। इसलिए इन परिस्थितियों के अन्दर टैंकरों का सहारा लिये बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसलिए करौली क्षेत्र में जो 164 गांव

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

अकाल में लिये गये हैं. मैं सोचता हूं कि पानी मुहैया करने के लिए यदि टैंकरों का सहयोग लिया जायेगा तब तो सही माइने में राहत मिलेगी। माननीय मंत्री महोदया ने यह भी कहा कि जिलाधीश महोदय को आदेश दे दिये गये हैं। यह आदेश कब जारी हुए हैं ? पहले 7 दिन में या 10 दिन में जारी हुए हों तो कृपया सदन को बतायें ताकि जानकारी मिले कि यह कब जारी हुए। अध्यक्ष महोदय, यही कुछ मामले हैं जिनको अभी सारे राजस्थान की समस्या है केवल मात्र जिले की नहीं है। लेकिन इसको समय रहते हुए अगर कार्य शुरू करेंगे और रोजगार मुहैया करेंगे तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा फायदा होगा और पशुओं को भी इस ढंग से बचा सकेंगे। यही आपके माध्यम से मुझे अर्ज करनी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री बालचन्द्रजी आर्यवीर। केवल सवाल ही करेंगे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में अकाल की स्थिति भयंकर है। तो क्या वहां पर शीघ्र ही अकाल के कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ? वहां पर पीने के पानी की भयंकर किल्लत है, भवानी मण्डी कस्बे में तो भयंकर ही किल्लत है तो क्या वहां पर शीघ्र ही पीने के पानी के लिए अधिक से अधिक बजट प्रावधान किया जायेगा ताकि जनता को राहत मिल सके।

इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में पशुओं में भयंकर बीमारियां फैल रही है ? तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों की टोली भेज कर या पशुओं का इलाज करवा कर उन पशुओं को बचाने का क्या सरकार प्रयास करेगी ? इसी प्रकार एक और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो मजदूर हैं और उनको मजदूरी नहीं मिल रही है तो क्या सस्ते अनाज की दुकान खोल करके शीघ्र ही उन मजदूरों को राहत सरकार पहुंचायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अनंग कुमार जैन।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी अकाल पर चर्चा होती है तो समस्या पश्चिमी राजस्थान के बारे में बहुत गम्भीर बतायी जाती है लेकिन इस बार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की स्थिति और भी गम्भीर है और विशेष रूप से झालावाड़ जिले में 1540 गांवों में से 1345 गांव अकालग्रस्त की रिपोर्ट जिलाधीश महोदय द्वारा भेजी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप अपना उत्तर दें तो झालावाड़ जिले के बारे में भी इस अकाल के मामले में आप क्या-क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस बारे में आप अपना स्पष्टीकरण दे दें। क्योंकि वहां पर कुछ क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, ऐसे हैं, मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र का और झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र जहां से लोग पलायन कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां से लोग बाहर रवाना हो चुके और धीरे-धीरे यदि जल्दी वहां पर कार्य

(श्री अनंग कुमार जैन)

प्रारम्भ नहीं किया गया तो अधिक लोग वहां से पलायन करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ के बारे में भी जानकारी दे दें

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगन्नाथ वर्मा। (अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा जिले में जो भयंकर अकाल है उसके संबंध में चर्चा करना चाहता हूं।....

श्री अध्यक्ष : चर्चा नहीं सवाल करेंगे सिर्फ।

श्री हेमराज मीणा : कोटा जिले में किशनगंज, शाहबाद आदिवासी क्षेत्र है। कोटा जिले के आदिवासी क्षेत्र में 15 हजार के लगभग आदिवासी मजदूर हैं। वे अपने गांवों से पलायन करके शिवपुरी, ग्वालियर और पूना में चले गये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में आप अब अकाल राहत कार्य शीघ्र ही शुरू करें और दूसरा, जो लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर वर्ग का सारा घर खाली हो चुका है।

दूसरी बात, पीने के पानी का तो अभाव है ही और साथ में चारे की बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। पशुओं को लेकर लोग नदी के किनारे चले गये हैं। मैं चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदया का यह विचार है कि चारे के डिपो भी खोले जायेंगे और अकाल राहत कार्य कब तक शुरू कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या किशनगंज, शाहबाद की है। उसमें लगभग 320 गांव अकाल की चपेट में है और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण से रोजगार को वहां पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदया से इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि उस इलाके के लिए आपने क्या विचार बनाया है और आपकी योजना क्या है?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने पानी के बारे में बताया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जोधपुर जिले की पंचायत समिति लूणी और पाली जिले की पंचायत समिति रोई, दोनों के करीब 100-125 गांव हैं जिनके पास जवाई कैनाल से योजना बनी हुई है और जवाई बांध में अप्रेल में पानी खत्म हो रहा है। तो यह बतायें कि मई और जून के अन्दर आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं और मानलो अगर आप टैंकरों से व्यवस्था जनता के लिए करते हैं तो पशुओं के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे। एक तो यह आप बता दें।

दूसरा, आपने अभी बताया कि 5 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से राजस्थान सरकार को मिल रहा है। तो इससे आप टेस्ट वर्क जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें किस टाइप

(श्री रामसिंह विश्नोई)

के, किस नेचर के आप काम शुरू करेंगे। क्या आप रोड्स वर्क लेंगे या आप इरिगेशन के कार्य लेंगे या नाडी के कार्य लेंगे। पर्मानेण्ट नेचर के किस टाइप के लेंगे, नेता महोदय भी बिराजे हुए हैं और अप्रेल महीने में शुरू करने जा रहे हैं और दो महीने बाकी रहे हैं। यह पांच करोड़ रुपया मिलेगा या और भी कोई मिलने की सम्भावना है और आप किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। यह सारी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पड़ता है, यह सही बात है। लेकिन कहीं-कहीं तो अकाल राजनैतिक है और कहीं-कहीं अकाल हकीकत में है। मैं तो हकीकत की अर्ज करना चाहता हूं। जैसे चारे डिपो की जो बात कर रहे हैं। इस साल चारे की समस्या मेरे ख्याल में नहीं है और चारे में ज्यादा जो जोर दे रहे हैं इसमें तो लोगों को लाखों, करोड़ों रुपया कमाने का फायदा होगा, घपला करते हैं। मेरी अर्ज है कि इन्सान को बचाने के लिए रोजी रोटी के लिए मजदूरी के पैसे मिल जाय यह गारण्टी हो और पीने के पानी का इन्तजाम हो। अब साहब, असली बात, जैसे मैंने कहा कि कहीं राजनैतिक अकाल है, कहीं हकीकत अकाल है। जैसे परसों मैं ध्यान से सुन रहा था, मुख्यमंत्रीजी को यह पक्का ध्यान था। यह हमारे माननीय सदस्य करौली से आने वाले ने भेड़ों के मामले में एतराज किया। हो सकता है यह इनकी समस्या थी लेकिन मुख्य मंत्रीजी को भेड़ों के मामले में सही जानकारी थी। साहब, भेड़पालक कहां के हैं ? जैसलमेर के हैं, बाड़मेर के हैं, जोधपुर के हैं, जालौर के हैं। लेकिन आज जैसलमेर, बाड़मेर का कोई आदमी करौली तक जाता है तो कोई सैर करने के लिए नहीं जाता, आराम करने के लिए नहीं जाता। उसको तकलीफ होती है तब अपने घर को छोड़ करके वहां तक जाता है। वहां लोगों से झगड़े भी होते हैं, कहीं पिटाई भी होती है, कहीं कभी भी आदमी मर गये हैं और कहीं पर मुकदमे भी हुए हैं। इतनी चीज होती है लोग आंखों से देखते भी हैं। यह सब होते हुए भी क्योंकि उनके घर में कोई जानवरों को खाने के लिए जगह नहीं है तब ऐसी मजबूरी होती है। हमारे यहां तहसील जैसलमेर में, तहसील शिव में, तहसील बाड़मेर में ऐसे कई गांव हैं जो लगातार दसवें अकाल में हैं, ऐसे कई गांव हैं जो लगातार सातवें अकाल में आते हैं और ऐसे कई गांव हैं जिसमें लगातार पाचवां और तीसरा अकाल है। तो इन गांवों में आज तक कोई वर्क नहीं खुलना लोगों के साथ राहत नहीं है ज्यादती है। इसलिए यह मेरा निवेदन है कि अकाल राहत के तहत पिछले कुछ समय में हमारी सरकार ने, लोगों के ख्याल यह बने कि सड़कों के जितने काम लिये जा रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। मेरे ख्याल में यह बात गलत है। इससे पूर्व कई अकाल राहत कार्य में सड़कें ग्रेवल की बनी हैं उसमें ज्यादा पैसा मजदूरों को ही मिलता है, ठेकेदार को नहीं मिला है बाड़मेर, जैसलमेर जिले के कई ऐसे इलाके हैं जिनका ग्रेवल साइड पर मिलता है, फावड़े से मजदूर खोदता है और मजदूर ही तगारी से सड़क पर डालता है। ट्रान्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें 80 प्रतिशत पैसे लेबर को मिलते हैं। ऐसी

(श्री अमीन खां)

सड़कों पर बसें चलती हैं, कारें और जीपें आराम से चलती हैं, ऐसी फेमिन के तहत सड़कें बनी हैं। उन सड़कों की पिछले चार-पांच सालों से मरम्मत भी बन्द कर दी है। तो इन सड़कों की मरम्मत कराना बहुत जरूरी है और नालियां पिछले सालों में अनाप-शनाप खोदी गयी। इरिगेशन के बांध भी उस इलाके में जितने बांधने थे बांध दिये हैं। बरसात नहीं होने से उसका उपयोग नहीं हुआ लेकिन काम काफी हो गया। अब इस वक्त उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए लोगों की परमानेन्ट सुविधा के लिए सड़कों का काम अकाल में लेना बहुत जरूरी है और पीने के पानी का मेरा निवेदन है कि योजनायें काफी बनी लेकिन कई योजनायें ऐसी बनी हैं जिन योजनाओं में कागजों में तो बोलते हैं कि वहां रेगुलर पानी जा रहा है। मैंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री को एक लिस्ट दी है उन गांवों में पानी अभी तक नहीं जाता है। उसका कारण है जैसे पिछली दफा पी.डब्ल्यू डी. के सवाल का जिक्र चला था। सरकार ने पी.एच.ई.डी. में योजना बनाई कि दस ट्यूब वैलों से यह 80 गांव की योजना चलेगी। उनका अन्दाजा था कि 6 हजार गैलन यहां पानी मिलेगा हर घंटा, लेकिन पानी वहां मिल रहा है 15 सौ गैलन। इसलिए उनकी योजनायें फेल हैं और वे अब घबरा रहे हैं कि इस योजना को हम फैल बताते हैं तो हम फंस जायेंगे। कई टहल के गांवों में पांच-सात दिन में पानी नहीं जाता है। कभी कोई शिकायत होती है लोग दौरा करते हैं मंत्री या आफिसर तो दूसरे गांवों के कनेक्शन बन्द करके उस लाइन से पानी शुरू करके बता देते हैं कि साहब पानी आ गया। इस तरह के गांवों को चैकअप करना है। जो धोरों में गांव हैं उन गांवों में पानी मिलना चाहिए और फेमिन के पैसों से इन्तजाम होना चाहिए। मेरे ख्याल में यह जो पांच करोड़ रुपये राजस्थान के बताये हैं इसमें तो बाड़मेर जिले की पूर्ति नहीं होगी। जैसे पहले अकाल राहत का इन्तजाम होता है इसके पैसों का ज्यादा इन्तजाम होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है कि हकीकत में जो अकाल से पीड़ित लोग हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए और अप्रेल से जुलाई तक खूब काम रहना चाहिए। जिस जिले की 10 लाख जनसंख्या है उस जिले में कम से कम एक लाख मजदूरों का अप्रेल से इन्तजाम होना चाहिए और इस अनुपात से जहां-जहां अकाल घोषित हुये हैं और जहां लोग तीन रुपये मजदूरी पर भी तैयार है हकीकत में अकाल यहां है और कहीं-कहीं पर तो 15 रुपये पर भी मजदूर नहीं मिलता है। इस लिए मेरा निवेदन है कि ...

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम जी परमार।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर। पूछना है आपको ?

श्री प्रेमसिंह जी दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी को कुछ हमारे क्षेत्र की समस्यायें और कुछ सुझाव दूंगा कि किस तरह से अकाल राहत के कार्य करवाये जायं,

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : सवाल ही है। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है जिस समय बाढ़ आती है उस समय बाढ़ पीड़ित गांव.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने तो दीजिए उनको। वह एक लाइन बोले नहीं और आपने भाषण दे दिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : हमारे जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उसके अन्दर पक्के काम कराये जा सकते हैं। इसके लिए जालौर जिले का एक प्लान बना हुआ है उसके तहत पक्के काम हमारे यहां कराये जाने चाहिए। दूसरा मेरा यह कहना है कि हमारी कुछ पंचायतें बाड़मेर में लगी हुई हैं वहां बिल्कुल बाड़मेर की स्थिति है उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा मेरा एक सवाल और है कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जो तालाब आये हुये हैं अगर श्रमिकों को कोई दूसरा काम नहीं मिलता तो नगर पालिका क्षेत्र में भी उनसे काम कराया जा सकता है। इसके लिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि फेमिन कोड जो पुराना बना हुआ है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। फेमिन कोड के कारण नगरपालिका क्षेत्र में काम नहीं होते और श्रमिकों को काम नहीं मिलता जिससे उनको काम मिले।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हबीबुर्रहमान (अनुपस्थित) माननीय श्री राजेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)

माननीय श्री घासीलाल।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही द्वारा सिर्फ 28 गांव ही अभावग्रस्त घोषित किये गये। जबकि पड़ौसी तहसीलों में कहीं 125 गांव हैं, कहीं 150 गांव है और कहीं 160 गांव हैं। क्या मैं यह मान लूं कि इस तहसील में बरसात ज्यादा हुई लेकिन अधिकारियों की लापरवाही द्वारा सिर्फ 28 गांव ही अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि रबी की फसल वहां बिल्कुल नहीं हुई, खरीफ की फसल वहां बिल्कुल नहीं हुई, न चारा हुआ, न अनाज हुआ। तो उन सारे गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित करवा कर अकाल राहत कार्य तुरन्त चालू करवाये जायें। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि अकाल का स्थाई समाधान अगर वहां सरकार चाहती है तो जो बीसलपुर प्रोजेक्ट है उसको लिफ्ट इरिगेशन करके टोरडी सागर में पानी जिससे तहसील क्षेत्र के पश्चिम एरिये की 12 पंचायतें या 15 पंचायतें सिंचित हो जायेंगी और टोरडी सागर में लिफ्ट इरिगेशन का पानी डालने से तहसील मालपुरा व तहसील टोडारायसिंह की 25 पंचायतों को एक्स्ट्रा पानी मिलेगा। यह स्थाई समाधान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे यहां हैण्डपम्प बिल्कुल खराब हैं। हर गांव में पांच-पांच नये हैण्ड पम्प दिलाये जायें नहीं तो गर्मी

(श्री घासीलाल)

के मौसम में पानी का भयंकर संकट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री रमाकान्त शर्मा। नहीं बोल रहे। माननीय श्री हीरालाल आर्य। नहीं बोल रहे। माननीय मंत्री जी। आप समय का भी ध्यान रखिये। सवाल नहीं आयेंगे, जरा जवाब सुन लीजिए।

एक माननीय सदस्य : अकाल पीड़ित तो हम हैं, जो बोले हैं वह अकाल पीड़ित नहीं हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे नैनवां में तो 50 प्रतिशत लोग गांव छोड़ कर जा चुके हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम मैंने पुकारा था। आप एक सवाल पूछ लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मैं तीन सवाल पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पहला सवाल तो यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने करीब 547 करोड़ रुपये इस अकाल से निपटने के लिए मांगे थे। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है केवल पांच करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये हैं। क्या बाकी के रुपये प्राप्त करने के लिए और कोई कार्यवाही की गयी या नहीं की गयी? आपने मेरे को जवाब दिया है कि राजस्थान सरकार ने अभाव की स्थिति से निपटने हेतु भारत सरकार को ज्ञापन भेज कर 547.61 करोड़ रुपये की मांग की उसमें से आपने बताया कि पांच करोड़ रुपये मिले। बाकी का क्या हुआ मिलने की उम्मीद है या नहीं है वह आप देख लीजिए। दूसरा मेरा सवाल यह है, मैं खास तौर से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मेरे और साथियों ने भी कहा है सदन के नेता महोदय, बहुत सी जगह प्रशासन इस बात को कि इसकी स्थिति सरकार की ठीक नहीं है और अगर ज्यादा गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसा और भी कई लोगों ने शिकायत की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय सर्वे हुआ और अकालग्रस्त घोषित किये गये उस समय सरकार आपकी थी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उसको अब आप दुरुस्त कर दीजिए। हमने जो गलती की उसको हम भुगत रहे हैं, हमारी गलती की वजह से हम यहां बैठे हैं। अगर आप भी वही गलती करना चाहते हो तो थोड़े दिनों बाद यहां पधार जाओगे। इसमें एक जटिलता और आ गयी है कि आपने जो तरीका अपनाया है कि कर्ज उनके माफ किये जायेंगे जो बिल्कुल डिफाल्टर नहीं हैं। बिल्कुल डिफाल्टर उनको नहीं माना है। आपके जो केन्द्र में वित्त मंत्री है उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है कि बिल्कुल डिफाल्टर उनको नहीं माना जायेगा जैसे अकाल नहीं है, जिन्होंने पैसे नहीं दिये। अब जो लोग रह गये प्रशासन की गलती के कारण आप जांच करा लीजिए मैं आपको सैकड़ों गांवों

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

के उदाहरण दे सकता हूं जहां बिल्कुल सफल नहीं है, पास का गांव अकाल ग्रस्त है,....

श्री अध्यक्ष : तीसरा सवाल, तीसरा सवाल।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं वंचित रह जाऊंगा कर्ज की माफी से।

तीसरा मेरा सवाल पेयजल के बारे में है। मन्त्री महोदया मेरे यहां हालत यह है कि करीब 6 पंचायत समितियों में 3 हजार, 465 हैंड पम्प हैं जिनमें से 1 हजार, 115 अनवर्केबल हैं तो वहां दूसरे खोदने पड़ेंगे। अब वहां हैण्ड पम्प देंगे तो एक पंचायत की दस-बीस पंचायत समिति को ज्यादा से ज्यादा देंगे 100। अब यह 1,115 का बैकलाग कैसे पूरा करेंगे यह मन्त्री महोदया यहां बतायें।

श्री अध्यक्ष : आप एक सवाल पूछेंगे।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने हमारे पर कृपा की, यह फेमिन का सवाल है, लोगों को राहत का सवाल है, इस पर बोलने के लिये आपने हमको मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र , रानीवाड़ा में जो जसवन्तपुरा पंचायत समिति है वहां की स्थिति बहुत भयंकर है। वहां अकाल राहत के नाम का कोई कार्य नहीं है। इस साल भयंकर अकाल है, पानी की भी समस्या है। जैसा हमारे अमीन साहब ने कहा हमारे पास थोड़ा है, परन्तु पानी और लोगों को मजदूरी का सवाल है इसलिये कृपा कर पक्के निर्माण कार्य हाथ में लिये जायें तो सदा के लिये समस्या का समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में सवाल पूछना चाहता हूं, यह चम्बल नहर का मसला सदन के सामने आया है। मैं आपके माध्यम से राहत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि टेल के एरिया की फसलें बरबाद हो चुकी हैं पर्टिकूलरली बूंदी तहसील के टेल वाले क्षेत्र में क्या उनमें भी राहत कार्य खोले जायेंगे, लोगों को काम दिया जायेगा ? बूंदी जिले में सबसे ज्यादा अकाल से समस्याग्रस्त तहसील नैनवां है। उस नैनवां में 25 परसेण्ट से ज्यादा लोग छोड़कर जा चुके हैं। यदि यह सही है तो क्या सबसे ज्यादा अकाल राहत के कार्य वहां खोले जायेंगे ? खोले जायेंगे तो कब से खोले जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया। माननीय मन्त्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल सहायता मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं कि उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से कुछ सुझाव भी मेरे सामने रखे हैं। कई माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछे उनका उत्तर मैं अपने वक्तव्य में बता चुकी हूं। यदि वह कहें तो मैं उसे दुबारा पढ़ने को तैयार हूं। कुछ प्रश्न जो अलग से मेरे समक्ष आये हैं उनमें से मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा

(सुश्री पुष्पा जैन)

था कि ग्राम के अलावा शहर में भी अकाल घोषित किया जाये। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि कुल 1415 में से 108 ग्राम शहरी क्षेत्रों के हैं जो अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि हमें राज्य सरकार ने निर्देश कब दिये राज्य सरकार ने 26.3.90 को निर्देश भेजे। मैं सदन की जिज्ञासा समाप्त करते हुये कहना चाहती हूं कि 4 तारीख को वर्तमान सरकार हरकत में आयी। हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में अकाल पीड़ित क्षेत्रों के साथ खिलवाड़ किया जाये। राज्य सरकार अकाल को न तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना चाहती है और ना ही इसे शोषण का माध्यम बनाना चाहती है। इस सदन को याद होगा पिछली कई विधान सभाओं में अकाल के सन्दर्भ में कई ऐसे प्रश्न खड़े हुये, मैं लूणी से आने वाले माननीय सदस्य को खास तौर से याद दिलाना चाहती हूं कि सत्ता में रहते हुये भी उन्होंने बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ कुछ ऐसी बातें उजागर की थी जो अकाल पीड़ितों के साथ मैं समझती हूं एक खिलवाड़ हो रहा था इसीलिये राज्य सरकार सोच-समझकर अप्रेल के प्रथम सप्ताह में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में काम शुरू करवाने जा रही है।

जो सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने आयी है वह है पेयजल की। माननीय सदस्यों ने पेयजल की भी बहुत चिन्ता की सरकार स्वयं भी इस चिन्ता को ही मद्दे नजर रखते हुये अभी इसी सदन में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें विपक्ष के सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। इस सलाहकार समिति ने दो अलग-अलग बैठकें कर ली हैं तथा दिनांक 27.3.90 को हुई बैठक में उक्त समिति ने 75.75 करोड़ रुपये की धनराशि एक आपातकालीन योजना के लिये स्वीकृत की है। इस आपातकालीन योजना के अन्तर्गत 13.53 करोड़ रुपये की धनराशि नगरीय क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों के लिये आरक्षित है तथा 25.70 करोड़ रुपये की धनराशि ग्रामीण इलाकों के लिये रखी गयी है। यह धनराशि पेयजल के लिये खर्च होने वाली नियमित योजना राशि तथा भारत सरकार द्वारा देय त्वरित योजना कार्यक्रम राशि के अलावा होगी। बाकी सदस्यों को यह जानकार भी प्रसन्नता होगी कि अगले तीन-चार माह में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार हैण्ड पम्प नये बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 100 नये नलकूप बनाये जायेंगे तथा 200 ऐसे नलकूप जो बने हुये हैं उन्हें पेयजल के लिये चालू किया जायेगा। इसके अलावा उपलब्ध जल स्रोतों को पेयजल के लिये आरक्षित किया गया है तथा इस जल को निश्चित रूप से ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के लिये वितरित किया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी है कि बिजली पर आधारित पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये बिजली व्यवस्था में सुधार लाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि पेयजल योजनाओं को बिजली की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाये। दूर-दराज के इलाकों में जहां पर पानी की कमी होने की वजह से पाइपों द्वारा पानी पहुंचाने में कठिनाई हो रही है और जहां पर दूसरे पानी के स्रोत

(सुश्री पुष्पा जैन)

उपलब्ध नहीं हैं ऐसे स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिये टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है तथा इन ग्रामों में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। चूरू, गंगानगर एवं झुन्झुनू जिलों में जहां पर भूमिगत स्रोत उपलब्ध नहीं है तथा पानी खारा है ऐसे 353 गांवों में व तीन शहरों में पानी पहुंचाने की दृष्टि से एक बड़ी योजना गंधेली साहबा, फेज-2 जिसकी अनुमानित लागत 63.60 करोड़ रुपये है का कार्य एफ. आर. जी. जर्मन देश के वित्तीय सहायता के हाथ में लेने का निश्चय किया गया है। इस योजना के लिये जर्मन देश द्वारा भारत सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है। इस योजना का कार्य जल्द से जल्द प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और उदयपुर जिलों में भी, जहां पर नारू रोग बहुतायत से पाया जाता है, उन जिलों में भी स्वीडन सरकार की सहायता से एक योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत 4 हजार, 102 हैण्ड पम्प बना दिये गये हैं व 6 हजार, 63 वैल्स का सुधार हो चुका है। माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिये सरकार सभी आवश्यक व्यवस्था करेगी। वित्तीय स्थिति कितनी भी कठिन हो फिर भी अकाल राहत कार्यों की समुचित व्यवस्था की जायेगी इसमें किसी किस्म की कोताही को बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.00 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।)

176

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची

(1) निम्न गांवों में गहरे हैण्डपम्प प्रत्येक में एक प्रस्तावित है :-

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील
1.	होडापुरा	शाहबाद	9.	नारायण खेडा	शाहबाद
2.	मुण्डीयार	"	10.	खलदा	"
3.	मभारी	"	11.	पीपलखेडी	"
4.	कालोनी	"	12.	सिरसोद कलां	"
5.	मामोनी	"	13.	महोदरा	"
6.	सेमली तलेटी	"	14.	मागर	"
7.	रामपुर तलेटी	"	15.	जैतपुरा	किशनगंज
8.	रतई कलां	"	16.	माधोपुरा	"

(2) निम्न गांवों में क्षेत्रीय योजना बडारा धतूरिया प्रस्तावित है :

1.	बडारा	4.	सेमरा
2.	धतूरिया	5.	सेमली फाटक
3.	गणेशपुरा	6.	खेराई

(3) निम्न गांवों में क्षेत्रीय योजना हलावनी मुहाल प्रस्तावित है :

1.	मुहाल	4.	केदार कुई
2.	काली माटी	5.	हलावनी
3.	सूखा सेमली		

परिशिष्ट–2

समयावधि के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बिलाड़ा को समुचित पेयजल

107. श्री मिश्रीलाल चौधरी (बिलाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में बिलाड़ा में अस्वास्थ्यकर पेयजल वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो शुद्ध पेयजल कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

(2) क्या बिलाड़ा में पानी की टंकी एवं पाइप लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, जिससे पाइप लाइनों में पूरे दबाव से पानी नहीं आ रहा है ?

(3) क्या बिलाड़ा के उप-क्षेत्र उचियार्डा में पिछले दस वर्षों से पेयजल की आपूर्ति बराबर नहीं हो रही है ? यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक एवं किस प्रकार आवश्यकता के अनुरूप पानी दिया जा सकेगा ?

(4) क्या भोपालगढ़ तहसील के विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की 13 पंचायतों में पेयजल की भारी किल्लत है ? यदि हां, तो वहां समुचित पेयजल व्यवस्था कब कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बिलाड़ा में जो पानी वितरित किया जा रहा है वह अस्वास्थ्यकर नहीं है।

(2) जी नहीं। पानी की टंकी एवं पाइप लाइन पुरानी नहीं है।

(3) जी हां। डेढ़ किलोमीटर की पाइप लाइन में पेड़ों की जड़ें आने से पानी मौहल्ले तक पूरे दबाव के साथ नहीं पहुंचता है। चूंकि यह डेढ़ किलोमीटर पाइप लाइन सड़क के नीचे दबी हुई है। अतः इस पाइप लाइन के साथ-साथ नई पाइप लाइन एक माह में डाल दी जावेगी।

(4) 13 पंचायतों के खेडी सालवा, खेडी चारना, हिंगानियां एवं घीडावट चार गांवों में पेयजल की समस्या है। वर्ष 1989–90 में खेडी सालवा एवं खेडी चारना की योजना केन्द्र सरकार द्वारा एवं गांव हिंगानियां की योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। तकनीकी स्वीकृति के बाद धन उपलब्धता के अनुसार इन योजनाओं पर कार्य करवाया जायेगा। गांव घीडावट की योजना विभाग में विचाराधीन है।

सीलू भाट की बालेरा (सांचौर) पाइप लाइन

108. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की सांचौर तहसील में सीलू भाट की बालेरा पाइप लाइन से ग्रामों को पेयजल दिया जा रहा है ?

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

(2) क्या यह भी सही है कि इस पाइप लाइन द्वारा अस्वास्थ्यकर पेयजल वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सुरावाटियूब्स से सीलू भाट की पाइप लाइन से पानी दिये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों एवं उक्त स्थिति में प्रभावित गांवों को मीठा पानी कहां से प्रदाय किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं । अस्वास्थ्यकर पानी वितरण नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो पानी वितरित किया जा रहा है वह कुछ खारा है। सुरावा नलकूप से सीलू भाट की क्षेत्रीय योजना में पानी देने हेतु आवश्यक योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने जारी कर दी है। वित्तीय उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाया जाएगा।

लूणकरणसर लिफ्ट नहर के मार्ग में कमांड क्षेत्र की सिंचाई

109. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर लिफ्ट नहर के कमांड क्षेत्र 1.30 लाख एकड़ के बजाय बीकानेर के आसपास की करीब 14 हजार एकड़ कृषि भूमि को अन्य कार्यों में आवंटित करने के कारण कमांड भूमि कम हो गई है ?

(2) क्या इस लिफ्ट नहर के मार्ग में पड़ने वाले गांव बंधा, उत्तमदेसर, खारी, दुलसेरा, लूणकरणसर, मलकीसर, कपूरीसर आदि अकाल प्रभावित गांवों की कृषि भूमि का सर्वे करके कमांड क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु सरकार का विचार है ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । बीकानेर के आसपास मास्टर प्लान में आने से केवल 3500 एकड़ भूमि कम हुई है। 1970 के लिफ्ट नहर के तखमीने के अनुसार 1,26,814 एकड़ कमांड भूमि का आंकलन किया गया था जो प्रारम्भिक सर्वे पर आधारित था। कालान्तर में चक प्लान पूर्ण करने के पश्चात् अब कमांड भूमि 1,13,692 एकड़ है। इस प्रकार 9622 एकड़ भूमि की कमी चक प्लान पूर्ण करने पर पाई गई तथा 3500 एकड़ भूमि की कमी बीकानेर के आसपास मास्टर प्लान में आने के कारण हुई।

(2) जी नहीं। इन आठ गांवों की 14,698 एकड़ भूमि लिफ्ट नहर के कमांड क्षेत्र में प्रारम्भ में ही सम्मिलित की जा चुकी है-अब और अतिरिक्त क्षेत्र कमांड में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बून्दी ब्रांच कैनाल से टेल के ग्रामों को पानी

110. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या चम्बल सिंचित क्षेत्र की बून्दी ब्रांच कैनाल में साल भर पानी दिया जाता

(श्री रामनारायण वर्मा)

है और इसकी टेल के गांवों में सही समय पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहर की टेल पर बसे ग्रामों में सही समय पर पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे गेहूं की फसल को क्षति पहुंची है ? यदि हां तो किसानों की इस हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ? भविष्य के लिये सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) बून्दी ब्रांच कैनाल में क्लोजर समय को छोड़कर वर्ष भर पानी चलाया जाता है। प्रयत्न यह रहते हैं कि अन्तिम छोर (टेल) पर समय पर पानी मिले पर प्रथम/मध्यम छोर के काश्तकारों द्वारा पानी रोकने से यह कठिनाई होती है। अतः भविष्य के लिये सुचारू व्यवस्था हेतु चल दंडनायक (Mobile Magistrate) की अब व्यवस्था कर दी गई है जिसकी शीघ्र नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय को निवेदन किया जा चुका है।

(2) यह सही है कि अन्तिम छोर (टेल) के काश्तकारों को समय पर पानी नहीं पहुंचने के कारण गेहूं की फसल को पूरा पानी नहीं मिल पाया इसी व्यवस्था को सुचारू करने हेतु इस प्रश्न के खण्ड एक के उत्तर के अनुसार व्यवस्था की जा रही है।

जालौर शहर में पेयजल व्यवस्था

111. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर शहर के लिए वर्तमान में जनसंख्या के अनुरूप पेयजल की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट है ?

(3) क्या सरकार आगामी ग्रीष्म ऋतु में सम्भावित पेयजल संकट से अवगत है ? यदि हां, तो इसके निवारण के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर शहर में 46 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी वितरित किया जाता है जो विभागीय मापदण्ड के अनुसार 46% है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जल स्रोत बढ़ाने के लिए योजना विचाराधीन है। विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

जालौर शहर हेतु कन्टीन्जेन्सी प्लान के तहत भारत सरकार को भेजे गये मांग पत्र में दो नलकूप खोदने, 5 हैण्डपम्प लगाने तथा नलकूपों को वर्तमान व्यवस्था से जोड़ने के कार्य हेतु 8.00 लाख रुपये की मांग की गयी है। दो नये नलकूप बनने के बाद पानी की मात्रा में 556 किलोमीटर बढ़ोतरी होने की सम्भावना है। इस योजना का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है, एवं उसके अनुसार बनाए गए तकमीने के तहत इस योजना की राशि का अनुमान 13.97 लाख रुपये है।

180

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

112. श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर न रखा जावे ? यदि हां, तो उक्त निर्देश कब जारी किये गये तथा क्या इनकी पालना चिकित्सा विभाग में की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(2) जयपुर जिले के कितने अधिकारी व कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से शहर में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्तियों का सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर निम्न प्रकार रखा जा सकता है—

किसी अन्य संस्था या विदेश में राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत सन्निहित प्रावधानों के अनुसरण में और किसी एक संस्थान में पदस्थापित होते हुए दूसरे संस्थान में कार्यरत होने पर दूसरी प्रकार की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्ति पर न रखे जाने के आदेश समय-समय पर प्रसारित किये जाते रहे हैं। अन्तिम परिपत्र राज्य सरकार द्वारा 20.7.1989 को एवं निदेशालय द्वारा 29.9.1989 को प्रसारित किये गये, जिनकी सामान्यतः पालना की जा रही है।

(2) जयपुर जिले में कुल 28 अधिकारी एवं कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से जयपुर शहर में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है —

चिकित्सा अधिकारी	4
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3
स्वास्थ्य निरीक्षक	8
वरिष्ठ लिपिक	10
वाहन चालक	1
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2

(3) इस प्रकार की प्रतिनियुक्तियों से चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

डग एवं पिड़ावा क्षेत्र की चरागाह भूमि

113. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ के डग एवं पिड़ावा क्षेत्र में कुल कितनी चरागाह भूमि है ? तहसीलवार कुल भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चरागाह भूमि पर किन्हीं लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने ?

(3) नाजायज कब्जे हटाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ के डग क्षेत्र में 31865 बीघा तथा पिड़ावा क्षेत्र में 34412 बीघा कुल 66277 बीघा चारागाह भूमि है।

(2) डग क्षेत्र में 249 व्यक्तियों ने तथा पिड़ावा क्षेत्र में 816 व्यक्तियों ने चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) नाजायज कब्जा हटाने के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की प्रक्रिया जेरकार है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जोधपुर में पृथक शिशु व महिला चिकित्सालय

114. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर स्थित उम्मेद अस्पताल जो मूल रूप से महिलाओं की चिकित्सा के लिए स्थापित किया गया था, में ही शिशु चिकित्सा की व्यवस्था है और महिला तथा शिशु अस्पताल अलग-अलग नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थिति में महिलाओं को उम्मेद अस्पताल में जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं और शिशु माताओं की चिकित्सा के लिए आवश्यक साधन व सुविधाएं अपेक्षानुसार नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अस्पताल में महिलाओं के लिये शय्याओं का इतना अधिक अभाव है कि मरीज माताओं के पास भी जमीन पर सोने के अलावा कोई चारा नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि उम्मेद अस्पताल में शिशु विभाग के प्रोफेसर ही पूरे अस्पताल के अधीक्षक हैं और इसलिए महिलाओं की चिकित्सा के संसाधनों के विकास की उपेक्षा पिछले आठ वर्षों से हो रही है और इस प्रकार से इस अस्पताल का विकास केवल एकपक्षीय होकर रह गया है ?

(5) पिछले पांच वर्षों में इस अस्पताल में शिशु विभाग के विकास तथा प्रसूति विभाग के विकास पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में जन सहयोग या दान प्राप्त करके भी निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो इसमें से प्रसूति विभाग तथा शिशु विभाग में अलग-अलग व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह चिकित्सालय महिला एवं शिशुओं दोनों के कल्याण हेतु स्थापित किया गया था। यह चिकित्सालय दोनों के लिए है और महिला और शिशुओं के अलग-अलग वार्ड हैं।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। अस्पताल में महिलाओं के लिए शैय्याओं की पूर्ण व्यवस्था है। कभी कभी जब ज्यादा महिलाएं आ जाती है तो उनके लिए अलग से अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाती है।

(4) जी, हां। यह सही नहीं है कि महिलाओं की चिकित्सा के संसाधनों के विकास की उपेक्षा पिछले आठ वर्षों में की गई है। महिलाओं के लिए भी पिछले आठ वर्षों में काफी विकास किया गया है।

(5) वर्षवार खर्च की गई राशि का ब्योरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"क")

(6) जी, हां। वांछित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ख")

परिशिष्ट "क"

भाग "अ"

विवरण तालिका मशीनरी, औजार एवं संयंत्र जिन्हें नवीन व्यय के अन्तर्गत खरीदा गया जिसमें विदेशी उपकरण भी सम्मिलित हैं। वर्ष 1984-85 से वर्ष 1988-89 तक।

(राशि लाखों में)

वर्ष	स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	नवजात शिशु	शिशु विभाग	सम्मिलित विभागों के लिए	शैक्षिक	योग
1984-85	0·62	3·28	—	2·20	—	6·10
1985-86	—	—	1·65	10·55	—	12·20
1986-87	1·97	0·13	2·65	2·45	1·16	8·36
1987-88	3·73	0·30	—	6·80	—	10·83
1988-89	—	—	—	9·26	—	9·26
योग :	6·32	3·71	4·30	31·26	1·16	46·75

183

भाग "ब"

विवरण तालिका जिसमें औषधियों तथा कन्ज्यूमेबल प्रकार के औजारों एवं संयंत्र का वितरण विभागानुसार (वर्ष 1984-85 से 1988-89)

वर्ष	भैषज एवं औषधि			औजार (कन्ज्यूमेबल)		
	स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	शिशु विभाग	कुल खर्च	स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	शिशु रोग विभाग	कुल खर्च
1984-85	9·60	2·40	12·00	3·98	1·02	5·00
1985-86	11·20	2·80	14·00	4·82	1·18	6·00
1986-87	14·40	3·60	18·00	4·80	1·20	6·00
1987-88	14·64	3·36	18·00	5·20	1·30	6·50
1988-89	17·20	3·80	21·00	4·01	2·49	6·50
योग	67·04	15·96	83·00	22·81	7·19	30·00

परिशिष्ट "ख"

दान द्वारा कराए गए निर्माण कार्य

क्र.सं.	विवरण	कार्य पूरा होने का वर्ष	दानदाता	राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
शिशु विभाग				
1-	नवजात शिशु गृह	1986	विभिन्न दानदाता द्वारा चन्दे से।	2·50
2-	प्रिमैच्योर नर्सरी	1986	जाइन्टस क्लब ने निर्माण करा कर सौंपी	10·00 (लगभग)

184

1	2	3	4	5
3–	शिशु वार्ड (यह वार्ड अब स्त्री विभाग के उपयोग में लिया जा रहा है)	1975	जोधपुर जेसीज द्वारा निर्माण करा कर सौंपा ।	0·45 (लगभग)
महिला विभाग				
1–	महिला प्रतीक्षालय	1986	विभिन्न दान दाता द्वारा चन्दे में	1·20
2–	एन्टीनेटल जांच कक्ष (जन्म देने से पूर्व माता की जांच कक्ष)	1987	राज्य सरकार एवं पिता श्री एम.आर. कल्ला के सम्मिलित सहयोग से ।	1·25 (लगभग)
सामान्य सुविधाएं				
1–	एग्जामिनेशन हाल	1988	विभिन्न दानदाता द्वारा चन्दे से ।	3·85
2–	विश्राम गृह (कुल अनुमानित लागत 7·15 लाख)	कार्य लगभग पूर्ण	–यथा–	2·50
3–	आडिटोरियम	1988	अरबन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, जोधपुर ।	7·00
4–	पानी की टंकी	1988	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से प्राप्त दान द्वारा ।	3·00
				31·75

तारांकित प्रश्न संख्या 115

(स्थगित)

बकानी एवं मनोहरथाना (झालावाड़) की नायब तहसीलों की क्रमोन्नति

116. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में ग्राम बकानी एवं मनोहरथाना कस्बे में पूर्व में तहसील कायम की गई थी ? यदि हां, तो उसे कब हटा दिया गया और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण जनता द्वारा इसकी समय-समय पर मांग भी की गयी है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों गांवों में नायब तहसीलों को क्रमोन्नत कर तहसील कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासनिक कारणों से दिनांक 15.9.62 से झालावाड़ जिले की पूर्व तहसील बकानी एवं मनोहरथाना को समाप्त किया गया था।

(2) जी हां।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

टोडाभीम क्षेत्र की सड़कें

117. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी सड़कें किस-किस स्थान से कहां तक बनाई गई है ? उनमें से कितनी अधूरी पड़ी हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अपूर्ण सड़कों को पूर्ण दर्शा कर भुगतान करा दिया गया है ? क्या इस बारे में शिकायतों की कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो उसके क्या-क्या परिणाम निकले ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन नयी सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और कब तक उनका कार्य प्रारम्भ हो जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कुल 58 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।

इन सड़कों का वांछित विवरण संलग्न सूची–1 में दर्शाया गया है। इनमें से 42 सड़कें अधूरी पड़ी हुई है।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार किसी अधूरी सड़क को पूर्ण दर्शाकर भुगतान नहीं किया जाना पाया गया है न ही इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त होना पाया गया है।

(3) नई सड़कों का निर्माण धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सड़कों के निर्माण कार्य की सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजगढ़ (चूरू) की पेयजल योजनायें

118. श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) एवं **श्री चन्दनमल बैद** (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में ' मिनी मिशन" के अन्तर्गत भारत सरकार से कुल कितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक योजना हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा प्रत्येक योजना में कितने-कितने ग्राम सम्मिलित हैं?

(2) क्या उक्त योजनाओं की राज्य सरकार द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या प्रत्येक योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है। इन योजनाओं पर 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई हैं।

(2) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। पी. एण्ड टी. जल योजना राऊताल व कालोड़ी की तकनीकी स्वीकृति जारी हो गई है। शेष तीन योजनाओं, जिनमें 8 गांव शामिल है, की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है, क्योंकि इन योजनाओं को 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दुबारा बनाया जा रहा है।

(3) जी नहीं। राऊताल एवं कालोड़ी योजना की निविदाएँ प्राप्त हो गई है। निर्माण कार्य अप्रेल, 90 में प्रारम्भ कर दिया जायेगा। शेष 3 योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरान्त धन उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाया जायेगा।

(187)

परिशिष्ट "क"

क. सं.	योजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या	स्वीकृत राशि	योजना में सम्मिलित गांवों का नाम
1–	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मघाऊ कलाना रावतसर कुजला	जेड–16024/14/89–90 टीएन दिनांक 14.6.89	35.10	1. मघाऊ (129) 2. कलाना (12) 3. रावतसर कुंजला (176)
2–	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भेंसली-भंभरिड	"	27.58	1. भेसली (150) 2. भंभरीड़ (15)
3–	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बैरासर छोटा लम्बोर बड़ी	"	33.75	1. बैरासर छोटा (134) 2. लम्बोर बड़ी (103) 3. मिठड़ी बलवन्तसिंह (122)
4–	पी. एण्ड टी. जल प्रदाय योजना राऊताल	"	2.95	1. राऊताल
5–	पी. एण्ड टी. जल प्रदाय योजना कालोड़ी	"	3.25	1. कालोड़ी

इन्दिरा गांधी नहर की फलौदी शेरगढ़ लिफ्ट योजना

119. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर लिफ्ट कैनाल योजना में शेरगढ़ क्षेत्र के अन्दर जो भूमि काश्तकारों से अवाप्त की गई है उस हेतु मुआवजे की राशि काश्तकार पृथक्-पृथक् तय की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल योजना फलौदी से वाया चौमूं होती हुई जोधपुर आ रही है ?

(3) क्या फलौदी एवं शेरगढ़ क्षेत्र में इसकी चौड़ाई में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मुआवजे की राशि का निर्धारण भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि आवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में अकाल राहत अन्तर्गत सड़क निर्माण

120. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत 15 वर्षों से अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जिला बाड़मेर व जैसलमेर में बनी ग्रेवल सड़कों की मरम्मत नहीं करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कें जो अकाल राहत के तहत बनी हैं क्या सरकार उसकी मरम्मत कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी हुई ग्रेवल सड़कों की मरम्मत विभाग द्वारा नहीं कराई जाती है। क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार

चूरू जिले की पेयजल योजनाएं

121. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले में पेयजल की कौन-कौन सी योजनाएं कहां-कहां चालू हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चूरू के 16 गांवों में टी. एस. एस. स्कीम चालू है एवं इस स्कीम के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने में पंचायतों के पास धन की कमी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जलदाय विभाग के अन्तर्गत इस स्कीम को लेने का विचार रखती है ?

(3) क्या चूरू तहसील में गांवों को

(189)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहावा लिफ्ट कैनाल से पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूर्ण होगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू जिले में जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है वहां टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हेतु कितने टैंकर लगे हुये हैं ? क्या इन टैंकरों की संख्या गांवों की संख्या के अनुपात में उचित है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पंचायत समिति चूरू के 16 गांवों में टी. एस. एस. योजना चालू है। इन योजनाओं का संचालन जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर इन योजनाओं का संचालन जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

(3) गन्धेली साहवा योजना के द्वितीय चरण में चूरू तहसील के 9 गांव स्वीकृत किए गए हैं। योजना का कार्य वित्तीय उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जा सकेगा। सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) चूरू जिले में इस समय 10 टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। गांवों की संख्या देखते हुये टैंकरों की संख्या कम है। यह कार्य कलक्टर द्वारा अकाल राहत के अन्तर्गत करवाया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर नगर के चिकित्सालयों में रोगी-वाहन

122. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) जयपुर नगर में विभिन्न अस्पतालों में कुल कितनी ऐम्बुलेंस हैं ? अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऐम्बूलेंसों में से कुल कितनी चालू हालत में हैं और कितनी खराब पड़ी हैं तथा कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अस्पतालों में नये रोगी वाहन उपलब्ध कराने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभिन्न अस्पतालों में कुल 16 रोगी वाहन है। अस्पताल वार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"क"

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, सवाई मानसिंह अस्पताल एवं जनाना अस्पताल में एक एक एम्बूलेंस बदल कर उनके स्थान पर नयी एम्बूलेंस खरीदने की स्वीकृति जारी की गई है। एवं उनके इस माह के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

(190)

क्र सं.	नाम चिकित्सालय	कुल एम्बुलेंसों की संख्या	कितनी चालू हालत में है	कि
1	2	3	4	
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के अधीन				
1–	जिला मुख्यालय	2	1	
2–	सेटेलाईट अस्पताल, सेठी नगर	1	1	
3–	सेटेलाईट अस्पताल, बनीपार्क शास्त्रीनगर, जयपुर	1	1	
मेडीकल कालेज, जयपुर के अधीन				
1–	सवाई मानसिंह चिकित्सालय	6	1	
2–	जनाना चिकित्सालय	2	2	
3–	वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय	1	1	
4–	मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय	1	1	
5–	सर पदम पत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान	1	1	
6–	महिला चिकित्सालय	1	1	
	योग	16	10	

भीलवाड़ा जिले में नये हैण्डपम्प

123. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माह अक्टूबर, 1989 से 28 फरवरी, 1990 तक भीलवाड़ा नगर व जिले में किन-किन गांवों में हैण्डपम्प खुदवाये गये और कहां-कहां पाइप लाइनें बिछवाई गई ?

(2) क्या इसके विधिवत आदेश थे ? यदि हां, तो स्वीकृति पत्र सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कार्यों के लिये बजट में प्रावधान था ? यदि नहीं, तो कैसे कराये गये ?

उत्तर

(1) वांचित सूचना परिशिष्ट (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति है उनकी सूची परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति है उनकी सूची परिशिष्ट "स" में सदन की मेज पर रख दी गई है। जो कार्य जिलाधीश भीलवाड़ा के निर्देशानुसार ड्रिलिंग खण्ड से कराये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट "द" में दर्शाई गई है।

(3) परिशिष्ट "द" पर दर्शाये गये कार्यों के लिये कार्य करते समय बजट उपलब्ध नहीं था। शेष सभी कार्यों के लिये बजट उपलब्ध था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झुन्झुनू नगरपालिका

124. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झुन्झुनू नगरपालिका का वार्षिक बजट कितना है ?

(2) क्या उक्त नगरपालिका के पूर्व प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) विगत 4 वर्षों में झुन्झुनू शहर में सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइटों पर कितना व्यय किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर पालिका झुन्झुनू का वर्ष 1989-90 के बजट में आय 76,61,208/- तथा व्यय 74,34,045/- रु. है।

(2) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांचकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को लिखा जा चुका है।

(3) गत 4 वर्षों में झुन्झुनू शहर में सड़क, नाली व स्ट्रीट लाईटों पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

बिगत 4 वर्षों में झुन्झुनू शहर में सड़क नाली व स्ट्रीट लाईटों पर किये गये व्यय का विवरण

वर्ष	सड़क व नाली	बिजली लाईन में वृद्धि	बिजली सामान क्रय
1986–87	16,34,099.38	1,46,058.00	60,112.87
1987–88	12,47,050.67	1,01,609.00	40,703.80
1988–89	19,72,478.48	82,261.23	53,180.72
1989–90	10,02,747.15	2,10,504.00	77,876.00

11–4–89 से 28–2–90 तक।

लालसोट क्षेत्र के हैण्डपम्प

125. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति लालसोट में कितने हैण्डपम्प लम्बे समय से खराब हैं जो विभाग द्वारा असफल घोषित कर दिये गये हैं ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इनके स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट में 74 हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं जो कि विभिन्न तकनीकी कारणों से ठीक नहीं हो सकते हैं। विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वित्तीय उपलब्धता के अनुसार इनके स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाए जाएंगे।

खराब हैण्डपम्प जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती भाग 1 की सूची, परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	गांव का नाम	खराब हैण्डपम्प की संख्या	क्र.सं.	गांव का नाम	खराब हैण्डपम्प की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	राजोली	4	27.	छावा	1
2.	चिमनपुरा	1	28.	रामसर	1
3.	देवल्दा	1	29.	महारिया	1
4.	किशोरपुरा	1	30.	बाड बडवा	1
5.	टोरड़ा	1	31.	डीगो	1
6.	भापदाखुर्द	1	32.	शिवसिंहपुरा	1
7.	समेल	1	33.	बाढश्रीमा	1
8.	बरेड़ी	1	34.	टोडा धामा	1
9.	कांकरिया	1	35.	खुर्रा	1
10.	अचलपुरा	1	36.	लाहरी का बास	1
11.	खुर्रा	1	37.	दौसाड़ा	1
12.	अनूपपुरा	1	38.	खेडला खुर्द	1
13.	उगेरियावास	1	39.	चांदसेन	1
14.	इन्दावा	1	40.	डीगो	1
15.	टोडा गंगा	1	41.	हरिपुरा	1
16.	लोहरवाड़ा	1	42.	चैनपुरा खुर्द	1
17.	महारिया	1	43.	होदायली	1
18.	रामसर	1	44.	लोहरवाड़ा	1
19.	छावा	1	45.	टोडा धामा	1
20.	अभयपुरा	1	46.	काकरिया	1
21.	केला का बास	1	47.	कल्याणपुरा	1
22.	महारिया	1	48.	बिलोना खुर्द	1
23.	रामसर	1	49.	महारिया	1
24.	संदासो	1	50.	बिलोना कला	1
25.	तलाव गांव	1	51.	महाराजपुरा	1
26.	दौसाड़ा	1	52.	खेडला खुर्द	1

(194)

1	2	3	1	2	3
53.	खानपुरा	1	62.	शिवसिंहपुरा	1
54.	बासलक्ष्मीपुरा	1	63.	मटलाया	1
55.	हेमल्या वाला	1	64.	श्रीमा	1
56.	खटुम्बर	1	65.	देवली	1
57.	चांदसैन	1	66.	इन्दावा	1
58.	बाडसोमा	1	67.	महारिया	1
59.	नारायणपुरा	1	68.	श्यामपुरा खुर्द	1
60.	बढ का पाड़ा	1	69.	खेमवास	1
61.	अभयपुरा	1	70.	पट्टी सुलतानपुरा	2
					74

किशनगढ़ क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर नल योजना

126. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से कितनी ग्राम पंचायतें नल योजना से जुड़ी हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कई ग्राम पंचायतों में नल योजना नहीं है ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्यों ?

(3) क्या सरकार बची हुई ग्राम पंचायतों को नल योजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के 15 ग्राम पंचायत मुख्यालय पाइप्ड, पनघट एवं क्षेत्रीय योजना से जुड़े हुए हैं ।

(2) जी हां । सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है । जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नल योजना नहीं हैं वे सभी हैण्डपम्प अथवा पारम्परिक स्रोत योजना से लाभान्वित है ।

(3) जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक है तथा जो अभी तक नल योजनाओं द्वारा लाभान्वित नहीं है, उनमें पनघट योजनायें विचाराधीन हैं । उपयुक्त स्रोत मिलने एवं वित्तीय उपलब्धता के उपरान्त यह कार्य करवाया जा सकेगा ।

195

परिशिष्ट–"क"

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सूची जहां पर नल योजना नहीं है।

क्र.सं.	गांव पंचायत का नाम	पंचायत समिति का नाम	योजना का प्रकार
1.	जाजोता	सिलोरा	परम्परिक स्रोत योजना
2.	सलेमाबाद	"	"
3.	तिलोनिया	"	"
4.	सिनोनिया	"	हैण्डपम्प योजना
5.	तूंवा	"	"
6.	थल	"	"
7.	अमरपुरा	"	"
8.	पिंगलोद	"	"
9.	रलावता	"	"
10.	बुहारू	"	"
11.	नलू	"	"
12.	पाटन	"	"
13.	सिलोरा	"	"
14.	सरगांव	"	"
15.	टिकावड़ा	"	"
16.	खातोली	"	"
17.	देवपुरी	अराई	"
18.	कठपुरा	"	"
19.	कालानाडा	"	"
20.	भोमादीप	"	"
21.	सिरोंज	"	"

बालोतरा शहर की पिछड़ी बस्तियों में सड़क निर्माण

127. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विगत 2 वर्षों में बालोतरा शहर की किन-किन पिछड़ी बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है? वार्ड नं. 6, 7, 8, 9 एवं 10 में कुल कितनी लम्बाई की डामर सड़कों का निर्माण कराया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि नगर की इन बस्तियों में बने गन्दे पानी के नालों की गहराई और चौड़ाई अत्यधिक होने से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा नियमित सफाई आदि नहीं होने से शहर में मच्छरों का प्रकोप हो गया है व बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कठिनाइयों से राहत दिलाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या सरकार नगर की ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बालोतरा शहर में विगत दो वर्षों में नेहरू कालोनी, भील बस्ती, शास्त्री नगर योजना, सांसी कालोनी, बागरियों का धोरा, रेबारियों की ढाणी, हरिजन बस्ती, जटिया कालोनी आदि पिछड़ी बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। वार्ड नं. 6, 7, 8, 9 एवं 10 में कुल 818 मीटर लम्बाई की डामर की सड़कों का निर्माण कराया गया है। तथा उक्त वार्डों में 1777 मीटर लम्बाई की सड़कों का डामरीकरण का कार्य शीघ्र ही सम्पन्न किया जा रहा है।

(2) इन बस्तियों में बने हुए गन्दे पानी के नालों की गहराई अधिकतम $1\frac{1}{2}$ फुट से $1\frac{3}{4}$ फुट तक है, जिसकी समय-समय पर सफाई भी कराई जाती है। कुछ नालों के पानी की निकासी पम्प से की जा रही है। नाले ढके हुए न होने के कारण नागरिकों के लिए असुविधाजनक अवश्य है, किन्तु मच्छरों का प्रकोप व बीमारियां फैलने जैसी स्थिति नहीं है। बालोतरा शहर के उत्तर की ओर स्थित क्षेत्र में बने नालों के पानी निकास की योजना का कार्य डिपोजिट वर्क के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से कराये जाने के लिए लिखा जा चुका है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में इस का उत्तर भी सम्मिलित है।

तारांकित प्रश्न संख्या 128

(स्थगित)

खेतड़ी क्षेत्र के हैण्ड पम्प

129. श्री हजारी लाल (खेतड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में अधिकांश हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो कुल कितने हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्ड पम्प और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खराब हैण्ड पम्पों को कब तक दुरुस्त करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुल 499 हैण्ड पम्पों में से केवल 52 हैण्ड पम्प खराब हैं। 45 हैण्ड पम्प विभिन्न तकनीकी कारणों से अनुपयोगी हैं तथा इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है।

(2) मरम्मत होने योग्य हैण्ड पम्पों को 15 अप्रैल, 1990 तक दुरुस्त कर दिया जायेगा। इस हेतु मरम्मत अभियान चालू कर दिया गया है।

जयपुर शहर की आवासीय योजनाओं का नियमन

130. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार ने जयपुर शहर की विभिन्न आवासीय योजनाओं के नियमन के बारे में जो नवीनतम आदेश जनवरी-फरवरी 1990 में जारी किये थे उनके क्रियान्वयन हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

(2) अब तक उक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त निर्णयों के संबंध में आवासीय समस्या के समाधान हेतु सरकार ने भविष्य हेतु क्या कार्यक्रम निर्धारित किया है।

(4) तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित आवासीय योजनाओं के नियमन के सम्बन्ध में क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) जो आवासीय योजनाएं अभी तक किन्हीं कारणों से अनुमोदित नहीं की गई हैं उनके नियमन के विषय में घोषित नीति के अन्तर्गत क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18-1-90 के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 22-1-90, 25-1-90, 30-1-90 व 7-3-90 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 18-1-90 की प्रतियां परिशिष्ट क, ख, ग, घ व ङ. सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड स्वामियों के द्वारा आवेदन पत्र पेश करने पर 18-1-90 से अब तक कुल 143 भवन निर्माण स्वीकृतियां जारी की गई एवं गृह निर्माण सहकारी समिति की कुल 6 योजनाओं को तकनीकी रूप से अनुमोनित किया गया है। सूची परिशिष्ट "च" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18-1-90 का क्रियान्वयन तत्परता से करने एवं प्रति सप्ताह कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं।

(4) इस प्रकार के मामलों में विभिन्न बिन्दुओं का परीक्षण करना पड़ता है अतः समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

(5) ऐसी आवासीय योजनाएं जो अभी किन्हीं कारणों से अनुमोदित नहीं की गई हैं, के नियमन के सम्बन्ध में भी राज्य सर-

(नगरीय विकास मंत्री)

कार के आदेश दिनांक 18–1–90 की प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

लसाड़िया क्षेत्र की चारागाह भूमि का काबिजों के नाम नियमन

131. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में चारागाह की भूमि पर कितने काश्तकार नाजायज काश्त कर रहे हैं ? कितनी चारागाह भूमि नहर या अन्य स्रोतों से सिंचित हो रही है तथा कितने काश्तकारों ने उक्त भूमि को कृषि योग्य बना कर उस पर अपने मकान, कुएं आदि बना लिये हैं और उन लोगों से कब से कब्जेशुदा उक्त भूमि की पैनल्टी, फसल की नीलामी आदि से राशि वसूल कर उन गरीब आदिवासियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं ?

(2) सन् 1975 के पूर्व की कब्जाशुदा भूमि काबिज काश्तकारों के नाम नियमित करने का प्रावधान होते हुए भी अब तक इस पर अमल क्यों नहीं किया गया ?

(3) अब सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में तहसील धरियावद के क्षेत्राधीन चारागाह की भूमि पर वर्तमान में 1016 काश्तकारों के अतिक्रमण हैं। चारागाह भूमि पर नहर या अन्य साधनों से 2290 बीघा भूमि पर सिंचाई हो रही है। अधिकांश काश्तकारों ने भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसमें से 58 काश्तकारों ने कच्चे केलूपोश मकान एवं 29 कुएं बना लिये हैं। जब जब भी अतिक्रमियों ने राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये हैं उनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है जिसमें नियमानुसार पैनेल्टी एवं कीमत फसल भी शामिल है।

(2) चारागाह भूमि कृषि प्रयोजनार्थ 1-1-70 से पूर्व तथा आवासीय प्रयोजनार्थ 1-7-75 तक किए गए अतिक्रमणों को पात्रता के आधार पर नियमन करने का प्रावधान है। अतिक्रमियों/काश्तकारों द्वारा नियमों के अन्तर्गत पात्रता के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख/साक्ष्य पेश नहीं कर सकने के कारण मामलों का नियमन किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(3) प्रश्न के भाग-2 के अनुसार अतिक्रमियों द्वारा उनके कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेज पेश करने पर प्रचलित नियमों के अनुसार ही नियमन की कार्यवाही सम्भव होगी।

(199)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची

वर्ष		संख्या सूची
1985		3020
1986		3129
1987		2883
1988		6031
1989		5303
	योग	19,366

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची

परिशिष्ट–क

मेडिकल कालेज, बीकानेर में प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता, वरिष्ठ प्रदर्शकों के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पद संख्या	दिनांक जिससे रिक्त है
1	2	3	4
1–	प्रोफेसर, एनाटोमी विभाग	1	1–3–90
2–	प्रोफेसर, दंत चिकित्सा विभाग	1	5–6–87
3–	ई.एन.टी. विभाग	1	21–8–88
4–	मानसिक रोग विभाग	1	19–7–89
5–	टी.बी. एण्ड चेस्ट	1	29–9–89
6–	फोरेंसिक मेडिसिन	1	15-1–89
		6	
1–	रीडर, एनेस्थेसिया विभाग	1	16–2–86
2–	रीडर, सर्जरी विभाग	1	15–11–89
3–	मेडिसिन विभाग	1 दिनांक 12–1–90 को भर दी गई है।	23–12–89
4–	आप्थमोलोजी विभाग	1	16–12–89
5–	स्कीन एण्ड एस.टी.डी.	1	1–1–90
6–	रेडियो-डायग्नोसिस	1	23–12–89
7–	माइक्रोबायोलोजी	1	1–9–86
8-	पैथोलोजी विभाग	1	4–5–88
		8	
1–	व्याख्याता, फार्माकोलोजी विभाग	1	27–4–89
2–	व्याख्याता, फिजियोलोजी विभाग	1	15–9–89

1	2	3	4
3–	स्टेटिक्स एण्ड डेमोग्राफी	1	मई, 1973
4–	पैथोलोजी विभाग	1	22–1–90
5–	मेडिसिन विभाग	1	13–12–89
		दि. 27–1–90 को भर दी गई है।	
6–	सर्जरी विभाग	2	22–4–88, 17–5–89
7–	आप्थमोलोजी विभाग	1	3–5–88
8–	रेडियो–थैरेपी विभाग	1	14–8–89
9–	रेडियो–डायग्नोसिस विभाग	1	नव सृजित पद
10–	पीडियाट्रिक्स विभाग	2	28–2–89, 22–3–90
11–	आर्थोपेडिक्स विभाग	1	1–7–87
12–	ई.एन.टी. विभाग	1	31–8–88
13–	साईकेट्री विभाग	2	3–5–89, 10–6–89
1–	वरिष्ठ प्रदर्शक, एनाटोमी	2	29–12–87 डा. चोरसिया बिना स्वीकृति अवकाश पर।
2–	बायोकेमिस्ट्री विभाग	2	19–10–85, 1–7–89
3–	पैथोलोजी विभाग	5	2 पद 1–8–87 से 10–12–87 23–9–88, 26–9–89
4–	माईक्रोबायोलोजी विभाग	3	26–7–88 डा. नवीन गुलाटी का त्यागपत्र स्वीकृत होने की दिनांक से। डा. श्वेता गुप्ता का त्याग-पत्र स्वीकृत होने की दिनांक से।
5–	फिजियोलोजी (बायोफिजिक्स)	1	11–1–90
6–	पी.एस.एम.	1	29–10–88
7–	फोरेंसिक मेडिसिन विभाग	1	15–11–89
		15	

परिशिष्ट "ख"

मेडिकल कालेज, बीकानेर में चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की
रिक्त पदों की सूची

क्रमांक	पद	रिक्त पदों की संख्या
1–	निजी सहायक	1
2–	कनिष्ठ लिपिक	1
3–	लाईफ गार्ड	1
4–	फोरमेन–II	1
5–	मैकेनिक–II	1
6–	पम्प ड्राइवर	1
7–	कनिष्ठ चित्रकार	1
8–	आर्थोटिस्ट	1
9–	ड्राइवर	1
10–	खलासी	1
11–	जमादार	1
12–	लैब अटेण्डेन्ट	2
13–	लाइब्रेरी बॉय	1
14–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

पी. बी. एम. अस्पताल में रिक्त पदों का विवरण—

1–	नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–2	2
2–	मेल नर्स ग्रेड–प्रथम	4
3–	स्टाफ नर्स	7
4–	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	7
5–	हैल्पर ग्रेड प्रथम	3
6–	अटेन्डेन्ट	5
7–	स्वीपर	1
8–	गार्डनर	1
9–	कुक	1
10–	धोबी	2
11–	जमादार	1

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची

जनरल अस्पताल एवं महिला अस्पताल, अलवर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	मूल नियुक्ति स्थान	प्रतिनियुक्ति का स्थान
1.	श्रीमती पुष्पलता शर्मा	एल.एच.वी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बघेरीकलां	महिला चिकित्सालय, अलवर
2.	श्री रामदयाल यादव	मेल नर्स-प्रथम	रेफरल अस्पताल, बहरोड़	सामान्य चिकित्सालय, अलवर।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची

1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	दो पद	सर्जरी एवं गायनी (बी. डी. चिकित्सालय में)
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	तीन पद	पैथोलोजी एवं रेडियोलोजी (बी. डी. चिकित्सालय में) मेडिसिन–मण्डेला रेफरल अस्पताल में
3.	चिकित्सा अधिकारी	दो पद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – भण्डून्दाकलां एवं – बिजूसर में

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची

श्री रतनसिंह अधिशाषी अभियन्ता खण्ड अलवर के सेवाकाल के दौरान प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र.सं.	शिकायत का विषय	शिकायत कर्ता
1	2	3
1.	श्री रतनसिंह द्वारा 54-87 रुपये का घोटाला	सचिव, कांग्रेस सेवादल (आई), अलवर।
2.	,, रतनसिंह द्वारा कमीशन खाये जाने बाबत	मौहल्ला निवासी, अलवर
3.	,, रतनसिंह द्वारा जलदाय विभाग अलवर को अय्याशी का अड्डा बनाये जाने के संबंध में	जनरैल सिंह
4.	,, रतनसिंह के काले कारनामें के संबंध में।	महामंत्री, राष्ट्रीय नल कर्मचारी संघ, अलवर
5.	,, रतनसिंह का जनहित में अलवर से स्थानान्तरण करने बाबत	संयोजक, अलवर शहर जिला कांग्रेस (आई)
6.	,, फर्जी परचेज आर्डर से तीन लाख रु. का पेमेन्ट करने बाबत	—
7.	,, तीन लाख रु. के गोलमाल की जांच के संबंध में	दैनिक समाचार पत्र, हिमालय की बुलन्दी, अलवर
8.	,, रतनसिंह पर भ्रष्टाचार की जांच कराने के क्रम में।	राज. कौंसिल आफ डिप्लोमा इन्जिनियर्स इकाई, अलवर।
9.	,, रतनसिंह द्वारा उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के क्रम में।	पदमचन्द जैन, उपभोक्ता, अलवर।
10.	,, रतनसिंह द्वारा वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन एवं बिजली बिलों का भुगतान न करने और ठेकेदारों का भुगतान कर देने के क्रम में।	संगठन मंत्री, राष्ट्रीय नल कर्मचारी संघ, अलवर।

1	2	3
11.	श्री रतनसिंह द्वारा सैलटैक्स की चोरी कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के क्रम में।	महामंत्री, नल मजदूर यूनियन, अलवर।
12.	300 के करीब बगैर नियोजन कार्यालय के मस्ट्रोल पर रखकर पैसा कमाया जाने बाबत।	"
13.	लेखन सामग्री क्रय करने में अनियमितताओं के क्रम में।	"
14.	श्री रतनसिंह द्वारा मनोरंजन केन्द्र पर एक लाख रुपया राज्य सरकार का बरबाद करने के संबंध में।	"
15.	अधिशाषी अभियन्ता खण्ड अलवर द्वारा अनियमित भर्तीयां।	"
16.	फ्लैट रेट कनेक्शनों में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा राज्य सरकार एवं विभागीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के क्रम में	"
17.	अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सहायक कर्मचारियों का शोषण	"
18.	विभागीय पाइप लाइन कर्मचारियों से डलवाकर ठेकेदारों को भुगतान कराने के संबंध में।	"
19.	जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड अलवर में वर्कशाप में पम्प ठीक न कराकर लोकल मार्केट में कराये जाने के क्रम में।	"
20.	अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सरकारी वाहन का दुरुपयोग	"
21.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खण्ड अलवर स्थित सरकारी टेलीफोन का अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दुरुपयोग	"

206

1	2	3
22.	जनहित में श्री रतनसिंह, अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड अलवर के विरुद्ध विस्तृत जांच के क्रम में।	जिलाध्यक्ष, राज. राज्य कर्मचारी संघ अलवर।
23.	श्री रतनसिंह अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने के संबंध में।	महामंत्री, नल मजदूर यूनियन, अलवर
24.	—,,—	,,
25.	फावड़े, गेती, आदि लोहे का सामान सप्लाई करने बाबत।	,,
26.	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से 500/- रु. प्रतिमाह लेकर कार्य प्रभारी करने के संबंध में।	,,
27.	नियोजन कार्यालय के बगैर नियुक्ति करने के संबंध में	,,
28.	श्री रतनसिंह, अधिशाषी अभियन्ता खण्ड अलवर द्वारा कांग्रेस विरोधी कार्यवाही कर राजनीति में खुला समर्थन	अध्यक्ष, राष्ट्रीय नल कर्मचारी संघ जल विभाग खण्ड अलवर।
29.	जलदाय विभाग खण्ड अलवर में आजकल सरकारी धन का दुरुपयोग एवं गबन धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है।	महामंत्री, राष्ट्रीय नल कर्मचारी संघ जल विभाग खण्ड अलवर।
30.	खण्ड अलवर में रतनसिंह द्वारा भ्रष्टाचार	अध्यक्ष, नल मजदूर यूनियन खण्ड अलवर।
31.	अनियमित रूप से सबमर्सिबल पम्प सेट की मरम्मत कराने के क्रम में	महामंत्री, नल मजदूर यूनियन खण्ड अलवर।
32.	वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन एवं बिजली बिलों का भुगतान न करने और ठेकेदारों का भुगतान कर देने के क्रम में।	संगठन मंत्री, राष्ट्रीय नल कर्मचारी संघ, खण्ड अलवर।

1	2	3
33.	किराये पर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जीपें लेकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के क्रम में।	महामंत्री, नल मजदूर यूनियन अलवर।
34.	अधिशाषी अभियन्ता, जलदाय विभाग के निवास स्थान पर पानी की अनुचित उपयोग के क्रम में।	महामंत्री,, नल मजदूर यूनियन अलवर।
35.	पानी की टंकी की झूठी मरम्मत करने के क्रम में।	संगठन मंत्री, प्रान्तीय नल मजदूर फैडरेशन, जयपुर।
36.	अधिशाषी अभियन्ता अलवर के द्वारा वाहनों के नाम पर लाखों रु. महावार की सरकार के धन की बरबादी के क्रम में।	संगठन मंत्री, प्रान्तीय नल मजदूर फैडरेशन, जयपुर।
37.	चार वर्ष से श्री रतनसिंह एक्स. ई. एन. पी. एच. ई. डी. द्वारा उलझाये गये निर्माण कार्य के भुगतान को दिलाया जाने के क्रम में।	ठेकेदार, एम. एम. सुजाअत अली, अलवर।

208

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अधूरे पड़े हुए सड़क कार्यों का विवरण :-

क्रमांक 1	सड़क का नाम 2	कब से अधूरी पड़ी है 3	टिप्पणी 4
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
1-	सड़क निर्माण कार्य खेड़ला से करीरी	कार्य प्रगति पर है	इस सड़क में दो जगह भूमि विवाद है जिसकी लम्बाई 700 मीटर है। वर्तमान में फसल खड़ी हुई है।
2-	सड़क निर्माण महावीर से निसूरा भोपर कन्जोली	कार्य प्रगति पर है	इस सड़क में कई जगह जिसकी लम्बाई कुल मिलाकर 1.80 कि. मी. है भूमि विवाद है।
3-	सम्पर्क सड़क, भनकपुरा	कार्य प्रगति पर है	इस सड़क में 1.500 किमी. का भूमि विवाद है।
4-	लालसर राढमोरा रायसेना गढखेड़ा सलावद अलूदा नादोती सड़क	कार्य प्रगति पर है	इस सड़क में दो जगह 400 मीटर व 730 मीटर भूमि विवाद है।
5-	गंगापुर नादोती सड़क से गढखेड़ा वा वागोर सम्पर्क सड़क	कार्य प्रगति पर है	इस सड़क में 49 मीटर में भूमि विवाद है।
	ग्रामीण सड़क		
6-	मूंडिया से धोलेटा वाया नांगल मोरड़ा कमालपुरा तक सड़क निर्माण कार्य	कार्य प्रगति पर है	इस सड़क में तीन जगह भूमि विवाद है कुल लम्बा 1.100 किमी. है भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम		यह कार्यक्रम वर्ष 1988-89 में बन्द कर दिये जाने के कारण धनराशि उपलब्ध नहीं है।

1	2	3	4
	7-सम्पर्क सड़क राजपुर फेज-II	अपूर्ण 1 वर्ष 6 माह	
	8-सम्पर्क सड़क रामपुर फेज तृतीय	अपूर्ण 1 वर्ष 6 माह	
	9-सम्पर्क सड़क भनकपुरा पाडला खालसा	अपूर्ण 1 वर्ष 6 माह	
	10-सम्पर्क सड़क खोरा फेज-चतुर्थ	अपूर्ण 1 वर्ष 3 माह	
	11-सम्पर्क सड़क भनकपुरा	अपूर्ण 1 वर्ष 3 माह	
	12-सम्पर्क सड़क गढखेडा वाया बागोर	अपूर्ण 1 वर्ष 3 माह	
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		यह कार्यक्रम वर्ष 1988-89 में बन्द कर दिये जाने के कारण धनराशि उपलब्ध नहीं है।
	13-लिंक रोड़ खेडला से वोले	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 3 माह	
	14-सम्पर्क सड़क सांकरवाड़ा	अपूर्ण 1 वर्ष 3 माह	
	15-सम्पर्क सड़क डरदेन	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 3 माह	
	16-सम्पर्क सड़क नागल लाट	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष 6 माह	
	17-सम्पर्क सड़क माचडी जयसिंनी	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष	
	18-सम्पर्क सड़क किरवाड़ा शेखपुर	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 3 माह	
	19-सम्पर्क सड़क रानोली	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष	
	20-सम्पर्क सड़क अदलपुर	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष 6 माह	
	21-सम्पर्क सड़क अजीजपुर	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष 6 माह	
	22-सम्पर्क सड़क भंडारी अन्दरूनी	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष 6 माह	
	23-सम्पर्क सड़क लहावद	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष से	
	24-सम्पर्क सड़क जीत की पुर दलपुरा उजीर्णा	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष से	
	25-सम्पर्क सड़क खेडी	कार्य अपूर्ण $1\frac{1}{2}$ वर्ष से	
	26-सम्पर्क सड़क सोप कुन्जेला केमला	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष से	
	27-सम्पर्क सड़क भीलापाड़ा	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष से	
	28-सम्पर्क सड़क तेसगांव	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष से	
	29-सम्पर्क सड़क नन्दखुर्द	कार्य अपूर्ण 2 वर्ष से	

1	2	3	4
	अकाल राहत कार्य		अकाल राहत कार्यक्रम बन्द कर दिये जाने के कारण।
	30-सम्पर्क सड़क पहाडी	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	31-सम्पर्क सड़क ओखडी	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	32-सम्पर्क सड़क राजोर	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	33-सम्पर्क सड़क सुजानपुरा	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	34-सम्पर्क सड़क खिरखिरी	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	35-सम्पर्क सड़क सांकरवाड़ा	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	36-सम्पर्क सड़क लालापाड़ा से धवान वाया मोहनपुरा	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	37-सम्पर्क सड़क नेसगाव	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	38 सम्पर्क सड़क जीतकीपुर	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	39-सम्पर्क सड़क दलपुरा	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	40-सम्पर्क सड़क लहावद से सोप	अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	41-सम्पर्क सड़क खेडी	अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,
	42-सम्पर्क सड़क लालसर से रायसिनी वाया गांवडी	कार्य अपूर्ण 1 वर्ष 8 माह	,,

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 96 की सूची)

ड्राफ्ट मास्टर प्लान (1984-85) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र
नीम का थाना की सड़कों का ब्योरा

क्र.सं. 1	कार्य का नाम 2	लम्बाई कि.मी. में 3
1	अप्रोच रोड नलपतपुरा-पाटन-कोटपूतली सड़क से	7.00
2	पाटन से बल्लूपुरा	7.50
3	अप्रोच रोड़ छाणा को नांगल डाबला पाटन कोटपूतली रोड से	1.00
4	अप्रोच रोड दयाल की नांगल से डाबला पाटन रोड़ वाया जीलो से	8.00
5	खोखरा से माउण्डा कलां वाया दयाल की नांगल	22.00
6	डाबला से बिहारीपुर	2.00
7	अप्रोच रोड श्यामपुरा डाबला पाटन रोड़ से	2.00
8	अप्रोच रोड़ नाथा की नांगल मावण्डा निजामपुर सडक से	2.00
9	अप्रोच रोड़ चारणवास (पुरानावास) एस. एच. 13 से	3.00
10	नापावाली से गोडावास	3.50
11	अप्रोच रोड भगेगा से सिरोही	3.00
12	टोडा से दीपावास	6.00
13	चीपलाटा से अजमेरी	15.00
14	रायपुर से घसीपुरा वाया नयाबास	8.00
15	ए/आर टू माकडी एस. एच. 13 से	3.00
16	ए/आर टू सीमली डाबला पाटन रोड़ से	2.00
17	शाहपुरा चिड़ावा रोड़ एस. एच.13 किमी. 49/0 से 78/0	29.00
18	नीम का थाना पाटन कोटपूतली रोड़ किमी. 0/0 34/900	34.00
19	भूदोली से गनेश्वर वाया बरसिंहवास	4.00
20	मावण्डा से नीजामपुर	11.00
21	हसामपुर से दलपतपुरा वाया रामपुरा	9.00
22	पाटन कर्जो से मीना की नांगल	6.00
23	मावण्डा कलां से जीलो	10.00

२१२

1 2	3
24-ए/आर टू मलिकपुरा रायपुर से डोकन रायपुर पाटन रोड पर	2.00
25-ए/आर टू नानगबास टोडा से	5.00
26-ए/आर जोगियों की ढाणी डाबला पाटन रोड़ से	2.00
27-ए/आर टू टूदवास टोडा से	10.00
28-ए/आर टू भगवानपुरा नीम का थाना चीपलाटा रोड़ से	5.00
29-ए/आर टू ढाणी अहीरान पाटन कोटपूतली रोड़ से	3.00
30-ए/आर टू पांचु खटकड़ा देईमेई से (डाबला पाटन रोड़ से)	3.00
31-मांहुवा से बहारला मोड	5.00
32-ए/आर टू नीमोद	5.00
33-ए/आर टू गावडी नीम का थाना गनेश्वार रोड़ से	3.00
34-ए/आर टू अगोत की ढाणी नीम का थाना चीपलाटा रोड़ से	2.00
35-ए/आर टू चीपलाटा	0.50
36-ए/आर टू हसामपुर	0.40
37-ए/आर टू भूदोली	0.20
38-ए/आर टू गावडी	0.30
39-खोखरा से सिहोड	11.00
40-डाबला से सिहोड	3.00
41-मावण्डा कलां से जीलो	5.00
42-माहुवा से बहाबला रोड़	5.00
43-भूदोली से गनेश्वर	5.00
44-नीम का थाना से नया बास	6.00
45-चीपलाटा से अजमेरी वाया सांवलपुरा	14 00
46-करजो से दलपतपुरा	5.00
47-डोकन से लादी का बास वाया रायपुर पाटन	11.00
	310.20

(213)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची)

पाली जिले में चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान का नाम	वरिष्ठ विशेषज्ञ	कनिष्ठ विशेषज्ञ	वरिष्ठ चिकित्सक	चिकित्सा अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	बांगड प्रस्प. पाली	4	2	–	–
2.	नीमाज	–	1	2	–
3.	सादडी	–	2	–	2
4.	जैतारण	–	1	–	–
5.	सुमेरपुर	–	1	1	–
6.	सोजत	–	2	1	–
7.	बगड़ी	–	2	–	2
8.	तखतगढ़	–	2	–	2
9.	रानी	–	2	–	2
10.	खारची	–	2	–	2
11.	रायपुर	–	2	–	2
12.	प्रा. स्वा. के. बाकली	–	–	1	–
13.	देवलीकला	–	–	1	–
14.	साण्डेराव	–	–	1	–
15.	रानावास	–	–	1	–
16.	पाली (उपमुचि एवं स्वा. (प.क.)	–	–	1	–
17.	बगड़ीनगर	–	–	1	–
18.	सोजत	–	–	1	–
19.	दादाई	–	–	–	1
20.	सियाट	–	–	–	1
21.	चेण्डा	–	–	–	1
22.	खाण्ड	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6
23.	बागोल	–	–	–	1
24.	सेवाड़ी	–	–	–	1
25.	मा. शि. क. केन्द्र, सियाट	–	–	–	1
26.	जवाली	–	–	–	1
27.	चाणोद	–	–	–	1
28.	सरदारसमन्द	–	–	–	1
29.	फालना	–	–	–	1
30.	घनला	–	–	–	1
31.	झोला	–	–	–	1
32.	जोजावर	–	–	–	1
33.	प्रा.स्वा.के.कन्टालिया (मा. जंक्शन)	–	–	–	1
34.	घामली	–	–	–	1
35.	धाकड़ी (सोजत)	–	–	–	1
36.	चाडवास (सोजत)	–	–	–	1
37.	बर (रायपुर)	–	–	–	1
38.	नोंवी (सुमेरपुर)	–	–	–	1

(215)

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची

सवाई माधोपुर जिले में निर्मित प्राथमिक ग्रामीण हाट बाजारों की सूची

मंडी समिति का नाम	प्राथमिक ग्रामीण हाट का नाम	व्यय राशि (लाख रुपयों में)
गंगापुर सिटी	1- बामवास	4.72
	2- पिपलाई	1.46
	3- वटोदा	1.34
	4- बरनाला	1.34
	5- केमला	1.54
	6- सपोटरा	1.33
	7- गढ़मोरा	1.20
	8- गुढाचन्द्रजी	1.28
	9- वजीरपुर	1.89
	10- गढ़खेड़ा	1.28
सवाई माधोपुर	11- कुन्डेरा	1.13
	12- जस्टाना	1.48
	13- मलारना चोड़	1.44
	14- लहसोड़ा	1.18
	15- सूरवाल	1.83
	16- ईसरदा	1.61
	17- सिवाड़	1.61
	18- चौथ का बरवाड़ा	1.66
	19- खण्डार	1.26
	20- बौंली	1.39
	21- माटोटी	1.24
महुआ मण्डावर	22- बालाहेड़ी	1.42
हिण्डौन	23- सैनेल	1.37
	24- महावीरजी	1.24
	25- मासलपुर	1.42
	26- सुरोठ	1.29
	27- ढिंढोरा	1.38
		41.30

(216)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

1. महारियां
2. श्रीमा
3. खोली
4. बगडी
5. खीमावास
6. सुरतपुरा
7. निजामपुरा
8. टेलाला
9. बिलाना खुर्द
10. श्यामपुरा
11. पालुन्टा
12. बिछीया
13. बिदरखां
14. डीगों
15. ब्यासों का नोहरा
16. झापदा खुर्द
17. खेडला खुर्द
18. सवाई माधोसिंह पुरा
19. डगरियां वास
20. ठीठा
21. ग्राम नया मोजदमाए

217

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील	तीन वर्ष से कम समय से कार्यरत कर्मचारी		
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	11	1	12
2.	बाड़मेर	शिव	19	–	19
3.	बाड़मेर	गुड़ी मालानी	1	–	1
4.	बाड़मेर	चौहटन	2	1	3
		योग :	33	2	35
5.	जैसलमेर	जैसलमेर	159	7	166
6.	जैसलमेर	पोकरण	–	1	1
		योग जैसलमेर	159	8	167
		कुल योग ।	192	10	202

218

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची

परिशिष्ट–अ

टोंक जिले में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जन जाति के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं में व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 86–87	वर्ष 87–88	वर्ष 88–89
1.	छात्रावास संचालन	6,00,547.00	5,98,587.00	4,35,661.00
2.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (छात्रों के उत्थान हेतु)	5,960.00	4,575.00	7,220.00
3.	अनुसूचित जाति/जन जाति के कृषकों को ब्याज का पुनरभरण	15,627.00	13,361.00	10,321.00
4.	अनु. जाति/जन जाति के बेरोजगारों को भत्ता	2,840.00	2,940.00	6,337.00
5.	अनु. जाति के व्यक्तियों को गृह निर्माण सहायता	2,36,000.00	14,000.00	20,000.00
6.	अत्याचार से पीड़ितों को सहायता	5,000.00	22,000.00	12,800.00
7.	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	16,15,980.00	16,67,190.00	16,24,200.00
8.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	8,58,348.00	7,76,369.00	6,22,781.00

परिशिष्ट-ब

गत तीन वर्षों में अनु. जाति/जन जाति के लाभान्वितों की तहसीलवार सूची

क्र.सं.	तहसील का नाम	86-87	87-88	88-89
1	2	3	4	5
छात्रावास				
1.	टोंक	95	95	95
2.	मालपुरा	70	70	70
3.	निवाई	40	40	40
4.	देवली	25	25	25
5.	उनियारा	25	25	25
6.	टोडारायसिंह	–	–	–
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति				
1.	निवाई	5	8	6
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कुल लाभान्वितों की संख्या				
		795	664	521
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कुल लाभान्वितों की संख्या				
		15267	8310	8363
अनुसूचित जाति/जन जाति के कृषकों को ब्याज का पुनर्भरण				
1.	मालपुरा	60	01	1
2.	निवाई	–	25	25
3.	टोंक	–	9	9
4.	देवली	–	2	2
5.	उनियारा	–	1	1
6.	टोडारायसिंह	–	3	3
बेरोजगारों को भत्ता (अनु. जाति/जन जाति/विकलांग) टोंक जिला				
		1	1	5

(220)

1	2	3	4	5
अनु. जाति/जन जाति के व्यक्तियों को गृह निर्माण सहायता				
1.	टोंक	422	40	57
2.	निवाई	163	–	–
3.	टोडारायसिंह	49	–	–
4.	मालपुरा	–	8	–
5.	उनियारा	–	–	–
6.	देवली	–	–	–
अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता जिला टोंक				
		6	9	9